लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(आठवां सत्र)

6th Lok Sabha

(खंड 28 में अंक 1 से 6 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 5, शुक्रवार, 13 जुलाई, 1979/22 आषाढ़, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई में व्यवधान के बारे में	1—4
दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई में व्यवधान के बारे में वक्तव्य	4—8
श्री सिकन्दर बख्त	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 99	8—33
अतारांकित प्रश्न संख्या 757 से 767 और 769 से 956	34—184

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक सभा

शुक्रवार, 13 जुलाई, 1979/22 आषाढ़, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई में व्यवधान के बारे में

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुए। (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, दिल्ली में कहीं भी पानी नहीं आया। हम जानना चाहते हैं कि क्या यहां कोई सरकार है भी। इस तरह तो सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। कृपया करके सदन को स्थगित कर दें ----

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : यहां तक कि संसद भवन में भी एक बूंद पानी नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस सरकार को जो कि लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराने में असमर्थ है, सत्ता में बने रहने के योग्य नहीं है, वह सत्ता में बनी रहने के योग्य नहीं है।

(व्यवधान)

बहुत से माननीय सदस्य : महोदय, हमें पानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चावड़ा जी, क्या आप मंत्री महोदय से आने के लिए कहेंगे ?— — —

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यदि भारत की राजधानी में ही यह हाल है तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या हाल होगा ?— — —

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को आने के निदेश दिये हैं उन्हीं से स्थिति का पता चलेगा ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : कल मंत्री महोदय ने सदन को बताया था कि आधी रात के 12 बजे तक पानी मिलने लगेगा परन्तु आज भी दिल्ली में पानी नहीं है — — —

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : पानी हमें केवल अपने ही लिए नहीं चाहिए अपितु हमें तो दिल्ली के 50 लाख लोगों के लिए भी पानी चाहिये । पानी के लिये लोग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं ।

श्री सौगत राय : मन्त्री महोदय ने विशेषाधिकार का हनन किया है । कल उन्होंने वायदा किया था कि 12 बजे आधीरात तक पानी आ जायेगा । परन्तु वे अपना वचन पूरा न कर सके ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय से यहां आकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, हमें तो पानी चाहिए । क्योंकि मेरे घर में पानी नहीं था इसलिए मुझे और कहीं से पानी लेना पड़ा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आप आज सदन को स्थगित कर दें क्योंकि हम बिना स्नान के यहां आए हैं । अब आप कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत नहीं कर सकते । **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं तो अपनी सूचना भेज चुका हूँ । जब तक आप हमारे लिए पानी का प्रबन्ध करें तब तक के लिये इस सदन को स्थगित कर दें ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : इस पानी को देखिये । यह स्वच्छ नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछेक मिनट तक मेरी बात तो सुनिये । मैंने भी कुछ मिनट तक आपकी बातें सुनी हैं । जहां तक इस सदन का संबंध है — — —

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : आप कृपा करके सदन को स्थगित कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस सदन का संबंध है, मैंने इस बात का प्रबंध किया है कि यहां पीने का पानी मिले । कुछ मिनट तक मेरी बात तो सुनिये । बागड़ी जी कृपया अपना स्थान ग्रहन करें, जहाँ तक इस सदन का संबंध है यहां पर पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।

बहुत से माननीय सदस्य : नहीं, नहीं । **(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फलीरो : संसद भवन तो आपके कार्यक्षेत्र में है और यहां पानी नहीं है । (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : हमें आवास मंत्री के आगे धरना धरने को बाध्य होना पड़ेगा ।

श्री सौगत राय : महोदय, माननीय मंत्री का कहना था कि मध्य रात्री बारह बजे तक पानी आ जायेगा । परन्तु कोई पानी नहीं आया । अतः केन्द्रीय मन्त्री इस सरकार को चलाने के योग्य नहीं हैं । **(व्यवधान)**

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : सभा में श्री कछवाय द्वारा पानी वितरित करके एक गम्भीर स्थिति का उपहास करने का प्रयास किया जा रहा है । और इस तरह से जले पर नमक छिड़का जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : किसी सदस्य द्वारा सभा में पानी लाये जाने तथा अन्य सदस्यों को बांटने से बाहर जनता की समस्या नहीं सुलझेगी, क्योंकि जनता पानी के बिना कष्ट उठा रही है । पानी जनता को पहुंचाया जाना चाहिए । यह कोई सदस्यों का विशेषाधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) **:** मेरा एक निवेदन है ।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) **:** बिना पानी के सभा नहीं चलनी चाहिए । सभा को स्थगित करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जायें । मैं सभी की बात सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफ़न (इदक्की) **:** मेरा एक निवेदन है । मंत्री महोदय ने कल वक्तव्य दिया था कि रात तक पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा । अब उन्होंने जले पर नमक छिड़क दिया है। परन्तु अभी तक पानी उपलब्ध नहीं किया जा सका । वह जानते थे कि सभा 11 बजे समवेत होगी । उनका यह प्रथम कर्त्तव्य था कि सभा में आकर बताते कि पानी उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा सका । मेरा कहना है कि उन्होंने जले पर नमक छिड़का है । उनकी कार्यवाही से सभा का अपमान हुआ है । उन्होंने विशेषाधिकार का उल्लघंन किया है । इन हालात में यह बेहतर है कि आप सभा को स्थगित कर दें ताकि मंत्री महोदय सभा में आकर स्थिति बता सकें । मेरा आपसे यही निवेदन है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : हमारी मांग है कि पानी तुरन्त उपलब्ध किया जाये ।

श्री सी० एम० स्टीफ़न : सभा की कार्यवाही मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण के बाद शुरू की जाये । मंत्री महोदय को सभा में बताना चाहिए कि उनका अभिवचन क्यों नहीं पूरा किया जा सका । आपको उन्हें दन्ड देना पड़ेगा । मंत्री महोदय के प्रति सभा के रोष को देखते हुए सभा को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाये जब तक मंत्री महोदय आकर वक्तव्य नहीं देते । मंत्री महोदय को सभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : कृपया सभा को स्थगित करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी नेताओं तथा मन्त्री महोदय की बैठक बुलाने को तैयार हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को बुलाया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मंत्री महोदय क्यों नहीं आये ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन धारिया। क्या आपने मंत्री महोदय को बुलाया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : हमने मंत्री महोदय को बुलाया है। परन्तु यदि आप सभा को स्थगित करते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम आधे घंटे के लिए स्थगित करते हैं। तब तक मंत्री महोदय आ जायेंगे।

श्री ए० के० राय : आप तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : हम आधे घंटे बाद पुनः समवेत होंगे।

(11—16) **इसके पश्चात् लोक सभा आधे घंटे के लिए स्थगित हुई।**

लोक सभा ग्यारह बजकर अड़तालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई में व्यवधान के बारे में वक्तव्य

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सबसे पहले तो मैं अपने अफसोस का इज़हार करना चाहता हूं कि मैं यहां ग्यारह बजे हाजिर न हो सका। मेरा ख्याल था कि यह सवाल बारह बजे उठेगा—

एक माननीय सदस्य : आपको सभा से बिना शर्त माफी मांगनी है।

श्री सिकन्दर बख्त : सभा से मैंने बिना शर्त क्षमा मांग ली है। मैंने सोचा कि मुझे प्रश्न काल के पश्चात् 12 बजे पहुंचना चाहिए। मुझे वास्तव में खेद है कि मैं 11 बजे नहीं उपस्थित हो सका। मैं वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्न कर रहा था। कल मैंने बताया था कि नगर निगम को उम्मीद है कि मध्यरात तक स्थिति सुधर जायेगी। सेना के तकनीकी कर्मचारियों ने संयंत्र को ठीक कर दिया था। इस समय हम वजीरपुर में 50 **एम० जी० डी०** पानी तैयार कर रहे हैं। हम हैदरपुर में 50 **एम० जी० डी०** और चन्द्रावल में 54 **एम० जी० डी०** पानी तैयार कर रहे हैं। हम संयन्त्रों में की गई तोड़-फोड़ को कल रात तक मुरम्मत कर सकते थे किन्तु सप्लाई लाईनों में पुनः भारी तोड़-फोड़ की गई है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम उसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं.... **(व्यवधान)**

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : जिन लोगों ने यह हरकत की है उनके खिलाफ़ कार्यवाही कीजिये।

श्री सिकन्दर बख्त : 5 सैबोटियर्स · · · ·

श्री मनी राम बागड़ी (मथुरा) : हमें पानी चाहिये, सवाल जवाब से काम नहीं चलने वाला है। · · · · **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें वक्तव्य देने दीजिये।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : हमारे जितने मेहमान आये थे बिना चाय पिये चले गये। न किसी को चाय और किसी को पानी पिला पाये। मुश्किल से मैं अभी नहा कर आ रहा हूँ। मजाक बना रखा है इन्होंने।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) : लोगों को पानी दीजिये। यह इतनी बड़ी बात है कि इस पर तो मंत्री जी को इस्तीफ़ा देना चाहिये। · · · **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें वक्तव्य नहीं देने दे रहे हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब यह देखा गया कि सप्लाई लाइन्स में बड़े पैमाने पर सैबोटाज हुआ है · · · ·

श्री राज नारायण : किसने किया ? · · · · **(व्यवधान)**

श्री सिकन्दर बख्त : हमने कोशिश की है कि हम शॉर्ट टर्म मेज़र्स इस किस्म के अख्तियार करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी पहुंचा सकें। इस वक्त करौलबाग, पहाड़गंज, नई दिल्ली के इलाके सबसे ज्यादा ऐफ़ेक्टेड हैं। कल नई दिल्ली में एन०डी०एम०सी० ने 50 हैंड पम्प्स लगाये हैं। आज 50 हैंड पम्प्स और लगाये जा रहे हैं।

श्री राज नारायण : क्या कोई ट्रेड यूनियन इसके लिये जिम्मेदार है, यह मैं जानना चाहता हूं, जो रीसेंटली बनी है "भारतीय मजदूर संघ" डौमिनेटेड बाई जनसघ यह यूनियन इस स्ट्राइक के लिये जिम्मेदार है ?

श्री सिकन्दर बख्त : जनाब सदर साहब, मेरी बात पूरी हो जाय तब मैं बुजुर्गवार की बात का जवाब दूंगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : कई जगहों पर कई लोगों के बच्चे बिना पानी के मूर्छित हो गय हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं कह रहा था कि 50 हैंडपम्प्स और आज नई दिल्ली म्युनिसिपिल कमेटी की तरफ से लगाये जा रहे हैं। और मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं कि जितनी सी० पी० डबलू० डी० से गाड़ियां मुहैया कर सकें वह करें और उनके जरिये से मटकों और ड्रमों के जरिये से लोगों के घरों में पानी मुहैया करें। और मैंने यह भी कहा है कि वह भी नई दिल्लीं के इलाके में हैंड पम्प लगाने शुरू कर दें। लेकिन पूरी तौर पर स्थिति पर काबू पाने में समय लगेगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : सारी बात जब असत्य कही जाय तो क्या होगा। · · · **(व्यवधान)**

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय राजनारायण जी की यह बात सही है कि इस स्ट्राइक में काफी दखल भारतीय मजदूर संघ का है। और सरकार ने यह भी फैसला किया है कि इस किस्म के सैबोटाज के काम का बहुत सख्ती से डील किया जाय, और ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म की रियायत का सवाल नहीं है।

जनाब स्पीकर साहब, मुझे राज्य सभा में भी बयान देना है। हम लोग बेहद कोशिश कर रहे हैं, हम और हमारे साथी रात भर इस कोशिश में लगे रहे हैं। दिल्ली वालों को इस किस्म की तकलीफ में नहीं पड़ना चाहिये था। लेकिन मेरा ख्याल है कि हाउस के आनरेबिल मेम्बरान हमारे साथ इतना ताव्वुन जरूर करेंगे कि जिन लोगों ने दिल्ली को इस तरीके से रेन्सम में रखा है उन लोगों के सैबोटाज को कंडेम करूर करेंगे। .... **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे (अकोला) : हम पानी के बिना कैसे रह सकते हैं। हमें पानी चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जितना आप अधिक चिलायेंगे, आपको उतना अधिक पानी चाहियेगा।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : जब तक वह कुछ नहीं करते, स्थिति बड़ी कठिन हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं उनसे इस मामले पर चर्चा की है। इस सम्बन्ध में वे कूछ प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह प्रबन्ध कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : वह अब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझसे वायदा किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह शीघ्र ही पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं राज्य-सभा में यही बयान करके फिर हाजिर हो जाता हूँ।

(व्यवधान)

श्री किशोर लाल : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने स्टेटमेंट यहां पर दिया है, मैं अभी लेटेस्ट 15 मिनट पहले की इन्फार्मेशन आपको दे रहा हूँ। यह कितनी ही कोशिश वहां पर करें, लेकिन इसके रीजन्स में जब तक नहीं जाया जायेगा तब तक दिल्ली में पानी की पोजीशन बिल्कुल नार्मल नहीं हो सकती। आज 12,13 तारीख हो गई, 9 तारीख की रात को यहां के पोलिटिकल लोगों ने मीटिंग बुलाकर, आफिसर्स को बुलाकर, उनको कुअर्स करके, उनके बोगस दस्तखत कराकर एक पर्टिकुलर यूनियन को रिकग्नाइज़ करने **(व्यवधान)**

मै यह कहना चाहता हूं कि फिर उसके बाद में उन आफिसर्स ने गलत इन्फार्मेशन एल० जी० को दी। उस दिन वहाँ पर सैबोटियर्स के लिए पुलिस नहीं मिली। एल० जी० साहब वहां पर सो गये, कोई कांटीन्जैंसी प्लान नहीं बनाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त मंत्री

जी ने कहा है कि वहां पर इतना पानी बन रहा है, अभी वहां से आधा घंटे पहले बहुत जिम्मेदार आदमी जो हो सकते थे, उन्होंने कहा कि वहां पर दो मोटरें और भी जो पानी की वजह से आर्मी वालों ने चलाई थीं, वह खत्म हो गई हैं। हैदरपुर के प्लांट भी खत्म हो गये हैं। मेरे ख्याल में वहां नर्मिलसी नहीं हो सकती, यह बहुत आसान काम नहीं है। घंटे, दो घंटे में दिल्ली के लोग सड़कों पर आ जायेंगे, हमारे वीवी-बच्चों को मारेंगे। उन्होंने धमकी दी है कि जितने चुने हुए लोग हैं, उनके बच्चों को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। जब तक उनके बच्चे एक-एक बूंद पानी के लिये, दूध के लिए और चाय के लिये नहीं मरेंगे, उन्हें इसका एहसास नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि उनको पूरा अधिकार है यह कहने का। एम० पीज० तो हैंडपम्प से भी पानी ले सकते हैं। आज चांदनी चौक के मंडलों में, करौलबाग में, शाहदरे में आप देखें, अगर अध्यक्ष महोदय, आप भी जायें तो आप बिल्कुल रो पडेंगे जो इस समय पानी के लिए हालत है, उसे देखकर।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हालत है जो म्युनिसिपल कार्पोरेशन के या और किसी के बस की बात नहीं है। मैं इनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अभी इसी वक्त फौरन हमको जितने भी स्ट्राइकिंग लोग हैं, उनको अपील करनी चाहिए कि भगवान के लिए फ़ौरन एक घंटे में स्ट्राइक को खत्म करें। दिल्ली के एल०जी० ने जो क्रिमिनल नैग्लीजैंस की है, मैं कहना चाहूंगा कि एक बजे से पहले प्राइम मिनिस्टर को उन्हें बुलाकर डिस्मिस करना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस बात है। दिल्ली के लोग चल पड़े हैं। औरतें और बच्चे परेशान हैं। लोग मिनिस्टरों और एम० पीज० के घरों पर जायेंगे। वे आपके पास आयेंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास आयेंगे। वे किसी को बख्शने बाले नहीं हैं। अगले चौबीस घंटे में यह सिचुएशन पैदा हो जायेगी। इसलिए यह जरूरी है कि होम मिनिस्टर साहब और लेबर मिनिस्टर साहब इस मामले को अपने हाथ में लेलें और इसको फौरन संभालें। **(व्यवधान)**

कल मंत्री महोदय ने कहा था कि रात तक पानी की सप्लाई ठीक हो जायेगी। लेकिन आज सिचुएशन कल से खराब हो गई है, बेहतर नहीं हुई है। हैदरपुर का प्लांट अब काम नहीं कर रहा है। **(व्यवधान)** मेरी दरख्वास्त है कि आप होम मिनिस्टर साहब को बुला कर कहें कि वह सिचुएशन को और तरीके से टैकल करने की कोशिश करें, **अदरवाइज दे शुड ग्रेट आउट।** **(व्यवधान)**

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह तो स्पष्ट है कि हमारा प्रशासन बिल्कुल सतर्क नहीं है और न ही उसे मानव कष्टों के प्रति कोई संवेदना है। अतः वह पिछले 48 घंटों से चुप बैठे हैं। क्या उनके पास कोई समुचित इन्टेलीजेन्स नहीं है कि वह इस दुःखद घटना को होने से रोक सकते ? वह देश के प्रति और हम सब के प्रति उत्तरदायी हैं। जब तक मंत्री महोदय पानी की सप्लाई चालू नहीं कर देते सदन की बैठक नहीं होनी चाहिए। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक हमें पानी नहीं मिलता तब तक हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। मन्त्री महोदय हमें यह आश्वासन नहीं दे पाये हैं कि जल की सप्लाई कब तक चालू हो जायेगी। वह बस यह कहते हैं वह हमारे घरों में पानी टैंकों से पहुंचायेंगे। यह बात सन्तोषजनक नहीं है। हम सामान्य नागरिकों की तरह अपने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं ····
(व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में यह बहुत गंभीर स्थिति है। यह सही है कि दिल्ली के किसी कोने में पानी नहीं मिल रहा है। यह बात भी सही है कि यह सैबोटेज का केस है। जिन्होंने यह सैबोटेज किया है, मैं उन्हें पूरी तरह से कनडेम करना चाहता हूँ। चाहे वे सैबेच्युर्ज कोई भी हों, **(व्यवधान)** वे उधर के हों या इधर के हों, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वे इस तरह से सैबोटेज करें। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। **(व्यवधान)** सरकार इस बारे में एक एनक्वायरी बिठाये और जिन लोगों की नेग्लीजेंस है, उनको हटाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब इस बात को मानें कि वह इसकी एनक्वायरी करायेंगे, और अगर किसी की नेग्लीजेंस हो, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। **(व्यवधान)**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सदन की कार्यवाही समुचित ढंग से नहीं चलाई जा सकती है। सदन आज स्थगित किया जाता है। हम सोमवार को 11 बजे बैठक करेंगे।

**प्रश्नों के लिखित उत्तर

इंडियन एयरलाइन्स में पायलटों की आवश्यकता

***81. श्री जर्नादन पुजारी :**

श्री पी० के० कोडियन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स की भर्ती नीति की नियोजित तथा गैर-नियोजित दोनों ही प्रकार के पायलटों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ ने धमकी दी है कि यदि इण्डियन एयरलाइन्स ने पायलटों की कमी को भारतीय वायु सेना से भर्ती करके पूरा किया तो वे हड़ताल कर देंगे ;

(ग) यदि हां, तो इण्डियन एयरलाइन्स में पायलटों की 30 जून, 1979 को कितनी आवश्यकता थी ; और

(घ) सरकार इन रिक्तियों को किस प्रकार भरने पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) बेरोजगार बिमान-चालकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर न देने के कारण उन्होंने इन्डियन एयरलाइन्स की कुछ आलोचना की है।

(ख) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने इण्डियन एयरलाइन्स में भारतीय वायु सेना से विमानचालक लिए जाने की किसी भी कार्यवाही का विरोध किया है और कानूनी कार्य-वाही करने की धमकी दी है जिसमें सीधी कार्यवाही भी शामिल है।

(ग) 30 जून, 1979 को विमानचालकों की वर्तमान संख्या चालू परिचालनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है।

** 13 जुलाई, 1979 के तारांकित प्रश्नों के उत्तर भी सभा पटल पर रखे गये।

(घ) विमानचालकों की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, इण्डियन एयर-लाइन्स ने प्रशिक्षु विमानचालकों के पदों के लिए मार्च, 1979 के दौरान विज्ञापन दिया है तथा चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई वस्तुएं

*82. **श्री जी० एस० तोहरा :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई अथवा जब्त की गई करोड़ों रुपये के मूल्य की वस्तुएं खराब हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और जब्त की गई वस्तुओं के निपटान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं । सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, अभिगृहीत और जब्तशुदा माल को सीमा शुल्क गोदामों में उचित रूप से रखा जाता है और स्टोर किये गये माल को क्षति पहुंचने और बिगड़ने से बचाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाती है । सीमा शुल्क गोदामों में रखे गये अभिगृहीत और जब्तशुदा माल की गत तीन वर्षों के दौरान समय-समय पर स्टाक-जांच की गई है । गोदामों में स्टाक-पड़ताल और निरीक्षण भी किया जा रहा है ।

लेकिन यह रिपोर्ट मिली है कि सीमा शुल्क (निवारक) समाहर्तालय, बम्बई के कुछ गोदामों में माल की भारी भीड़-भाड़ के कारण 1976 से पूर्व कुछ वर्षों में ऐसी स्टाक जांच समय-समय पर नहीं की गयी । इस माल के स्टोर करने और उसका निपटान करने संबंधी अनुदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण संबंधित अधिकारी के खिलाफ उपयुक्त विभागीय कार्यवाही पहले से ही शुरू की जा चुकी है ।

सभी समहर्ताओं को अनुदेश भी जारी कर दिये गये हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क गोदामों की निर्धारित नियतकालिक स्टाक-जांच, स्टाक-पड़ताल और अचानक जांच नियमित रूप से की जाती है ।

31 मार्च 1979 की स्थिति के अनुसार, सीमा शुल्क गोदामों में रखे गये अभिगृहीत तथा जब्तशुदा माल का कुल मूल्य लगभग 59.75 करोड़ रुपये था । कार्यविधि की पूरी समीक्षा होने के बाद, विभिन्न श्रेणियों के माल के निपटान के तरीके के बारे में संशोधित अनुदेश मई, 1978 में जारी किये गये थे । पकड़े गये तथा जब्तशुदा माल का तेजी से निपटान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को और अनुदेश जारी कर दिये गये हैं जिनमें निपटान संबंधी अतिरिक्त उपायों की व्यवस्था की गई है । इन अतिरिक्त उपायों में संश्लिष्ट वस्त्रों और इलैक्ट्रानिकी का सामान जैसी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य विविध वस्तुओं की निम्नलिखित को बिक्री किया जाना शामिल है :—

(i) सैनिक और अर्ध-सैनिक संगठनों को उनके कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए; और

(ii) असली सहकारी समितियों, सुपर बाज़ारों और सहकारी भंडारों की बिक्री करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ लिमिटेड को देना।

वस्तुओं के थोक मूल्यों में वृद्धि

***83. श्री एस० जगन्नाथन :**

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :

क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) गत 12 महीनों के दौरान वस्तुओं के थोक मूल्यों और उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि की दर का विश्लेषण क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बजट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचक अंकों में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ग) मूल्य सूचकांकों में अत्यधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इससे द्रुतगति से मुद्रास्फीति होने का आभास होता है; और

(ङ) इस चिंताजनक स्थिती को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) मई, 1978 तथा मई, 1979 के बीच, थोक कीमतों के सूचक अंक में 7.5 प्रतिशत वृद्धि हुई और उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई (ब्यौरा विवरण में देखिये)।

(ख), (ग) तथा (घ) कीमतों की इस वृद्धि में, जिन महत्वपूर्ण घटनाओं ने योगदान दिया है, वे हैं मौसमी दबाव, प्रशासित कीमतों में वृद्धिगत समायोजन, पैट्रोलियम के उत्पादों, सीमेंट, लोहा तथा इस्पात और खाद्य तेलों की आयात लागत में वृद्धि, और पिछले तीन वर्षों में मुद्रा उपलब्धि में तेजी से वृद्धि। किन्तु बजट पेश किए जाने के बाद से अब तक, अर्थात् 23 जून, 1979 तक कीमतों में जो 9.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है वह निःसन्देह चिंता का विषय है। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि इनमें से कुछ वृद्धियां मौसमी हैं, जिनके बाद में पलट जाने की संभावना है और कुछ वृद्धियां प्रशासित कीमतों के कारण हैं जिनके मामले में निकट भविष्य में पुनरीक्षण की कोई संभावना नहीं है। अब तक जो कीमत-वृद्धि हुई है उससे यह प्रकट नहीं होता, कि बड़ी वेगवान मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(ङ) कीमतों की वृद्धि की रोकथाम करने के लिए सरकार ने जो महत्वपूर्ण उपाय किए हैं उनमें ये शामिल हैं, अर्थात् पहली जुलाई 1979 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार, अनिवार्य निक्षेप की किस्त की अदायगी को स्थगित करना, तथा बैंक ऋण की व्यवस्था को, खासकर चीनी, दालों, तेलहन तथा बनास्पति तेलों जैसी संवेदनशील मूल्य वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में ऋण व्यवस्था को और कड़ा करना तथा वनास्पति तेलों, सीमेंट और रबड़ जैसी कम उपलब्धि वाली वस्तुओं का आयात।

विवरण

थोक तथा उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि की दर का विश्लेषण

थोक कीमतों का सूचक अंक (1970-71=100)			अखिल भारतीत औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100)	
महीना	सूचक अंक	पूर्ववर्ती महीने में प्रतिशत घटबढ़	सूचक अंक	पूर्ववर्ती महीने में प्रतिशत घटबढ़
मई 1978	183.1	+ 0.3	323	+ 0.3
जून 1978	184.7	+ 0.9	327	+ 1.2
जुलाई 1978	186.7	+ 1.1	330	+ 0.9
अगस्त 1978	186.9	+ 0.1	331	+ 0.3
सितम्बर 1978	186.5	— 0.2	336	+ 1.5
अक्टूबर 1978	187.5	+ 0.5	340	+ 1.2
नवम्बर 1978	187.4	— 0.1	340	–कोई परिवर्तन नहीं
दिसम्बर 1978	185.3	— 1.1	335	— 1.5
जनवरी 1979	185.3	कोई परिवर्तन नहीं	332	— 0.9
फरवरी 1979	184.6	— 0.4	329	— 0.9
मार्च 1979	189.0	+ 2.4	332	+ 0.9
अप्रैल 1979*	193.6	+ 2.4	337	+ 1.5
मई 1979*	196.8	+ 1.7	339	+ 0.6

* अनंतिम

अंसल ग्रुप के आयकर के मामलों का निपटान

*84. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें उनेस अंसल ग्रुप के मामलों को, जिनमें लगभग 5.5 करोड़ रुपये का आयकर छिपाये जाने का मामला अन्तर्ग्रस्त है, शीघ्र निपटाने के लिये कारगर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ये मामले गत पांच वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं;

(ग) इन मामलों का ब्यौरा क्या है और इन महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने में यह असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अन्सल समूह ने बड़े पैमाने पर कर का अपवंचन किया है। इस अभ्यावेदन में यह भी निवेदन किया गया है कि इस समूह के मामलों में आय-कर निर्धारणों का शीघ्र निपटान किया जाये।

(ख), (ग) तथा (घ) केवल एक ही मामला ऐसा है जो कि पिछले पांच वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन है। तथापि तीन अन्य मामले ऐसे हैं, जिनके कर-निर्धारण पांच वर्ष पहले विचाराधीन थे; और ये कर-निर्धारण एक बार पूरे कर लिए गए किन्तु अब उन्हें रद्द कर दिया गया है अथवा उनका कर-निर्धारण फिर से शुरू किया गया है; और रद्द किये गये अथवा फिर से शुरू किये गये कर-निर्धारण आज की स्थिति के अनुसार विचाराधीन हैं।

इन मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(1)	श्री चिरंजीलाल	1965-66
(2)	जिन मामलों में पीछे पांच वर्ष पहले मामले विचाराधीन थे किन्तु फिर से शुरू किये जाने अथवा रद्द किये जाने की कार्यवाही के कारण आज की स्थिति के अनुसार विचाराधीन हैं।	अन्सल तथा सैगल प्रापर्टीज (प्रा०) लिमिटेड, 1970-71, 1973-74 तथा 1974-75

आयकर अधिकारियों ने दिसम्बर 1973 में इस समूह की तलाशी ली थी। इन तलाशियों में 2.20 लाख रु० की नकदी के अलावा काफी बड़ी संख्या में बहियां, दस्तावेज, तथा कागजात भी पकड़े गये थे। समन्वय करने तथा तुरन्त जांच-पड़ताल करने की दृष्टि से इस समूह के मामलों को इस साल के शुरू में आय-कर आयुक्त, सेण्ट्रल-1, नई दिल्ली के अधिकार-क्षेत्र में केन्द्रीकृत किया गया है। पूर्ववर्ती वर्षों के बहुत से कर-निर्धारणों को फिर से शुरू किया गया है और तब से इस समूह के बहुत से कर-निर्धारण पूरे भी कर लिये गये हैं। मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

नाश किये जाने वाले नोटों का रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बंगलौर कार्यालय में पाया जाना

*85. **डा० विजय मंडल :**

श्री अन्नत दबे :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 60 लाख रु० के मूल्य के फटे पुराने नोट जो नष्ट किये जाने थे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बंगलौर के कार्यालय में नकदी के काउन्टरों पर पहुंच गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी भी की गई है ; और

(घ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और ऐसी घटना की पुनरावृति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) मई 1979 में, रिजर्व बैंक के एक निरीक्षक को, जो उस समय बंगलौर में सरकारी काम के लिए ठहरा हुआ था, गुमनामे सूचना मिली कि रद्द किए गए मैले कुचैले नोट, जिनको पुष्टि करके नष्ट किया जाना था, चुरा लिए गए हैं और प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। तुरन्त इस मामले की पड़ताल रिजर्व बैंक के सैंट्रल कार्यालय के निरीक्षण विभाग ने शुरू कर दी और पड़ताल इस समय भी जारी है। स्थानीय पुलिस के पास एक मुकदमा इस संबंध में दर्ज करा दिया गया था। उसके बाद केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो से कहा गया कि वह इस पड़ताल का काम अपने हाथ में ले ले। इस समय वास्तविक हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि वास्तविक हानि का पता केवल पड़ताल पूरी होने के बाद ही लग सकता है।

(ग) 13 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिनमें से 6 व्यक्तियों को जमानत पर रहा कर दिया गया है।

(घ) संबद्ध कर्मचारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई उपर्युक्त जांच/पड़ताल की रिपोर्टों के प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। रिजर्व बैंक विद्यमान कार्यप्रणाली की जांच, इसकी कमियों को, यदि कुछ हों, दूर करने की दृष्टि से और कार्यप्रणाली को कड़ा बनाने के लिए, कर रहा है।

वस्त्र निर्यात नीति

***86. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात नीति को 1 जुलाई, 1979 से पुनरीक्षित किया गया है ;

(ख) क्या निर्यात कोटा वितरित करने का कार्य वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को सौंपा गया है ;

(ग) क्या इस परिषद के विरुद्ध अनेक शिकायतें की गई थीं तथा पहले कोटे के गलत वितरण के आरोप में इससे वितरण कार्य वापस ले लिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो इसे निर्यात कोटा वितरित करने का कार्य पुनः सौंपने का क्या औचित्य है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) वस्त्र कोटे के उपयोग, निर्यातों तथा समुचित इकाई मूल्य प्राप्ति के दीर्घावधि विकास के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1979 के लिये कोटा वितरण नीति नवम्बर 1978 में तय की गई थी। उस समय लिये गये निर्णय के अनुसार, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को ऊनी निटवीयर को छोड़कर सिले-सिलाए परिधान तथा निटवीयर का कोटा आवंटित करने का कार्य सौंपा गया था। उपयोग की पवृत्ति के आधार पर, दूसरी छमाई के दौरान मूल नीति में कुछ संशोधन करना आवश्यक समझा गया और दूसरी छमाई के सम्बन्ध में नीति की मुख्य बातें यथासमय अधिसूचित की गई थीं। तथापि, कोटा आबंटन कार्य करने वाले अभिकरणों

के बारे में, जो कि नित्यप्रति वस्त्र आयुक्त की निगरानी में किया जाता है, इस दूसरी छमाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि

*87. **श्री आर० के० महालगी :**
डा० बापू कालदाते :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आवश्यक वस्तुओं के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो बजट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्रति माह वास्तविक वृद्धि के ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) दामों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) दामों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हां। पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1979-80 के केन्द्रीय बजट के पेश किये जाने के बाद से आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों का मासिक उतार-चढ़ाव विवरण में दिया गया है।

(ग) मूल्यों में वृद्धि अनेक कारणों के संचित प्रभाव के कारण हुई है, जैसे पैट्रोलियम पदार्थों, लोहा व इस्पात तथा सीमेंट जैसी कुछ वस्तुओं के निर्देशित मूल्यों में ऊपरिमुखी समायोजन किया जाना ; आयातित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना ; मौसमी कारण ; कुछ वस्तुओं के उत्पादन शुल्कों में वृद्धि करना और आयातित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क लगाना और पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रा पूर्ति का तेजी से विस्तार होना।

(घ) मुद्रास्फिति की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये कई एक उपाय किये जा चुके हैं और जब कभी आवश्यकता महसूस होगी और उपाय भी किये जायेंगे। किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों को अधिक से अधिक आर्थिक अनुशासन बरतने तथा सरकारी खर्च में कमी करने के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं।

(ii) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिकृत ओवरड्राफ्ट सीमाओं का पालन करें और गैर-योजना व्यय को सीमित करें।

(iii) एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसके द्वारा 6 जुलाई, 1979 को देय अनिवार्य जमा की किस्त के भुगतान को एक साल तक के लिये स्थागित कर दिया गया है।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने संवेदनशील (सेंसटिव) वस्तुओं अर्थात चीनी, तिलहनों, खाद्य तेलों तथा दालों के लिए बैंक ऋण को दुर्लभ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे ऐसी वस्तुओं पर ऋण देने पर

सख्त निगरानी रखें, ताकि जमाखोरी के लिये बैंक वित्त का उपयोग करने की हर प्रवृति को रोका जा सके।

(v) चीनी के दामों को उचित स्तर पर बनाये रखने की दृष्टि से सरकार द्वारा चीनी को महीनावार छोड़ने कीं योजना को 5 जून, 1979 से फिर से लागू किया गया है। पहली जुलाई, 1979 से चीनी की साप्ताहिक बिक्री व प्रेषण पर फिर से रोक लगा दी गयी है।

(vi) छपाई कागज तथा क्रीमनिहित सरेस (क्रीम लेड) अथवा वीव कागज के कारखाना मूल्य क्रमश: 3,000 रु० और 3,785 रु० प्रति मीटरी टन नियत किये गये हैं। कागज (नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन केन्द्रीय सरकार ने सफेद छपाई कागज तथा क्रीम निहित सरेस (क्रीम लेड) अथवा वीव कागज के स्टाक के निपटान और विक्रय को निर्देशित करने का अधिकार अपने हाथ में लिया है।

(vii) यद्यपि चीनी तथा गेहूं के वसूली मूल्य क्रमश: 1978-79 (खरीफ) तथा 1979-80 (रबी) के विपणन मौसमों में बढ़ाये गये हैं, तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है, ताकि मूल्य स्तर को बनाए रखा जा सके। राज्य सरकारों की गेहूं तथा चावल के आबंटन की पूरी की पूरी मांग की पूर्ति की जा रही है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करें, ताकि समाज के कमजोर वर्गों की खाद्यान्न उचित मूल्यों पर उपलब्ध किए जा सकें।

(viii) राज्य व्यापार निगम ने आयातित तेल बेच कर खाद्य तेलों के बारे में खुले बाजार में दखल देना आरंभ कर दिया है। राज्य व्यापार निगम, वनस्पति उद्योग और राज्य सरकारों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये आयातित रेपसीड तेल/पामोलीन/आर०बी०डी० ताड़ के तेल आदि की मांग को पूरा करता आ रहा है।

(ix) रेल द्वारा माल की ढुलाई के कार्य में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर पुर्वी राज्यों को खाद्यान्नों की ढुलाई में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जून, 1979 के गत 20 दिनों के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में 51,000 मीटरी टन खाद्यान्न प्राप्त हुये हैं।

(x) सीमेंट, खाद्य तेलों, दालों और सोडा राख जैसी कम मात्रा में उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं के आयात को जारी रखा जा रहा है।

(xi) राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 1977, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मूल्य प्रदर्शन आदेशों तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबंधों को सख्ती से लागू करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे मूल्यों के रुख पर कड़ी तथा लगातार निगरानी रखें और विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अनुचित वृद्धि को रोकें।

(xii) पहली जुलाई, 1979 से उत्पादन-एवं-वितरण योजना शुरू की गई है, ताकि उसके अंतर्गत अधिक आबादी और दैनिक आवश्यकता की अधिक वस्तुएं लाई जा

सकें। उम्मीद है कि यह योजना इस वर्ष के अंत तक पूरी तरह काम करना शुरू कर देगी।

(xiii) तिलहनों तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

वस्तु	फरवरी 1979	मार्च 1979	अप्रैल 1979	मई 1979	परिवर्तन का प्रतिशत		
					मई, 79 / अप्रैल, 79	अप्रैल, 79 / मार्च, 79	मार्च, 79 / फरवरी, 79
1	2	3	4	5	6	7	8
चावल	157.8	157.5	163.0	167.7	+2.9	+3.5	—0.2
गेहूं	161.5	161.0	154.7	150.5	—2.7	—3.9	—0.3
ज्वार	152.6	147.8	149.2	149.1	—0.1	+0.9	—3.1
बाजरा	139.3	138.0	141.9	142.3	+0.3	+2.8	—0.9
चना	223.0	228.3	216 1	208.9	—3.3	—5.3	+2.4
अरहर	230.2	231.8	239.7	241.7	+0.8	+3.4	+0.7
मूंग	299.4	297.3	312.5	320.8	+2.7	+5.1	—0.7
मसूर	231.7	214.8	239.1	235.3	—1.6	+11.3	—7.3
उड़द	226.4	226.7	242.6	248.5	+2.4	+7.0	+0.1
वनस्पति	160.2	171.0	187.4	185.1	—1.2	+9.6	+6.7
मूंगफली का तेल	138.7	147.6	152.6	152.9	+0.2	+3.4	+6.4
सरसों का तेल	161.0	167.3	178.2	173.2	—2.8	+6.5	+3.9
नारियल का तेल	154.4	154.4	156.2	157.6	+9.9	+1.2	S
दूध	160.1	166.3	167.0	170.8	+2.3	+0.4	+3.9
गोश्त	250.0	253.8	251.5	251.5	S	—0.9	+1.5

1	2	3	4	5	6	7	8
मछली	243.0	239.0	229.4	240.1	+4.7	—4.0	—1.6
आलू	65.3	65.6	60.7	68.2	+12.4	—7.5	—10.5
प्याज	179.2	176.9	167.0	157.7	—5.6	—5.6	—1.3
चीनी	134.1	145.1	162.0	160.3	—1.0	+11.6	+8.2
सूती वस्त्र	183.5	183.6	185.2	188.5	+1.8	+0.9	+0.1
मिट्टी का तेल	233.5	252.1	252.1	251.1	S	S	+8.0
आटा	165.0	167.8	165.2	164.2	—0.6	—1.5	+1.7
लाल मिर्च	128.5	119.9	124.4	117.8	—5.3	+3.6	—6.7
चाय	198.6	207.6	195.7	188.6	—3.6	—5.7	+4.5
दियासलाइयां	102.6	130.0	129.0	129.0	S	—0.8	+26.7
नमक	195.3	204.9	211.5	214.2	+1.3	+3.2	+4.9
साबुन	171.9	181.8	184.1	181.7	—1.3	+1.3	+5.8

झींगा मछली की खेपों का अमरीकी बन्दरगाहों पर जांच किए जाने तक रोका जाना

***88. डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, अप्रैल तथा मई के दौरान करोड़ों रु० के मूल्य की झींगा मछली की खेपें जांच किये जाने के लिए और उनमें "सालमोनेल्ला" के संसाधन के लिए अमरीकी बन्दरगाहों पर रोकी गई थीं;

(ख) खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा भारतीय झींगा मछली में सालमोनेल्ला के सम्बन्ध में चेतावनी कब दी गयी थी ; और

(ग) सरकार ने झींगा मछली के निर्यात के संवर्धन तथा तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रारिफ बेग) : (क) से (ग) खेपों में 'सालमोनेल्ला' ग्रंश के लिए, खाद्य एवं औषध प्रशासन प्राधिकारियों के निरीक्षण हेतु कुछ परेषणों को रोक लिया गया था।

खाद्य एवं ग्रौषध प्रशासन ने भारतीय खेपों में सालमोनेल्ला ग्रंश के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी थी।

खाद्य एवं ग्रौषध प्रशासन द्वारा हमारी भींगा मछली का सालमोनेल्ला परीक्षण करने के तुरन्त बाद, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का एक प्रतिनिधिमंडल ग्रमरीका गया ग्रौर उसने खाद्य एवं ग्रौषध प्रशासन ग्रौर हमारे दूतावास के ग्रधिकारियों के साथ बातचीत की। इसके परिणामस्वरूप, रुके हुए परेषणों में से ग्रधिकांश क्लियर कर दिए गए। बाद में, खाद्य एवं ग्रौषध प्रशासन के ग्रधिकायियों ने प्रक्रिया सम्बन्धी विभिन्न सुविधाएं देखने के लिए भारत का दौरा किया ग्रौर संबंद्ध ग्रधिकारियों से बातचीत की। वे केरल ग्रौर ऐसे ग्रन्य स्थानों पर भी गए जहां से भींगा मछली मुख्यत: निर्यात की जाती है। उन्होंने कुल मिलाकर संतोष व्यक्त किया ग्रौर इस देश में स्तर के बारे में ग्रपनी गलत धारणा को दूर करने के लिए हामी भरी। सालमोनेल्ला के निरीक्षण ग्रौर भींगा मछली की किस्म के लिए खाद्य एवं ग्रौषध प्रशासन द्वारा दीर्घावधि प्रबन्धों के लिए खाद्य एवं ग्रौषध प्रशासन ग्रौर ग्रमरीकी सरकार के साथ बातचीत की जा रही है।

उत्तर प्रदेश ग्रौर मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना

*89. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश ग्रौर मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ग्रौर गत वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई ग्रौर चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि दी जाएगी; ग्रौर

(ख) 1 ग्रप्रैल से 30 जून, 1979 तक उत्तर प्रदेश के कार्बेट नेशनल पार्क ग्रौर दुधवा पशु विहार को देखने कितने विदेशी ग्राये ग्रौर उनसे कितनी ग्राय हुई ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) ग्रौर (ख) पर्यटन के संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश ग्रौर मध्य प्रदेश में शुरू की गई स्कीमों तथा 1978-79 के दौरान किए गए खर्च, 1979-80 के दौरान ग्रारंभ की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमों को दिखाने वाला एक विवरण ग्रौर कार्बेट नेशनल पार्क तथा दुधवा के बारे में पर्यटक ग्रांकड़ों ग्रौर ग्राय को दर्शाने वाले एक ग्रन्य विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण-I

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत 1978-79 के दौरान किए गए व्यय को और 1979-80 के दौरान प्रस्तावित धन-राशि को दर्शाने वाला विवरण

केन्द्र	स्कीमें	अनुमानित लागत	1978-79 के दौरान खर्च की गयी धन-राशि	1979-80 के दौरान खर्च की जाने वाली धन-राशि
		(लाख रुपयों में)		
उत्तर प्रदेश				
पर्यटन विभाग				
1. कुशीनगर और श्रावस्ती	बौद्ध तीर्थ यातायात के लिए सुविधाओं के विकास हेतु क्षेत्र का माइक्रोप्लानिंग	8.00	शून्य	4.00
2. बृजभूमि कम्पलेक्स	सुविधाओं का विनियमित विकास सुनिसश्चित करने के लिए महायोजना (भूमि-प्रयोग योजना)	(आंकड़ों की प्रतीक्षा है)	शून्य	2.00
3. पिपरवाह	सुविधाओं का विनियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए महायोजना (भूमि-प्रयोग योजना)	0.75	0.75	—
4. फतेहपुर सीकरी	सुविधाओं का विनियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए महायोजना (भूमि-प्रयोग योजना)	10.40	शून्य	5.79
5. उत्तर प्रदेश हिमालय	यात्रा मार्गों/ट्रैकिंग सुविधाओं आदि का विकास	(आंकड़ों की प्रतीक्षा है)		
6 नैनीताल.	युवा होस्टल के प्रबंध के लिए सहायक अनुदान	0.60	0.12	0.12

केन्द्र	स्कीमें	अनुमानित लागत	1978-79 के दौरान खर्च की गयी धन-राशि	1979-80 के दौरान खर्च की जाने वाली धन-राशि
भारत पर्यटन विकास निगम				
1. कुशीनगर	यात्री गृहों का विस्तार		शून्य	
2. वाराणसी	होटल वाराणसी अशोक का विस्तार	35.00	शून्य	20.00
3. आगरा	50—कक्ष होटल	75.00	शून्य	20.00

* कुशीनगर सहित यात्री गृहों के विस्तार के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 30 लाख रुपये का एक मुश्त प्रावधान और वार्षिक योजना 1979-80 में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 1979-80 के दौरान किस यात्री गृह का विस्तार किया जाना है, इस बारे में एक व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन करने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

केन्द्र	स्कीमें	अनुमानित लागत	1978-79 के दौरान खर्च की गयी धन-राशि	1979-80 के दौरान खर्च की जाने वाली धन-राशि
मध्य प्रदेश				
1. कान्हा राष्ट्रीय पार्क	टैन्टों वाला आवास	2.00	2.00	—
2. -वही-	वन-गृह	30.00	—	25.76
3. भोपाल	भोपाल में होटल	75.00	—	10.00
4. जबलपुर, इंदौर और खुजराहो	परिवहन यूनिटों की स्थापना		—	—

5. खुजराहो	भारत पर्यटन विकास निगम के होटल का विस्तार	30.00	—	5.00
6. भोपाल	युवा होस्टल के प्रबंध के लिए सहाक अनुदान	0.60	0.12	0.12
7. सांची	यात्री गृहों का विस्तार	**	—	**

इसके अलावा, प्रिंटिंग और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर प्रचार सामग्री पर भी व्यय किया गया है जिसके लिए निधियां अलग से दिखाना संभव नहीं है।

* अन्य युनिटों से कारों/बसों को स्थानान्तरित करके परिवहन यूनिट खोले गये थे।

** सांची सहित यात्री गृहों के विस्तार के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 30 लाख रुपये का एक मुश्त प्रावधान और वार्षिक योजना 1979-80 में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 1979-80 के दौरान किस-किस यात्री गृह का विस्तार किया जाना है, इस बारे में एक व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन करने के पश्चात निर्णय लिया जायेगा।

विवरण—II

(ख) कोरबेट राष्ट्रीय पार्क और दुधवा के बारे में पर्यटक आंकड़ों और आय को दर्शाने वाला विवरण

दुधवा राष्ट्रीय पार्क

(अप्रैल और मई, 1979)

	विदेशी	भारतीय	योग
(i) यात्रियों की संख्या	10	682	692
(ii) आय	315.00 रुपये	6709.00 रुपये	7024.00 रुपये

कोरबेट राष्ट्रीय पार्क

(अप्रैल, मई और जून, 1979)

	विदेशी	भारतीय	योग
(i) यात्रियों की संख्या	253	4498	4751
(ii) आय	24457.00 रुपये	78630.00 रुपये	103088.00 रुपये

बिक्री कर समाप्त किया जाना

*90. **श्री रीत लास प्रसाद वर्मा :**

श्री एस० एस० सोमानी :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश भर में व्यापारी लोग बिक्री कर समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभ्यावेदन दे रहे हैं तथा आन्दोलन कर रहे है;

(ख) क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए बैठक की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) केन्द्रीय सरकार को बहुत सी ऐसी दरख्वास्तें मिली हैं जिनमें बिक्री कर को समाप्त करके इसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने का सुझाव दिया गया है । कुछ राज्यों में तो व्यापारियों द्वारा अपने मन्तव्य को जलसे-जुलूसों द्वारा प्रकट करने की रिपोर्टें सरकार के देखने में आयी हैं ।

(ख) तथा (ग) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समीति ने बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना को सीमेण्ट, औषधियों, वनस्पति तथा पैट्रोलियम उत्पाद जैसी कुछ अनिवार्य वस्तुओं पर भी लागू करने की सिफारिश की थी । इस सिफारिश पर सबसे अंतिम वार विचार 19 और 20 मई, 1979 को हुई राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में किया गया था । इस प्रस्ताव का राज्यों ने बड़े बहुमत से विरोध किया । किसी भी राज्य में माल की खरीद या बिक्री पर कर लगाने का मामला, संविधान के अनुसार राज्य सरकारों के कराधान का विषय है, इसके लिए बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क राज्य सरकारों की सहमति के बिना नहीं लाया जा सकता ।

देश में बैंकों की नई शाखाएं खोलना

*91. **श्री राम सागर** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए इस वर्ष और अगले वर्ष क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) ऐसी शाखाएं खोलने के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य रखा गया है और मध्य प्रदेश में इन शाखाओं को खोलने का जिलेवार क्या लक्ष्य रखा गया है ; और

(ग) इस बारे में क्षेत्रों के चुनाव के लिए बनाये गए मुख्य मापदण्ड क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक 1979-1981 के 3 वर्षों की अवधि के लिए शाखा विस्तार योजना बना रहा है । इन 3 वर्षों के दौरान शाखा विस्तार कार्यक्रम में कम बैंक वाले जिलों के बिना बैंक वाले ग्रामीण और अर्ध शहरी स्थानों में बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने पर जोर दिया जायेगा । इस

अवधि में खोली जाने वाली शाखाओं की कुल अपेक्षित संख्या में से लगभग 6500 शाखाएं निर्धारित कमी/कम बैंक वाले जिलों में खोली जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन ज़िलों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धि बढ़कर प्रति शाखा 20,000 व्यक्तियों के राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच जाए। इन अपेक्षित शाखाओं का राज्यवार वितरण विवरण में I दे दिया गया है। कमी वाले जिलों के केन्द्रों का चयन रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों और संबंधित बैंकों के परामर्श से किया जाता हैं।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि तीन वर्षों की अवधि के दौरान 730 शाखाओं की आवश्यकता होगी ताकि कमी वाले जिलों को प्रति शाखा 20,000 व्यक्ति के राष्ट्रीय स्तर तक लाया जा सके। राज्य सरकार के परामर्श से शाखा खोलने के लिए 571 केन्द्रों को चुना जा चुका है और 290 केन्द्रों के लिए लाइसेंस भी जारी कर दिये गये हैं। जिलेवार विवरण विवरण—II में दें दिया गया है।

विवरण—I

कमी वाले जिलों और अगले तीन वर्षों में इन जिलों में खोली जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त बैंक शाखाओं का राज्यवार ब्यौरा।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या	जिलों की संख्या जिनमें प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या प्रतिशत ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में 20,000 से अधिक है	कालम 4 के ज़िलों में खोली जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	21	14	202
2	असम	10	9	287
3	बिहार	31	30	1441
4	गुजरात	15	5	82
5	हरियाणा	11	2	11
6	हिमाचल प्रदेश	12	—	—
7	जम्मू व कश्मीर	10	1	2
8	कर्नाटक	19	4	43
9	केरल	11	—	—
10	मध्य प्रदेश	45	39	730
11	महाराष्ट्र	26	17	467

	2	3	4	5
12	मणीपुर	1	1	12
13	मेघालय	5	3	12
14	नागालेंण्ड	7	—	—
15	उड़ीसा	13	13	406
16	पंजाब	12	—	—
17	राजस्थान	28	18	193
18	तमिलनाडु	15	6	172
19	त्रिपुरा	3	1	2
20	उत्तर प्रदेश	58	48	1666
21	पश्चिम बंगाल	16	14	785
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	—	—
23	अरूणाचल प्रदेश	5	—	—
24	चण्डीगढ़	1	—	—
25	दादर और नागर हवेली	1	—	—
26	दिल्ली	1	—	—
27	गोवा, दमन और द्यू	3	—	—
28	लक्षद्वीप	1	—	—
29	मिजोरम	3	—	—
30	पांडिचेरी	1	—	—
	जोड़	387	225	6513

विवरण—II

मध्य प्रदेश में शाखा खोलने के लिसे जारी किये गये लाइसेंसों के जिलेवार आंकड़े

जिले का नाम	नई नीति से अंतर्गत जारी किये गये लाइसेंसों/किये गये आबंटणों की संख्या
1	2
बालघाट	12
बस्तर	9
बेतूल	9
भिंड	5

1	2
भोपाल	—
बिलासपुर	19
छतरपुर	—
छिंदवाड़ा	13
दमोह	3
दतिया	1
देवास	—
धार	7
दुर्ग	13
पूर्वी निमाड़	10
गुना	3
ग्वालियर	5
होशंगाबाद	—
इंदौर	—
जबलपुर	20
झबुआ	1
मांडला	7
मंदसौर	14
मुरैना	10
नरसिंहपुर	6
पन्ना	1
रायगढ़	6
रायपुर	16
रायसेन	—
राजगढ़	3
राजनन्दगांव	6
रतलाम	5
रीवा	13
सागर	10
सतना	5
साडोर	1

1	2
शिवनी	10
शाहडोल	2
शाजापुर	7
शिवपुर	3
सिधी	10
सुरगूजा	2
टीकमगढ़	—
उज्जैन	6
विदिशा	4
पश्चिमी निमाड़	13
जोड़	290

अल्प विकसित देशों को प्राप्त हुई रियायतें

*92. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित अल्प विकसित देशों को हाल में मनीला में हुए "अन्कटाड-पांच" में विकसित देशों से विशिष्ट रियायतें प्राप्त हुई थीं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसका कारण विकसित देशों का संयुक्त ढंग से भूमिका निभाने में असमर्थ रहना था ;

(ग) क्या विकसित देशों द्वारा सहायता दिये जाने के विचार से "ग्रुप आफ 77" व्यापार प्राथमिकताएं प्राप्त नहीं कर सका ; और

(घ) भारत सरकार ने "ग्रुप आफ 77" की बैठक में और "अन्कटाड पांच" में व्यापार प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में क्या रुख अपनाया था ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) अन्कटाड–5 की कार्यसूची विषयों के एक विस्तृत क्षेत्र को छूती है जिसमें व्यापार और विकास के क्षेत्र में विकासशील देशों के व्यवहारिक तौर पर सभी बड़े मामले शामिल होते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सम्मेलन के परिणामों का मूल्यांकन, विकसित देशों के साथ ऐसे देशों के आर्थिक सम्बन्धों की पुनःस्थापना और नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक रूपरेखा की स्थापना के लिए कार्यवाही के कार्यक्रम के कार्यान्वियन को तेज करने के सतत प्रयासों के संदर्भ में और यह देखते हुए किया जाना चाहिए कि सम्मेलन ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस हद तक योगदान दिया।

अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति में कमी के कारण विकासशील देशों के लिए अन्कटाड—5 के परिणाम निराशाजनक थे। ये क्षेत्र थे, विश्व व्यापार और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन और विश्व अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन और अन्तर्राष्ट्रीय निर्णयकारी प्रक्रिया में विकासशील देशों के अपेक्षतया अधिक हिस्सा, बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के सम्बन्ध में मूल्यांकन और अनुवर्ती सिफारिशें, विनिर्मित माल और अर्धबिनिर्मित माल में विकासशील देशों के निर्यात व्यापार का विस्तार और विविधीकरण करने के उपाय, अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का सुधार, उनकी ऋण सम्बन्धी समस्याओं का निवारण, प्रौद्योगिकी के अन्तरण पर आचार संहिता और नौवहन में कार्गो का बड़े रूप में हिस्सेदार होना।

विकासशील देशों ने संरक्षणवाद, वस्तुओं, सरकारी विकास सहायता (ओ० डी० ए०), विकासशील देशों की प्रौद्योगिकीय क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम, अल्पतम विकसित और भूबेष्टित विकासशील देशों की समस्याओं, अन्कटाड के प्रभाव को बढ़ाने और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग (ई० सी० डी० सी०) जैसे क्षेत्रों में कुछ सीमित लाभ प्राप्त किये। तथापि, सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि थी परस्पर आर्थिक सहयोग और आत्मनिर्भता के लिये विकासशील देशों में एक नई चेतना, जिसकी भावना भारत के इस प्रस्ताव से उत्पन्न हुई कि विकासशील देशों के बीच 50 प्रतिशत टैरिफ रियायतों के आधार पर टैरिफ वार्ताओं का पहला चरण शुरू किया जाये।

अन्कटाड के मंच पर, वार्ताएं मुख्यत: समूह प्रस्तावों अथवा स्थितियों के आधार पर होती हैं। बुनियादी तौर पर, अन्कटाड—5 के निराशाजनक परिणामों का कारण यह था कि विकसित देशों ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर नकारात्मक या अवरोधक रुख अपनाया।

(ग) और (घ) अन्कटाड—5 के सम्मुख व्यापार अधिमानों सहित जो विभिन्न विषय थे, उन पर विकासशील देशों द्वारा अरूशा बैठक में समन्वित स्थितियों के आधार पर वार्ताएं की गई थीं। अत:, इस बात पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता कि विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सहायता 77-समूह की व्यापार अधिमान का मोल तोल करने की योग्यता में बाधक बनती है।

77 के समूह तथा अन्कटाड-5 दोनों बैठकों में व्यापार अधिमानों के सम्बन्ध में भारत जैसे विकासशील देशों ने प्रस्ताव किया कि विकसित देशों को टोकियो घोषणा के अधीन विकसित देशों द्वारा की गई वचनबद्धताओं का कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि विकासशील देशों को विशिष्ट तथा विभेदक व्यापार प्रदान किया जा सके तथा विकासशील देशों के बीच वर्गीकरण की धारणा को अस्वीकार किया जा सके। विकासशील देशों ने अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली को 10 बर्षों की आरंभक अवधि के बाद बनाने की मांग की। उन्होंने इसे कानूनी स्वरूप देते हुए बातचीत द्वारा तय की गई कीमतों के प्रति बंधन लगाने, उत्पादक कवरेज का विस्तार करने तथा अधिमानों को वापस लेने के मामले में पूर्व विचार-विमर्श की व्यवस्था की मांग की।

इन्डियन एयरलाइंस की उड़ानों में अनियमितता

*93. **श्री रागाव्ल मोहन रंगम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानें अत्यधिक अनियमित होती हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितनी रुकावटें आती हैं और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(ग) विमान सेवाओं के प्रभावी और कुशल कार्यकरण के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में निम्नलिखित कारणों से कुछ विघ्न पड़ा है :-

(i) हैदराबाद तथा मद्रास दोनों में एक-एक बोइंग-737 विमान का नष्ट होना ;

(ii) एच० एस—748 विमान बेड़े का अनिवार्य निरीक्षण, जिसके परिणामस्वरूप एक एच० एस-748 विमान को भूमिस्थ करना पड़ा।

(iii) मवेशियों से टकराने के कारण नागपुर में एक बोइंग-737 विमान का क्षतिग्रस्त होना ; और

(iv) एक एच० एस-748 तथा एक एयरबस विमान को, जो क्रमशः बंगलौर तथा कलकत्ता में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, क्षति पहुंचना।

(ग) सभी परिहार्य देरियों तथा विघ्न बाधा की घटनाओं का एक दल द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। विघ्न की घटनाओं का निवारण करने के लिए कुछ स्टेशनों पर बहुत तेजी से उपलब्ध कराये जा सकने वाले फालतू पुर्जों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है। कम्पनी चैनलों जैसी उन्नत संचार सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है जिनसे उड़ान कर रहा विमान खराबी के बारे में भूमि पर कर्मचारियों को सूचित कर सकता है ताकि विमान के लैंड करते ही उसकी देखभाल की जा सके।

स्वर्ण नीति के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

***94. श्री जी० एन० बनातवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाल विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नीति सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार को इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन निष्कर्षों की जांच कर ली है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सामान्य बीमा निगम द्वारा पैकेज पौलिसी आरम्भ किया जाना

***95. श्री छीतू भाई गामित :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सामान्य बीमा निगम के कृषकों ने लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की पालिसियां (पैकेज आफ पालिसियां) आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उन छोटे किसानों पर भी लागू होंगी जो वास्तव में भू-स्वामी नहीं हैं बल्कि बड़े किसानों से भूमि लेते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ग) भारतीय साधारण बीमा निगम "फार्मर्स पैकेज पालिसी" के नाम से एक नई पालिसी शुरू करने की सम्भावनाओं की जांच कर रहा है । उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

बीमे के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति	**जोखिम**
(1) झौंपड़ी/मकान	आग, बिजली, भूकंप, तूफान
(2) खेती के औजार	और बाढ़
(3) बीज, उर्वरक, कीट नाशक दवाएं (बीमे की राशि 250 रुपये प्रति एकड़ भूमि से अधिक नहीं होगी)	
(4) पशु (देशी)	मानक पशु बीमा पालिसी के अनुसार जिसमें प्रजनन और ब्याने की जोखिम शामिल है ।
(5) पम्पसैट	कृषि पम्पसैटों की पालिसी के अनुसार ।
(6) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना	मानक जनता व्यक्तिगत पालिसी के अनुसार, लेकिन इसमें अस्पताल में दाखिल रहने का लाभ शामिल नहीं किया जाएगा ।

(ख) जीवन बीमा निगम का विचार है कि शुरू-शुरू में किसानों के समूहों को कवच (कवर) प्रदान करने के लिए समूह पालिसियां ही जारी की जाएं, व्यक्तिगत पालिसियां जारी न की जाएं ताकि प्रशासनिक खर्च कम हो । इसलिए ये पालिसियां उन छोटे किसानों को भी मिल सकेंगी जो वास्तव में मालिक नहीं हैं, बल्कि बड़े किसानों से भूमि लेते हैं, बशर्ते कि ये छोटे किसान किसी सहकारी समिति अथवा अन्य स्वीकार्य समूहों के सदस्य हों ।

इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों द्वारा सामूहिक अवकाश

***96. श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 13 जून, 1979 को प्रेस में छपी यह रिपोर्ट ठीक है कि इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों ने एक दिन की सामूहिक छुट्टी ली है और यदि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो वे सक्रिय आन्दोलन शुरू कर देंगे; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों की मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) बम्बई में अधिकारियों का एक वर्ग 12-6-79 को काम से गैरहाजिर रहा। उनमें से कुछ ने बीमारी की सूचना दी तथा दूसरों ने आकस्मिक छुट्टी की अर्जी दी।

क्योंकि "आफिसर्स एसोसिएशन" से, जो कि अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, न तो एसोसिएशन की ओर से अपने सदस्यों को एक निदेश के रूप में और न ही प्रबन्धक वर्ग को नोटिस के रूप में कोई सूचना मिली है, इसलिए यह कह सकना संभव नहीं कि आकस्मिक छुट्टी अथवा बीमारी की छुट्टी की बिना पर अधिकारियों की गैरहाजरी महज एक इत्तिफ़ाक था या अधिकारियों की अपनी किसी मांग के समर्थन में जानबूझ कर की गयी एक सम्मिलित कार्यवाही ।

लातीनी अमरीकी देशों के साथ व्यापार

***97. श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लातीनी अमरीकी देशों के साथ व्यापार का क्षेत्र बढ़ाने और दोनों पक्षों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बातचीत करने में पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो भारत को अपने उद्देश्यों में कितनी सफलता मिली है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी, हां। लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार की सम्भाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में चुनिन्दा लैटिन देशों में अध्ययन किए गये हैं। तथा प्रतिनिधिमंडलों ने भी उन देशों में से कुछ का दौरा किया है। लैटिन अमरीकी देशों के साथ बातचीत की अधतन महत्वपूर्ण घटना दिल्ली में जून, 1979 में हुई हाल की भारत–ईसी० एल०ए० (लैटिन अमरीका के लिये आर्थिक आयोग) की बैठक थी। ऐसी आशा है कि इन उपायों से भारत तथा लैटिन अमरीका के बीच बढ़े हुए व्यापार, प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान तथा निकटतम आर्थिक संबंधों के विकास के क्षेत्र में विस्तार होगा।

कतिपय करों को न्यागत करने के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

***98. श्री अमर राय प्रधान :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगम-कर तथा आयकर पर अधिभारक जैसे कतिपय करों को न्यागत करने के बारे में दिल्ली में 19 मई, 1979 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ख) उन निष्कर्षों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) निगम कर, आयकर पर अधिभार बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की उगाही आदि में हिस्सेदारी

जैसे मामलों पर मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए 19 और 20 मई, 1979 को एक सम्मेलन हुआ था।

मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों ने जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया इन करों की रकमों को विभाज्य पूल में शामिल करने के पक्ष तथा विरोध में अपना-अपना मत व्यक्त किया था।

प्रधान मंत्री ने अपने समापन भाषण में यह बात कही कि अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय संसाधन प्राप्त करने के बारे में राज्यों का चिन्तित होना ठीक है और उन्होंने संवैधानिक पृष्ठ भूमि, मौजूदा प्रणाली के मूलाधार, रक्षा, संचार आदि जैसी मदों के लिए केन्द्रीय सरकार के दायित्वों तथा सम्पूर्ण देश के संतुलित विकास की आवश्यकता की व्याख्या की।

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि उन परिस्थितियों में, जिनका उन्होंने वर्णन किया, वर्तमान प्रणाली और केन्द्रीय सरकार के कार्यों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाना सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

***99. श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पहली जुलाई, 1979 से पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं;

(ख) उचित दर की दुकानों पर कौन-कौन सी वस्तुएं बेची जायेंगी और उनकी दरें क्या होंगी;

(ग) उन शहरों तथा कस्बों के नाम क्या हैं जहां इसे कार्यान्वित किया गया है;

(घ) इसको दूसर बड़े शहरों तथा कस्बों में शुरू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ङ) इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा कितना धन लगाया जायेगा;

(च) इन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं;

(छ) इस वितरण प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ज) क्या इस प्रणाली के विरोध में सरकार को निजी क्षेत्र से कीइ अभ्यावेनन प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ज) पहली जुलाई, 1979 से उत्पादन-एवं-वितरण की योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा उत्पादन पर बल देते हुये अधिक आवश्यक वस्तुओं को इसके अन्तर्गत लाना है। अनाज, मिट्टी का तेल, साफ्ट

कोक और नियंत्रित कपड़ा जैसी पहले से वितरित की जा रही वस्तुओं के अलावा कुछ अन्य वस्तुयें जैसे चाय, काफी, दियासलाइयां, नहाने तथा कपड़े धोने के साबुन और कापियां भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जायेंगी। उत्पादन-एवं-वितरण की योजना सम्पूर्ण देश के लिये है और इसके अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र आते हैं। यह योजना पहली जुलाई 1979 से आरंभ की जानी थी और अब तक मिली सूचनाओं के अनुसार देश के कई राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में यह योजना लागू कर दी गई है। राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों के 6-6-1979 को हुए सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया गया है कि 31 दिसम्बर 1979 तक संपूर्ण देश में यह योजना लागू कर दी जानी चाहिए और उस दिशा में आवश्यक प्रबंध किये जा रहे हैं।

इस योजना के अधीन वितरित की जाने वाली प्रस्तावित आवश्यक वस्तुओं की वसूली तथा उनका सुरक्षित भंडार बनाने का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जैसी भारतीय खाद्य निगम, भारतीय तेल निगम, राज्य नागरिक पूर्ति निगम, तथा सहकारी संगठनों द्वारा किया जायेंगा, जो पहले से ही इनमें से अधिकांश वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं। अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण कार्य करने के लिये भारी मात्रा में नई पूंजी लगाने की संभावना दिखाई नहीं देती। यद्यपि अतिरिक्त कार्यकर पूंजी की आवश्यकता होगी, जो कि ये संस्थायें अपने बैंकों तथा वित्तदायी संस्थाओं से उधार लेंगी।

खाद्यान्नों, मिट्टी का तेल तथा कोयले जैसी आवश्यक वस्तुओं की वसूली तथा उनका सुरक्षित भंडार बनाने की व्यवस्था केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय तेल निगम, कोल इन्डिया आदि द्वारा पहले ही की जा रही है। चाय की वसूली तथा सप्लाई राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा की जायेगी और संबंधित राज्यों को काफी की सप्लाई की व्यवस्था काफी बोर्ड द्वारा की गई है। नहाने का साबुन संगठित क्षेत्र द्वारा तैयार किया जा रहा है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए इसकी आपूर्ति विभिन्न राज्य अभिकरणों को की जायेगी। जहां तक कपड़े धोने के साबुन का संबंध है, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे असंगठित क्षेत्र के बहुत से लघु विनिर्माताओं, जिन्हें कुछ उत्पादन शुल्क की रियायतें उपलब्ध हैं, से इसकी खरीद तथा आपूर्ति करने का प्रबन्ध करें और इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जाल के माध्यम से वितरित करें। कापियां भारत सरकार द्वारा आबंटित रियायती कागज से राज्यस्तरीय अभिकरणों द्वारा तैयार की जायेंगी और ये कापियां भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेची जायेंगी। नियंत्रित कपड़े और सस्ते कपड़े की अन्य किस्मों, जनता धोतियों और साड़ियों की खरीद तथा आपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा विभिन्न राज्य अभिकरणों को भी की जायेगी। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन विभिन्न राज्यों को अपनी दियासलाइयों की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा।

इस योजना, जैसी कि परिकल्पित की गई है, से सतत आधार पर उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलभ्यता होगी और आशा है कि इससे मूल्यों में स्थिरता आयेगी।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ द्वारा जनवरी, 1979 के अंत में आयोजित एक गोष्ठी में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि यह योजना चयनात्मक होनी चाहिए, जिनके अन्तर्गत केवल समाज के सबसे गरीब वर्गों को ही लाया जाये, लेकिन इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया।

पोरबन्दर पत्तन से आयात और निर्यात बढ़ाने की कार्यवाही

757. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परकार के नमक, मछली तथा खाद्यान्नों के निर्यात और उर्वरकों, खली तथा कोयले के आयात में वृद्धि के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही की जानी है तो वह कब की जाएगी और किस रूप में की जाएगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ बेग) : (क) तथा (ख) नमक, मछली तथा खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं का निर्यात स्तर खपत की इन चीजों की स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। उर्वरक तथा कोकिंग कोयला जैसी वस्तुओं का आयात इस बात पर निर्भर करेगा कि घरेलू उत्पादन और स्थानीय आवश्यकताएं कितनी हैं। इस समय तेल रहित खली निर्यात की मद है। जहां तक पोरबन्दर पत्तन पर सुविधाओं के विकास का प्रश्न है, इस प्रयोजन के लिए गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

बिना किसी प्रत्याभूति के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

758. **श्री यशवंत बोरोले** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की अवधि से राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्टेट बैंक, और उसके सहायक बैंकों द्वारा बिना कोई प्रत्याभूति लिए कर्जों के रूप में ऋण लेने वालों को कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं ; और

(ख) इसमें से कितना वापिस ले लिया गया है और कितनी राशि को वसूल न किये जाने योग्य समझा जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) और (ख) सूचना उस रूप में उपलब्ध नहीं है जिसमें मांगी गई है। तथापि, रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, बकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जा रही है कि उनके अप्रतिभूत ऋण तथा उनकी 20 प्रतिशत अप्रतिभूत गारंटियां मिलकर उनके कुल अग्रिमों के 15 प्रतिशत से अधिक न हों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अधीन निरीक्षण करते समय, प्रत्येक बैंक द्वारा इस व्यवस्था के अनुपालन की जांच की जाती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

759. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में वर्षवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था और इस समय वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) मई 1979 में (सबसे हाल की उपलब्ध जानकारी) 339 था। जबकि यह सूचक अंक मई 1978 में 323 और मई 1977 में 318 था।

चीन द्वारा भारत में व्यापार मेले के आयोजन की कथित कार्यवाही

760. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 15 मई, 1979 के 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित इस आशय का समाचार कहाँ तक सही है कि चीन भारत में एक व्यापार मेले का आयोजन करना चाहता है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई पहल की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) सरकार ने इस समाचार को देखा है, लेकिन चीन के जनवादी गणराज्य से इस बारे में कोई सुझाव नहीं मिला है ।

तेहरान को भेजे जाने वाला माल

761. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित सीमाशुल्क कलेक्टरी ने इस बात का पता लगाया है कि तेहरान को भेजे जाने वाले एक माल में इंटें थीं न कि जुराब जैसा कि संबंधित फर्म ने घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) संबंधित निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) जी, हां । सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, मैसर्स जुनेजा एक्पोर्ट्स, नई दिल्ली, ने निर्यात के लिए 14,264 पार्सलों वाले सात पोतलदान बिल पेश किए थे जिनमें लगभग 2.56 करोड़ रुपए मूल्य की सूती जुराबों जैसे माल की घोषणा की गई थी और जिन पर पाने वाले का नाम मैसर्स इम्पीरियल ईरानियन आर्मी, तेहरान था । जांच करने पर, अधिकांश पार्सलों में सूती चिथड़े और ईंटें पाई गईं । माल को जब्त कर लिया गया है ; और यह मामला पूरी जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ।

अहमदाबाद में विदेशी नागरिकों की कथित गिरफ्तारी

762. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में चार विदेशी नागरिकों को चुराए गए यात्री चैक बैंक से भुनाकर उसके साथ की गई कथित धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी नागरिकों का ब्यौरा क्या है तथा क्या उनके पूर्ववृत्त के बारे में उनके देश से, जहां के वे लोग हैं, जानकारी एकत्र की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) और (ख) अहमदाबाद पुलिस ने विदेशी राष्ट्रिकों श्री स्लुवल वेरने रदी गुच्ची, श्री पिलिपोविक स्त्रेतो, श्री एडवर्ड मियामोतो और कुमारी कियोको मोचीशुकी, को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया था । इनके

विरुद्ध आरोप है कि इन्होंने चुराये/गुम हुए विदेशी यात्रा चैकों को जाली पासपोर्ट के आधार पर भुनाकर अहमदाबाद में वाणिज्यिक बैंकों की कुछ शाखाओं के साथ जालसाजी और धोखाधड़ी की थी। राज्य पुलिस के अनुरोध पर ये मामले जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपने हाथ में ले लिये गये हैं। विदेशी राष्ट्रिकों के पूर्व-चरित्र की जांच की जा रही है।

औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

763. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि सामान्य रूप से सभी वस्तुओं और विशेषकर कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि का औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं के बाजार मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है ; और

(ख) इस समस्या के साथ कारगर ढंग से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1979 से 23 जून, 1979 के बीच थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) में 5.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जबकि कच्चे माल (अर्थात प्रारम्भिक खाद्य-भिन्न वस्तुओं और खनिज पदार्थों) का सूचक अंक 4.8 प्रतिशत बढ़ा है, विनिर्मित उत्पादों के सूचक अंक में 5.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यदि खाद्य उत्पाद समूह को (जिसमें खाद्य तेल, चीनी, खाण्डसारी और गुड़ शामिल हैं) एक तरफ हटा दिया जाए तो विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि केवल 4.0 प्रतिशत बैठेगी।

इस तरह से यह मालूम हो जाएगा कि कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों के परिणामस्वरूप विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में कोई अनुचित वृद्धि नहीं हुई है और न ही औद्योगिक उत्पाद पर ही इसका कोई प्रतिकूल असर पड़ना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन पर कुछ सीमा तक कोयले और बिजली की कमी के कारण और रेल परिवहन में उत्पन्न होने वाले गतिरोधों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और इन क्षेत्रों में सुधार हो जाने के बाद औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है। इस बीच कमियों को दूर करने के लिए सरकार लोहे और इस्पात, सीमेंट, सोडा ऐश जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का काफी मात्रा में आयात करने का कार्य कर रही है।

किसी कम्पनी द्वारा अपने पास नगद धन-राशि के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

764. **श्री श्यामसुन्दर दास** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर अधिनियम अथवा कम्पनी कानून के अधीन किसी कम्पनी द्वारा अपने पास नगद धनराशि रखे जाने के बारे में कौन-से नियम और मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं ; और

(ख) इस बात की जांच करने का क्या तरीका है कि कथित नगद धनराशि वास्तव में कम्पनी के पास हो और उसका अवैध प्रयोजनों के लिए उपयोग न किया जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) आयकर अधिनियम अथवा कम्पनी कानून के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा 'अपने पास नकद धनराशि' रखे जाने के बारे में कोई नियम अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं हैं ।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 और कम्पनी कानून के अन्तर्गत इस बात की जांच करने का कोई तरीका नहीं है कि किसी निर्दिष्ट समय में कथित नकद धनराशि वास्तव में कम्पनी के पास है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इस स्थिति का अपवाद केवल उस समय होता है जब किसी कम्पनी के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132/133–क के अन्तर्गत तलाशी लेने तथा माल पकड़ने अथवा सर्वेक्षण की कार्यवाही उस हालत में की गई हो जब वास्तविक नकदी बकाया का मिलान लेखा बहियों में दिखाई गई रकम के साथ किया जा सकता हो । लेखा बहियों के अनुसार नकदी बकाया तथा वास्तविक मिलान में पाई गयी नकदी बकाया अन्तर में होने के मामले में, यह पता लगाने के लिए आवश्यक पूछताछ तथा जांच की जाती है कि अन्तर को हिसाब में कैसे लिया गया है । कम्पनी कानून के अन्तर्गत, नकदी बकाया की जांच, प्रचलित लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली के अनुसार केवल लेखा-परीक्षा करते समय सभी करते समय तभी की जाती है जब लेखा-परीक्षकों द्वारा नकदी की वास्तविक रूप से जांच की जाती है ।

भारतीयों और उनकी कम्पनियों की पाकिस्तान द्वारा जब्त आस्तियां

765. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रकों/कम्पनियों की प्रतिशतता क्या है जिनकी आस्तियां पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान 'शत्रु सम्पत्ति' के रूप में जब्त कर ली थीं और जिनके सम्बन्ध में सत्यापित दावों के मूल्य का अब तक 25 प्रतिशत तदर्थ अनुदान का भुगतान किया गया है ;

(ख) अब तक इस प्रकार के अनुदानों की कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ; और

(ग) कितने मामलों में अब तक दावे सत्यापित नहीं किये गये हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जिन भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों की परिसम्पत्तियां 1965 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थीं, उनके दावे के मामलों में से अभी तक लगभग 10 प्रतिशत के सम्बन्ध में भुगतान किया जा चुका है ।

(ख) अभी तक दिये गये अनुग्रही अनुदान की कुल राशि 23.80 करोड़ रु० है ।

(ग) सत्यापन के लिए रुके हुए दावे के मामलों की संख्या 26475 है । दावों के सत्यापन के लिए, सम्पत्ति के स्थान, सम्पत्ति के क्षेत्र, भवन निर्माण के वर्ष, वन के स्वरूप, बैंक में जमा राशि आदि को ध्यान में रखा जाता है । इस प्रकार, दावों का सत्यापन एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है । तथापि, दावे के मामलों का शीघ्रता से सत्यापन करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं ।

नियन्त्रण और राजसहायता के संबंध में दागली समिति का प्रतिवेदन

766. श्री वसन्त साठे : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रण तथा राजसहायता संबंधी बड़ीलाल दागली समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने बाद की कार्यवाही करनी है और समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में. राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के महत्वपूर्ण निष्कर्षों और उसके द्वारा की गई सिफारिशों को संलग्न विवरण में संक्षेप में दे दिया गया है ।

(ग) तथा (घ) सभी संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई (प्रोसेसिंग) की जा रही है । समस्त आर्थिक मंत्रालय और अन्य सभी संबद्ध संगठन, जिनमें योजना आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल हैं इस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई में हाथ बटाएंगे ।

विवरण

वाडिलाल डगली समिति ने यह मंतव्य प्रकट किया है कि नियंत्रणों तथा आर्थिक सहायता दोनों से ही अनेक नीति विषयक उद्देश्यों को बढ़ावा देने में सहायता मिली है और वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत धन और आय के वितरण में विषमताएं विद्यमान हैं तथा भारत में बाजार व्यवस्था में अपूर्णताएं और कमियां हैं, नियंत्रण और आर्थिक सहायता दोनों ही बहुत आवश्यक हैं ।

इस समिति ने, जिसका गठन भारत सरकार ने किया था, 15 मई, 1979 को अपनी रिपोर्ट उप प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री श्री चरण सिंह को प्रस्तुत की । समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि बहुत-से युद्धकालीन नियंत्रण, जो कि तत्कालीन आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए जारी किए गए थे, धीरे-धीरे एक ऐसी प्रणाली में समाविष्ट कर दिए गए जो दीर्घावधिक आयोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी । विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत-से नियंत्रण लागू किए जाते रहे हैं और ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जबकि नियंत्रण आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद भी लम्बे अर्से तक जारी रखे गए हैं । आज नियंत्रणों की प्रणाली इतनी जटिल हो गई है कि जिन कार्यपालक अधिकारियों को इन नियंत्रणों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सोंपी जाती है, उनको भी यह पता नहीं होता कि उन्हें ठीक-ठीक किस नियंत्रण प्रणाली को लागू करना हैं ।

नियंत्रणों के उद्देश्य

समिति ने इस देश में निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियंत्रणों को जारी रखने की सिफारिश की है :—

(क) कि दुर्लभ राष्ट्रीय साधन राष्ट्रीय आयोजन तथा लोकनीति के अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ही लगाए जाएं ;

(ख) कि जनता की उपभोग संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी की जाएं और खासतौर पर समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को इतनी कीमतों पर पूरा किया जाए, जिनको अदा करने की शक्ति उनमें हो ;

(ग) कि आय और धन की विषमताओं को कम किया जाए और शक्ति के अवांछनीय संकेन्द्रण को रोका जाए ;

(घ) कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देकर बहुत बड़ी संख्या में जनसाधारण के रोजगार और आमदनी के साधनों की रक्षा की जाए ; और

(ङ) यह कि प्रौद्योगिकीय क्षमता को बढ़ाकर, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा और देश में उपलब्ध साधनों के अनुसार निर्यात को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए ।

समिति ने सिफारिश की है कि नियंत्रणों और विनियमनों को लागू रखने की एक सीमित अवधि होनी चाहिए और फिर इन नियंत्रणों का समय-समय पर यानि 5 वर्ष में एक बार पुनरीक्षण किया जाना चाहिये । नियंत्रण व्यवस्था सरल होनी चाहिए और जहां तक संभव हो नियंत्रण के स्थल भी कम-से-कम होने चाहिये ।

इसी प्रकार से सभी आर्थिक सहायताओं को वैध रूप से ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष तक जारी रखा जाना चाहिए और जब किसी भी आर्थिक सहायता की अवधि को इसके निर्धारित समय से आगे बढ़ाया जाए तो उसकी लागत और उसके लाभों का एक समीक्षात्मक विवरण संबद्ध विभागों के द्वारा संसद के समक्ष रखा जाना चाहिये । जिस लक्ष्यगत जन समूह को किसी आर्थिक सहायता से कोई फायदा पहुंचने की संभावना हो, उस जन समूह को स्पष्टतया सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस तथ्य का प्रचार भी काफी मात्रा में किया जाना चाहिए ताकि इस बात की पक्की व्यवस्था हो जाए कि आर्थिक सहायता लक्ष्यगत जन समूह तक पहुंचे । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष होनी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च और इससे मिलने वाले लाभ ठीक-ठीक जाने जा सके ।

वितरण प्रणाली

समिति के मतानुसार, कीमतों का नियंत्रण अपने आप में उस समय तक कोई महत्व नहीं रखता है, जब तक कि इसके साथ प्रभावपूर्ण वितरण प्रणाली न लागू की जाए और सार्वजनिक वितरण के लिए नियंत्रित वस्तु की सप्लाई के पर्याप्त हिस्से पर सरकार का नियंत्रण न हो । इसके अलावा, कीमतों पर इस तरह से नियंत्रण नहीं रखा जाना चाहिए, जिससे कि नियंत्रित वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ जाए । समिति सिफारिश करती है कि कीमतों का नियंत्रण उन वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, जो जनसाधारण के काम में आती हैं अथवा कीमतों का नियंत्रण उन मध्यवर्ती वस्तुओं पर लागू होना चाहिए जो जनसाधारण द्वारा आवश्यक खपत की वस्तुओं के निर्माण के लिए आधारभूत या आवश्यक हैं, अथवा उन वस्तुओं पर जो कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिए आवश्यक निवेश्य वस्तुएं हैं, जिसका असर बड़े पैमाने पर रोजगार पर पड़ता है ।

कृषि वस्तुओं की कीमतों के मामले में संपूर्ण ध्यान प्रतियोगी फसलों की सापेक्षिक कीमतों की तरफ होना चाहिए ताकि समर्थन कीमतों से भूमि का अनुकूलतम उपयोग करने की प्रक्रिया

को बल मिले। समिति ने और आगे सिफारिश की है कि एक पर्याप्त संकट निरोध भंडार भी बनाया जाना चाहिए ताकि उन सभी वस्तुओं की सप्लाई की व्यवस्था ठीक से हो सके जिनके उत्पादन अथवा जिनकी सप्लाई में काफी ज्यादा घटबढ़ होती रहती है।

औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था

औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था के संबंध में समिति ने देखा है कि औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया और सामूहिक आयोजन के कार्य के बीच जो समंधये तीसरी आयोजना की अवधि में उत्पन्न हो गया था उसका अनुसरण आगे तक नहीं किया गया है, अर्थात् उसे बनाए नहीं रखा जा सका है और उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योगों के लिए जारी किए गए मार्ग निर्देशों को पूर्ववत आयोजना तथा लाइसेंस नीति देने वाली कड़ी के रूप में नहीं अपनाया जाता है। परिणामतः औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली से इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं होती कि उद्योगों का विकास योजना संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप होता रहे, बल्कि यह व्यवस्था गैर-आवश्यक उद्योगों में क्षमता की वृद्धि को रोकने में असफल रही है और यह विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के उचित फैलाव को प्राप्त करने में भी कारगर साबित नहीं हुई है। इस व्यवस्था से एकाधिकार और उद्योग-शक्ति का संकेन्द्रण भी रुक नहीं सका है। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि पूर्ण पाबंदी लगे उद्योगों की एक सूची समय-समय पर घोषित की जाए। जहां तक दूसरे उद्योगों का संबंध है, कुछ उद्योगों को ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र के लिए ही रिजर्व रखा जाना चाहिए और कुछ उद्योगों को लघु उद्योग क्षेत्र में वर्गीकृत कर दिया जाना चाहिए, अर्थात् ऐसे उद्योगों को जिनमें 10 लाख रुपये तक की पूंजी लगी हो। समिति यह भी चाहती है कि ऐसे उद्योगों की एक खुली सूची भी बनाई जाए, जिनके लिए कोई लाइसेंस लेने की दरकार नहीं है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि क्षमता के कम उपयोग के लिए तथा पहले से ही लाइसेंस प्राप्त क्षमता का पूरा उपयोग किए बिना अतिरिक्त क्षमता को प्राप्त करने के लिए भी कोई अर्थदण्ड (पेनाल्टी) निर्धारित किया जाना चाहिए।

खनन

खनन के मामले में समिति ने सिफारिश की है कि किसी भी इलाके को, सरकारी क्षेत्र के द्वारा खनन-विकास के लिए पांच वर्ष की अवधि से ज्यादा अर्से तक प्रारक्षित (रिजर्व) नहीं रखा जाना चाहिए और जो भी इलाका इस रीति से प्रारक्षित किया जाए, उसमें खनिज पदार्थों की खोज और उनकी निकासी का कार्य पांच ही वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर शुरू कर दिया जाना चाहिए तथा, ऐसा न होने की स्थिति में, उस इलाके को अप्रारक्षित घोषित कर दिया जाना चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में, समिति का यह मंतव्य है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल दोनों की ही पूर्ति तथा मांग में अस्थायी तौर पर असंतुलन पैदा होता रहता है, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम वस्तु विनियमन के लिए आवश्यक विधान हैं। लेकिन इस अधिनियम के औपचारिक प्रयोग के कारण यह व्यवस्था अपरिहार्य रूप से जटिल और दुर्बोध हो गई है। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को संविधि पुस्तक में कायम रखा जाना चाहिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जो भी आदेश जारी किए जाएं उनका जीवन काल सीमित होना चाहिए, अर्थात् तीन वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और वह भी ऐसा कि उसके बाद वे आदेश अपने

आप व्यपगत हो जाएं। इसके साथ ही कानून की समीक्षा भी हर पांच वर्ष के बाद की जानी चाहिए।

आयात और निर्यात

समिति ने सिफारिश की है कि आयात तथा निर्यात नीति वैध रूप से 3 वर्ष तक जारी रहनी चाहिए, जिससे कि उत्पादन संबंधी ढांचे में सभी उपलब्ध समायोजन किए जा सकें। उसने यह भी सिफारिश की है कि नकद सहायता की सभी दरों का पुनरीक्षण किया जाए और ऐसा सहायता निर्यात की जाने वाली एक वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में आनेवाली लागत के प्रत्यक्ष कर संबंधी भाग की वापसी तक ही सीमित रहनी चाहिए।

जहां तक विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियंत्रणों का सम्बन्ध है, समिति यह महसूस करती है कि वास्तविक विनिमय दर को अपना कर विनिमय संबंधी व्यवस्था की मौजूदा नीति को जारी रखा जाना चाहिए। उसने सिफारिश की है कि विदेशी यात्रा संबंधी विनियमों को सरल बनाया जाना चाहिए। समिति वाणिज्यिक और कार्यालयिक भवनों आदि के लिए किराया नियंत्रण के पक्ष में नहीं है। समिति को मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता इस समय लगभग 2000 करोड़ रुपये वार्षिक के बराबर बैठती है। समिति ने मन्तव्य प्रकट किया है कि इस तरह की आर्थिक सहायता बढ़ती जाती है और इससे पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है। तीन प्रकार की आर्थिक सहायताओं (अर्थात् खाद्यान्न, उर्वरकों तथा निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायताओं) की राशि 1431 करोड़ रुपए बैठती है और केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट के माध्यम से दी जाने वाली 1712 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के 70 प्रतिशत के करीब है। इसने यह सिफारिश की हैं कि खाद्यान्न संबंधी आर्थिक सहायता को दो भागों में विभक्त कर दिया जाना चाहिए, जो कि इस समय अंशतः संकट निरोधक भंडार को कायम रखने के लिए और अंशतः विवरण सम्बन्धी लागत के लिए दी जा रही है। समिति संकट निरोधक भंडारों की लागत को उचित समझती है, लेकिन यह सिफारिश करती है कि वितरण की लागत को आर्थिक सहायता द्वारा उस सीमा तक ही पूरा किया जाना चाहिए, जिस सीमा तक उसके हिताधिकारी ऐसे लोग हों, जो निर्धनता की रेखा से भी नीचे के स्तर का जीवन यापन करते हों। समिति ने सिफारिश की है कि उर्वरकों संबंधी आर्थिक सहायता को चरण-बद्ध रूप में 3 वर्ष में समाप्त कर दिया चाहिए और कार्बनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए एक नई आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। एकीकृत ग्राम विकास योजनाओं की परिधि में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे और कमजोर किसानों को उर्वरकों के प्रयोग के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि पहाड़ी और दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता ज्यादा मात्रा में दी जानी चाहिए ताकि उन सभी क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित कीमतों पर मिल सकें। उसने कम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने के प्रयोजन से भी ज्यादा आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की है।

खाद्यान्न

समिति ने सिफारिश की है कि इस सम्बन्ध में ज्यादा ध्यान खाद्यान्न की मुनासिब समर्थन कीमतों पर ही केन्द्रित किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न फसलों और संकट निरोधक भंडार संबंधी कार्यों के बीच पर्सस्पर रूप में उपयुक्त समता रखी जा सके। जबकि संकट निरोधक भंडारों को कायम रखने की लागत, खाद्य की सुनिश्चित उपलब्धि को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय पर प्रभारित होनी चाहिए, तथापि वितरण सम्बन्धी लागत के खर्च को पूरा करने के लिए

दी जानी वाली आर्थिक सहायता सिवाएं उस सीमा तक, जिस सीमा तक वह निर्धना की रेखा से नीचे के स्तर या निर्धनता की रेखा के स्तर का जीवन यापन करने वाले लोगों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हो, राजस्व व्यय पर भारित नहीं की जानी चाहिए।

खाद्य तेलों के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि पूर्ति और मांग के अन्तर को दूर करने के लिए सस्ते खाद्य तेलों का आयात किया जाना चाहिए। उसने सिफारिश की है कि राज्य व्यापार निगम को कहा जाए कि वह दीर्घावधिक पूर्ति (सप्लाई) के संविधा निष्पन्न करे और आवश्यक मात्रा में तेल का आयात करता रहे। खाद्य तेलों की उपलब्धता और उनकी कीमतों में कुछ स्थिरता लाने के लिए कम-से-कम दो महीने की आवश्यकताओं के बराबर का एक संकट निरोधक भंडार यदि आवश्यक हो तो, अतिरिक्त आयात करके बना लिया जाना चाहिए।

वस्त्रोद्योग

समिति के अनुसार वस्त्रोद्योग की मुख्य समस्या कपास के उत्पादन और उसकी कीमतों में होने वाली घटबढ़ से उत्पन्न होती है और समिति ने यह भी मालूम किया है कि कपास सम्बन्धी अधिकतम कीमत के नियंत्रण और न ही कपास की समर्थन कीमतों के निर्धारण की कार्रवाई इस समस्या को दूर करने में सफल हुई है। यद्यपि भारतीय कपास निगम कपास के बाजार में प्रभावपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप करके कपास की कीमतों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था फिर भी उसको उतनी आवश्यक रकम नहीं मिली है जिससे कि उक्त उद्देश्य पूरा किया जा सकता। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय कपास निगम को नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त कराया जाए, उसे आवश्वक रकम उपलब्ध कराई जाए और सामान्य मार्ग निर्देश जारी किए जाएं तथा उसे कपास की कुल फसल के 30 प्रतिशत भाग को खरीदने और एक संकट निरोधक भन्डार बनाने का अधिकार दिया जाए। समिति ने आगे यह सिफारिश की है कि मिल क्षेत्र की बुनाई क्षमता पर नियंत्रण जारी रखा जाए, मिल के कपड़े पर कीमत अंकित करना समाप्त कर दिया जाए और आपवादिक रूप में जिनता कपड़े पर ही कीमत की मुहर लगाई जाए तथा हथकरघों के अतिरिक्त उत्पादन के प्रारक्षण को बढ़ाया जाए।

कोयला

समिति ने सिफारिश की है कि कोयले की कीमत एक स्वाधीन निकाय के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि कोयले के अविवेकपूर्ण उपयोग को निरुत्साहित किया जा सके।

इस्पात

इस्पात की कीमतों पर प्रशासनिक नियंत्रण की कड़ी व्यवस्था को नरम कर दिया जाना चाहिए। सीमेंट के विस्तार के संबंध में कोई लाइसेंस नियंत्रण नहीं होना चाहिए और कम-से-कम प्रति मेट्रिक टन सीमेंट पर उत्पादकों को 20 रुपए की विशेष छूट मिलनी चाहिए। सीमेंट की कीमतों और वितरण आदि पर, जिस सीमा तक नियंत्रणों को आवश्यक समझा जाए, उस सीमा तक उनको, बजाय औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लागू करने के, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लागू किया जाना चाहिए।

समिति ने सिफारिश की है कि स्वर्ण नियंत्रण में संशोधन किया जाना चाहिये और 18 कैरेट शुद्धता से ज्यादा शुद्धता के सोने के गहनों के निर्माण पर पूर्ण पाबन्दी लगा दी जानी चाहिए। 18 कैरेट सोने की मांग को पूरा करने के लिए समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि

सरकार सोने का आयात करे। उसने यह सुझाव भी दिया है कि उपयुक्त फेर बदल के साथ स्वर्ण बांडों को भी फिर से जारी किया जाए।

समिति यह महसूस करती है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिए खासतौर से दस्तकारों और कुटीर उद्योग किस्म के श्रमिकों के लिए सुर प्रारक्षित वस्तुओं की एक अलग सूची तैयार की जानी चाहिए। इस सूची में सभी धोतियां और बार्डर वाली साड़ियां कालीनों की बुनाई शाल तथा कम्बल आदि शामिल होने चाहिएं। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि कुटीर और ग्राम उद्योगों से ही केवल मात्र सरकार और सरकारी क्षेत्र द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की एक अलग सूची बननी चाहिए।

ऋण नियंत्रण

ऋण नियंत्रण के संबंध में समिति ने यह सिफारिश की है कि छोटे उत्पादकों को ब्याज की मुनासिब वाणिज्यिक दरों पर शीघ्रता से पर्याप्त ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाए। उसने यह भी सिफारिश की है कि अतिरिक्त ऋण का 20 प्रतिशत भाग विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को दिया जाना चाहिए।

समिति यह महसूस करती है कि नियंत्रण, खासतौर पर कीमतों पर नियंत्रण, जबकि वितरण के लिए वितरण प्रणाली में हेराफेरी को रोकने के लिए किराया नियंत्रण आदि लागू करने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्का न हो, काले धन की उत्पत्ति के मुख्य स्रोत हैं। समिति ने सिफारिश की है कि काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए जहां तक संभव हो अन्य वैकल्पिक नीतियों अर्थात संकट निरोधक भण्डारों के निर्माण और मुद्रा विषयक नीतियों को ही काम में लाया जाना चाहिए। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची को छोटा करने की जरूरत है, जिनमें वैयक्तिक स्वविवेक अन्तर्ग्रस्त हो।

समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय स्तर पर समस्त नियंत्रणों और आर्थिक सहायताओं का अनुवीक्षण (मानीटरिंग) योजना आयोग में स्थापित किए जाने वाले अनुवीक्षण कक्ष में होना चाहिए, ताकि समय-समय पर आवश्यक समायोजन हो सकें। इसी प्रकार नियंत्रणों का अनुवीक्षण राज्य योजना बोर्डों को भी करना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि कीमतों और वितरण संबंधी नियंत्रणों का अनुवीक्षण और भी सरल बना दिया जाना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों की परिषदें संगठित करके तथा वाणिज्य और उद्योग मण्डलों जैसे संगठनों को शामिल करके और भी कुशल बना दिया जाना चाहिए, ताकि वे भी अपने सदस्यों के आचरण का विनियमन स्वैच्छिक रूप से कर सकें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों को दिये गए ऋणों की वसूली

767. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों को सिंचाई प्रयोजनों के लिये दिये गये ऋण उन से 9 वर्ष के भीतर वसूल किये जाते हैं और उस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूल किया जाता है तथा किसानों से पहली अथवा दूसरी किस्त

वसूल करने के बाद भी उनसे मूलधन पर लगातार 9 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वसूल किया जाता है;

(ख) क्या जिन डेरियों के लिए ऋण दिया जाता है उनसे सरकारी एजेन्सियां दूध खरीदती हैं और दूध की किस्म का निश्चय कर्मचारियों द्वारा अपने स्वविवेक द्वारा किया जाता है तथा इस किस्म के अधार पर किसानों को उनके दूध का मूल्य अदा किया जाता है जिसके फलस्वरूप किसान बड़ी मुश्किल से ऋण पर केवल ब्याज ही अदा कर पाते हैं तथा अपना गुजारा भी नहीं कर पाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (ए० आर० डी० सी०) की छोटी सिंचाई के प्रयोजनों विषयक योजना के अधीन ऋण वापसी की अवधि ऋणकर्त्ता की अदायगी की क्षमता और ऋण से प्राप्त होने वाली सम्पत्तियों के जीवन/काल की अवधि के आधार पर तय की जाती है। पम्प-सैटों की खरीद के लिए यह अवधि 7 वर्ष होती हैं जबकि दूसरे छोटे सिंचाई के पूंजी निवेशों जैसे कुओं आदि के लिए ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 9 वर्ष होती है ; साथ ही छोटे किसान इस प्रकार के ऋण 15 वर्ष तक की अवधि के लिए ले सकते हैं। वाणिज्यिक बैंक कृषि ऋणों की किस्त की वापसी अदायगी के समय ब्याज लेते हैं और मौजूदा देय राशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेते। अलबत्ता, जब इस तरह के सावधिक ऋणों की किस्त अतिदेय (ओवरड्यू) हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज वसूल किया जाता है।

(ख) और (ग) साधारणतः एक अंतः सम्बद्ध व्यवस्था होती है, जिसमें सार्वजनिक या सहकारी क्षेत्र में संगठित हाठ व्यवस्था उपलब्ध होने पर ऋणकर्त्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी उपज सम्बद्ध संगठनों की मार्फत बेचें और वे संगठन ऋणकर्त्ताओं की देय राशिओं को उपज की बिक्री में से वसूल कर लें। डेरी फार्म वालों को इस प्रकार बेचे गये दूध पर, उनके दूध में चिकनाई के आधार पर दूध की मात्रा के अनुसार अदायगी की जाती है। जहां कहीं इस तरह की हाठ व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और ऋणकर्त्ता अपनी उपज स्थानिय तौर पर या निजी तौर पर बेचते हैं वहां बैंक/सोसाइटी का स्टाफ किस्तें वसूल करता है और राज्य सरकार के अधिकारियों की भी मदद ली जाती है।

जिला स्तर पर, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय समन्वय समिति से आशा की जाती है कि वे समय-समय पर होने वाली अपनी बैठकों में वित्तीय अभिकरणों के बीच विभिन्न राज्य-कार्यक्रमों के कार्यान्वियन का समन्वय करें और इन बैठकों में योजनाओं के कार्यचालन में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से चर्चा भी की जा सकती है।

आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में समुद्री तूफान की सूचना

769. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हाल ही में आये समुद्री तूफान

के बारे में पूर्व सूचना प्राप्त थी और क्या सरकार इसके बावजूद भी इन स्थानों पर सुरक्षा के उचित उपाय नहीं कर सकी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तिओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 12-5-79 को आंध्र प्रदेश में आये दक्षिण तटवर्ती समुद्री तूफान के बारे में 48 घंटे पहले चेतावनी जारी कर दी थी। प्रेस रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार ने सेना की सहायता से प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए पहले ही और तुरन्त ऐसी कार्यवाही शुरू कर दी थी जिससे बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचायी जा सका।

(ख) और (ग) सुरक्षा प्रबंधों की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

सरकारी उपक्रमों में अर्हता प्राप्त हरिजन इंजीनियरों की भर्ती

770. श्री शिवनारायण सरसूनिया : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशों में हमारे सरकारी उपक्रमों तथा निर्माण परियोजनाओं के लिए भर्ती करके मेकेनिकल सिविल तथा इलेक्ट्रिकल अर्हता प्राप्त हरिजन इंजीनियरों को नियोजित करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी सरकारी आदेश केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में लागू कर दिए गए हैं। किन्तु, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की विदेशों में निर्माण परियोजनओं के लिए विशेष रूप से इन जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती का कोई प्रस्ताव कहीं है।

कुछ अधिनियमों का उल्लंघन करने पर विदेशियों के विरुद्ध दर्ज मामले

771. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में खतरनाक औषध अधिनियम और विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन के अन्तर्गत विदेशियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण

772. श्री विजय कुमार मलहोत्रा :

श्री शंकर सिंह जी वाघेला :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल :

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल : (क) जी, हां ।

(ख) किसी चाय बागान को संकट ग्रस्त घोषित करने तथा संकट ग्रस्त बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का काम चाय (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा किया जाता है जिसके अन्तर्गत जब कभी आवश्यक होता है समुचित कार्यवाही की जाती है ।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा की गई मांगें

773. **श्री दलीप चक्रवर्ती** : क्या उप **प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ मांगें की हैं;

(ख) क्या भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के उच्चतम न्यायालय में मामले जाने के प्रस्तावित प्रस्ताव पर ध्यान दिया है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) जी, हां । 19 और 20 मई, 1979 को हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने निगम कर, आय-कर पर अधिभार, वस्त्रों, चीनी और तम्बाकू पर लागू बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाने की योजना और रेल यात्री किराये पर कर की एवज में अनुदान से सम्बन्धित मामले उठाए थे ।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की योजना के सम्बन्ध में, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह भी कहा था कि यदि मामले को आपसी सद्भाव से नहीं निपटाया गया तो राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 131 के अन्तर्गत, इस मामले को उच्चतम न्यायालय में उठा सकती है । प्रधान मंत्री ने संकेत दिया था कि इस बात का पता लगाने की दृष्टि से कि राज्यों द्वारा उठाई गयी आपत्ति को दूर किया जा सकता है अथवा नहीं, एक समीक्षा समिति उक्त योजना के कार्यचालन की जांच करेगी ।

सरकारी उपक्रमों में सुविधायें

774. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या उप **प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 वर्ष पूर्व, सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों तथा औद्योगिक श्रमिकों, को आज उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में, उद्यमवार क्या-क्या सुविधायें मिलती थीं;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जहां लाभ की स्थिति में उक्त सुविधायें दी जाती थीं तथा जहां हानि होने की स्थिति में भी उक्त सुविधायें दी जाती थीं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन उद्योगों के उत्पादन में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सरकारी उद्यमों के सामान्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मजूरी एवं वेतन के अलावा मिल रही उन सुविधाओं से है, जो रुपयों में कूती जा सकती हैं। अतः यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि सरकारी उद्यमों द्वारा अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और औद्योगिक कामगारों को दी गई ऐसी सुविधायें, उनके द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा विनियमित की जाती हैं। जहां तक औद्योगिक कामगारों का प्रश्न है, सरकारी उद्यमों द्वारा बनाए गए नियम, उस क्षेत्र विशेष एवं सम्बद्ध उद्यम में लागू औद्योगिक विधि में दिए गए उपबंधों के अनुरूप होते हैं। दूसरे शब्दों में कोयला खान मजदूर कल्याण निधि, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कारखाना (फैक्ट्रीज) अधिनियम, लौह खनिज खान मजदूर कल्याण अधिनियम, खान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम. साप्ताहिक अवकाश अधिनियम के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक स्थापनाओं में काम के घंटों और समयोपरि भत्ते का भुगतान विनियमित करने वाले राज्य अधिनियमों के उपबंध भी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर समान रूप से लागू होते हैं तथा उनके अन्तर्गत दी गई सुविधायें इन उद्यमों द्वारा अपने औद्योगिक कामगारों को प्रधान की जाती हैं। जब तक कि किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों से उनके कर्मचारियों को मिलने वाली बेहतर सुविधाओं के कारण उनकी अन्यथा छूट न दी गई हो। सांविधिक सुविधाओं के अलावा सरकारी उद्यम आदर्श नियोक्ता होने के नाते कामगार शिक्षण, परिवहन सहायता, अपूर्व स्वामित्व एवं प्रबंध के अधीन औषधालयों एवं अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें, सहायता प्राप्त आवास एवं केन्टीन सम्बन्धी सुविधायें भी प्रदान करते हैं। कुछ क्षेत्रों में सरकारी उद्यमों ने अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था के प्रयोजनार्थ शैक्षिक संस्थायें खोली हैं। इन्होंने कर्मचारी हित लाभ निधि योजनाओं और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की है।

2. सरकारी उद्यमों के अधिकारी और कर्मचारी चिकित्सा सहायता, अंश दायी भविष्य निधि, उपदान राशि के भुगतान आदि की सामान्य सुविधाओं के अलावा, छुट्टी यात्रा रियायत, राज सहायता प्राप्त मकानों के आबंटन, सामूहिक, व्यक्तिक दुर्घटना एवं बीमारी योजना तथा मोटरकार, स्कूटर, मकान खरीदने के लिए अग्रिम राशि या मकान बनाने के लिए ऋण आदि की सुविधाओं के पात्र हैं। विकलांग कर्मचारी भी कार्यालय जाने और वहां से लौटने के लिए 50 रुपये मासिक सवारी भत्ता पाने के हकदार हैं।

3. जहां तक औद्योगिक कामगारों को मिलने वाली उपर्युक्त सुविधाओं का प्रश्न है, इनमें पिछले 10 वर्ष के दौरान कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। किन्तु, सरकारी उद्यमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मकान बनाने, मोटर साइकिल सामूहिक, वैयक्तिक दुर्घटना एवं बीमा योजना के लिए अग्रिम राशि की सुविधा सम्बद्ध उद्यम की अर्थोपाय स्थिति के अनुसार चरणबद्ध रूप में प्रदान की गई है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त सुविधाओं की व्यवस्था आवश्यक रूप से सम्बद्ध उद्यम के लाभ और हानि के साथ जुड़ी हुई नहीं है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में 10 वर्ष की अवधि के दौरान हुई वृद्धि या कमी के आंकड़े, केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां हर साल बजट सत्र के दौरान लोक सभा में पेश की जाती हैं।

विदेशों में बसे भारतीयों के लिए कृषि सम्पत्ति के अर्जन की अनुमति

775. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति ।**

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री निहार लास्कर :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने यह निर्णय किया है कि भारतीय मूल के विदेशियों को कृषि सम्पत्ति अर्जित करने की अनुमति दी जाए और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस सारे सवाल की जांच करने के लिए कोई विशेष दल नियुक्त किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उनके विचार क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के कुछ उपबन्धों के कारण अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के विदेशियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए गठित एक कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय मूल के विदेशियों द्वारा कृषि सम्पत्ति खरीदे जाने की अनुमति देने के प्रश्न की भी जांच की थी। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया और यह निर्णय किया कि भारतीत मूल के विदेशियों को कृषि सम्पत्ति खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करना सरकार की कृषि सम्पत्ति के दूरवासी स्वामित्व से संबंधित मान्य नीति के अनुरूप नहीं होगा ।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों का कार्यकरण

776. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री पी० एम० सईद :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारत के संयुक्त उद्यमों के कार्यकरण के एक विश्लेषण से पता चला है कि अब तक मंजूर किये गये 350 प्रस्तावों में से केवल 107 प्रस्ताव ही उत्पादन के चरण में पहुंचे हैं और अन्य 90 क्रियान्विति के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 139 प्रस्ताव अब तक क्रियान्वित नहीं हो पाए हैं और जो 23 एकक कुछ समय से चल रहे थे उन्हें त्याग दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन सभी बातों के क्या कारण हैं ;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ) जी, हां। मार्च 1979 को यह स्थिति थी। कार्यान्वयन न होने के मुख्य कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :

(क) भारतीय पार्टियों द्वारा कम अनुमान लगाना और कभी-कभी धन जुटाने, उत्पादित माल के विपणन प्रबन्ध व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के बारे में अनभिज्ञता होना ;

(ख) निवेश पूर्व सर्वेक्षण, परियोजना रिपोर्टों तथा पक्की सहयोग व्यवस्थाओं का अभाव ;

(ग) उपयुक्त स्थानीय सहयोगकर्त्ताओं का पता लगाने में कठिनाइयां ;

(घ) स्थानीय सहयोगकर्त्ताओं का मुकर जाना ;

(ङ) मेजवान देश में राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियां बदलना ;

(च) कुछ विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों की प्रौद्योगिकी को मनोवैज्ञानिक तरहीज देना, और इस प्रकार भारतीय भागीदारी अस्वीकृत करना ;

(छ) संयुक्त उद्यमों के रूप में स्थापित किये जाने वाले अवयस्क उद्योगों को मेजवान देश द्वारा संरक्षण देने से इन्कार करना ;

(ज) मेजवान देशों की निवेश नीतियों में परिवर्तन ;

(झ) कुछ फार्मों को थोड़े ही समय में लाभ कमाने का इरादा था। उनके द्वारा काम आरम्भ करने पर यह आशा परिस्थितियों के अनुकूल नहीं निकली।

(ञ) कुछ उद्यमियों ने भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों की स्पष्ट बातों को सही रूप में ग्रहण नहीं किया और इस प्रकार गलत तरीके से कल्पना की कि नकद भागीदारी मुक्त रूप से उपलब्ध होगी। जब उनकी आशाएं पूरी नहीं हुईं तो उन्हें उन सब समस्याओं का सामना करना पड़ा जिन्हें अगर आरम्भ से ही सामान्य क्रियान्विति को कड़ाई से पालन किया गया होता तो उन्हें रोका जा सकता था।

अब तक की प्रवृत्ति व असफलताओं के विश्लेषण से पता चलता है कि बड़ी संख्या में असफलताएं (50.8 प्रतिशत) 1970 से पहले की अवधि की थीं जब संयुक्त उद्यमों से संबंधित अन्त: मंत्रालय समिति का गठन नहीं हुआ था और जब प्रस्थापनाओं की पर्याप्त रूप में विस्तृत संवीक्षा किये बिना मंजूरी जारी की जाती थी। भारतीय उद्यमियों से प्राप्त प्रस्थापनाएं भी लगभग अपर्याप्त या अधूरी जानकारी पर आधारित थीं और उनमें उपयुक्त संभाव्यता अध्ययनों, परियोजना रिपोर्टों और अन्य विवरणों की कमी थी जो किसी परियोजना की स्थापना शुरू करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। असफलताओं के शेष मामलों में 35.2 प्रतिशत 1971-1975 की अवधि के दौरान मंजूर किये गये अनुमोदनों से सम्बन्धित हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, केवल 22 प्रस्थापनाएं पूरी नहीं हो सकीं जो कुल असफलताओं का 14.0 प्रतिशत बैठता है।

हाल ही में उद्यमों के समाप्त हो जाने की दर में तेजी से गिरावट आने से स्थिति पर्याप्त संतोषजनक रही है। अब प्रत्येक प्रस्थापना की अपेक्षाकृत अधिक संवीक्षा की जाती है और विदेशों में संयुक्त उद्यमों सम्बन्धी अन्तःमन्त्रालय समिति द्वारा तभी मंजूरी दी जाती है जब वह परियोजना की तकनीकी संभाव्यता और वित्तीय सहायता से स्वयं सन्तुष्ट हो जाती है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि उद्यमियों ने सरकार के अनुमोदन के लिये परियोजनाएं प्रस्तुत करने से पहले बाजार सर्वेक्षण, संभाव्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्टों आदि के रूप में पर्याप्त बुनियादी कार्य की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है।

इसके अलावा, क्रियाविधि को सरल बनाने के लिये कदम उठाये गये हैं ताकि प्रस्थापनाओं पर तेजी से कार्यवाही की जा सके। अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में निगरानी भी रखी जाती है।

बोनस का वित्तीय प्रभाव

777. **श्री अनन्त राम जायसवाल :**

श्री भागीरथ भंवर :

श्री राम सागर :

श्री राम नरेश कुशवाहा :

श्री वसन्त साठे :

क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस प्रैस समाचार की ओर दिलाया गया है कि रेलवे, रक्षा तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस की मांग को स्वीकार करने पर केन्द्रीय सरकार पर 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में 600 करोड़ रुपये के इस अतिरिक्त भार का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रेलवे तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की बोनस सम्बन्धी मांग को स्वीकार करने पर पड़ने वाले इस भारी भार को देखते हुए सरकार रेल कर्मचारियों को एक माह के वेतन की अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रक्षा, डाक-तार तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा ही भुगतान करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग को, वर्ष में एक महीने के वेतन की दर पर, बोनस की अदायगी की जाती है, तो यह अदायगी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के सभी कर्मचारियों को भी की जानी होगी।

(31-3-1979 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	प्रतिवर्ष संभावित लागत (करोड़ रुपये)
I. केन्द्रीय सरकार		
(क) असैनिक कर्मचारी		
(I) रेलवे	15.6	71.0
(II) डाक व तार	4.7	21.0
(III) रक्षा	5.3	24.0
(IV) अन्य विभाग	6.6	29.0
	32.2	145.0
(ख) सशस्त्र सेनाएं :	10.4	46.0
II. राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के कर्मचारी	81.2	363.0
III. अन्य जो ऊपर शामिल नहीं किए गए	4.6*	21.0
*अनुमानित	128.4	575.0

(ग) बोनस की अदायगी का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों को बैंक द्वारा वसूल किया जाना

778. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों को हर तीसरे महीने एकत्र कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे ब्याज भी हर तीसरे महीने एकत्र कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) छोटे पैमाने के उद्योगों को बैंकों द्वारा मंजूर किये गये सावधिक ऋणों का ऋणकर्त्ता एकक की आय अर्जन तथा भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित तिमाही, छमाही और वार्षिक सावधि किस्तों में वसूल किया जाता है। नकद ऋण अथवा ओवर ड्राफ्ट आदि के रूप में मंजूर किए गए कार्य चालन पूंजी विषयक ऋण, वापसी की अवधि निर्धारित किए बिना चालू खाते के रूप में रखे जाते हैं।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए वर्तमान निदेशों के अनुसार ब्याज प्रति तिमाही सावधिक ऋण खातों में नामें डाला जाता है। कार्य चालन पूंजी ऋणों पर चालू खाते में ऋण का हिसाब लगाया जाता है और प्रति तिमाही वसूल किया जाता है।

खाद्य तेलों की कीमत में वृद्धि

779. श्री पी० एस० रामलिंगम :

श्री वी० अरूणाचलम :

श्री शरद यादव :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खाद्य तेलों की कीमत फिर से बढ़ गई है जिसका आम आदमी का जीवन निर्वाह लागत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) मूल्य में उपरोक्त वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं कि आम आदमी असामाजिक व्यापारियों की लूट का शिकार न बनता रहे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) जी, हां। खाद्य तेलों के मूल्यों में आमतौर पर बढ़ती का रुख रहा है। इनके मूल्य प्रमुखतः मौसमी कारणों, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में तेलों के मूल्यों में हुई वृद्धि तथा खाद्य तेलों के आयात पर लगाये गये मूल्यानुसार 5% शुल्क के कारण बढ़े हैं। बरसात के देरी से शुरू होने से भी खाद्य तेलों, विशेषकर मूंगफली के तेल के बाजार भावों में तेजी का रुख आ रहा है।

(ग) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली है कि देश में खाद्य तेलों की कोई कमी नहीं होगी। भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास आयातित तेलों की मांग पूरा करने के लिये तैयार स्टाक है और इन तेलों का आयात जारी रखने के लिए अग्रिम में प्रबन्ध किए हैं, ताकि मांग और देश में उपलब्ध इनकी मात्रा के अंतर को पूर्णतः पूरा किया जा सके। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियत उचित मूल्यों पर खाद्य तेलों की सप्लाई करना जारी रखें। वनस्पति एककों की पूरी की पूरी मांग की उन्हें आयातित तेलों की जरूरत के अनुसार मात्रा उपलब्ध कराकर पूर्ति की जा रही है। राज्य व्यापार निगम ने खुले बाजार में खाद्य तेलों को बेचना आरम्भ कर दिया है।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे व्यापार के असामाजिक तत्वों द्वारा जमाखोरी और अन्य कदाचारों को रोकने के लिए विभिन्न नियंत्रण आदेशों को लागू करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों को दुर्लभ बनाया है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किये हैं कि देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़े। इन उपायों के एक अंग के रूप में सरकार ने मूंगफली के लिए 190/- रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन व सूरजमुखी के बीज के लिए 175/- रुपए प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 245/- रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य घोषित किए हैं। इसके अलावा तिलहन की खेती के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिये अनेक उपाय किए जा रहे हैं, ताकि देश को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

भारतीय पर्यटकों के लिए सस्ते होटल

780. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े-बड़े शहरों, जैसे दिल्ली, बम्बई और पर्यटन के दूसरे रमणीक स्थानों में खर्चीले तथा भव्य होटलों के अतिरिक्त मध्यम श्रेणी के भारतीय पर्यटकों के लिए सस्ते लेकिन आरामदायक होटलों अथवा दूसरे प्रकार के आवासों के निर्माण करने के लिए सरकार की क्या नीति है ; और

(ख) उन देखने योग्य स्थलों के नाम क्या हैं जहां वर्तमान समय में मध्यम वर्ग के भारतीय पर्यटकों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं जुटाई गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) पर्यटन नीति में किए गए नवीन पूर्वाभिमुखीकरण का उद्देश्य (निजी क्षेत्र में पहले ही अनुमोदित चार/पांच स्टार श्रेणी होटल परियोजनाओं को छोड़कर) मध्य आय वर्ग के स्वदेशी पर्यटकों और बजट का ध्यान रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लाभ के लिए 3-स्टार श्रेणी होटलों के निर्माण और साथ ही सस्ते होटलों, जैसे यात्री निवास (जनता होटलों), के निर्माण पर जोर देना है। इसके अतिरिक्त, और अधिक युवा होटलों का चालू योजना अवधि में निर्माण करने का भी विचार है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों जो समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धित हैं, के लिये सुविधाओं में सुधार करने/उनका विकास करने के लिए भारतीय आवास विकास समिति नामक एक समिति की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रों पर धर्मशालाओं/सरायों/मुसाफिरखानों/चोल्टरियों से सुधार करने/विस्तार करने/उनका निर्माण करने के लिए अनुदान/ऋण देगी।

मध्य आय वर्ग स्वदेशी पर्यटकों के लिए पिछले पांच वर्षों में व्यवस्थित और चालू योजना अवधि के दौरान प्रस्तावित सस्ते आवास के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

(i) धर्मशाला, जैसलमेर, लुधियाना, मन्त्रालय, पोरबन्दर, रामेश्वरम्, साहिबी नदी, सूरजकुण्ड और वारंगल में **पर्यटक बंगलों** का निर्माण किया गया और दार्जिलिंग में पर्यटक लॉज में और दीग में डाक बंगले में विस्तार किया गया। सेवाग्राम में एक यात्री निवास निर्माणाधीन है।

(ii) भरतपुर, जल्दापारा, काजीरंगा और सासनगीर में **वन लॉज** निर्मित किए गए, डाण्डेली में एक वन लॉज निर्माणाधीन है। कान्हा, कार्बेट, बांदीपुर और सिम्लीपाल वन्य जीव शरण-स्थलों में अतिरिक्त वन लॉजों का निर्माण करने का प्रस्ताव हैं।

(iii) अमृतसर, औरंगाबाद, भोपाल, डलहौजी, दार्जिलिंग, गांधीनगर हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, नैनीताल, पणजी, पंचकूला, पटनीटाप और त्रिवेन्द्रम में **यूथ होटलों** का निर्माण किया गया; पांडिचेरी में युवा होटल शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा और मैसूर में एक युवा होस्टल के चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है। गोहाटी, शिलांग, गंगतोक, बम्बई और पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान द्वीपसमूह) में अतिरिक्त युवा होस्टलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(iv) दिल्ली में 1250 बैड वाला एक यात्री निवास (जनता होटल) निर्माणाधीन है और विभिन्न चरणों में 1981 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है। मद्रास में

एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिए भूमि का चुनाव कर लिया गया है और इसके निर्माण सम्बन्धी योजनाएं तथा डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं ; बम्बई में एक यात्री निवास के निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा सुझाये गए स्थलों पर विचार किया जा रहा है ; कलकत्ता में एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिए एक उपयुक्त स्थल का सुझाव देने के लिये पश्चिम बंगाल की सरकार से अनुरोध किया गया है ।

पायलटों की मांग पूरी करने के लिये उठाये गये कदम

781. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम तथा उसकी सेवाओं को कुछ और शहरों तक बढ़ाये जाने तथा उड़ानों में एयर बसों के शामिल किये जाने पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उड़ानों की वृद्धि तथा एयरबसों सहित अधिक विमानों के सम्मिलित किये जाने के परिणामस्वरूप पायलटों की मांग बढ़ जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो पायलटों सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां । यद्यपि इंडियन एयरलाइन्स के नये नगरों को निकट भविष्य में विमान सेवा से जोड़ने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं, तथापि उनका 1979 के शीतकाल में कोचीन के लिए बोइंग 737 विमान परिचालित करने तथा 1980-81 में गोहाटी, गोवा और श्रीनगर के लिये भी एयरबस सेवाएं परिचालित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स ने अपेक्षित संवर्ग (Cadre) में विमानचालक लेने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही प्रारंभ कर दिये हैं । टलूज़ में एयरबस विमानचालकों के लिये प्रशिक्षण तथा भारत में बोइंग-737 विमानचालकों के लिये प्रशिक्षण का कार्य चालू है ।

सिक्किम में पर्यटक यातायात

782. **श्री छत्र बहादुर क्षेत्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में पर्यटन यातायात में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) क्या सरकार बागडोगरा से गंगटोक तक हवाई सेवायें प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां । सिक्किम सरकार द्वारा एकत्रित किये गये पर्यटक आगमन के आंकड़ों के अनुसार 16,500 स्वदेशी पर्यटकों

और 2,200 अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने 1977-78 में सिक्किम की यात्रा की। 1978-79 में स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़कर क्रमशः 24,000 और 3,200 हो गई जो 30 प्रतिशत वृद्धि की सूचक है।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स गंगटोक में ऐसे किसी परिचालन की कोइ योजना नहीं बना रहा है। तथापि गंगटोक को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संबंध में विचारित थर्ड लेवल सर्विसेज़ में शामिल किया जाएगा।

इंडियन एयरलाइन्स के किराये में वृद्धि

783. श्री रामजी लाल सुमन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में इंडियन एयरलाइन्स के किराये में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) विमानन ईंधन पर बिक्री कर और उत्पादन शुल्क एवं फालतू पुर्जों की लागत, में भारी वृद्धि तथा अवतरण शुल्क, इत्यादि में बढ़ोतरी के कारण इंडियन एयरलाइन्स की किरायों के ढांचे को तर्कसंगत बनाने के अलावा विमान किरायों और माल भाड़े में लगभग 15% की वृद्धि का अनुमान है। मामले की जांच की जा रही है।

आय करदाताओं की सूची में नये व्यक्तियों का सम्मिलित किया जाना

784. श्री के० राम मूर्ति : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा 1977 और उसके बाद आज तक आयकरदाताओं की सूची में कितने नये व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है ;

(ख) भारतीय आयकर प्रेक्टीशनरों द्वारा 1977 और उसके बाद आज तक आय कर-दाताओं की सूची में कितने नये व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है ;

(ग) क्या आयकर प्रैक्टीशनरों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है जिससे वे अधिक संख्या में छोटे करदाताओं को सूची में सम्मिलित कर सकें ; और

(घ) क्या इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स चार्टर्ड एकाउंटेंटों को कोई प्रोत्साहन देता है जिससे वे अधिक संख्या में करदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित कर सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) आयकर विभाग में ऐसे स्रोत सम्बन्धी रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं अथवा उपलब्ध नहीं हैं जिनके आधार पर प्रश्न के इन दो भागों में मांगी गई सूचना इकट्ठी करके भेजी जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा भेजा जाना

785. श्री सी० वेणु गोपाल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीयों से कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा का आना बन्द हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो हमारे भुगतान के संबंध में समस्या किस हद तक गम्भीर होगी ; और

(ग) इस क्षति की प्रति पूर्ति के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) हो सकता है कि गत वर्षों में विदेशों से आने वाली रकमों में जो वृद्धि हुई है, भविष्य में शायद वृद्धि की दर उतनी न रहे।

(ख) यह अनुमान लगाना कठिन है कि भविष्य में बाहर से आने वाली रकमों में होने वाली कमी का हमारे भुगतान शेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह आयतों और निर्यातों के स्तर, विदेशी सहायता के संवितरण आदि जैसी बहुत सी अन्य बातों पर निर्भर करता है।

(ग) देश के समूचे भुगतान शेष की स्थिति की समय-समय पर बड़ी सावधानी से समीक्षा की जाती है और निर्यात में वृद्धि करने तथा बाहर से आने वाली रकमों और अन्य अर्जित विदेशी मुद्रा को देश में लाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं।

हवाई अड्डों पर लाल और हरी बत्ती मार्ग प्रणाली

786. श्री अम्बिका प्रसाद पांडेय : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरी और लाल बत्ती मार्ग प्रणाली हवाई अड्डों पर काफी सफल रही है ;

(ख) उन अतिरिक्त व्यक्तियों की तुलनात्मक संख्या कितनी है जिन्होंने स्वयं अपनी वस्तुओं को घोषित कर दिया है और इस प्रणाली के अधीन अधिक शुल्क का भुगतान कर दिया है ;

(ग) क्या इस प्रणाली की सफलता से प्रोत्साहित होकर सरकार इसमें और छूट देने के पक्ष में है ; और

(घ) विदेशों से लौटने वाले भारतीयों की इस प्रणाली पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की सीमा-शुल्क संबंधी निकासी के लिए दोहरी चैनल प्रणाली, जो 1 जनवरी 1979 से आरम्भ की गई थी, के परिणामतः अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र निकासी हुई है।

(ख) ऐसे यात्रियों की संख्या का, जो अपने शुल्क लगने योग्य माल को घोषित करते हैं, हिसाब-किताब नहीं रखा जाता और इसलिये अपेक्षित तुलना करना संभव नहीं है। फिर भी, यात्रियों के समान पर वसूल किए गए शुल्क के संबंध में आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों से वर्ष 1979 के पहले पांच महींने में शुल्क की मासिक वसूली औसतन लगभग 4.52 करोड़ रुपए है जबकि बर्ष 1978 में मासिक वसूली औसतन 3.53 करोड़ रुपए थी।

(ग) निकासी में इष्टतम छूट और तीव्र गति को पहले ही सुनिश्चित कर लिया गया है और यह कार्यविधि काफी संतोषजनक ढंग से काम कर रही है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की निकासी में हुये सुधारों की काफी सराहना हुई है ।

भेड़ाघाट का सौन्दर्यकरण

787. श्री शरद यादव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेड़ाघाट प्रमुख पर्यटन स्थानों में से एक स्थान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसके विकास तथा सुन्दर बनाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) फिलहाल भेड़ाघाट का विकास राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जा रहा है । भेड़ाघाट के विकास के लिए, राज्य सरकार ने पर्यटन संबंधी अपनी पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 9.00 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है । भेड़ाघाट के विकास के लिए, राज्य सरकार की वार्षिक योजना 1979-80 में 2.50 लाख रुपए की धन-राशि की व्यवस्था की गई है ।

राज्य सरकारों द्वारा अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) लिया जाना

788. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा 31 मार्च, 1979 तक लिए गए अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्टों) के कारण हुए घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1978-79 के बजट में 555 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1979 तक प्रत्येक राज्य सरकार ने कितना अधिविकर्ष किया और क्या केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक को सलाह दी है कि वह राज्यों को अधिविकर्ष करने की सुविधा प्रदान न करे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक ने सरकार की यह सलाह नहीं मानी है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों के अंतिम घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से उनको विशेष मध्यावधि ऋण देने के लिए वर्ष 1978-79 के केन्द्रीय बजट में 555 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1979 को किस भी राज्य सरकार ने कोई भी ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया था ।

राज्यों के ओवर ड्राफ्ट को विनियमित करने की योजना जो भारतीय रिजर्व बैंक और योजना आयोग से परामर्श करके तैयार की गई थी, 1 अक्तूबर 1978 से लागू है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम में गृह निर्माण ऋण संबंधी प्रक्रिया

789. डा० बलदेव प्रकाश : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा केवल उन्हीं व्यक्तियों को गृह निर्माण ऋण देता है जो आयकर देते हैं ;

(ख) यदि हां, को इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार उन बहुत सारे व्यक्तियों को भी जो आयकर नहीं देते हैं, गृह निर्माण ऋण देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहीं है ;

(घ) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की गृह निर्माण ऋण देने संबंधी प्रक्रिया इतनी पैचीदा है कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए उसका लाभ उठा पाना बड़ा ही मुश्किल है ; और

(ङ) क्या उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम की पालिसीधारियों के लिए आवास ऋण योजनाओं में आवेदकों के बीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि कोई आवेदक कितना कर अदा करता है। आवेदन पत्रों को निपटाते समय जिस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाता है, वह यह है कि आवेदक बिना किसी कठिनाई के ऋण चुका सकता है या नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जीवन बीमा निगम के कार्यकरण की जांच के लिए समिति की नियुक्ति

790. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जीवन बीमा निगम के कार्यकरण की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के लिए निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक पेश किए जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या पिछली समितियों द्वारा की गई सभी सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनमें से कितनी अब तक निलम्बित है और उनको कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग) तक : सरकार ने 18 मई, 1979 को राज्य-सभा के सदस्य श्री ईड़ा सेझियन की अध्यक्षता में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यों के सभी प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समीक्षा करने और उसके कार्यों में सुधार करने की दृटि से उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति के विचारणीय विषय ये हैं :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद से जीवन बीमा कार्य की प्रगति की समीक्षा करना, इसके विस्तार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसके विस्तार की क्षमता का मूल्यांकन करना और कारबार के विकास को तेज करने के लिए उपायों का सुझाव देना ;

(ख) क्षेत्रीय कर्मचारियों सहित विभिन्न स्तरों पर निगम के संगठन की जांच करना और ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना जो निगम के कार्यों में अधिक कुशलता लाने तथा किफायत करने में सहायक हों ;

(ग) पालिसी-होल्डरों को प्रदान की जाने वाली सेवा में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(घ) जीवन निधि में से किए जाने वाले निवेश की वर्तमान प्रणाली की जांच करना और ऐसे परिवर्तनों के लिए सुझाव देना जो पूंजी की सुरक्षा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप निवेश से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए जरूरी समझे जायें ; तथा

(ङ) कोई और सिफारिशें करना जो जीवन बीमा कारबार के कारगर प्रबन्ध के लिए अधिक लाभप्रद हों।

(घ) और (ङ) अब तक निम्नलिखित उच्चस्तरीय निकायों ने जीवन बीमा निगम के कार्यों की जांच की है :—

(i) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा), 134वीं रिपोर्ट ;

(ii) सरकारी उपक्रमों विषयक समिति, तीसरी लोक-सभा की चौथी रिपोर्ट ;

(iii) प्रशासनिक सुधार आयोग की दिनांक 9 दिसम्बर, 1968 की जीवन बीमा प्रशासन विषयक रिपोर्ट ; और

(iv) मोरारका समिति के नाम से प्रसिद्ध जीवन बीमा निगम के खर्चों की जांच करने वाली समिति की दिनांक 30 अप्रैल, 1969 की रिपोर्ट।

उपर्युक्त निकायों द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय समय-समय पर संसद में पेश किये जाते रहे हैं और इन्हें कार्यान्वित करने के लिये हर सम्भव उपाय किये जाते हैं।

इस्पात और उर्वरकों पर राज-सहायता

791. श्री अरविन्द बाला पजनौर : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात और उर्वरकों पर दी जाने वाली विद्यमान राज-सहायता बोझिल पाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्वाह-व्यय को प्रभावित किये बिना इस बोझ को कम करने के लिये किन उपायों पर विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) 1979-80 के लिए आर्थिक सहायता की कुल अनुमानित रकम उर्वरकों के सम्बन्ध में 447.9 करोड़ रुपए और इस्पात के सम्बन्ध में 6.4 करोड़ रुपये है। इस्पात सम्बन्धी आर्थिक सहायता राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिये गये ऋणों के ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता का द्योतक है। यद्यपि इस्पात सम्बन्धी आर्थिक सहायता अपेक्षतया बहुत कम है। किन्तु उर्वरकों पर जो आर्थिक सहायता दी गई है वह कृषि उत्पादन में बड़ी तेजी से वृद्धि करने के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए दी गई है।

छठी आयोजना का उद्देश्य यह है कि उर्वरकों का और ज्यादा इस्तेमाल करने की प्रवृति कोबढ़ावा देकर, जिन्हें किसानों को मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया जाए और सघन खेती की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। आर्थिक सहायता के स्तर पर बराबर नजर रखी जाती है और उत्पन्न होने वाली नई स्थिति को देख कर जो परिवर्तन, जिस समय आवश्यक होते हैं, कर दिए जाते हैं।

वर्तमान आय-कर प्रणाली

792. श्री राम अवधेश सिंह : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को आय-कर से शुद्ध राजस्व के रूप में बहुत थोड़ी राशि प्राप्त हो रही है ;

(ख) आय-कर देने वाले वेतन भोगी कर्मचारियों और अधिकारियों तथा उत्पादकों और व्यापारियों से (अलग-अलग) प्राप्त आयकर की राशि कितनी है और राष्ट्रीय राजस्व की तुलना में उनका प्रतिशत क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान आय-कर प्रणाली ही काले धन की समानांतर अर्थ-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और यदि ऐसा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए सरकार का कौन से ठोस उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) पिछले दो वित्तीय वर्षों में आयकर की शुद्ध वसूली (जिसमें निगम कर शामिल हैं) निम्न प्रकार से रही :—

	(करोड़ रुपयों में)
1977-78	2222.77
1978-79	2408.99 (अनन्तिम)

उपर्युक्त आंकड़ों का विवरण, करदाताओं के कारोबार और व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार, उपलब्ध नहीं है।

तथापि, निरीक्षण निदेशालय (गवेषणा संख्यिकी और प्रकाशन) द्वारा प्रकाशित आयकर से सम्बन्धित अखिल भारतीय आंकड़ों में आय के स्रोत के आधार पर जारी की गई मांगों से सम्बन्धित सूचना शामिल है। वर्ष 1976-77 के आयकर से सम्बन्धित अद्यतन अखिल भारतीय आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों में अपेक्षित सूचना जिस सीमा तक उपलब्ध है, वह निम्न प्रकार है :–

(करोड़ रुपयों में)

करदाताओं का स्वरूप	जारी की गई मांग	जारी की गई कुल मांग से प्रतिशत अनुपात
वेतन भोगी कर्मचारी	159.08	12.78
कारोबार तथा व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति	827.58	66.49

(ग) अकेले आयकर की वर्तमान प्रणाली को ही कालेधन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने बताया है कि घाटे की अर्थव्यवस्था, कारोबार में भ्रष्टाचार, नैतिक मानदण्डों का ह्रास और अत्यधिक भारी कराधान जैसे विभिन्न कारण काले धन की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। सरकार कर-कानूनों को अपेक्षाकृत अधिक कारगार ढंग से लागू करके काले धन के प्रचलन को रोकना चाहती है।

दिल्ली क्षेत्र में आय-कर अधिकारियों द्वारा छापे

793. **प्रोफेसर पी० जी० मावलंकर** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979 के पहले छः महीनों में राजधानी दिल्ली क्षेत्र के कई मकानों, फर्मों, एस्टेटों आदि पर सम्बन्धित आयकर अधिकारियों द्वारा छापे डाले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उपर्युक्त स्थानों पर अवैध धन, दस्तावेज, कागजात वस्तुएं आदि पाई गई थीं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) फिलहाल केवल मई 1979 तक ली गई तलाशियों के बारे में ही सूचना उपलब्ध है। आय-कर अधिकारियों ने दिल्ली में दिसम्बर 1978 से मई 1979 तक की छः महीने की अवधि में तलाशियां लीं।

उपर्युक्त तलाशियों में कुल 31.08 लाख रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं।

उपर्युक्त तलाशियों में पकड़ी गई सामग्री पर संगत कर निर्धारण कार्यवाही करते समय सम्यक् विचार किया जायगा।

उपर्युक्त सभी मामलों के तथ्य और ब्यौरे प्रस्तुत करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी मामले विशेष के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों, तो वह सूचना प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मुद्रासफीति की वार्षिक दर

794. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जून, 1979 को मुद्रासफीति की वार्षिक दर 8.7 प्रतिशत थी, यदि हां, तो मूल्यों में आगे वृद्धि को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने गैर-सरकारी क्षेत्र को ऋण देने पर अंकुश लगाने का सुझाव दिया था; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 2 जून, 1979 को समाप्त हुए सप्ताह में थोक कीमतों का सूचक अंक (1970-71-100) एक वर्ष पहले के सूचक अंक के मुकाबले 8.7 प्रतिशत ज्यादा है। कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं; अर्थात् चीनी, तेलहन, खाद्य तेलों तथा दालों जैसी संवेदनशील मूल्यों वाली वस्तुओं के मामले में बैंक ऋण व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। अनिवार्य निक्षेप की 6 जुलाई, 1979 को वाजिब रकम की वापसी अदायगी को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। कारखानों से चीनी जारी करने का कार्य सरकार ने शुरू कर दिया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहली जुलाई, 1979 से विस्तार कर दिया गया है।

फिर भी इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि वर्ष के इस भाग में कीमतों में कुछ वृद्धि हो जाना सामान्य सी बात है क्योंकि यह मौसमी दबावों के कारण होती है जो कि सामान्यतया सितम्बर के मध्य तक कायम रहते हैं।

(ख) योजना आयोग अथवा सरकारी निकायों से जो सुझाव प्राप्त होते हैं, वे आन्तरिक उपोयग के लिए होते हैं। उनको प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषतः मनीपुर से हथकरघा उत्पादों के निर्यात की संभाव्यताएं

795. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषतः मनीपुर और समीपवर्ती आदिवासी क्षेत्रों से हथकरघा उत्पादों के निर्यात की संभाव्यताओं का अध्ययन करेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और किस एजेंसी के माध्यम से ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हथकरघा उत्पादों के अध्ययन और निर्यात के विकास के लिये योजनाएं तैयार की हैं।

मूंगफली के तेल के निर्यात के बारे में नाफेड की भूमिका

796. श्री पी० एन० विश्वनाथन : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूंगफली के तेल के निर्यात के सम्बन्ध में नाफेड ने क्या भूमिका अदा की ;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में नाफेड का कार्यकरण निरुत्साह करने वाला तथा विदेशी मूल्यवान मंडियों को अपने हाथों से खो देने का रहा है ;

(ग) त्रुटियों को उचित समय पर दूर करने देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री : (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) को 12,500 मे० टन मूंगफली के तेल का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी जो उसके पास 1977-78 से बफर स्टाफ में रखा था। राज्य व्यापार निगम की सहायता से नेफेड 11,936 मे० टन मूंगफली का तेल निर्यात कर सका।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सावधि वित्त पोषी संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र को वित्तीय सहायता

797. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक सावधि वित्त पोषी संस्था द्वारा गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र को मार्च, 1979 के अन्त तक ऋण के रूप में अथवा पूंजी निवेश के रूप कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) इस कुल रकम में से एम०आर०टी०पी० व्यापार गृहों को कितनी राशि मिली ;

(ग) मार्च, 1979 के अन्त तक प्रत्येक सावधि वित्त पोषी संस्था द्वारा एम०आर०टी०-पी० गृहों की दी गई कुल सहायता में टाटा और बिरला बन्धुओं का हिस्सा कितना था ; और

(घ) प्रत्येक संस्था द्वारा (क) सरकारी उद्योग क्षेत्र ; और (ख) लघू उद्योग क्षेत्र के लिए कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई और दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (घ) मार्च, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र, एकाधिकारों और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम०आर०टी०पी०) घरानों, टाटाओं तथा बिड़लाओं को स्वीकृत की गई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और इन्हीं संस्थाओं द्वारा सरकारी क्षेत्र को तथा छोटे पैमाने के क्षेत्रों को स्वीकृत की गई तथा वितरित की गई सहायता विवरण में दिखाई गई है।

विवरण

मार्च, 1979 के अंत तक वित्तीय संस्थाओं के द्वारा गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र, एम०आर० टी० पी० गृहों, सरकारी क्षेत्र तथा लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए मंजूर की गई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

संस्थान का नाम	गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र	एम०आर० टी०पी०	टाटाबंधु	बिड़लाबंधु	सरकारी औद्योगिक क्षेत्र		लघु औद्योगिक क्षेत्र
					मंजूरशुदा	बितरित	
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी०बी०आई०)	681.8	390.0	38.0	38.4	196.4	140.4	आई०डी०बी०आई० ने इस क्षेत्र के लिए पुनः वित्तीय सहायता के रूप में तथा बिलों पर रियायत देने के लिए 750 करोड़ रु० की धनराशि मंजूर की है।
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आइ० एफ०सी०आई०)	550.2	224.0	21.6	15.8	69.1	38.7	यह क्षेत्र प्रायः आई०एफ०सी० आई० के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी० आई०सी०आई०)	531.9	232.8	22.6	19.1	10.6	2.5	आई०सी०आई०सी०आई० ने इस क्षेत्र में वितरित करने के लिए 0.6 रुपये की मंजूरी दी है।

पालम हवाई अड्डे पर घिरे यात्री

798. **श्री एम० एस० गोविन्दन नायर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों के दौरान अधिकांश निर्धारित उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या उनमें घंटों विलम्ब हुआ और यात्री पालम हवाई अड्डे पर घिरे रहे ; और

(ख) यदि हां, तो उन उड़ान सेवाओं की प्रतिशतता क्या है जो गत दो महीनों में या तो रद्द कर दी गईं या उनमें विलम्ब हुआ और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में कुछ देरियों तथा विघ्नों के कारण, पिछले दो महीनों के दौरान पालम विमान क्षेत्र पर कई बार यात्रियों को रोका गया था।

(ख) मई तथा जून, 1979 के दौरान, पालम विमान क्षेत्र से होने वाली इण्डियन एयरलाइन्स की 42.11% सेवाएं निम्नलिखित कारणों से देर से की गयीं या रद्द की गयीं :–

(i) यातायात की मात्रा में वृद्धि ;

(ii) एच०एस–748 विमानों का अनिवार्य निरीक्षण जिसके कारण एक एच०एस०–748 विमान को भूमिस्थ करना पड़ा।

(iii) मवेशियों से टकराने के कारण नागपुर में एक बोइंग–737 विमान का क्षतिग्रस्त होना।

झुमरी तलैया के एक बड़े व्यापारी पर जीवन बीमा निगम का ऋण

799. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झुमरी-तलैया के एक बड़े व्यापारी श्री सी० आर० मदानी को जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण की वसूली कर ली गई है ;

(ख) अब तक कितनी राशि की वसूली हुई है ;

(ग) क्या उस बड़े व्यापारी के मकान को अदालती डिग्री के अन्तर्गत ऋण के आंशिक भुगतान के रूप में अधिग्रहित किया गया था ;

(घ) उक्त बड़े व्यापारी को ऋण की दी गई कुल रकम में से कितनी-धनराशि का समायोजन हो चुका है ; और

(ङ) फर्म पर अब ऋण की कितनी रकम बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) अप्रैल/मई 1950 में भूतपूर्व बीमा कम्पनी "एम्पायर आफ इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड" ने (जिसका कारबार सन् 1956 में जीवन बीमा निगम ने अपने हाथ में ले लिया था। श्री छातु राम मदानी को झुमरी तलैया में उनकी सम्पत्ति का हक विलेख कम्पनी के पास जमा कराने पर 2,40,000 रुपए का एक बंधक ऋण दिया था। बंधककर्ता ने जीवन बीमा

निगम के प्रति अपनी देनदारी की अदायगी में चूक की और बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अनुवर्ती ब्याज तथा लागत सहित 3,50,567.15 रुपए की एक प्रारम्भिक डिक्री पास कर दी।

बाद में, बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्पत्ति की बिक्री के लिए पूर्ण डिक्री दे दी गई और 1966 में बन्धक सम्पत्ति की नीलामी कर दी गई और यह सम्पत्ति जीवन बीमा निगम द्वारा 1,30,000 रुपए में खरीद ली गई। बाकी 2,63,608 रुपए की रकम के लिए बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा एक वैयक्तिक डिक्री पास कर दी गई। न्यायालय की अनेक कार्रवाई के बावजूद, जीवन बीमा निगम उक्त सम्पत्ति का कब्जा न ले सका, बाद में, बम्बई उच्च न्यायालय ने नीलामी की पुष्टि और वैयक्तिक डिक्री का आदेश तामील के लिए हजारी बाग के सब-जज को भेज दिया।

जीवन बीमा निगम ने 13 जनवरी, 1978 को इस सम्पत्ति का कब्जा लेने के लिए हजारी बाग न्यायालय में एक नई अर्जी दी थी। न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई कई बार स्थगित कर दी गई और उसके निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा है।

चीन के साथ व्यापार

800. श्री सरत कार :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की औद्योगिक क्षमता बेहतर होने के बावजूद चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोई सम्भावना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) 1976 में चीन के जनवादी गणराज्य के साथ राजदूतों का आदान-प्रदान होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध पुनःस्थापित करने के बारे में भी कदम उठाये गये। तदनुसार, कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने अप्रैल-मई, 1977 में कैन्टन मेले में भाग लिया। इसके बाद कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और साथ ही निजी व्यापार व उद्योग के प्रतिनिधियों ने बाद में हुए कैन्टन मेलों का दौरा किया। चीन के पांच प्रमुख निर्यात/आयात निगमों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नियंत्रण पर फरवरी, 1978 में भारत का दौरा किया। वर्ष 1977-78 के दौरान चीन को हमारे निर्यात 193 लाख रु० के हुए और 1978-79 के पहले छः महीनों के दौरान यह राशि बढ़कर 722 लाख रु० तक पहुंच गई। उसी अवधि के दौरान चीन से आयात क्रमशः 95 लाख रु० तथा 35 लाख रु० के हुए। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे की आवश्यकताओं व क्षमताओं के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता से ऐसी आशा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में और आगे वृद्धि होगी।

एक शैड्यूल्ड बैंक को ठगना

801. श्री के० ए० राजन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 जून, 1979 के ब्लिट्स में ताड़ के तेल के निर्यातकर्ताओं

द्वारा शैड्यूल्ड बैंक से करोड़ों रुपये ठगने के षड़यंत्र के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(क) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आर०वी०डी० ताड़ के तेल की चार खेपें, अर्थात् मैसर्स बजरंग लाल अनिल कुमार, मैसर्स असम रोलर फ्लोर मिल्स, मैसर्स प्रीमीयर वैजिटेबल प्रोडक्ट्स और मैसर्स जागू एक्सपोर्ट्स (प्रा०) लिमिटेड द्वारा आयातित एक-एक खेप, वम्बई सीमा-शुल्क गृह द्वारा आयात व्यापार नियंत्रण की अपेक्षाओं के अधिलंधन में आयात की गई पाई गई थीं। दो मामलों में वैश्य बैंक लि० बम्बई साखा पत्र जारी करने का उद्देश्य कपटपूर्ण प्रतीत हुआ। अन्य दो मामलों में, उसी बैंक द्वारा दी गई प्रतिभूति अवैध प्रतीत हुई। तदनुसार, सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी और सीमा-शुल्क गृह द्वारा जब्ती, जुर्माना और अर्थदण्ड लगाए गए थे।

मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक भी आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश के संगत उपबंधों के अंतर्गत कार्यवाही कर रहा है।

चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्य बैंक लिमिटेड़, बम्बइ के कुछ अधिकारियों की आयात-कर्ताओं और जहाजरानी एजेंटों के साथ साठ-गांठ थी, इसलिए उस बैंक ने अपने दो अधिकारियों को, उक्त मामले में और जांच होने तक, निलम्बित कर दिया है।

दिल्ली की आलीशान कालोनियों में बनाये गये महलनुमा मकानों के संबंध में लगाई गई और कर विवरणियों में दिखाई गई राशि

802. श्री रामविलास पासवान : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की आलीशान कालोनियों में बनाये गये महलनुआ मकानों को बनाने में लगाई गई वास्तविक राशि तथा आयकर और सम्पत्ति-कर विवरणियों में दर्शायी गई राशि में अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो इन मकानों के सही मूल्यांकन करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) आपात स्थिति के दौरान किये गये सर्वेक्षण में जिन मकानों पर खर्च की गई राशि को आयकर विवरणी में दर्शायी गई राशि से अधिक पाया गया था उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इन महलनुमा मकानों, उनके मालिकों तथा किराये से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय के सम्बन्ध में पता लगाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) कुछ मामलों में दिल्ली की आलीशान बस्तियों में निर्मित भवनों में लगायी पूंजी की रकम और आय-कर विवरणियों में दिखाई गई रकम के बीच अन्तर होने का पता चला है।

(ख) जहां-कहीं यह मालूम होता है कि सम्पत्ति में लगायी गई पूंजी की वास्तविक रकम आय-कर विवरणी में दिखाई गई रकम से अधिक है, वहां उसका समुचित मूल्यांकन करने के लिए कर निर्धारण-अधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही की जाती है और एतदनुसार कर निर्धारण किया जाता है।

(ग) तथा (घ) ऐसे मामलों में कर-निर्धारण को फिर से शुरू करने के निमित्त कानून के अधीन अनुमत्य सीमा तक आय-कर अधिनियम की धारा 147 (क) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। कुछ मामलों में कर-निर्धारण/पुनः कर-निर्धारण भी पूरे कर लिए गए हैं।

बोरों के आयात के बारे में भारत और बंगला देश में करार

803. श्री सुधीर घोषाल : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोरों के आयात के बारे में हाल में बंगलादेश और भारत सरकार के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में हुए करार का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1979 में जूट मिलों में हुई हड़ताल तथा पश्चिम बंगाल में लगातार बिजली की कमी के कारण, देश में रबी गेहूँ की प्राप्ति के लिये आवश्यक बोरियों की कमी को पूरा करने के लिये भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० तथा बंगलादेश जूट मिल्स निगम, ढाका के बीच बोरियों की 45,000 गांठों के आयात करने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये।

उपभोक्ता वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए कार्यवाही

804. श्री समर गुह : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी उन उपभोक्तावस्तुओं और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है जिन पर करों में वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उपभोक्ता वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादों की मूल्य वृद्धि रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) जी, हां। कुछ कृषि आधारित वस्तुओं जैसे कि फल और सब्जियों और दूध तथा दूध उत्पादों की कीमतें मौसमी दबावों के कारण बढ़ी हैं। कुछ प्रशासित कीमतों में भी वृद्धि हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर अलोह धातुओं, सीमेंट और लौहा तथा इस्पात की कीमतों में वृद्धि हुई है। मार्च, 1979 में चीनी

की कीमतों में भी वृद्धि हुई, क्योंकि उद्योग ने कारखानों से नियंत्रित चीनी जारी करने का काम शुरू किया। चीनी की कीमतों की वृद्धि के साथ-साथ गुड़ और खाण्डसारी की कीमतों में भी वृद्धि हुई। खाद्य तेलों और रबड़ की कीमतों में भी, आयात की लागतों में वृद्धि होने के कारण, बढ़ौतरी हुई है।

(ग) चीनी, तेलहन, खाद्य तेलों और दालों जैसी संवेदनशील मूल्य वाली वस्तुओं के संबंध में बंक ऋण दिए जाने की व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। एक अध्यादेश जारी करके क्रय शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है, जिसके अनुसार अनिवार्य निक्षेप योजना की 6 जुलाई, 1979 को वापस अदा की जाने वाली किस्तों का भुगतान एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। चीनी को बाजार में जारी करने के कार्य को विनियमित करने की जिम्मेदारी सरकार ने फिर अपने हाथों में ले ली है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पहली जुलाई, 1979 से और वृद्धि कर दी गई है।

गैर-सरकारी मालवाहक विमान कम्पनियों को विमान सेवा चलाने से रोकने का समाचार

805. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी०जी०सी०ए० ने कुछ गैर-सरकारी मालवाहक विमान कम्पनियों को विमान सेवा चलाने से रोक दिया है ;

(ख) ऐसी विमान कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा वे किस मार्ग पर सेवा चला रही थीं तथा वे कितने मूल्य का व्यापार करती थीं ;

(ग) उक्त कम्पनियों ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के लिये कितने मूल्य का व्यापार किया ; और

(घ) देश में इस समय कार्यरत गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा वे कितने मूल्य का व्यापार करती हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) (1) हंस एयर प्राइवेट लि० ;

(2) एयर वर्क्स इंडिया ;

(3) पुष्पक एवियेशन लि० ;

इन कम्पनियों द्वारा किये जा रहे व्यवसाय की सूचना उपलब्ध नहीं है।

मनीला में हुए 'अंकटाड' सम्मेलन से भारत को लाभ

806. डा० रामजी सिंह :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीला में हुए 'अंकटाड' सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर विकासशील देशों को क्या लाभ होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या भारत ने सामान्य कोष में 50 लाख डालर की राशि देने का फैसला किया है; और

(ग) इससे भारत को कितना लाभ होगा और अन्य विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने में यह कितना सहायक होगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अंकटाड-5 की कार्यसूची बहुत व्यापक थी जिसमें वस्तुत: व्यापार तथा विकास के क्षेत्र में विकासशील देशों से संबंधित सभी प्रमुख विषय शामिल थे। सम्मेलन से निकले निष्कर्षों में से विकासशील देशों को होने वाले लाभों पर विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को पुन: बनाने के लिए किए गए प्रयत्नों तथा एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वियन को तीव्र करने के संदर्भ में विचार करना चाहिए। इस दिशा में अंकटाड से प्राप्त सीमित लाभ संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :—

संरक्षणवाद तथा संरचनात्मक समायोजन पर एक संकल्प पारित किया गया जिसमें विकसित देशों ने संरक्षणवाद को शामिल करने के लिए संरचनात्मक समायोजन के महत्व की पुष्टि की और इस पर सहमति हुई कि अंकटाड के व्यापार तथा विकास बोर्ड द्वारा विश्व अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार के पैटर्नों की वार्षिक समीक्षा की जाए। इस पर भी सहमति हुई कि राष्ट्रीय सरकारें अपनी समायोजन नीतियां तथा उपाय क्रियान्वित करते समय उन समीक्षाओं और उनकी सामान्य सिफारिशों को ध्यान में रखेंगी। विकासशील देशों से यह भी कहा गया कि वे विकासशील देशों से होने वाले आयातों के सम्बन्ध में यथावत उपबंधों का सख्ती के साथ पालन करें और यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को, विशेष रूप से विकासशील देशों के निर्यात के सम्बन्ध में, कम करने तथा उन्हें हटाने की दिशा में कार्य करें। इस बात पर भी सहमति हुई कि गाट को एक उचित निकाय के रूप में विकासशील देशों के आयातों के बदले विकसित देशों द्वारा भविष्य की संरक्षणात्मक कार्यवाही के प्रत्येक मामले की जांच करनी चाहिए।

सरकारी विकास सहायता (ओ डी ए) के संबंध में सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया, जिसमें ओ डी ए में वृद्धि करने के लिए नये तथा अतिरिक्त उपायों पर विचार करने और पारित करने के लिए विकसित देश सहमत थे; इस संकल्प में यह भी मांग की गई है कि कार्य-क्रम सहायता और स्थानीय तथा आवर्की लागत वित्तपोषण के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि की जाए ताकि ओ डी ए ऋण तथा अनुदान अत्यधिक संभावित सीमा तक मिल सके जिससे बिना और अधिक विलम्ब के आई डी ए की छठी प्रतिपूर्ति की जा सके और विश्व बैंक के पूंजी आधार में पर्याप्त वार्षिक वृद्धि हो सके।

वस्तुओं के क्षेत्र में सम्मेलन में यह सहमति हुई कि अलग-अलग वस्तुओं तथा प्रमुख वस्तुओं के संसाधन को विकासशील देशों में बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे की स्थापना तथा विकासशील देशों के विपणन तथा वस्तु निर्यातों के क्षेत्र में वर्तमान कार्यक्रम को जारी रखा जाए।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्मेलन में विकासशील दशों की प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कदमों पर सर्वसम्पति व्यक्त की गई तथा इसमें कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट प्रणाली में आगे होने वाले संशोधन में विकासशील देशों के संबंधित मामलों को ध्यान में रखा जाए।

महत्वपूर्ण समुद्रीय देशों ने अंकटाड-5 में वचन दिया कि वे लाइनर सम्मेलन के लिए आचार संहिता पर 1974 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन करेंगे तथा उसे प्रभावी बनायंगे और सम्मेलन में सरकारों से इस संहिता से संबंधित अभिसमय का शीघ्र कार्यान्वियन करने की दिशा में सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया।

सम्मेलन में अल्पतम विकसित देशों के विकास को तीव्र करने के कार्यक्रम तथा भूवेष्ठित विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं और समस्याओं से संबंधित कार्यवाही का एक व्यापक कार्यक्रम भी अनुमोदित किया गया ताकि वे अपनी भौगोलिक और अन्य बाधाओं को दूर कर सकें।

विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग (ई० सी० डी० सी०) पर सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प में कार्य अभिमुख प्रस्तावों को पेश करने की मांग है और अंकटाड द्वारा सहायता पाने वाले विकासशील देशों की बैठकें करने की व्यवस्था है ताकि ई० सी० डी० सी० सम्बन्धी अंकटाड समिति के विशेष सत्र के संदर्भ में, जो अगले वर्ष के आरम्भ में बुलाया जाएगा, विकासशील देशों के बीच व्यापार अधिमानों की विश्व व्यापी प्रणाली की स्थापना, राज्य व्यापार संगठनों के बीच सहयोग और विकासशील देशों के बीच बहुराष्ट्रीय बिपणन उद्यमों की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्य किया जा सके।

तथापि, सम्मेलन में इस क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धि है पारस्परिक आर्थिक सहयोग तथा आत्मनिर्भरता के लिए विकासशील देशों में नई जागरूकता। वाणिज्य मंत्री द्वारा रखे गये 50 प्रतिशत तक की टैरिफ रियायतों के आधार पर विकासशील देशों के बीच टैरिफ सम्बन्धी वार्ताओं के एक नए दौर के विशिष्ट प्रस्ताव से विकासशील देशों के बीच और अधिक सहयोग की भावना ने जन्म लिया। ऐसे सहयोग के क्षेत्र में और बल देने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्री ने मेज़वान देश फिलीपाइन्स के राष्ट्रपति मार्कोस और अन्य विकासशील और विकसित देशों के नेताओं से मनीला में विस्तृत विचार-विमर्श किया। फिलीपाइन्स, भारत व अन्य देशों द्वारा की गई इस पहल के अनुसरण में, विकासशील देशों ने मनीला में 18 देशों की एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया ताकि उनके बीच बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग की रीतियों का निश्चय किया जा सके और कार्यक्रम के कार्यान्वियन को मानीटर किया जा सके। भारत को इस समिति के एक सदस्य के रूप में नामजद किया गया है।

(ख) तथा (ग) मनीला में अंकटाड सम्मेलन के दौरान भारत ने विशेषकर सामान्य निधि की दूसरी विण्डों के लिए, जब यह स्थापित हो जाए, 50 लाख डालर के अंशदान की अपनी मंशा की घोषणा की। निधि की दूसरी विण्डों बफर स्टाक के अलावा वित्तीय उपायों में सहायता करेगी जिसको भारत बहुत महत्व देता है। ऐसी आशा है कि इससे कीमत-स्तरों को, जिनकी बढ़ती हुई प्रवृति है, स्थिर करने में सहायता मिलेगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार में विकासशील देशों की स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी।

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में पदों का सृजन

807. श्री दौलत राम सारण : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1979 को दिए गए बजट भाषण, जिसमें खर्च में कमी करने पर बल दिया गया था, के बाद सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क डिप्टी कलक्टर, उप निदेशक और

अयाकर सहायक आयुक्त के रैंक में तथा उनसे ऊपर के और उनके बराबर के कितने पद बनाए गए हैं; और

(ख) इन पदों को बनाए जाने का औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) प्रश्न में उल्लिखित ग्रेडों में, 28-2-79 के बाद स्वीकृत किये गए पदों की संख्या 4 है।

(ख) समाहर्ता के एक पद का सृजन, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क और अन्य संबद्ध कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए महाराष्ट्र राज्य में स्थापित नये समाहर्तालय के लिए किया गया है। इस समाहर्तालय के लिए भी बाकी कर्मचारी, विद्यमान कर्मचारियों में से पुनः तैनात करके जुटाए गए हैं।

अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति और प्राक्कलन समिति ने सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के लिए प्रकाशन निदेशालय की स्थापना करने की सिफारिश की थी। यह निदेशालय 28-2-79 के बाद स्थापित किया गया और इसके लिए एक निदेशक का और दो उप निदेशक के पद स्वीकृत किये गये हैं।

पूर्वी पाकिस्तान में रह गई सम्पत्ति के लिए अनुग्रह प्रतिपूर्ति

808. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक युद्ध 1965 के बाद पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) में रह गई सम्पत्ति के लिए, जिसे पूर्वी पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार द्वारा दुश्मन की सम्पत्ति मान कर जब्त कर लिया गया था और जिसका निपटान कर दिया गया था, अब तक भारतीय नागरिकों द्वारा अनुग्रह राहत/प्रतिपूर्ति के लिए किए गए दावों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में घोषित नीति के अनुसार, भारत में शत्रु की सम्पत्ति के कस्टोडिअन के कार्यालय द्वारा अनुग्रह राहत के लिए स्वीकृत और निपटाये गये इन दावों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उन बकाया दावों की संख्या कितनी है जो निपटारे के लिए आज तक बकाया हैं और इन बकाया दावों में से कितने दावे एक लाख से ऊपर की राशि के हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1971 से भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों आदि से अनुग्रही योजना के अन्तर्गत भुगतान के लिए पंजीकृत किए दावों के मामलों की कुल संख्या 57464 है।

(ख) कुल दावों के मामलों की संख्या जिनके सम्बन्ध में अनुग्रही अनूदान का भुगतान कर दिया गया है 5561 है।

(ग) सत्यापन के लिए पड़े दावों के मामलों की संख्या 26475 है। यह अनुमान लगाया गया है कि इन दावों के मामलों में से लगभग 50 प्रतिशत दावे एक लाख रु० से अधिक के हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुचित संचालन के लिए केन्द्रीय ऋण

809. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों के मंत्रियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुचित संचालय के लिए पर्याप्त केन्द्रीय ऋण की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सब्जियों के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध

810. श्री बी० जी० हांडे : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने सब्जियों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने और इस प्रयोजन के लिए कोटा देने के बारे में भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिबन्ध हटा दिया गया है और कोटा दे दिया गया है जैसा कि राज्य सरकार ने निवेदन किया था ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा निर्यात के लिए प्रतिमाह 300 मे० टन का कोटा इस शर्त पर रिलीज किया गया है कि निर्यात, राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

प्रतिपूर्ति लाइसेंस के अन्तर्गत निःशुल्क आयात की योजना आरम्भ करना

811. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार प्रतिपूर्ति लाइसेंस के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं का निःशुल्क आयात करने की एक योजना आरम्भ कर रही हैं; और

(ख) वे वस्तुएं क्या हैं और इस उपाय का सारे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) चुनिन्दा आधार पर आर० ई० पी० लाइसेंसों के बदले शुल्क मुफ्त आयातों की अनुमति देने के संबंध में कतिपय सुझाव मिले हैं। उन पर विचार किया जा रहा है।

आर० बी० डी० ताड़ के तेल के आयात के लिए लाइसेंस देना

812. श्री के० लकप्पा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आर० बी० डी० ताड़ के तेल के आयात के लिए

वर्ष 1977-78 के दौरान अनेक व्यापारियों को लाइसेंस दिए थे ; और यदि हां, तो उन आयातकों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की सूचना मिली है कि इन आयातकों ने लाइसेंसों का दुरुपयोग किया है और आयातित माल को काले बाजार में बेचा है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं ; और

(ग) ऐसे तथाकथित आयातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दार्जिलिंग चाय बागानों की हालत के बारे में जांच

813. श्री चित्त बसु : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री सरकार द्वारा दार्जिलिंग चाय बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने से सम्बन्धित 30 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5577 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बढ़ती हुई रुग्णता की रिपोर्ट के कारण दार्जिलिंग चाय बागानों की हालत के बारे में जांच करना आवश्यक समझती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) 30 मार्च, 1979 के बाद दार्जिलिंग क्षेत्र के एक और चाय बागान का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया गया है। एक व्यावसायिक परामर्शदात्री फर्म को दार्जिलिंग में चाय उद्योग का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए पहले ही कहा जा चुका है। परामर्शदात्री फर्म से तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

विदेशों में भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे होटल

814. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे होटलों का देश-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके द्वारा प्रति वर्ष अर्जित की जा रही विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत सरकार विदेशों में नए होटलों के निर्माण की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें ऐसी भारतीय कम्पनियों के नाम दर्शाये गए हैं जिन्होंने विदेशों में विदेशी होटल कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग प्रबन्ध किए हैं और जिसमें प्रत्येक मामले में विदेशी मुद्रा में परिश्रमिक भी दिखाया गया है।

(ग) फिलहाल नहीं।

विवरण

क्रम सं०	भारतीय पार्टी का नाम	विदेशी पार्टी जिसके साथ तकनीकी सहयोग करार किया गया	अनुमोदन की तारीख	भारतीय पार्टी को भुगतान करने की शर्तें
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स ईस्ट इन्डिया होटल, दिल्ली	होटेली ब्ववाणी जंजीबार	12-2-1975	i) होटल के सकल परिचालन लाभ का 15% मुफ्त विदेशी मुद्रा में। ii) ईस्ट इण्डिया होटल्स द्वारा लागत, प्रभार पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति iii) 10 वर्ष की अवधि के लिए करार।
2.	मैसर्स ईस्ट इण्डिया होटल्स, दिल्ली	अहमद मजीद अलगुरैर आफ दुबई	22-7-1976	i) होटल के शुद्ध संचालन लाभों के 15% की तकनीकी जानकारी संबंधी फीस की प्राप्ति। ii) करार के पंजीकरण के लिए कानूनी और संवर्धनात्मक खर्च के वास्ते भारतीय कम्पनी को अधिक से अधिक 30,000 रुपए की विदेशी मुद्रा रिलीज करना। तीन वर्ष के भीतर-भीतर राशि विदेशी मुद्रा में भारत को लौटानी होगी। iii) होटल खोलने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिये करार।

1	2	3	4	5	6
3.	मैसर्स श्रोबराय होटल (इण्डिया) प्रा० लि०, दिल्ली	सिविल वर्क्स कम्पनी (श्रब्दुल्लाह फाउड एंड एसोसिएट्स), दम्माम, साऊदी अरेबिया		23-8-1976	i) होटल के शुद्ध परिचालन लाभों के 18% की होटल संचालन फीस की प्राप्ति । ii) 10 वर्ष की श्रवधि के लिए करार । iii) भारतीय कार्मिकों के यात्रा तथा अन्य खर्चे साऊदी अरेबियन कम्पनी द्वारा वहन किए जाएंगे ।
4,	मैसर्स श्रोबराय होटल (इण्डिया) प्रा० लि०, दिल्ली	मैसर्स एशियन होटल्स कार्पोरेशन लिमि० श्रीलंका		28-8-1976	i) होटल के सकल परिचालन लाभों के $12\frac{1}{2}\%$ की प्रबन्ध फीस की प्राप्ति । ii) होटल के निर्माण काल के दौरान भारतीय पार्टी को देय 84,000 डालर की तकनीकी सहायता फीस । iii) श्रीलंका में प्रतिनियुक्त भारतीय स्टाफ पर खर्च की प्रतिपूर्ति का भुगतान । iv) 20 वर्ष के लिए करार ।
5.	इण्डियन होटल्स कम्पनी लिमि० बम्बई	विदेश मन्त्रालय, श्रोमन के सुल्तान की सरकार		18-11-1976	क्रमबद्ध मान के श्रनुसार फीस, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

				प्रति मास	55% से ऊपर आकूपेन्सी (अतिरिक्त)
				वर्ष एक 7,000 आर० ओ	500 आर० ओ
				वर्ष दो 8,500 आर० ओ	1,000 आर० ओ
				वर्ष तीन 10,000 आर० ओ	1,000 आर० ओ
				वर्ष चार 11,500 आर० ओ	1,000 आर० ओ
				वर्ष पांच 13,225 आर० ओ	1,000 आर० ओ
				वर्ष छः 15,200 आर० ओ	1,000 आर० ओ
				वर्ष सात 17,480 आर० ओ	1,000 आर० ओ
6.	मैसर्स ओबराय होटल्स इण्डिया प्रा० लिमि० दिल्ली	मैसर्स सिविल वर्क्स कंपनी (अब्दुल्लाह फाउड इन दम्माम एण्ड पार्टनर, रियाध (साऊदी अरेबिया)	2-5-1977	शुद्ध परिचालन लाभों के 18% की तकनीकी सहायता फीस	
7.	मैसर्स ओबराय होटल्स इन्डिया प्रा० लि०, दिल्ली	मैसर्स मूरिया लैगून होटल, मूरिया तहिटी फैंच पोलीनेशिया	22-6-1977	i) 150 यू० एस० डालर प्रति वर्ष प्रति गेस्ट रूम की संवर्धनात्मक सेवा फीस ii) 10 वर्षों के लिए करार।	
8.	मैसर्स ओबराय होटल्स इण्डिया प्रा० लि०, दिल्ली	मैसर्स पी०टी० विदजा पत्रा, पारियावली, इन्डोनेशिया	16-2-1978	i) विज्ञापन और संवर्धनात्मक सेवाओं के लिए 9,300 यू० एस० डालर प्रति वर्ष। ii) 10 वर्ष के लिए करार।	

विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयोग

815. श्री पी० कानन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष पहले के मुकाबले में आज विदेशी मुद्रा भण्डार कितना है ;

(ग) क्या देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयोग करने के बारे में कोई कारगर नीति बनाई गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 6 जुलाई 1979 को भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि की राशि (सोने और एस० डी० आर० को छोड़ कर) 5463.70 करोड़ रुपए थी, जबकि 6 जुलाई 1978 को यह राशि 4533.37 करोड़ रुपये थी।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने विदेशी मुद्रा भण्डार का लाभप्रद ढंग से उपयोग करने के लिये पिछले कुछ महीनों में अनेक उपाय किये हैं ताकि अर्थव्यवस्था के विकास की दर को बढ़ाया जा सके और मूल्यों में उचित स्थिरता कायम रखी जा सके। ये उपाय हैं :—

(i) आयात नीति को धीरे-धीरे उदार बनाया गया है और सम्बन्धित प्रक्रियाओं को भी सरल बना दिया गया है ताकि वर्तमान औद्योगिक क्षमता के उपयोग में सुधार किया जा सके, और नई औद्योगिक क्षमता स्थापित की जा सके लेकिन ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि देश के उद्योगों को इस नीति से किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। वास्तविक उपयोक्ता (जो लाइसेंस धारियों का एक मुख्य वर्ग है) अब प्रतिबंधित और निषिद्ध मदों को छोड़ कर उदार सीमाओं के अन्तर्गत औद्योगिक कच्चे माल, संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों का आयात करने के लाइसेंसों के स्वतः हकदार हैं। खुले सामान्य लाइसेंस की सूची में काफी मदें जोड़ दी गई हैं तथा इसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ चमड़े का सामान बनाने की मशीनें, कपड़े सीने और होजरी की मशीनें और बड़ी संख्या में मशीनी औजार शामिल कर दिये गये हैं। परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के काम में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त 13 विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए पूंजीगत माल और मशीनों का विश्वव्यापी आधार पर आयात करने की व्यवस्था की गई है। आयात करने वाले अभिकरणों को उदार पैमाने पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि वे उनके माध्यम से आयात की जाने वालो मदों का आयात करके अपने ग्राहकों की जरूरतें पूरी कर सकें।

(ii) आयोजना परिव्यय में वृद्धि और मांग में सामान्य वृद्धि होने के परिणामस्वरूप इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, उर्वरकों के कच्चे माल, अलौह धातुओं आदि जैसी वस्तुओं की आवश्यकताओं में बढ़ौतरी हो गई है। देश में इन वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए विदेशी मुद्रा भण्डार का उदारतापूर्वक उपयोग किया गया हैं और इससे विकास की गति बनाये रखने में सहायता मिली है।

(iii) एक विशेष सुविधा की भी स्थापना की गई है ताकि पूंजीगत माल का आयात करने के इच्छुक व्यक्ति उचित शर्तों पर रुपयों में धन प्राप्त कर सकें जिससे वे अपेक्षित विदेशी मुद्रा खरीद सकें।

(iv) आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने के लिए मूल्यों का स्थिर बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार खाद्य तेलों जैसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का, जिनकी देश में कमी है, बराबर आयात कर रही है।

पिछले वर्षों की तुलना में 1978-79 में आयातों में जो इतनी अधिक वृद्धि की गई, वह इस दिशा में सरकार द्वारा किए गये उपायों के प्रभाव की द्योतक है।

निर्यात सामर्थ्य

816. श्री के० मायातेवर : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था की विकास सम्बन्धी जरूरतों के अनुकूल निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और किन-किन क्षेत्रों में गिरावट आई है ; और

(ग) पूर्ण निर्यात सामर्थ्य के संवर्धन तथा विकास के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) अद्यतन अनन्तिम प्राक्कलन के अनुसार, अप्रैल 1978 से मार्च 1979 के दौरान भारत के निर्यात 5645.39 करोड़ रु० मूल्य के रहे, इस प्रकार इनमें 1977-78 की उसी अवधि के अनन्तिम प्राक्कलन की तुलना में 6.1 प्रतिशत तथा 1977-78 के निर्यातों के संशोधित आंकड़ों की तुलना में लगभग 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2. विगत कुछ वर्षों के निर्यातों, आयातों तथा व्यापार शेष की प्रवृत्ति निम्नोक्त प्रकार रही :–

वर्ष	आयात	पुनर्निर्यातों सहित निर्यात	(करोड़ रु०) व्यापार शेष
1973-74*	2955.37	2523.40	(–) 431.97
1974-75*	4518.78	3328.83	(–) 1189.95
1975-76*	5264.78	4036.26	(–) 1228.52
1976-77*	5073.95	5145.78	(+) 71.83
1977-78*	6025.29	5404.26	(–) 621.03
1978-79**	6762.61	5645.39	(–) 1117.22

*संशोधित　　**अनन्तिम

3. हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, और उत्पादन आधार को सुदृढ़ करने के लिए तथा नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए पूंजीगत माल, ऊर्जा की कई मदों तथा अन्तर्निविष्ट साधनों जैसे उर्वरक, अलौह धातुओं, इस्पात आदि के भारी मात्रा में आयात करने की आवश्यकता है। कीमत स्थिर रखने के उद्देश्य के लिए आयात अधिशेष बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में योजनावधि के सम्बन्ध में कुल 8823 करोड़ रु० का प्रतिकूल व्यापार शेष दिखाया गया है। हाल ही में पैट्रोलियम की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि से यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे एक वर्ष में पैट्रोलियम के आयातों की लागत में लगभग 1200 करोड़ रु० की वृद्धि हो जाएगी। इन परिस्थितियों में सरकार का यह प्रयास है कि निर्यातों में वृद्धि करने तथा आयातों को नियन्त्रित करके व्यापार घाटे को कम किया जाए।

4. 1977-78 से निर्यात में कमी आने के मुख्य कारण ये हैं : (क) विकसित देशों में चल रही मंदी की दशाएं, (ख) उनके द्वारा अपनाए गए संरक्षणात्मत उपाय, (ग) 1978-79 के दौरान चाय, काफी, काली मिर्च, चीनी, खली तथा लौह अयस्क जैसी निर्यात मदों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट, (घ) डालर के रुपया मूल्य में गिरावट तथा (ङ) निर्यात योग्य अधिशेषों में कमी जो, विभिन्न कारणों से आई, यथा बिजली की कमी, श्रमिक अशान्ति, परिवहन सम्बन्धी रुकावटें, पतन पर भीड़भाड़, लोहे तथा इस्पात, सीमेंट, वस्त्र जैसी मदों के सम्बन्ध में घरेलू मांग में वृद्धि, बहुत से राज्यों में अभूतपूर्व बाढ़ों का आना, आयातित कच्चे काजू की उपलब्धता में कमी, घरेलू सप्लाइयां प्राप्त करने में कठिनाइयां तथा समुचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कतिपय वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार की सुविचारित नीति और इस प्रकार इससे निर्यातों की सामाजिक लागत में कमी आना।

5. नई निर्यात नीति में जिस बात पर मुख्य जोर दिया गया है और कठिनाइयों पर काबू पाने तथा राष्ट्रीय विकास नीति के अनुरूप वैज्ञानिक आधार पर निर्यात व्यापार की पुन: संरचना करने के लिये किये गये उपाय में हैं : (क) सरलीकृत तथा विकेन्द्रीकृत आयात नीति के जरिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की उपलब्धता को सुकर बना कर निर्यात उत्पादन आधार को सुदृढ़ करना, (ख) उत्पादन में रुकावट डालने वाली बाधाओं को दूर करके औद्योगिक तथा कृषि दोनों क्षेत्रों से चुनी हुई मदों के लिये उत्पादन आधार को बढ़ाना तथा वार्षिक पंचवर्षीय योजना में धन के आबंटन के मामले में उनके लिये प्राथमिकताएं सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करना, (ग) निर्यात प्रयास में राज्य सरकारों को पूरी तरह से लगाना, (घ) टास्क फोर्स द्वारा गहराई के साथ किये गये अध्ययनों के आधार पर सक्रिय निर्यात क्षेत्रों का पता लगाना तथा समस्याओं से निपटेना, (ङ) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के संगठनों, राज्य व्यापार निगम तथा खनिज व धातु व्यापार निगम जैसे निर्यात संगठनों, विदेश स्थित भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तू बोर्डों को शक्ति प्रदान करना ताकि वे निर्यात क्षेत्र में विशेष रूप से लघु क्षेत्र तथा कुटीर उद्योगों/क्षेत्रों में और अधिक सक्रिय तथा संवर्धनात्मक भूमिका अदा कर सकें, (च) प्राथमिक स्वरूप की अपेक्षा मूल्य वर्धित स्वरूप में मदों के निर्यात को बढ़ाना और निर्यात उत्पादों तथा साथ ही निर्यात बाजारों में विविधीकरण लाना, (छ) सुव्यवस्थित तथा सुस्थिर आधार पर चुनी हुई निर्यात मदों को आवश्यक नकद प्रतिपूर्ति समर्थन देना, तथा (ज) अंकटाड तथा गाट जैसे बहुराष्ट्रीय मंचों पर तथा द्विपक्षीय

वार्ताओं के जरिए भारत तथा अन्य विकासशील देशों के लिये बेहतर व्यापार वातावरण सुनिश्चित करने के लिये लगातार प्रयास करना।

6. वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक के पास केवल सितम्बर 1978 तक के ब्यौरेवार निर्यात आंकड़े उपलब्ध हैं। तथापि, और नवीन अनन्तिम आंकड़े निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों के पास उपलब्ध हैं। बाद वाले आंकड़े विवरण दिए गए हैं। विवरण से यह देखा जा सकता है कि 1978-79 के दौरान परिधान, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं, रत्न तथा आभूषण, इंजीनियरी माल, चीनी तथा समुद्री उत्पादों के निर्यातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। यह उत्साहवर्धक है, क्योंकि उत्पाद श्रम प्रधान हैं और निर्यात अधिक विकास-संभाव्यता वाले हैं। दूसरी ओर चाय, काफी, काजू, थान के सूती कपड़े, पटसन निर्मित वस्तुओं आदि के निर्यातों में काफी गिरावट आई है। उनके निर्यातों में गिरावट के कारण ऊपर पैराग्राफ 4 में बताए हैं। इन उत्पादों की मांग और सप्लाई में सुधार की वजह ले 1979-80 के दौरान चाय तथा पटसन निर्मित वस्तुओं के निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है।

7. निर्यातों को प्रभावित करने वाली पहले बताई गई कठिनाइयां अभी भी बनी हुई हैं। उत्पादन में सतत विकास के लिये आधारभूत अन्तर्निविष्ट साधनों और अस्वथापना सम्बन्धी सुविधाओं जैसे पावर, कोयला इस्पात, बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाएं, यातायात आदि की कमी के कारण जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, उनको दूर करना होगा। पैट्रोलियम की कीमतों में तीव्र वृद्धि, मुद्रा प्रसार में वृद्धि आदि के परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा स्फीति का भी हमारी प्रतियोगी शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन कारकों से, जोकि अर्थ-व्यवस्था के समग्र विकास को नियंत्रित करते हैं, स्वभावतः निर्यात विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातों को वढ़ाने के लिये अपनाए गये उपायों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में समय लगेगा। कठिनाइयों के बावजूद, ऐसी संभावना है कि हमारी निर्यात वृद्धि में तेजी आएगी। अप्रैल तथा मई 1979 के दौरान निर्यात सम्बन्धी अद्यतन उपलब्ध आंकड़े इस दृष्टिकोण से उत्साहवर्धक हैं हालांकि इनमें बहुत थोड़ी अवधि आती है। आंकड़ों के अनुसार, 1979-80 के पहले दो महीनों के दौरान निर्यात अनन्तिम रूप से 940.70 रु० के रखे गये हैं जबकि 1978 की उसी अवधि के अनन्तिम आंकड़े 724.86 करोड़ रु० तथा संशोधित आंकड़े 859.94 करोड़ रु० थे।

विवरण

भारत की प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों से प्राप्त अस्थायी आंकड़े
1977-78 तथा 1978-79

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	वस्तुएं	अवधि	1977-78	1978-79	वृद्धि/गिरावट
1	2	3	4	5	6
क० वृद्धि दर्शाने वाली मदें					
1.	इंजीनियरी माल	अप्रैल-मार्च	629.0	685.0	+ 9.8
2.	रत्न तथा आभूषण	अप्रैल-मार्च	559.6	725.0	+29.6

1	2	3	4	5	6
3.	हस्तशिल्प की अन्य वस्तुएं	अप्रैल-जनवरी	153.30	162.54	+ 6.0
4.	मैंगनीज अयस्क	अप्रैल-मार्च	13.1	16.4	+25.2
5.	खेलकूद का सामान	अप्रैल-फरवरी	12.8	17.1	+33.6
6.	मानव निर्मित वस्त्र	अप्रैल-मार्च	32.32	41.78	+29.3
7.	चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं	अप्रैल-मार्च	**257.90**	**330.4**	**+28.1**
	(क) ई० आई विधि से कमाई गई चमड़ियां य खालें	"	70.4	67.9	-3.6
	(ख) क्रोम विधि से कमाई चई	"	50.3	39.3	-21.9
	(ग) तैयार चमड़ा	"	98.8	181.3	+83.5
	(घ) चमड़े की वस्तुएं	"	10.3	14.6	+41.7
8.	प्राकृतिक रेशम की वस्तुएं	अप्रैल-मार्च	31.60	40.12	+26.97
9.	**सूती परिधान**	**अप्रैल-जनवरी**	**171.62**	**256.97**	**+49.7**
	(क) मिलों में बना	"	101.78	141.74	+39.3
	(ख) हाथ से बना	"	69.84	115.23	+65.0
10.	चांदी	अप्रैल-मार्च	83.3	126.0	+51.8
11.	समुद्री उत्पाद	"	180.95	234.62	+29.7
12.	इलायची	"	48.6	59.8	+23.0
13.	चीनी	"	18.0	126.0	+600.0
14.	अरण्डी का तेल	"	20.9	30.5	+45.9
15.	प्लास्टिक तथा लिनोलियम	"	27.3	33.0	+20.9
16.	लौह अयस्क (एम०एम०टी०सी)	"	162.5	163.8	+ 0.8
17.	चावल की तेल रहित भूसी		14.8	14.9	+40.7
18.	छिलका रहित बिनौला एक्सपैत्रर/ऐट्रक्शंस		23.86	25.78	+ 5.96
19.	लाख	"	6.34	8.37	+32.02
20.	चाय	"	563.7	328.6	- 41.7
21.	काफी	"	190.69	154.6	- 18.8
22.	बेसिक रसायन, भेषज व प्रसाधन सामग्री	"	160.5	140.7	- 12.3
23.	रसायन तथा सह उत्पाद	"	157.9	144.5	- 8.5

1	2	3	4	5	6
24.	अनिर्मित तम्बाकू	अप्रैल-मार्च	110.6	107.7	− 2.6
25.	काजू गिरी	”	147.6	88.02	− 45.8
26.	पटसन उत्पाद	”	244.1	155.5	− 36.2
27.	**सूती कपड़े के थान**				
	(क) मिल में बने	अप्रैल-जनवरी	117.76	120.03	+ 1.9
	(ख) सथकरघा	अप्रैल-मार्च	81.59	54.60	− 33.1
28.	सूती यार्न	”	22.34	13.05	− 41.6
29.	हौजरी	”	15.50	8.87	− 42.8
30.	**तैयार कपड़े**				
	(क) मिल में बने	अप्रैल-जनवरी	35.83	28.09	− 21.6
	(ख) हथकरघा	अप्रैल-मार्च	34.54	26.54	− 23.2
31.	ऊन और ऊनी कपड़े गलीचों को छोड़कर	अप्रैल-जनवरी	37.20	27.59	− 25.8
32.	काली मिर्च	अप्रैल-मार्च	50.1	28.1	− 43.9
33.	कोयला	”	12.5	5.3	− 57.9
34.	लोहा और इस्पात	अप्रैल-मार्च	238.67	156.78	− 34.3

मद्रास हवाई अड्डे पर जमा प्रेषित माल की निकासी

817. डा० पी० वी० पेरियासामी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह यह सच है कि आज की तारीख तक मद्रास हवाई अड्डे पर करीब 600 टन वस्त्रों तथा चमड़े की खेपें पड़ी हुई हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप, विदेशों से आर्डर रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि उन्हें माल नियत समय पर नहीं मिल पाता है ; और

(ख) यदि हां, तो वस्त्रों तथा चमड़े की वस्तुओं की जमा पड़ी खेपों की निकासी के लिये मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 10 जुलाई, 1979 को मद्रास विमान क्षेत्र पर वास्तविक बकाया माल 205 टन था। मद्रास विमान क्षेत्र पर बकाया पड़े सामान के परिणामस्वरूप सरकार को आदेशों के रद्द करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) एयर इंडिया सहित विभिन्न एयरलाइनों को बकाया पड़े सामान को तेजी से क्लीयर करने के लिए अतिरिक्त चार्टर उड़ानें परिचालित करने की अनुमति दी जा रही है।

अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के विदेशियों द्वारा भारत में संपत्ति की घोषणा के लिए समय-सीमा

818. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के विदेशियों द्वारा भारत में 1 जनवरी, 1974 तथा 31 मई, 1979 के बीच अर्जित की गई सम्पत्ति की घोषणा के लिए समय-सीमा भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा 31 दिसम्बर, 1979 तक बढ़ा दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कुछ उपबन्धों से उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ग) क्या पंजाब से बड़ी तादाद में विदेश गये उन अनिवासी भारतीयों को, जो भारत में अपने आश्रितों को अपनी आय भेजते रहे हैं, अपनी आय के निपटान और भारत में बैंकों में अपने नानरेजीडेण्ट खातों को चलाने में कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्णय क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के विदेशियों के प्रतिनिधियों तथा संघों से सरकार को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ; जिनमें और बातों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 9 के, जो अदायगियों को विनियमित करती है, कारण पैदा होने वाली कठिनाइयां भी गिनाई गई थीं। एक कार्यकारी दल ने अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के विदेशियों द्वारा उनकी आय के निपटान और अनिवासी खातों के संचालन के सम्बन्ध में उठाई जाने वाली कठिनाइयों की जांच की थी और इस सम्बन्ध में सरकार ने ये निर्णय लिए हैं :—

(i) अनिवासी भारतीयों की ओर से कार्य कर रहे निवासी भारतीयों को अनिवासी भारतीयों की सम्पति से मिलने वाले किराये को प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है ; बशर्ते कि ऐसी रकम प्राप्त करने की तारीख से दो महीने के अन्दर-अन्दर वह रकम भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर के पास अनिवासी के खाते में जमा करवा दी जाये।

(ii) अनिवासी भारतीय अपनी सम्पत्ति के किराये को जमा करवाने क उद्देश्य से निवासी भारतीय के साथ संयुक्त खाता खोल सकते हैं, बशर्ते कि निवासी भारतीय पहले स्तर का सम्बन्धी हो। कोई निवासी भारतीय अनिवासी भारतीय के खाते से रकम निकालने और जमा करवाने का काम भी कर सकता है, बशर्ते कि उसे अनिवासी भारतीय खाताधारी से मुख्तारनामा प्राप्त हो और खाता रखने का यह कार्य अनिवासी सामान्य खातों के संचालन से सम्बन्धित मौजूदा विनियमों के अनुसार हो।

(iii) अनिवासियों की किसी भी किस्म की सम्पत्ति के किराये की रकम अब मुक्त रूप से जमा करवाई जा सकती है और अनिवासी सामान्य खाते में पहली रकम जमा करवाने अथवा कियायेदारी में किसी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध के में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी नहीं है।

एयर इन्डिया के विमानों में "जम्बो जेट" का जोड़ा जाना

819. श्री डी० अमात :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान एयर इन्डिया को चार और जम्बो जेट विमान देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इण्डिया ने 1-1-1978 की दुर्घटना में नष्ट हुए विमान के बदले 41.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक बी०–747 विमान की खरीद के लिए बोइंग कम्पनी, यू०एस०ए०, को आदेश दे दिये हैं तथा इसके अतिरिक्त 148.4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा और 10.50 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा की कुल अनुमानित परियोजना लागत से तीन बी०–747 विमान खरीदने के लिए भी बोइंग कम्पनी को आदेश दे दिए हैं। इन विमानों में से एक की डिलीवरी अगस्त, 1979 में, दूसरे की दिसम्बर, 1979 में, तथा शेष दो की मार्च, 1980 में होनी है।

भारत-पाक सीमा पर सोने तथा घड़ियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगाना

820. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान भारत-पाक सीमा के पार जिस गिरोह ने लगभग दस करोड़ की कीमत के सोने तथा घड़ियों की कथित तस्करी की थी उसका पता लगा लिया गया है जैसा कि 12 जून, 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, भारत-पाक सीमा के आर-पार सोने और घड़ियों की तस्करी में लगे तस्करों के एक बड़े गिरोह का राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने सफाया कर दिया है। 31-12-78 को इस गिरोह के मुखिया पाल सिंह उर्फ पाला को लगभग 10 लाख रुपये मूल्य की घड़ियों, सांप की खालों आदि जैसी निषिद्ध वस्तुओं सहित दिल्ली में पकड़ा गया। अनुवर्ती कार्यवाही में, इस गिरोह के एक और प्रमुख सदस्य श्री कशमीरा सिंह को 11.5 लाख रु० की भारतीय मुद्रा सहित जो निषिद्ध माल की बिक्री से प्राप्त हुई मालूम होती है, बच कर पाकिस्तान भागने का प्रयास करते समय अमृतसर में गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में, 12 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें से श्री पालसिंह और श्री कशमीरा सिंह को मिलाकर 4 व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबंद किया गया है।

स्वर्ण, घड़ियों, सिंथेटिक वस्त्रों और बिजली के सामान का पकड़ा जाना

821. श्री एस० आर० रेड्डी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 5 वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का सोना, घड़ियां, सिंथेटिक वस्त्र तथा बिजली का सामान पकड़ा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : गत पांच वर्षों में पकड़े गये सोने की मात्रा/मूल्य और अन्य वस्तुओं अर्थात् घड़ियां, संश्लिष्ट वस्त्रों आदि का मूल्य संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है ।

विवरण

वर्ष	सोना मात्रा, कि०ग्रा० में	मूल्य रु० में	घड़ियां	संश्लिष्ट वस्त्र	अन्य	जोड़
					(मूल्य, लाख रु० में)	
1975	414	222	391	1299	2617	4529
1976	173	83	300	662	2557	3602
1977	267	162	168	957	1707	2994
1978	220	153	371	1018	1552	3094
1979 (मई तक)	46*	50*	153*	406*	719*	1328*

* आंकड़े अनन्तिम हैं ।

दिल्ली में निर्यात की बड़ी-बड़ी संस्थाओं पर छापे

822. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 3 और 4 जून, 1979 के बीच की राशि को निर्यातकर्ता बड़ी संस्थाओं पर छापे मारे गए और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की अनियमितता पकड़ी गई ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और उन संस्थाओं के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय श्री पी० एन० बालसुब्रह्मण्यम् और उनके व्यापारिक सहयोगियों के परिसरों की 4 जून, 1979 की ली गयी तलाशी के सम्बन्ध में 5 जून, 1979 को प्रेस में छपे यू०एन०आई० के समाचार से है ।

श्री पी० एन० बालसुब्रह्मण्यम् द्वारा आय पर करों के अपवंचन और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त कुछ विश्वसनीय सूचना के आधार पर आय-कर और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 4 जून, 1979 को, श्री बालसुब्रह्मण्यम् के नई दिल्ली में 186,

गाल्फ लिंक पर स्थित आवास और उससे सम्बद्ध दो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, अर्थात् फेसटो न्यूमेटिक इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, 154, जोर बाग, नई दिल्ली और पैन एशियन टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लि०, 186, गाल्फ लिंक, नई दिल्ली के व्यापारिक स्थानों पर छापे मारे थे। दो व्यापारिक परिसरों से आयकर अपवंचन और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित कुछ लेखा पुस्तकें और अन्य दोषारोपणीय दस्तावेज पाये और पकड़े गए हैं।

श्री पी० एन० बालसुब्रह्मण्यम् के व्यापारिक परिसरों से जब्त किए गए दस्तावेजों की छानबीन करने पर श्री पी० एन० बालसुब्रह्मण्यम् के कुछ व्यापारिक सहयोगियों के व्यापारिक और निवास स्थानों की मद्रास में तलाशियां ली गयी थीं। अभी तक पकड़े गए दस्तावेजों से प्रत्यक्षतः श्री पी० एन० बालसुब्रह्मण्यम् और अन्यों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन के अधिनियम उपबन्धों का उल्लंघन और आयकर का अपवंचन प्रकट होता है। मामले की आगे जांच चल रही है। ऐसी अवस्था में मामले का इससे अधिक विवरण देना जांच के हित में नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय में कर्मचारियों की पदावनत के मामले

823. श्री मोहन लाल पिपिल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय (सचिवालय में) ग्रेडवार उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनके मामले में उनके वर्तमान पदों से पदावनत करने के आदेशों को न्यायालयों द्वारा रोक दिया गया है तथा ऐसे कितने मामले 1 जुलाई, 1979 को सात वर्ष से अधिक समय से न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) क्या यह सच है कि न्यायालय द्वारा अन्तिम फैसला न दिए जाने तक उन कर्मचारियों की आगे पदोन्नति देने और उनके पदों पर स्थाई करने से रोक दिया गया है, यदि हां, तो क्या सम्बद्ध अनुदेशों और आदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को स्थाई बनाने और पदोन्नत करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्त मंत्रालय में पेनल के बाहर से अधिकारियों की नियुक्ति किया जाना

824. श्री अर्जुन सिंह भदोरिया : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस मंत्रालय के सेवा संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों ने पिछले दो वर्षों की अवधि में पेनल में रखे गए अधिकारियों के स्थान पर पेनल के बाहर के अनेक अधिकारियों को वरीयता देकर नियुक्त किया है, यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम, पद-नाम तथा संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में इस प्रकार की नियुक्तियों को करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस मंत्रालय में उक्त प्रक्रिया के अपनाए जाने के फल-स्वरूप पेनल के अधिकरियों में काफी रोष व्याप्त हो गया है ; और

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार की अनिमितताओं को दूर करने के लिए किसी प्रकार के कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं; यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

हवाई अड्डा सुरक्षा विभाग द्वारा जापानी भाषा के दुभाषियों की सेवाएं ग्रहण करना

825. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन सुरक्षा विभाग द्वारा सभी चारों अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए जापानी-भाषी दुभाषियों की सेवाएं ग्रहण की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) नागर विमानन को अपहरण (Hijacking) तथा अन्य आतंककारी खतरों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिये बनायी गयी "आपातिक योजना (Contingency Plan) के अन्तर्गत बिचौलियों (Negotiators) भाषाविदों, मनोवैज्ञानिकों, इत्यादि का एक पेनल तैयार रखना होता है ताकि अल्प सूचना पर ही उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके । यह पेनल खुफिया विभाग (इंटेलिजैंस ब्यूरो) तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के परामर्श से तैयार किया गया था और इसमें जापानी भाषा जानने वाला एक व्यक्ति भी सम्मिलित किया गया था । परन्तु इस पेनल को "एलर्ट" करने अथवा किसी दुभाषिये की सेवाएं मांगने का कोई अवसर नहीं आया ।

क्लेमेण्ट्स एसोसिएशन, कलकत्ता का अभ्यावेदन

826. श्री समर मुखर्जी : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्लेमेण्ट्स एसोसिएशन, कलकत्ता से एक ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें निलम्बित दावों का तेजी से निपटान करने हेतु 'कस्टोडियन आफ एनिमी प्रोपर्टी फार इण्डिया' के कार्य में सुधार लाने के लिए कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी, हां । दावों के सत्यापन को शीघ्रता से निपटाने के लिये कलकत्ता स्थित शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक के शाखा कार्यालय के लिये एक विशेष कार्य अधिकारी के पद तथा एस० ए० एस० लेखापाल के दो पदों की स्वीकृति दी जा चुकी है । विशेष कार्य अधिकारी, दावों के सत्यापन के अतिरिक्त, कलकत्ता क्षेत्र में भारत के शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक में निहित सम्पत्तियों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कार्य भी देखेगा । शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक के उस पद के लिये, जो कि उस पद पर होने वाले कार्यों के लिये अपना पूरा समय देगा नए पदधारी को नियुक्त करने के लिये व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप भी दिया जा चुका है ।

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में आयातित तेल के प्रति टिन (16.5 कि० ग्रा०) के लिए उत्पादकों द्वारा क्या कीमत निर्धारित की गई थी और प्रति टिन (16.5 कि० ग्रा०) के लिए नगर आपूर्ति विभाग द्वारा क्या कीमत निर्धारित की गई थी ; और

(ग) नवम्बर तथा दिसम्बर, 1977 के दौरान खाद्य विभाग के सैनिक विक्रय संगठन को वनस्पति उत्पादकों द्वारा कुल कितना तेल हाइड्रोसप्लाई किया गया और प्रति टिन (16·5 कि० ग्रा०) दर क्या है तथा उस पर कुल कितना खर्च किया गया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, नहीं। भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा वनस्पति उत्पादकों को आयातित तेल की सप्लाई लाभ-अलाभ मूल्य पर की गई थी।

(ख) इस मन्त्रालय द्वारा वनस्पति उत्पादकों की दो एसोसिएशनों की सलाह से स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रकार पहली नवम्बर, 1977 से वनस्पति के 16.5 कि० ग्रा० के टीन का कारखाना मूल्य 140/- रुपये नियत किया गया था और नवम्बर तथा दिसम्बर, 1977 के दौरान यही मूल्य चलता रहा था।

(ग) नवम्बर और दिसम्बर, 1977 के दौरान कुछ वनस्पति उत्पादकों द्वारा इस प्रकार क्रमश: 5000 मीटरी टन और 3350 मीटरी टन मात्रा की सप्लाई की गई थी। ऐसी खरीदारी पर लगभग कुल 7.265 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे और इस प्रकार औसत दर 8700.59 रु० प्रति टन बैठती है। ये संविदायें प्रति टन के हिसाब से दी गई दरों पर की गई थीं।

वर्तमान सरकार तथा भूतपूर्व सरकार के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की ओर करों की बकाया राशि

832. श्री हुकम देव नारायण यादव : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार तथा पूर्ववर्ती इन्दिरा सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों की ओर विभिन्न करों की कितनी राशि बकाया है तथा इस सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य का क्या नाम है और उन सदस्यों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने करों की अदायगी समय पर नहीं की थी ; और

(ख) क्या अपनी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उनके द्वारा पेश किये गये विवरणों की पुष्टि वित्त विभाग ने उसी प्रक्रियानुसार की थी जो सामान्य लोगों के लिए निर्धारित है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) (क) तथा (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उसे इकट्ठा किया जा रहा है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

विदेशी सहायता

833. श्री यशवन्त बोरोले : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को वर्ष 1978-79 में कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि इनर लाईन परमिट सम्बन्धी वर्तमान नियम दार्जिलिंग तथा सिक्किम में जाने वाले विदेशी पर्यटकों के बहाव को रोके हुये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इनर लाईन परमिट प्रणाली में रियायत देने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) दार्जिलिंग के लिए स्थल मार्ग द्वारा यात्रा कर रहे, विदेशी पर्यटकों के लिए परमिट प्राप्त करना अपेक्षित है । 7 दिन ठहरने के लिए ये परमिट विदेशों में भारतीय मिशनों और नई दिल्ली/बम्बई/मद्रास/कलकत्ता में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों और साथ ही साथ चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आप्रवासन अधिकारियों द्वारा उदारतापूर्वक प्रदान किये जाते हैं । तथापि, जो विदेशी पर्यटक दार्जिलिंग तक (बागडोगरा तक) और वापसी की यात्रा वायुयान द्वारा करते हैं, उन्हें 15 दिन के लिए बिना परमिट यात्रा करने की अनुमति है ।

जहां तक सिक्किम का संबंध है, वैयक्तिक विदेशी पर्यटक अब फोडांग और रूमटेक की यात्रा सहित, गंगतोक की 4 दिन के लिए यात्रा कर सकता है । पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता-प्राप्त यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा संचालित 20 के ग्रुप में यात्रा कर रहे विदेशी पर्यटकों को जोंगरी क्षेत्र, पश्चिमी सिक्किम, में, यात्रा अवधि को मिलाकर 10 दिन तक ट्रेकिंग करने की भी अनुमति है, बशर्ते वे बागडोगरा तक वायुयान द्वारा यात्रा करें और ट्रेकिंग के लिए निर्धारित मार्गों का अनुसरण करें ।

(ख) और (ग) दार्जिलिंग और सिक्किम में विदेशी पर्यटकों द्वारा प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को उदार बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप इन केन्द्रों के लिए पर्यटक यातायात का प्रवाह अपेक्षाकृत और अधिक बढ़ गया है ।

गुजरात में अहमदाबाद और दूसरे हवाई अड्डों के बीच विमान संपर्क

829. श्री एफ० पी० गायकवाड़ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य की वस्तुतः राजधानी अहमदाबाद का सम्पर्क गुजरात राज्य के अन्तर्गत अन्य हवाई अड्डों—जैसे बड़ौदा, भावनगर, जामनगर, राजकोट और भुज, आदि से नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अहमदाबाद की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक महत्ता को देखते हुए उचित उड़ानों द्वारा इन हवाई अड्डों का सम्पर्क अहमदाबाद से बनाने के लिए विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स का मौजूदा विमान बेड़ा वर्तमान समयावली के अनुसार पूर्णतया परिचालन व्यस्त है । अतः गुजरात राज्य में वडोडरा, भावनगर, जामनगर, राजकोट और भुज आदि को अन्य शहरों से विमान सेवा से जोड़ने के लिए वहां विमान सेवाओं का विस्तार करने पर विचार करना संभव नहीं है ।

1980 के दशक में विदेश व्यापार

830. श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री निहार लास्कर :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1980 के दशक में विदेशी व्यापार के लक्ष्य और सम्भावनाओं की रूप रेखा तैयार करने के लिए दल का गठन करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय एसोसिएशन आफ इन्डियन इन्जीनियर्स के नार्दर्न-रीजन सेक्शन की सिफारिश पर किया गया है ;

(ग) इस दल के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(घ) दल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करने की सम्भावना है ; और

(ङ) उनके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हाल में हुए परिवर्तनों और खासतौर पर विश्व व्यापार वातावरण में उत्पन्न होती नई जटिलताओं के संदर्भ में भारत की भावी निर्यात नीति का एक गम्भीर अध्ययन शुरू करना आवश्यक समझा गया।

(ग) समिति में निम्नोक्त शामिल हैं :—

श्री पी० एल० टण्डन, महा निदेशक, एन० सी० ए० ई० आर०	अध्यक्ष
श्री जी० वी० के० राव, सदस्य, योजना आयोग।	सदस्य
डा० एस० कृष्णस्वामी, उपायुक्त, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बम्बई।	सदस्य
श्री मंतोश सौंधी, सचिव, इस्पात विभाग।	सदस्य
श्री रोमेश भण्डारी, अपर सचिव, विदेश मन्त्रालय।	सदस्य

(ख) श्री वेंकटेश पेपर एण्ड बोर्ड्स (प्रा०) लि०, जिला मदुरै में लगायी गई पूंजी के बारे में लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3506 के भाग (ख) में मांगा गया वर्षवार ब्यौरा, निम्नानुसार है :—

निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र	**प्रदत्त पूंजी** (लाख रुपयों में)
10-4-1974	0.56
31-3-1975	6.43
31-3-1976	14.49
31-3-1977	19.63
31-3-1978	19.63

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सूरत उर्वरक योजना के लिये जापान द्वारा सहायता

838. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान सरकार ने सूरत उर्वरक योजना के लिये 74 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिये दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार के अनुसार सूरत उर्वरक कारखाने में कार्य कब आरम्भ किया जाएगा और यह ऋण कब तक लौटाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां । भारत सरकार और जापान सरकार के बीच 21 जून, 1979 को पत्रों का आदान-प्रदान हुआ जिसमें गुजरात राज्य में सूरत उर्वरक परियोजना के लिए जापानी सहायता का वचन दिया गया है । भारत सरकार और जापान की समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि के बीच जब ऋण करार सम्पन्न हो जाएगा तब जापान सरकार ऋण की रकम उपलब्ध कराएगी ।

(ख) यद्यपि आदान-प्रदान किए गए पत्रों में काम शुरू करने के लिए किसी दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है फिर भी पहली फरवरी 1980 से इस परियोजना के शुरू होने की आशा है । जापान से मिलने वाले इस ऋण की वापसी अदायगी, 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित, 30 वर्षों में की जाएगी । ऋण के भुगतान की अवधि जापान की समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 5 वर्षों की होगी ।

इंडियन एयरलाइन्स में विमानचालकों के साप्ताहिक उड़ान घंटे

839. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में एक विमानचालक सप्ताह में औसतन कितने घंटे उड़ान करता है और एक सप्ताह में उसके उड़ान घंटों के दौरान उसे औसतन कितनी बार उतरना पड़ता है और उड़ान करनी पड़ती है ;

जहां तक एसोसिएशन द्वारा पैनल के अध्यक्ष के रूप में शत्रु सम्पत्ति के भूतपूर्व अभिरक्षक (श्री एम०के० रंगाचारी) की नियुक्ति का सुझाव देने की बात है, इस मामले पर विचार किया गया था और यह देखा गया कि वित्तीय दावे निपटाने के बारे में, यह उचित ही है कि पैनल के अध्यक्ष के रूप में एक कार्यरत सदस्य को नियुक्त करें।

शत्रु सम्पत्ति का अभिरक्षक अपने में निहित उन सम्पत्तियों की, जो कि देश भर में बिखरी हुई हैं, उस क्षेत्र में नियुक्त राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की सहायता से देखरेख करता है। इस उद्देश्य के लिये कलकत्ता में किसी विशेष कार्यालय की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हाल में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कहा गया है कि वे ऐसी शत्रु सम्पत्तियां, अगर कोई हैं तो उनका पता लगाने और उसकी सूचना देने के लिये सभी प्रबन्ध कर लें, जिन्हें शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक में निहित किया जाना है।

समानान्तर साक्ष्य के आधार पर इन दावों को सत्यापित करना सम्भव नहीं होगा। उन दावों को, जिन्हें दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किया जाता है उनका पैनल द्वारा सत्यापन किया जाता है क्योंकि संगत दस्तावेजों के बिना वित्तीय दावों के सत्यापनों का दुरुपयोग हो सकता है और इससे विभिन्न आपत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं।

इंडियन एयरलाइन्स में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को काम दिया जाना

827. श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइन्स द्वारा व्यवसाय विशेष में प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षुओं की (पिछले सात वर्षों से चली आ रही) तकलीफों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें इंडियन एयरलाइन्स में ही रोजगार दिये जाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) यद्यपि प्रशिक्षु अधिनियम (अप्रेंटिसेज़ एक्ट) किसी नियोक्ता के लिये उन प्रशिक्षुओं को जिन्हें उसने प्रशिक्षित किया हो अपने यहां खपाना लाजमी नहीं बनता, तथापि इंडियन एयरलाइन्स अपने प्रशिक्षुओं को नौकरी के मामले में निम्नलिखित रियायतें देती है :—

(i) प्रशिक्षुओं को रोज़गार कार्यालय के माध्यम से आवेदनपत्र भिजवाये बगैर भी इंडियन एयरलाइन्स में पदों के लिये आवेदन भेजने की अनुमति होती है।

(ii) और बातों के समान होते हुए प्रशिक्षुओं को यदि वे उपयुक्त पाये जाते हैं तो उन्हें नौकरी के मामले में बाहर वालों से तरजीह दी जाती है।

( ) जितना समय प्रशिक्षुओं ने इंडियन एयरलाइन्स में प्रशिक्षण लिया होता है उतने समय की उन्हें आयु के मामले में छूट दी जाती है।

इनर लाईन परमिट प्रणाली सम्बन्धी नियमों में रियायत

828. श्री के० बी० चेतरी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दार्जिलिंग तथा सिक्किम की यात्रा करने के इच्छुक विदेशी पर्यटकों के लिये इनर लाईन परमिट सम्बन्धी वर्तमान नियम क्या हैं ;

(ख) इसमें से कितनी सहायता उपहार ब्याज सहित और बिना ब्याज के ऋण के रूप में है ; और

(ग) क्या उपहार की राशि के साथ कोई शर्त भी लगाई गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 1978-79 के दौरान 1266 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त हुई, जिसमें पूर्णरूप से ब्याज मुक्त ऋणों की 42 करोड़ रुपये और अनुदानों के रूप में 273 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

(ग) अनुदान की राशि का उपयोग प्रायः उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता है जिनके लिए वह राशि दी जाती है। कुछ मामलों में अनुदानों के सम्बन्ध में यह शर्त भी होती है कि अनुदान की राशि से खरीदी जाने वाली वस्तुएं केवल दाता देशों से ही आयात की जाएं।

कांगड़ा/कुल्लू घाटियों में पर्यटन के विकास के लिए पठानकोट को विमान सेवा से जोड़ना

834. श्री दुर्गाचन्द : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा और कुल्लू घाटियों में पर्यटन के विकास के लिए पठानकोट को विमान सेवा से जोड़ने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पठानकोट को भारत के विमान सेवा सम्बन्धी मानचित्र में कब शामिल किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) पठानकोट को विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बाल कृष्ण पेपर मिल्स लि० बम्बई द्वारा उत्पाद शुल्क तथा आयकर की बकाया राशि का भुगतान

835. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री बाल कृष्ण पेपर मिल्स लि०, बम्बई द्वारा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर की अदायगी के बारे में 16 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3508 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां, अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गयी थी और उसका ब्यौरा 16 जून, 1979 को संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किये गये आश्वासन पूर्ति विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अमरावती श्री वेंकटेश पेपर मिल लिमिटेड तमिलनाडु द्वारा उत्पादन शुल्क और आयकर अतिशेषों का भुगतान

836. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री अमरावती श्री वेंकटेश पेपर मिल्स लि० तमिलनाडु द्वारा उत्पादन शुल्क, सीमा-शुल्क और आयकर के भुगतान के बारे में 16 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जलिफकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) जी हां; अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई थी और उसका ब्यौरा 16 जून, 1979 को संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किए गये आश्वासन पूर्ति विवरण-पत्र में दिया गया है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वेंकटेश्वर पेपर एण्ड बोर्ड्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जिला मदुरै द्वारा उत्पाद शुल्क की अदायगी और उसकी ओर आयकर की बकाया राशि

837. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री श्री वेंकटेश्वर पेपर एण्ड बोर्ड्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जिला मदुरै द्वारा उत्पाद शुल्क की अदायगी और उसकी ओर आयकर की बकाया राशि के बारे में 16 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3506 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) जी, हाँ । श्री वेंकटेश पेपर एण्ड बोर्ड्स (प्रा०) लि०, जिला मदुरै द्वारा अदा किये गये उत्पादन शुल्क तथा आयकर के बारे में लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3506 में मांगी गई सूचना निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष 1975-76, 76-77 और 77-78 के दौरान कम्पनी द्वारा कोई आयकर अदा नहीं किया गया है और 31-12-1978 की स्थिति के अनुसार इस सम्बन्ध में इस कम्पनी की तरफ कोई रकम बकाया नहीं थी ।

वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान उक्त कम्पनी द्वारा उत्पादन शुल्क के रूप में 7.76 लाख रुपये की रकम अदा की गयी । कारखाने ने 16-7-1977 से काम करना शुरू किया ।

श्री राहुल बजाज, अध्यक्ष, एसोसिएशन आफ इण्डियन इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री ।	सदस्य
डा० डी० के० रंगनेकर सम्पादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, कलकत्ता ।	सदस्य
प्रो० अमित बहादुरी, अध्यक्ष, सैंटर आफ डेवलेपमेंट प्लानिंग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ।	सदस्य
श्री महेन्द्र जी मेहता, अध्यक्ष, रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ।	सदस्य
श्री बृज नेहरू, प्रबन्ध निदेशक, टाटा एक्सपोर्ट्स, बम्बई ।	सदस्य
डा० एन० सी० बी० नाथ,	सदस्य
श्री ए० हफिज़ुर रहमान, साऊथ ईस्ट टैनिंग कम्पनी, मद्रास ।	सदस्य
डा० विजय एल० केलकर आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय ।	सदस्य-सचिव

(घ) समिति को अधिक से अधिक 30 जून 1980 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

(ङ) अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है ।

वनस्पति उत्पादकों को रियायती दरों पर आयातित तेल की आपूर्ति

831. श्री मदन तिवारी : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर-दिसम्बर, 1977 में वनस्पति उत्पादकों को रियायती दरों पर आयातित तेल की आपूर्ति की गई थी ;

(ख) कुछ अन्य देशों में देशीय उड़ान के सापेक्षिक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या विमान चालकों के अधिक कार्य, उनकी थकान, उदासीनता और ऊब के कारण विमान दुर्घटनायें होती हैं और अकुशलता पैदा होती है; और

(घ) इस समस्या पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) वर्ष 1978-79 में विमान चालकों का औसतन उपयोग निम्नलिखित है :—

कमांडर/केप्टन	प्रति सप्ताह लगभग 14 घंटे
प्रथम अधिकारी	प्रति सप्ताह लगभग 15 घंटे

प्रति सप्ताह उड़ानों तथा उतरने की संख्या औसतन 10 से 20 तक है, जो क्षेत्र की उड़ान पर निर्भर करती है।

(ख) कुछ देशों में देशीय उड़ानों में संलग्न विमानों की उड़ान सांविधिक रूप में 100 घंटे प्रतिमाह निर्धारित है। यद्यपि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी यह प्रतिमाह 80 घंटे के औसत से अधिक होगी।

(ग) वायुयानों की दुर्घटनाओं के लिए मानवीय पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर भी अकुशलता को पनपने नहीं दिया जाता है क्योंकि विमानचालकों के प्रशिक्षण तथा सामयिक जांच के बहुत ही अच्छे प्रबन्ध हैं।

(घ) ऐसी समस्याओं से बचने के लिये सरकार ने वायुयान नियम 42 (क) के अनुसार उड़ान समय-सीमायें निश्चित की हैं। यह नियम निम्नलिखित रूप में हैं :—

"लगातार 30 दिन के समय के दौरान कोई भी विमानचालक 125 घंटे से अधिक समय तक उड़ान नहीं करेगा।"

आल इंडिया ग्रिंडले बैंक एम्पलाईज फेडरेशन की मांगें

840. श्री आर० के० महालगी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित मंत्री** आल इन्डिया ग्रिंडले बैंक एम्पलाईज फेडरेशन की मांगों के बारे में 18 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11281 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को आल इंडिया ग्रिंडले बैंक एम्पलाईज फेडरेशन द्वारा अपने ज्ञापन में उठाये गए मुद्दों पर ग्रिंडले बैंक से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं;

(ख) ग्रिंडले बैंक द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि रिजर्व बैंक को अब तक कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड से प्राप्त टिप्पणियों की रिजर्व बैंक द्वारा जांच की गयी थी और आल इन्डिया ग्रिंडलेज बैंक एम्पलाईज फेडरेशन की कुछ धारणाएं बे-बुनियाद पायी गयी थीं। किन्तु जहां बैंक के कुछ व्यवहार राष्ट्रीय नीति के अनुरूप नहीं पाये गये वहां रिजर्व बैंक ने इस बैंक को आवश्यक आदेश जारी किये हैं और बैंक ने सुधारात्मक उपाय कर लिये हैं। रिजर्व बैंक ने

यह भी बताया है कि इस बीच ग्रिंडलेज बैंक ने फेडरेशन की मांगों के बारे में उसके साथ बातचीत आरम्भ कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका से घटिया किस्म के खाद्य तेल का आयात

841. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से आयातित बड़ी मात्रा में खाद्य तेल देश के कुछ भागों में मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशी दौरों पर हुआ व्यय

842. श्री जनार्दन पुजारी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के विदेशी दौरे पर कितना व्यय हुआ; और

(ख) उन्होंने किन देशों का दौरा किया और इन दौरों का उद्देश्य क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फ़िकार उल्लाह) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1979 से 30, जून 1979 तक की अवधि के लिए सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया के विमानों के प्रस्थान में विलम्ब

843. श्री जनार्दन पुजारी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया के विमानों के प्रस्थान में विलम्ब एक आम बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978 और जनवरी से जून, 1979 के दौरान विमानों की उड़ानें कितनी बार विलम्ब से हुईं;

(ग) प्रत्येक मामले में विमानों के प्रस्थान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) विमानों के प्रस्थान में समय-पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में अधिकतम आयकर देने वाले दस व्यक्ति

844. श्री जी० एस० तोहरा : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अधिकतम आयकर देने वाले दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, प्रत्येक मामले में आय-कर की कितनी राशि देय है ;

(ग) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक मामले में आय-कर की कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उसे एकत्र किया जा रहा है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली के निदेशकों द्वारा देय आयकर

845. श्री श्याम सुन्दर दास : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स प्योर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशकों द्वारा कम्पनी से लिए गए ऋण पर आयकर और जुर्माने की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) क्या ये ऋण देने से पहले कम्पनी को सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता थी ;

(ग) क्या ये ऋण आय-कर अधिनियम की धारा 2 (22) (ई) के अन्तर्गत आते हैं, यदि हां, तो निदेशकों पर आय-कर की कितनी राशि बकाया है और जुर्माना यदि कोई है तो कितना है ;

(घ) इन ऋणों से क्या सम्पत्ति खरीदी गई है और निदेशकों ने यह ऋण किस तरह वापस करना है ; और

(ङ) क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

विमानों की जांच करने की प्रणाली का विरोध किया जाना

846. श्री के० मालन्ना : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल कौंसल आफ ऑल इण्डिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने विमानों की पूर्ण जांच करने और सुरक्षा के सभी सिद्धान्तों की अवहेलना करके उनको "फिट" प्रमाणित करने की प्रणाली का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) अखिल भारतीय एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव तथा संयुक्त सचिव उन 6 पेटीशनरों (Petitioners) में से हैं जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट (Writ) दायर की है जिसमें अनुरोध किया गया है कि जहां तक वायुयान नियम, 1937 के चौथे संशोधन का सम्बन्ध उड़न योग्यता नियंत्रण की प्रत्यायोजित प्रणाली (delegated system of airworthiness control) के अन्तर्गत अनुमोदित संधारण प्रणाली (approved maintenance system) के चालू करने से है, उसे गैरकानूनी और नियम विरुद्ध (Ultravires) घोषित कर दिया जाना चाहिए और रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी याचिका में हाई कोर्ट से विशेष रूप से प्रार्थना की है कि कुछ विशिष्ट संशोधित वायुयान नियमों और उनके साथ संशोधित उड़नयोग्यता नियमों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप प्रतिवादियों (Respondents) (इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया, नागर विमानन के महानिदेशक तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय) द्वारा की गयी कई कार्यवाहियों को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में अनिर्णीत पड़ा हुआ है।

मूंगफली की खली का निर्यात कोटा

847. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई-अगस्त, 1979 के लिए मूंगफली की खली (ग्राउन्डनट सालवेंट एक्सट्रेक्शन डी-आयल्ड केक्स) का कितना निर्यात कोटा स्वीकृत किया गया/दिया गया था ;

(ख) क्या छोटे-छोटे आयल मिलर्स और सालवेंट प्लांट वालों को मूंगफली की खली का कोटा आबंटित न किए जाने के कारण उन्हें नुकसान हुआ है और हो रहा है ; यदि हाँ, तो यह कोटा कब और कितना एलाट किया जाएगा ; और

(ग) जब मंत्रालय 4 लाख टन कोटा इन उद्योगों को रिलीज करने के लिए आदेश जारी कर चुका है तो राज्य व्यापार निगम द्वारा उपर्युक्त अवधि के लिए कोटा रिलीज करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) मूंगफली विलायक निस्सारण के निर्यात के लिए 22-1-79 को 3 लाख मे० टन, 23-5-79 को 4.7 लाख मे० टन और 4-6-79 को 1.3 लाख मे० टन की 3 किस्तों में कुल 9 लाख मे० टन का कोटा दिया गया। कोई नियत अवधि तय नहीं की गई है और कोटा पूरे कलैन्डर वर्ष के लिए है।

(ख) ऐसे विलायक निस्सारण एककों द्वारा वहन की गई किन्हीं हानियों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है जिन्होंने मूंगफली निस्सारण के निर्यात कोटा दिये जाने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे किये हों। वास्तव में, राज्य व्यापार निगम द्वारा 200 विनिर्माता एककों को अभी तक दिये गये 7 लाख मे० टन मूंगफली निस्सारण में से अभी तक केवल 1.2 लाख मे० टन की खेपें भेजी गयी हैं।

(ग) सरकार द्वारा आवश्यक कोटा दिये जाने के बाद विनिर्माण एककों के पक्ष में निर्यात पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने में राज्य व्यापार निगम द्वारा किसी भी समय कोई देरी नहीं की गई।

ग्राउन्डनट सोलवेंट ऐक्स्ट्रेक्शन्स डी-ग्रायल्ड केक के निर्यात के सम्बन्ध में निर्यात नीति

848. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राउन्डनट सोलवेंट ऐक्स्ट्रेक्शन डी-ग्रायल्ड केक के निर्यात के बारे में स्पष्ट निर्यात नीति न होने के कारण छोटे तेल मिल मालिकों और सोलवेंट प्लांट वालों को नुकसान हो रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नवम्बर-दिसम्बर में मूंगफली की पैदावार बाजार में आने से पूर्व इस बारे में स्पष्ट नीति घोषित करने का है ;

(ख) वर्ष 1979 के दौरान कुल कितनी मात्रा में ग्राउन्डनट सोलवेंट ऐक्स्ट्रेक्शन डी ग्रायल्ड केक का निर्यात किया जायेगा और उनमें से कितनी मात्रा पहले ही रिलीज की गई है और दिसम्बर 1979 तक कितनी मात्रा रिलीज की जाएगी ;

(ग) जनवरी से अप्रैल 1979 के दौरान राज्य व्यापार निगम और राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ को कितना कोटा अलाट किया गया है और उन्होंने 30 अप्रैल, 1979 तक उसमें से कितना निर्यात किया है ; और

(घ) मई-अगस्त 1979 के लिए राज्य व्यापार निगम और राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ को निर्यात हेतु कितना डी ग्रायल्ड केक आबंटित किया गया है और सोलवेंट प्लांट को कितना कोटा अलाट किया गया है तथा कब अलाट किया गया है और यदि यह अलाट नहीं किया गया है तो कब किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) मूंगफली निस्सारण से सम्बन्धित निर्यात नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को सरकार द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दियाग या है जिसके आधार पर राज्य व्यापार निगम विनिर्माणकर्त्ता एककों को निर्यात कोटा आबंटित करता रहा है जिसमें वे सहकारी एकक भी शामिल हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता कसौटी को पूरा करते हैं ।

(ख) 1979 के दौरान 9 लाख मे० टन मूंगफली विलायक निस्सारण तेल रहित खली निर्यात करने की प्रस्थापना है । 7 लाख मे० टन पहले ही रिलीज/रिजर्व कर दिया गया है, शेष 2 लाख मे० टन प्रोत्साहन कोटा के रूप में दिसम्बर, 1979 तक उन एककों को रिलीज कर दिया जायेगा जो अपने पिछले कोटे का प्रयोग करते हैं ।

(ग) राज्य व्यापार निगम को सीधे निर्यात के लिए 40,000 मे० टन आबंटित किया गया था परन्तु राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया क्योंकि सप्लायरों के पूर्व निर्धारित अपने निजी कोटे को पूरा करने के फलस्वरूप सप्लाइयां कम हुईं । नाफेड को राज्य व्यापार निगम द्वारा 30,000 मे० टन मूंगफली निस्सारण आबंटित किया गया जिसमें से 14,200 मे० टन का 30-4-79 तक निर्यात करने की पुष्टि की गई थी ।

(घ) राज्य व्यापार निगम/नाफेड द्वारा निर्यात के लिए कोई विशिष्ट कोटा निर्धारित नहीं किया गया । विनिर्माणकर्त्ता एककों के लिये, जिसमें सरकारी समितियां भी शामिल हैं, पहले ही करीब 7 लाख मे० टन का एक कोटा आबंटित/रिजर्व किया गया है तथा शेष 2 लाख मे० टन उन एककों को रिलीज किया जायेगा जो शीघ्रता के साथ अपने पिछले कोटे को पूरा करते हैं ।

शार्ट स्टेपल काटन पर से निर्यात-शुल्क को हटाने के लिए ज्ञापन

849. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को शार्ट स्टेपल काटन पर से निर्यात शुल्क हटाने के लिये गुजरात स्टेट कोग्रोपरेटिव काटन मार्केटिंग फेडेरेशन लिमिटेड, ग्रहमदाबाद से मई, 1979 में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगें रखी गई हैं ;

(ग) इन मांगों के कब तक स्वीकार किये जाने की आशा है ;

(घ) 24.5 मि०मी० और इससे अधिक लम्बाई के स्टेपल वाली कपास और बंगाली देशी नामक किस्म को छोड़कर काटन की अन्य सभी किस्मों पर इस समय प्रति टन कितना निर्यात शुल्क लगा है ;

(ङ) 31 मई, 1978 को तथा 31 मई, 1979 को गुजरात की विभिन्न किस्मों की काटन के क्या भाव थे ; और

(च) क्या सरकार गुजरात की काटन पर वसूल किए जा रहे निर्यात शुल्क को वापिस लेगी और यदि हां, तो कब तक और कैसे वापिस लेगी तथा यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) 4 मई 1979 को वित्त मंत्रालय में प्राप्त 28-4-79 के एक ज्ञापन में गुजरात राज्य सहकारी सूत विपणन महासंघ लि०, अहमदाबाद ने सरकार से छोटे रेशे वाली रुई पर और खासतौर पर, प्रमुख सहकारी विपणन महासंघ द्वारा निर्यात की जाने वाली रुई पर निर्यात शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यावेदन किया था। मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, सरकार ने छोटे रेशे वाली रुई के एक वर्ग के रूप में निर्यात शुल्क से छूट देने के बारे में महासंघ के अनुरोध को मानने में असमर्थता जाहिर की है, हांलाकि कपास की कतिपय किस्मों के संबंध में तदर्थ आधार पर निर्यात शुल्क से छूट दी गई थी।

(घ) कपास पर (बंगाल देशी को छड़ोकर) निर्यात शुल्क की वर्तमान दरें नीचे दी गई हैं :—

	(रु० प्रति टन)
1. निम्नलिखित किस्म की कपास :	
(क) आसाम/कोमिला रुई (ख) पीली बची खुची और जोदा रुई (अर्थात् तीसरे चयन और न काती जाने योग्य किस्म की रुई)। (ग) बची खुची और अपशिष्ट रुई जो देश में व्यवहारिक इस्तेमाल की न हो।	550

2.	24.5 मि०मी० और इससे अधिक की लम्बाई के रेशे वाली कपास	शून्य
3.	कपास की अन्य सभी किस्में (बंगाल देशी को छोड़ कर)	1000

(ङ) गुजरात में उत्पन्न रुई के लिए निर्यात शुल्क की कोई अलग दर नहीं है।

(च) सरकार को छोटे रेशे वाली रुई पर वर्ग के रूप में निर्यात शुल्क हटाने का पर्याप्त औचित्य नहीं दिखाई देता। लेकिन, उन विशिष्ट मामलों में जिनमें यह पाया जाता है कि जिस मूल्य पर ऐसी कपास निर्यात की जा सकती है, वह लाभकर नहीं है, तो छूट देने के लिए मामले पर इसके गुणदोष के आधार पर विचार किया जा रहा है।

बम्बई-केशोद-पोरबंदर के लिए सुबह की दूसरी उड़ान

850. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बम्बई-केशोद-पोरबंदर के बीच केवल एक छोटी उड़ान आई०सी० 137/138 ही है जिसके कारण कई सवारियों को सीट नहीं मिलती और उन्हें बहुत असुविधा होती है; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सुबह कोई दूसरी उड़ान चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो सुबह में दूसरी उड़ान कब तक चालू कर दी जाएगी;

(ग) यदि सरकार बम्बई-केशोद-पोरबंदर के बीच दूसरी दैनिक उड़ान चलाने की स्थिति में नहीं है तो क्या सप्ताह में चार दिन दूसरी दैनिक उड़ान चालू कर सकती है; यदि हां, तो कब तक; और

(घ) बम्बई राजकोट की उड़ान की भांति बम्बई-केशोद-पोरबंदर के बीच सप्ताह में चार दिन दूसरी उड़ान का आरम्भ कब तक कर दिया जाएगा और सरकार तथा इंडियन एयर-लाइन्स को इसमें क्या कठिनाइयां हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) एक दैनिक एच०एस०-748 सेवा आई० सी०-137/138 केशोद और पोरबंदर को बम्बई से जोड़ती है। विमानों की कमी के कारण फिलहाल बम्बई-केशोद-पोरबंदर के बीच सेवाओं की संख्या में वृद्धि पर विचार कर सकना संभव नहीं।

आयकर निरीक्षकों का चयन

851. श्री वसंत साठे : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 और 1978-79 के दौरान सामान्य रूप से राज्यवार और विशेषरूप से महाराष्ट्र राज्य में आयकर निरीक्षक के पद के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया गया;

(ख) महाराष्ट्र आयकर आयुक्त ने कितने अतिरिक्त निरीक्षकों की मांग की है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) आयकर निरीक्षकों के कितने अतिरिक्त पद बनाये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सर्वेक्षण कार्य के लिये आयकर निरीक्षकों के 500 पद मंजूर किये गये हैं। उक्त 500 पदों में से 75 पद, आयकर आयुक्त के महाराष्ट्र राज्य में स्थित कार्यालय को आबंटित कर दिए गए हैं।

श्रीमती पद्मा देसाई द्वारा फ्लैट की बिक्री

852. श्री वसन्त साठे : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीमती पद्मा देसाई (प्रधान मंत्री की पुत्र-वधु द्वारा) बम्बई में चित्रकूट फ्लैट की बिक्री के बारे में जांच की है जैसा कि पिछले सत्र के दौरान वायदा किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा जांच के निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) 26 मई, 1979 के समाचार साप्ताहिक "करन्ट" में पृष्ठ–1 पर प्रकाशित समाचार में उल्लिखित 12 मुद्दों सम्बन्धी तथ्यात्मक स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क), (ख) और (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय, लोक सभा के पिछले सत्र में 6 अप्रैल, 1979 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 6322 के भाग (ङ) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर से है। इस मामले में अभी जाँच चल रही है। जांच के ब्यौरे तथा साप्ताहिक समाचार-पत्र "करेण्ट" में छपे 12 मुद्दों से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे जाँच कार्य में रुकावट आ सकती है।

विदेशों के लिए सब्जी मंडी के रूप में बम्बई

853. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्री चिमन भाई एच० शुक्ल :
डा० विजय मंडल :
श्री शंकर सिंह जी बघेला :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबई और अन्य यूरोपीय देशों के लिये बम्बई को सब्जी मंडी के रूप में विकसित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) सब्जियों का निर्यात केवल केन्द्रीय तथा राज्य निगमों और विपणन संघों के जरिए किए जाने की अनुमति है। महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम को बम्बई से सभी गन्तव्य स्थानों को प्रतिमाह 300 मे० टन तक सब्जियां निर्यात करने की अनुमति दी गई है, शर्त यह है कि निर्यात की जाने वाली मात्रा महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार शीघ्र ही निर्यातों के लिए सब्जियों की ठेके पर खेती करेगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बीज पूंजी योजना को अनुदार बनाना

854. श्री के० मालन्ना : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बीज पूंजी योजना को हाल ही में अनुदार बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) मध्यम वर्ग में जिन नए उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना में सहायता दी जायेगी उनके बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) योजना के अन्तर्गत पात्रता के प्रयोजन के लिये 'नए उद्यमी' की परिभाषा का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मूल पूंजी योजना 24-5-79 से उदार बना दी गई है। इस योजना में 1 करोड़ रु० तक की परियोजना लागत वाले मध्यम दर्जे के उद्योग स्थापित करने के लिये नये उद्यमियों को 10 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत के 10 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो, उसके बराबर प्रवर्त्तक के अशंदान की पूर्ति के रूप में सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। मध्यम क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के वास्ते नये उद्यमियों की सहायता के लिए इस योजना को मुख्य रूप से इस प्रकार उदार बना दिया गया है :

(1) "नये उद्यमों" की परिभाषा को इस योजना के अन्तर्गत पात्रता के वास्ते व्यापक बना दिया है ;

(2) अब यह योजना पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित परियोजनाओं और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। जो परियोजनाएं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्रत्यक्ष अथवा पुर्नवित्त के माध्यम से वित्तीय सहायता पाने की पात्र हैं वे सभी अब पात्र बना दी गई हैं ;

(3) बराबर के अंशदान की अपेक्षा को अब स्वयं प्रवर्त्तक द्वारा दिये जाने वाले अंशदान से अलग कर दिया गया है। उसके द्वारा सम्बन्धियों, संघों और मित्रों से इकट्ठा किया गया अंशदान "बराबर के अंशदान" के प्रयोजन के लिए हिसाब में मान लिया जायगा। तथापि, स्वयं प्रवर्त्तक को अंशदान सामान्य रूप से प्रवर्त्तक के अंशदान की स्वीकृत न्यूनतम मात्रा का कम-से-कम 20 प्रतिशत होना चाहिए; और

(4) मध्यम दर्जे के औद्योगिक क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने का प्रस्ताव करने वाले छोटे पैमाने के सफल उद्यमकर्त्ताओं को भी अब पात्र बना दिया गया है चाहे वे नये उद्योग की स्थापना करके अथवा विस्तार/विविधीकरण योजनाएं आरम्भ करके ऐसा करें।

(घ) "नये उद्यमकर्त्ता" की परिभाषा को व्यापक बना दिया गया है ताकि ऐसा उद्यमकर्त्ता शामिल किया जा सके,

(1) जो तकनीकी योग्यता वाला अथवा अन्य प्रकार से उपयुक्त है ;

(2) जिसके पास तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम उपयोगी परियोजना है ;

(3) जिसके पास तकनीकी जानकारी है अथवा जिसने इसे प्राप्त कर लिया है अथवा मंगा लिया है ; और

(4) जिसमें उद्यम स्थापित करने और उसे चलाने की क्षमता है, किन्तु जिसके पास प्रवर्त्तक का सामान्य अंशदान भी जुटाने के साधन नहीं हैं ।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

855. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-नेपाल सीमा पर बड़ी मात्रा में तस्करी की गतिविधियों, विशेषकर कपड़े और हशिश की तस्करी के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, इसको रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा, संश्लिष्ट और हशिश जैसी निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी वाला क्षेत्र बना हुआ है । लेकिन चौकियों की संख्या बढ़ाकर और सीमा के नजदीक महत्वपूर्ण स्थानों पर उनमें से कुछ की स्थापना करके सीमा-शुल्क की चोरी रोकने सम्बन्धी व्यवस्था को मजबूत बना दिया गया है । गुप्त सूचना तंत्र के द्रुतगामी, विश्वसनीय और गोपनीय साधन मुहैय्या करने के लिए, सारी सीमा पर बेतार संचार का जाल बिछाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण भू-मार्गों पर गश्त को बढ़ा दिया गया है और तस्करी के माल के भंडारण, वितरण और बिक्री के लिए प्रसिद्ध स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गयी है जिससे ऐसे माल को पकड़ा जा सके ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधक संख्या के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

856. श्री डी० डी० देसाई : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हाल ही के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण सरकार का उनके प्रबन्धक संवर्ग को आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए भेजने का प्रस्ताव है, जैसाकि भारत और विदेशों की अच्छी कम्पनियों में किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के बारे में कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनमें से कुछ का कार्य ठीक चल रहा है तथा पिछले वर्षों में उन्होंने लगातार लाभ कमाया है। किन्तु प्रबन्धकीय संवर्ग को आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए भेजना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें सभी सरकारी उद्यम भाग लेते हैं । यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि सरकार विभिन्न सरकारी उद्यमों

द्वारा यथा निर्धारित उनकी विशिष्ट प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर स्वदेश और विदेशों में स्थित प्रमुख प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध विकास संस्थाओं में प्रबन्धकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रही है। ये कार्यक्रम चालू रहेंगे। स्वदेश और विदेशों में आयोजित ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4616/79]

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

बम्बई के अलावा अन्य पत्तनों के माध्यम से तेल का आयात

857. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बम्बई के अलावा अन्य पत्तनों के माध्यम से तेल का आयात करने का विचार है ;

(ख) क्या किसी सरकारी समिति ने बम्बई के अलावा अन्य पत्तनों के माध्यम से तेल आयात करने के ऐसे पुनर्गठन की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय द्वारा गठित वी० आर० मेहता समिति ने बम्बई सहित भारत के विभिन्न पत्तनों की मार्फत खाद्य तेल कार्गो के आयात के लिए कतिपय सिफारिशें की थीं। ये सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, और राज्य व्यापार निगम, जो खाद्य तेल का आयात करने के लिए मार्गीकरण एजेंसी है, आयातित खाद्य तेल कार्गो से सम्बन्धित कार्य बम्बई के अतिरिक्त, कांडला, मद्रास, विशाखापत्तनम और कलकत्ता में पहले ही देख रहा है। वे ये भी प्रस्ताव रख रहे हैं कि नए कांडला पत्तन पर जलयानों से सीधी निकासी के लिए पाइपलाइनों से जुड़ी हुई भंडारण टंकियों और साथ ही हाल्दिया और बज-बज दोनों स्थानों पर अपेक्षित भंडारण टेंकियों और रेल से माल उतारने सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

कोफेपोसा के अन्तर्गत जारी आदेशों पर राज्य सरकारों द्वारा पालन करना

858. श्री जनार्दन पुजारी :
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
श्री एडुआर्डो फैलीरो :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जारी आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबंदी के कोई आदेश जारी नहीं करने के अपने निर्णय संसूचित कर दिए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, यह निश्चय किया गया था कि इन राज्यों के भीतर व्यक्तियों के नजरबंदी के सम्बन्ध में आदेश केन्द्रीय सरकार अथवा उसके विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जायेंगे। तथापि नजरबंदी सम्बन्धी इन आदेशों का, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा बाकायदा निष्पादन किया जा रहा है।

प्रत्येक राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र

859. श्री जनार्दन पुजारी :
श्री माधव राव सिन्धिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में दो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां।

छठी योजना के अन्तर्गत विकास के लिए चुने हुए पर्यटक केन्द्रों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। समूची छठी योजना के आबंटन के अन्तर्गत प्रत्येक स्कीम के सम्बन्ध में तैयार किये जाने वाले ब्यौरे और उपलब्ध किए जाने वाले संसाधनों की प्रमात्रा संबंधी विवरण राज्य सरकार से परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पहले से ही विकसित केन्द्रों में छठी योजना की अवधि के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जारी रहेंगी। साथ ही, केन्द्रीय पर्यटन विभाग प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में अन्य पर्यटक अभिरुचि के स्थानों का जिनमें राज्यों अथवा केन्द्र द्वारा विकसित किए गए स्थान भी शामिल हैं, विदेशों में प्रचार करने तथा उनकी छवि को उजागर करने संबंधी कार्य करता रहेगा।

विवरण

राज्य	केन्द्र	योजना
आन्ध्र प्रदेश	1. हैदराबाद	हुसैन सागर में जल क्रीड़ा का विकास
	2. विशाखापत्तनम	युवा होस्टल
असम	1. काजीरंगा और मानस	काजीरंगा और मानस में परिवहन संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था।
	2. गौहाटी	गौहाटी में युवा होस्टल गौहाटी में भारत पर्यटन विकास निगम का होटल।

राज्य	केन्द्र	योजना
बिहार	1. बोधगया	यात्री गृह-विस्तार कार्यक्रम बोधगया, राजगीर-नालंदा के संबंध में महा-योजना तैयार की जा रही है। पर्यटन विभाग ग्राम व शहर आयोजना संगठन द्वारा महायोजना में की गई सिफारिशों के आधार पर कुछ योजनाएं प्रारंभ करेगा।
	2. राजगीर	भारतीय होटल निगम द्वारा होटल।
गुजरात	1. उकई	उकई रिजर्वायर एरिया में सुविधाएं (नौकाएं)
	2. अहमदाबाद	भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अहमदाबाद में 2/3 स्टार होटल।
हरियाणा	1. बदकल-सूरजकुण्ड क्षेत्र	पर्यटक ग्राम।
	2. कुरूक्षेत्र	धर्मशालाओं का सुधार।
हिमाचल प्रदेश	1. वशिष्ट	गर्म पानी के चश्मों का विकास।
	2. मनाली	मनाली में क्लब हाऊस।
जम्मू व कश्मीर	1. श्रीनगर	भारतीय होटल निगम द्वारा श्रीनगर में होटल
	2. गुलमर्ग	हिमक्रीड़ा रिसोर्ट का विकास। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटल।
कर्नाटक	1. मैसूर काम्पलेक्स	बन्दीपुर में वनगृह—मैसूर में वर्तमान भारत पर्यटन विकास निगम के होटल का विस्तार। मैसूर में युवा होस्टल।
	2. होसपेट (हाम्पी)	भारत पर्यटन विकास निगम यात्री गृह।
केरल	1. कोचीन	बैकवाटर्स का विकास
	2. कोवलम (चालू योजना पर)	योग-व-मालिश केन्द्र का निर्माण। समुद्रतट सेवा का निर्माण। कोवलम में और विकास कार्यक्रम।
	3. पेरियर वन्य जीव शरण स्थल	वर्तमान होटल अरन्या निवास का सुधार
मध्य प्रदेश	1. कान्हा	तम्बू आवास वन्य गृह
	2. भोपाल	भोपाल में भारत पर्यटन विकास निगम होटल।
	3. ओरछा	पर्यटक ग्राम।

राज्य	केन्द्र	योजना
महाराष्ट्र	1. बम्बई	एलीफैंटा में सुविधाएं (भूदृश्यांकन, जेटीज़, रेस्तरां, टोयलेट्, पीने के पानी आदि का सुधार) बम्बई में युवा होस्टल। बम्बई में जनता होटल। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 3-स्टार होटल। भारतीय होटल निगम द्वारा होटल।
मणिपुर	1. कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क	मिनी बस की व्यवस्था।
	2. लोकताक झील	सेलिंग किस्तियां प्रदान करके अथवा सौन्दर्यीकरण करके लोकताक झील का विकास।
मेघालय	1. शिलांग	युवा होस्टल, क्रीड़ा संबंधी सुविधाओं का विकास (गोल्फ स्पोर्ट्स)
नागालैंड	1. कोहिमा	युवा होस्टल
उड़ीसा	1. कोणार्क	भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान यात्री गृह का विस्तार।
	2. भुवनेश्वर	भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान यात्री गृह का परिवर्तन।
	3. सिमलीपाल	वन-गृह।
	4. पुरी	यात्री गृह।
पंजाब	1. पटियाला	युवा होस्टल।
	2. अमृतसर	अमृतसर के निकट व्यास में पर्यटक ग्राम।
	3. हरि-के-पट्टन शरण स्थल	मिनी बस
राजस्थान	1. मेवाड़ काम्पलेक्स हल्दीघाटी	महायोजना तैयार की जा रही है। हल्दीघाटी या काम्पलेक्स के अधीन अन्य स्थानों, जिनकी योजनाएं तैयार की जानी हैं, महायोजना में की गई सिफारिशों पर निर्भर करेंगी।
	2. जैसलमेर	भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा यात्री गृह।
	3. जयपुर	भारत पर्यटन विकास निगम के होटल अशोक जयपुर का निर्माण कार्य पूरा करना।

राज्य	केन्द्र	योजना
सिक्किम	1. गंगतोक	युवा होस्टल. सिक्किम में हिमालय पर्वतमालाओं में ट्रैकिंग सुविधाएं।
तमिलनाडु	1. मद्रास	जनता होटल।
	2. महाबलिपुरम्	महाबलिपुरम् पुरातत्व कम्पलेक्स के आस-पास के क्षेत्र का सौन्दर्यकरण।
	3. मदुरै	भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान यात्री-गृह का परिवर्तन।
त्रिपुरा	1. तीर्थमुख	दम्बूर झील में बोटिंग/सेलिंग संबंधी सुविधाएं
	2. अगरतला	भारत पर्यटन विकास निगम का होटल।
उत्तर प्रदेश	1. कार्बेट राष्ट्रीय पार्क	वन-गृह।
	2. बृज भूमि कम्पलेक्स	महायोजन तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा महायोजना में की गई सिफारिशों के आधार पर उनको कार्य सौंपा गया है। स्कीम शुरू की जायेगी।
	3. बुद्धिस्ट कम्पलेक्स का विकास	श्रावस्ती-कुशीनगर। महायोजना तैयार की गयी है। माइक्रोप्लानिंग का कार्य प्रगति पर है। माइक्रो प्लान के अन्तर्गत सिफारिशों के आधार पर स्कीम तैयार की जायेगी। कुशीनगर का विकास।
	4. यात्रा मार्गों का विकास।	
पश्चिम बंगाल	1. दार्जिलिंग	ट्रैकिंग सुविधाओं का विकास।
	2. कलकत्ता	जनता होटल।
	3. सुन्दरबन	सुन्दरबन में मोटर लांच।
संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1. पोर्ट ब्लेयर	युवा होस्टल मोटर लांच।
चण्डीगढ़	1. चण्डीगढ़	भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटल।
दिल्ली	1. दिल्ली	जनता होटल। भारत पर्यटन विकास निगम का 3-स्टार होटल महरौली में पर्यटक ग्राम।

राज्य	केन्द्र	योजना
गोश्रा	1. गोश्रा	कैंडोलिम समुद्रतट पर भारत पर्यटन विकास निगम का होटल। गोश्रा का विकास।
पांडिचेरी	1. पांडिचेरी	भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटल।
श्ररूणाचल प्रदेश	एटानगर	इन स्थानों की स्कीमें तैयार की जा रही हैं।
मिजोरम	ऐजोल	
दादर नागर हवेली	दादर नागर हवेली	
लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	

विमान परिचारिकाश्रों पर विवाह के बारे में प्रतिबन्ध लगाना

860. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पर्यटन श्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया श्रौर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान परिचारिकाश्रों पर विवाह करने व बच्चे जनने के बारे में कुछ प्रतिबंध लगाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्या श्रावश्यकता है श्रौर इस शर्त के पीछे क्या युक्ति है ; श्रौर

(ग) क्या विश्व की समस्त विमान सेवा कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंध लगाये जाते हैं ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन श्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) यदि विमान परिचारिकाएं चार वर्ष की सेवा के श्रन्दर-श्रन्दर विवाह कर लें या जब वे प्रथम गर्भधारण करें तो इनमें से जो भी पहले हो, उन्हें निगम की सेवा से निवृत्त होना पड़ता है। इस प्रावधान के पीछे यह युक्ति है कि विवाह हो जाने के बाद घरेलू ज़िम्मेदारियां बढ़ जाने के कारण विमान परिचारिकाश्रों को श्रपने कार्य में नियमितता तथा कार्यकुशलता बनाये रखने में कठिनाई होती है श्रौर गर्भधारण के दौरान व उसके बाद उन्हें उड़ानों की ड्यूटियों के लिये श्रपेक्षित डाक्टरी स्तरों को बनाए रखने में भी दिक्कत होगी।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि कुछ विदेशी एयरलाइनें श्रर्थात् जापान एयरलाइन्स, स्विसएयर, थाई एयरलाइन्स श्रादि गर्भधारण कर लेने पर विमान परिचारिकाश्रों की सेवाएं समाप्त कर देती हैं।

केरल में पर्यटन विकास की संभावनाएं

861. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पर्यटन श्रौर नागर विमानन** मंत्री केरल राज्य में मालाबार क्षेत्र के लिये विमान सेवा के बारे में 27 श्रप्रैल, 1979 के श्रतारांकित प्रश्न संख्या 8927 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि "केरल में पर्यटन विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं", जैसा कि उपरोक्त उत्तर में स्वीकार किया गया है, केन्द्र सरकार का विचार इस पहलू का व्यापक अध्ययन करने का है, क्योंकि केरल में पर्यटन विकास की उपलब्धियां एक राष्ट्रीय लाभ की बात होगी ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में प्रारम्भ किये जाने के लिये प्रस्तावित की गई तीन योजनाओं के वित्तीय एवं विकास के पहलुओं सहित उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन योजनाओं का कार्यान्वियन कब तक आरंभ किया जायेगा ; और

(ङ) क्या कालीकट में एस०टी०ओ०एल० परिचालन के लिये एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिये वित्तीय मंजूरी के बारे में निर्णय ले लिया गया है ; यदि हां तो काम कब आरंभ होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने स्वयं प्रशासनिक स्टाफ कालिज, हैदराबाद की एजेन्सी के माध्यम से केरल की पर्यटन संभावनाओं का सर्वेक्षण किया है ।

(ग) तथा (घ) केरल में चुने हुए स्थानों के साथ-साथ बैकवाटर्स पर और पेरियार वन्यजीव शरण-स्थल पर सुविधाओं का विकास करने का निर्णय लिया गया है । लागत सहित स्कीम के ब्यौरे राज्य सरकार से परामर्श करके अभी तैयार किए जाने हैं । धन-राशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए पंचवर्षीय योजना 1978-83 के दौरान उपर्युक्त स्कीमों का कार्यान्वियन शुरू किया जायेगा ।

(ङ) एस०टी०ओ०एल० परिचालनों के लिए 58.39 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर कालीकट में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने का प्रस्ताव था और योजनायें तथा अनुमान महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में तैयार किए जा रहे थे । तथापि, बाद में, इण्डियन एयरलाइन्स ने कालीकट में एच०एस-748 एयरक्रोफ्ट के साथ एक अनुसूचित सेवा संचालित करने के लिए इच्छा व्यक्त की है । इसलिए कालीकट में एक एस०टी०ओ०एल० हवाई अड्डे का निर्माण करने संबंधी योजनाएं लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत पर निम्नलिखित सुविधाओं के साथ $4500' \times 150'$ के एक रनवे का निर्माण शामिल करते हुए संशोधित की जा रही हैं ।

(1) एच०एस० 748 एयरक्राफ्ट संभालने के लिए एक उपयुक्त टर्मिनल बिल्डिंग ।

(2) एक तकनीकी ब्लॉक ।

(3) कनेक्टिंग टैक्सी ट्रैक के साथ एप्रन $300' \times 200'$ ।

(4) चार गैरिज ।

(5) कुछ आवासीय एकक ।

(6) अप्रोच रोड, कार पार्क और बिजली तथा पानी की आपूर्ति की व्यवस्था

उपर्युक्त लागत अनुमान में रेडियो, नेवीगेशनल एड्ज और सुरक्षा सेवा उपकरण की व्यवस्था करने की लागत शामिल नहीं है ।

एयर टैक्सी सेवा

862. डा० विजय मंडल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एयर टैक्सी सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त सेवा किन-किन महानगरों में आरंभ की जायेगी ; और

(घ) उस पर कितना व्यय आयेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) सरकार एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर देश में तीसरी वायु सेवा के परिचालन करने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार कर रही है जिसने, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रथम चरण में देश भर में फैले हुए घनी आबादी वाले 50 केन्द्रों को विमान सेवा से जोड़ने का सुझाव दिया था। इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की संख्या तथा विमानन ईंधन के मूल्य में हाल की प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए, अब ऐसी तीसरी वायु सेवा के परिचालन को उत्तर-पूर्वी भारत तक ही सीमित रखने का प्रस्ताव है। ऐसी तीसरी वायु सेवा द्वारा जोड़े जाने वाले केन्द्र ये हैं : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रूपसी, शिलांग, कमालपुर, कैलाशहर, गंगटोक, कूच बिहार, एलोंग, पासीघाट, इटानगर, ज़ीरो, तेज़ू, डबोरिजो, सादिया तथा ऐज़ोल। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परियोजना के वित्तीय परिणामों का अनुमान लगाया जा रहा है।

जहां तक बाकी देश का संबंध है, राज्य सरकारों तथा प्राइवेट पार्टियों से ऐसी तीसरी वायु सेवा के परिचालन के लिए आवेदन-पत्र पाप्त हुए हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

पूंजीगत वस्तुओं का आयात

863. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 के लिये घोषित आयात नीति में सरकार ने भारत लौटने वाले अनिवासी (नानरेजीडेंट) भारतीयों के लिये पैरा 82 के अन्तर्गत एक योजना का प्रस्ताव रखा था कि वे "बिना स्वदेश स्वीकृति" के 25 लाख रुपये मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-प्रत्यावर्तन योजना के अन्तर्गत टैक्स्चूराइजिंग मशीनों का आयात करने के लिये लगभग 25 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे तथा क्या वर्ष 1978 में पांच आवेदन पत्रों को निपटाया गया था तथा उन्हें स्वीकृति दी गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि इस नीति के अन्तर्गत सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बावजूद पूंजीगत वस्तु समिति (सी०जी०सी०) द्वारा निपटाये गये 18 आवेदन पत्र अभी स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1979-80 के लिये वही आयात नीति और वही योजना जारी रखी है; और

(ङ) वर्ष 1978 के लम्बित आवेदन पत्रों के साथ भेदभाव बरतने और विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) जो भारतीय विदेशों से लौट रहे हैं/विदेशों में रह रहे हैं, उनके आयात आवेदन पत्रों पर कार्यवाही औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जाती है और उनको पूंजीगत माल (मुख्य) समिति यह भी उसी विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रही है—के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को दिसम्बर, 1978 तक भारत लौटने वाले गैर-निवासी भारतीयों से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत टैक्सचराइसिंग मशीनों का आयात करने के लिए 18 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । इनमें से 4 आवेदन-पत्र पूंजीगत माल (मुख्य) समिति ने अनुमोदित किए थे और इन मामलों में लाइसेंस जारी कर दिए थे ।

1978 के शेष आवेदन-पत्रों पर पूंजीगत माल समिति की बाद की बैठकों में विचार किया गया था और उन्हें आम शर्तों के सत्यापन के आधार पर सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी गई थी । बाद में, 9-5-1979 को हुई बैठक में समिति ने निर्णय किया कि देश में टैक्सचराइसिंग मशीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इनके आयात सम्बन्धी पूरी नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) जो गैर-निवासी भारतीय स्वदेश में बस जाने के लिए लौट रहे हैं, उनके मामले में 1979-80 में निम्नलिखित संशोधनों के साथ मोटे तौर पर वही नीति (अर्थात् 1978-79 की) प्रभावी बनी हुई है :

(i) 25 लाख रुपए मूल्य की सीमा एक व्यक्ति पर लागू है । यदि दो अथवा अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कोई उद्योग स्थापित करते हैं तो यह सीमा उनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग तौर पर लागू होगी । उपयुक्त मामलों में, इस सीमा में सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के लिए ढील दी जा सकती है ।

(ii) पहले प्रयोग की जा चुकी मशीनरी के मामले में, 25 लाख रुपए की सीमा लगभग उसी किस्म/विशिष्टि की नई मदों की खरीद कीमत पर लागू होगी । जैसाकि ऊपर (क) से (घ) में बताया गया है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है ।

प्रशिक्षित विमानचालकों में बेरोजगारी कम करने के लिए की गई कार्यवाही

864. श्री आर० के० महालगी :

श्री बेदब्रत बरुआ :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अप्रैल 1979 के नई दिल्ली के एक साप्ताहिक पत्र "आर्गेनाइजर" में बेरोजगार प्रशिक्षित विमानचालकों के बारे में प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पण की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय बेरोजगार प्रशिक्षित विमानचालकों की संख्या कितनी है और प्रशिक्षित विमानचालकों की बेरोजगारी कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ प्रशिक्षित बेरोजगार विमानचालक भर्ती करने के बजाय, जिनके नाम प्रशिक्षा सूची में हैं सेवारत विमानचालकों को समयोपरि कार्य करने की अनुमति दी जाती है अथवा समयोपरि कार्य करने के लिये कहा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 178 चालू वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंसधारी पायलट बेरोजगार हैं।

प्रशिक्षित विमानचालकों की बेरोजगारी कम करने के लिये कई कदम उठाए गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. नागर विमानन विभाग में बेरोजगार विमानचालकों की सहायक एरोड्राम अधिकारियों के रूप में नियुक्ति।
2. एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, कृषि विमानन निदेशालय तथा भारत विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्राउंड ड्यूटियों पर नियुक्ति के लिये अतिरिक्त विमानचालकों की भर्ती।
3. फीडर लाइनों पर परिचालन के लिये तीसरी वायु-सेवा स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो वाणिज्यिक विमानचालकों के लिये और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
4. विमानचालकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एक केन्द्रीय फ्लाइंग एकेडेमी शुरू करने का भी प्रस्ताव है जिसमें बेरोजगार पायलटों को मल्टी इंजन विमानों तथा इंस्ट्रूमैंट फ्लाइंग पर कन्वर्शन ट्रेनिंग देना भी सम्मिलित है जिससे एयरलाइनों व अन्य परिचालकों के पास उनके रोजगार के अवसरों में सुधार होगा।

(ग) लाइन पायलटों को फ्लाइट तथा ड्यूटी समय की सीमाओं के अनुसार उड़ानें करनी पड़ती हैं, जो जैट पायलटों के लिये 65 घंटे प्रति माह हैं और गैर-जैट पायलटों के लिये 80 घंटे प्रति माह हैं। परन्तु पायलट एसोसिएशन के साथ हुए समझौते के अनुसार यदि एक माह में कभी भी 50 घंटे से अधिक की उड़ान की जाती हैं तो अधिक की गयी उड़ान के मुआवज़े के रूप में अतिरिक्त उड़ान वेतन का भुगतान किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग द्वारा ड्राफ्ट भुनाने वाली फर्मों के परिसरों पर छापे

865. श्री आर० के० महालगी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 मई, 1979 को अथवा उसके आस-पास आयकर विभाग द्वारा विभिन्न महाजनों और ड्राफ्ट भुनाने वालों के परिसरों पर छापे मारे गये थे;

(ख) किन-किन व्यक्तियों और फर्मों के मुख्यालयों पर छापे मारे गये थे;

(ग) इन छापों के क्या परिणाम निकले; और

(घ) सम्बद्ध व्यक्तियों और फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह्) : (क) जी, हां। 7 मई 1979 को आयकर अधिकारियों द्वारा ऐसे अनेक महाजनों और ड्राफ्ट भुनाने वाली फर्मों के परिसरों की तलाशी ली गई जिनके बारे में ऐसा समझा जाता है कि वे अपने बैंक खातों में, भारत के अनेक हिस्सों से प्राप्त हुए ऐसे डिमांड ड्राफ्ट भुनाते हैं जिनमें हिसाब में नहीं दिखाये गये बहुत से सन्देहास्पद लेन-देन अन्तरग्रस्त होते हैं।

(ख), (ग) ऐसे 34 व्यक्तियों के परिसरों से ली गई तलाशियों के दौरान, अनेक लेखा-बहियों और दस्तावेजों के अलावा लगभग 15 लाख रुपये की नकदी पकड़ी गई। मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में और अधिक ब्यौरा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे जांच की प्रगति में रुकावट आ सकती है।

(घ) इन मामलों में कानून के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सार्वजनिक वाहन के मालिक ड्राईवर को दुर्घटना पालिसी के अन्तर्गत लेना

866. श्री आर० के० महालगी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वाहन के मालिक-ड्राईवर को वाहन की दुर्घटना पालिसी के अन्तर्गत नहीं लिया जाता चूंकि वह वैतनिक सेवक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वाहन की दुर्घटना पालिसी के लाभों से मालिक-ड्राईवर को वंचित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार का स्थिति पर पुनर्विचार करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क), (ख) और (ग) सार्वजनिक वाहन की मोटर बीमा पालिसी के अन्तर्गत मालिक-ड्राईवर को चोट लग जाने पर कोई मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सार्वजनिक वाहन की मोटर बीमा पालिसीं के अधीन अन्य पार्टियों के प्रति कानूनी देनदारी और कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों की देनदारी आती है। चूंकि मालिक-ड्राईवर न तो अन्य पार्टी है और न ही कर्मचारी इसलिए वह पालिसी के अन्तर्गत नहीं आता। कारों के मालिक-ड्राईवर, यदि वे चाहें तो विभिन्न लाभ सहित योजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवा सकते हैं। उचित अतिरिक्त प्रिमियम अदा करने पर मोटर बीमा पालिसी के अन्तर्गत भी ऐसा कवच प्रदान करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

867. डा० वसन्त कुमार पण्डित :

श्री रोबिन सेन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जुलाई 1979 से प्रत्येक राज्य में खोली गई आवश्यक वस्तुओं की दुकानों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में इन दुकानों पर क्या वस्तुएं बिकती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उन वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धि किस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जायेगी ।

(ख) अनाज, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक और नियंत्रित कपड़ा, जो पहले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जा रहे हैं, के अलावा अब चाय, काफी, दियासलाइयां, कापियां तथा नहाने का साबुन भी उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध होगा । उचित दर की दुकानों के माध्यम से डाक लेखन-सामग्री और टिकटों तथा निरोध बेचने के लिए भी प्रबन्ध किये गये हैं । कापियों को छोड़कर, उपर्युक्त वस्तुएं उचित दर की दुकानों पर उन मुल्यों पर बेची जायेंगी जो स्थानीय करों और लेवियों पर निर्भर करते हुए अलग-अलग राज्य में भिन्न-भिन्न होंगे । तथापि, इन सभी वस्तुओं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य नियत है और देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए समान है ।

आयकर इंस्पैक्टरों के पदों को भरा जाना

868. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री इंस्पैक्टरों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में 6 अप्रैल 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6354 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न आयकर आयुक्तों के कार्यालयों में आयकर इंस्पैक्टरों के 500 पद आबंटित तथा रिलीज किए हैं;

(ख) क्या डी० पी० सी० की बैठकें हुई हैं और पदों को भरा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार इन पदों को भरने के लिए कितना समय लेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) आयुक्तों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और आशा है ये पद शीघ्र भरे जायेंगे । नियमों के अनुसार एक-तिहाई रिक्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने होते हैं ।

आयकर विभाग में प्रधान लिपिक के पदों पर पदोन्नति

869. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री आयकर विभाग

में प्रधान लिपिक के पदों पर पदोन्नति के बारे में 6 अप्रैल 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6342 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में कर सहायकों के पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रधान लिपिकों के पद पर पदोन्नति के बारे में कार्मिक विभाग ने क्या सलाह दी है;

(ख) क्या कार्मिक विभाग द्वारा उपर्युक्त (क) में दी गई सलाह के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक निर्णय लिये जाने और उसे कर्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) तथा (ग) मामला अभी भी विचाराधीन है और आशा है आयकर कर्मचारी महासंघ के साथ विचार-विमर्श के बाद शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिया जायेगा।

मादक पदार्थ विभाग का शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में डाक बंगला

870. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मादक पदार्थ विभाग का उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में तिलहर स्थित डाक बंगले पर, जो टूटी-फूटी हालत में हैं, किसान सहकारी चीनी मिल का भी कब्जा है और इसे किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या यह सच है कि किसान सहकारी चीनी मिल की प्रबन्ध समिति उक्त बंगले की एवज में क्षतिपूर्ति की अदायगी करने एवं कोई दूसरी जगह देने को तत्पर है और यदि हां, तो इसके बावजूद मादक औषधियां विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं। जिला शाहजहांपुर में तिलहर स्थित "अफीम कोठी" के नाम से ज्ञात भवन नारकोटिक्स विभाग के स्वामित्वाधीन है और उसका उपयोग केवल उसी विभाग द्वारा ही किया जा रहा है।

(ख) जी, हां। लेकिन किसान सहकारी चीनी मिल (फार्मर्स कोआपरेटिव शुगर मिल) की प्रबन्ध समिति ने अभी तक "अफीम कोठी" के बदले में कोई उपयुक्त वैकल्पिक स्थान देने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं भेजा है।

आलू का निर्यात

871. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आलू का निर्यात करने के लिए बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसका निर्यात किन देशों को किया जाएगा ; और

(ख) क्या यह निर्यात एजेंसियों द्वारा होगा अथवा व्यक्तिगत कृषकों को भी आलू का निर्यात करने की सुविधा दी जाएगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत मात्रा सम्बन्धी बिना किसी प्रतिबन्ध के सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों को आलू के निर्यात की अनुमति है।

"मल्टी करोर्स पाम आयल फ्राड" (कई करोड़ रुपयों के पाम आयल का गोलमाल) शीर्षक से समाचार

872. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 जून, 1979 के "बिल्ट्ज वीकली" में "कई करोड़ रुपयों के पाम आयल का गोलमाल" शीर्षक में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि "जाजू ग्रुप" ने पाम आयल का आयात करते समय अनेक अनियमितताएं की थीं जैसे कि एक भारतीय बैंक के अधिकारियों की सांठ-गांठ से धोखे-धड़ी से एल०सी० खोलना और आयातित तेल की चोर बाजारी करना ;

(ख) यदि हां, तो मामले से सम्बन्धित पूर्ण तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस जालसाजी में अन्तर्ग्रस्त भारतीय बैंक के कर्मचारियों और वाणिज्य मंत्रालय के कर्मचारियों का विवरण क्या है ;

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या सरकार का इस मामले में किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा जांच कराने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में निर्दिष्ट मै० बजरंगलाल अनिल कुमार ने 8,573 मे० टन शोधित नारियल के तेल, शोधित रेपशीड के तेल और शोधित ताड़ के तेल के आयात के लिए, जिनका मूल्य 20 करोड़ रुपये था, मार्च 1977 में आयात लाइसेंस प्राप्त किया था। वाणिज्य विभाग की दिनांक 27 दिसम्बर, 1977 की सार्वजनिक सूचना सं० आई० टी० सी० (पी० एन०) - 122/77 के अनुसरण में, उस लाइसेंस पर आयात तभी किए जा सकते थे जब अपरिवर्तनीय ऋण पर 11 अक्तूबर, 1977 को अथवा उससे पूर्व खोल लिए गये होते। अप्रैल और मई, 1978 के दौरान इस फर्म ने 2.49 करोड़ रुपये सी०आइ०एफ० मूल्य पर 4488 मे० टन आर० बी० डी० ताड़ के तेल की कुल मात्रा की पांच खेपों का आयात किया।

सीमा-शुल्क अधिकारियों ने इस आयात को इस आधार पर अनधिकृत घोषित कर दिया कि आयातक द्वारा पेश किए गये दिनांक 29 सितम्बर, 1977 और 3 अक्तुबर, 1977 के ऋण पत्रों को सम्बद्ध बैंक द्वारा पहले रद्द कर दिया गया था। तदनुसार, आयात किए गये माल को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था और 22.67 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने पर छोड़ दिया गया था।

जहां तक मैसर्स असम रोलर मिल्स और मै० प्रीमियर वेजीटेबल्स प्रोडक्ट्स का सम्बन्ध

है, जिनका भी समाचार में जिक्र है, आई० टी० सी० संगठन की जानकारी में अभी तक कोई मामला नहीं लाया गया है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय का कोई अधिकारी अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

(घ) सीमा-शुल्क अधिकारियों ने आयातक पर पहले ही 22,67,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है । इसके अतिरिक्त, आयातक के खिलाफ अनुवर्ती पैनल कार्यवाही के लिए आयात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

(ङ) मामले की पहले ही आई०टी०सी० प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती

873. श्री राम सागर :

श्री राम नरेश कुशवाहा :

क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **वित्त** मंत्री **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1978 से अब तक देश के विभिन्न प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों से कितनी-कितनी धन राशि की चोरी हुई ; अथवा उनमें डकैती पड़ी ;

(ख) कितने मामलों के सुराग मिले हैं और कितने मामलों में बैंक के कर्मचारियों का हाथ होना पाया गया ;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में इन चोरियों की रोकथाम के लिए सरकार का क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (घ) यथासम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए कार्यवाही

874. श्री डी० डी० देसाई : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेल भाड़े, डाक दरों और इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि मुद्रास्फीति के रुख के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है ;

(ख) यदि हां, तो महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है कि सरकार के अधीन दी जा रही आधारभूत सुविधाओं की लागत में वृद्धि सरकार अपने साधनों से पूरा करे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 31 मार्च, 1979 से लेकर 23 जून, 1979 तक थोक कीमतों के सूचक अंक (1970–71=100) में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस वृद्धि में इस्पात, एल्यूमीनियम और सीमेंट का योगदान लगभग नवें हिस्से के

बराबर है। रेल-भाड़े आदि जैसी सेवाओं की लागत में वृद्धि होने के प्रभाव को परिमाण में व्यक्त करना संभव नहीं है।

(ख) सरकार इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है कि अत्यावश्यक निवेश्यवस्तुओं की कीमतों को यथासम्भव कम-से-कम स्तर पर रखा जाए और इनमें वृद्धियों को तभी होने दिया जाता है, जब वे अनिवार्य होती हैं। इसके बावजूद भी वृद्धियों को न्यूनतम स्तर पर रखने की कोशिश की गई है, अर्थात् उस सीमा तक, जिस तक उत्पादन की लागत में होने वाली वृद्धि और उद्योग विशेष के विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना उचित होगा।

(ग) जबकि सरकार यही आशा करती है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपने ही साधन पर निर्भर करें और समर्थन के लिए बजट पर आश्रित न रहें, फिर भी सभी मामलों में इस स्थिति को प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि उनके कार्यों के साथ भी सामाजिक दायित्व जुड़े हुए हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को घाटा

875. श्री डी० डी० देसाई : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 जून के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' समाचार देखा है जिसमें यह कहा गया था कि यदि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को रुग्ण उद्योगों को ऋण देने और ग्रामीण शाखाओं का भी विस्तार करने का कार्य जारी रखने के लिये कहा गया तो उनको घाटा उठाना पड़ सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को भारी घाटा हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) बैंकों से कहा गया है कि वे उन रुग्ण एककों को ऋण प्रदान करें जो कि अर्थक्षम हों। हालांकि ऐसे रुग्ण एककों को ऋण देने से बैंक की लाभार्जकता पर असर जरूर पड़ता है लेकिन ऋण प्रदान करने से पूर्व, सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, रुग्ण उद्योगों को पहले से दिये गए ऋणों की वसूली, उद्योगों के बन्द हो जाने के फलस्वरूप बेकारी की समाप्ति को सुनिश्चित करना आदि कुछ विभिन्न कारण हैं जिनके आधार पर ये ऋण स्वीकृत किये जाते हैं। ऋण प्रदान करते समय बैंक इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी लाभार्जकता में किसी प्रकार की कमी न आए।

(ग) तथा (घ) ग्रामीण शाखाओं सहित वाणिज्यिक बैंकों की सभी नई शाखाओं को अर्थक्षम होने के लिए तथा घाटा पूरा करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। इस अवधि में एकरूपता नहीं होती तथा यह अलग-अलग शाखाओं में भिन्न होती है जो कि उनके कार्यक्षेत्र में बैंकिंग व्यवसाय के ऊपर निर्भर होती है। बैंक भी अपना शाखा विस्तार कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए भी उनकी हानि कम से कम ही रहे।

बेरोजगार प्रशिक्षित पायलट

876. **श्री आर० मोहनरंगम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित परन्तु बेरोजगार पायलटों की संख्या कितनी है ;

(ख) यह पायलट कितने समय से बेरोजगार हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के उड़ान कार्यक्रम के अस्तव्यस्त होने का एक कारण प्रशिक्षित पायलटों की कमी का होना है ; और

(घ) यदि हां, तो बड़ी संख्या में प्रशिक्षित परन्तु बेरोजगार पायलटों के रहते हुए सरकार इस स्थिति से किस प्रकार निबटेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बेरोजगार विमानचालकों की कुल संख्या 178 होने का अनुमान है ।

(ख) इस संबंध में यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास में "डिज़नी वंडरलैंड" का निर्माण

877. **श्री रागावेलू मोहनरंगम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) मद्रास में "डिज़नी वंडरलैंड" का निर्माण करने के लिए तमिलनाडु की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पर्यटकों के आकर्षण के लिए इस योजना की क्या सम्भावनाएं हैं ; और

(ग) इस योजना को क्रिवान्वित करने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता, वस्तु तथा धन के रूप में देने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही ऐसी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्री-कर समाप्त करने के लिए ज्ञापन

878. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों अथवा राजनीतिक दलों से कुछ ज्ञापन प्राप्त हुये हैं जिसमें बिक्री-कर समाप्त करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने उनकी मांग के समर्थन में क्या बातें कही हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को व्यापारियों से बहुत सी ऐसी दरख्वास्तें मिली हैं जिनमें बिक्री-कर को समाप्त करके उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने का सुझाव दिया गया है। इनमें से कुछ दरख्वास्तें सरकार को जनता पार्टी के द्वारा भेजी गयी थीं। इन दरख्वास्तों में, मांग के समर्थन में मुख्य तर्क यह है कि जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में बिक्री-कर को समाप्त करने का वादा किया था।

कार्यकारी पार्षद, दिल्ली ने भी महानगर परिषद, दिल्ली द्वारा पारित एक संकल्प भेजा था जिसमें बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को इस प्रकार के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से, इसकी बिक्री-कर की वसूली के बराबर की रकम का आबंटन करने की सिफारिश की गई है।

(ग) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना को सीमेंट, औषधियों, वनस्पति और पैट्रोलियम उत्पादों जैसी कुछ अनिवार्य वस्तुओं पर लागू करने के प्रश्न पर सबसे अंतिम बार विचार 19 और 20 मई, 1979 को हुई राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों की बैठक में किया गया था। इस प्रस्ताव का राज्यों ने बड़े बहुमत से विरोध किया था। क्योंकि संविधान के अनुसार किसी राज्य में बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाने का मामला राज्यों के कराधान का विषय है, अत: इसके लिए बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने का कार्य राज्य सरकारों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

गोदामों में पड़े जब्त माल की जांच

879. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदामों में पड़े जब्त माल की वर्षों तक जांच न होने के कारण सरकार के पास ऐसे माल के बारे में पूरी जानकारी नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नुकसान और उक्त माल की अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, सीमा शुल्क गोदामों में रखे गये, पकड़े गये और जब्तशुदा माल की गत तीन वर्षों से निर्धारित कार्यविधि के अनुसार नियतकालिक स्टाक जांच की जा रही है। लेकिन यह बताया गया है कि सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्तालय, बम्बई के कुछ गोदामों में रखे गए माल की भारी भीड़-भाड़ के कारण 1976 से पूर्व कुछ वर्षों से नियतकालिक स्टाक जांच नहीं की गई। इस माल के स्टोर करने और निपटान करने सम्बन्धी अनुदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ उपयुक्त विभागीय कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

आर्थिक योजनाओं को गति दिया जाना

880. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुभव करती है कि देश की आर्थिक योजनाओं को गति देने के लिए उत्पादक व्यय में वृद्धि और अनुत्पादक व्यय में कमी आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या योजना बनाई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुलिफकार उल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने लोक सभा के सदस्य, श्री एस०एन० मिश्र की अध्यक्षता में सरकारी व्यय के सम्बन्ध में एक आयोग नियुक्त किया है । आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक विचारार्थ विषय है मुख्य परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन, निरीक्षण और मूल्यांकन के आयोजन करने की विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना ताकि उत्तरदायित्व से विमुक्त हुए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आ सके, लागत में वृद्धियों और विलम्बों को टाला जा सके और किए गए व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उचित मूल्य की दुकानों को वस्तुएं बेचने के बारे में निर्देश

881. श्री क० मालन्ना : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में उचित मूल्य की दुकानों को वस्तुएं बेचने के बारे में निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त वस्तुएं बेचे जाने संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गरीब जनता को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नियन्त्रित कपड़े के बारे में कोई रियायतें दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क), (ख), (ग) व (घ) उत्पादन-एवं-वितरण योजना 1-7-79 से शुरू की गई है । इस योजना में उचित दर की दुकानों की वर्तमान प्रणाली को मजबूत करने और निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं को इसमें शामिल करने की व्यवस्था है, अर्थात् चाय, काफी, दियासलाइयां, नहाने और कपड़े धोने का साबुन, सस्ती किस्म का कपड़ा और कापियां । सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि इस प्रणाली के लाभ ग्रामीण इलाकों और समाज के कमजोर वर्गों को पहुंचें ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

882. श्री अमर राय प्रधान : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा** वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में भारी कटौती कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) राज्य की आयोजनाओं (1978-83) के लिए केन्द्रीय सहायता 10,350 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है जो पांचवीं योजना को अंतिम रूप देते समय निर्धारित की गई रकम से बहुत अधिक है। राज्यों को सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय संसाधनों का अपेक्षाकृत काफी अधिक अंतरण भी प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों, सहायता अनुदानों तथा आयोजनागत सहायता में हिस्से के रूप में राज्यों को अंतरित किए जाने वाले कुल संसाधन 1978-83 के दौरान काफी अधिक होंगे।

थोक मूल्य सूचकांक और श्रम मूल्य सूचकांक में वृद्धि

883. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1979 में थोक मूल्य सूचकांक और श्रम मूल्य सूचकांक क्या था और अब क्या है ;

(ख) मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के कारण क्या हैं और उसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि राज्य व्यापार निगम तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान गैर-सरकारी उद्योगपतियों की तरह लाभ कमाने में लगे हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जून, 1979 के पहले चार सप्ताहों में थोक कीमतों का औसत सूचक अंक (1970-71=100) 200.8 रहा जबकि इसकी तुलना में फरवरी 1979 में यह सूचक अंक 184.6 था। मई 1979 में अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) 339 पर था जबकि इसके मुकाबले फरवरी 1979 में यह सूचक अंक 329 था।

(ख) इस वर्ष कीमतों में वृद्धि होने के मुख्य कारण ये रहे हैं, अर्थात् (i) कुछ वस्तुओं, जैसे कि अलौह धातुओं, सीमेंट, लोहा तथा इस्पात के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि की अनुमति देना, (ii) मौसमी दबावों का असर, जैसे कि दूध तथा दूध उत्पादों और फलों तथा सब्जियों के मामले में, (iii) आयात की बढ़ी लागत, जैसे कि पैट्रोलियम उत्पादों तथा खाद्य तेलों की बढ़ी लागत तथा (iv) तीन लगातार वर्षों में अर्थात् 1976-77 से 1978-79 तक मुद्रा उपलब्धि में बड़ी तेज रफ्तारी से ज्यादा दर के हिसाब से वृद्धि होना।

(ग) राज्य व्यापार निगम जैसे व्यापारिक संगठनों को वाणिज्यिक उद्योगों के रूप में कार्य करना पड़ता है और इस तरह उनको लाभ की एक मुनासिब मात्रा ही अर्जित करनी पड़ती है। फिर भी इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का ध्यान रखा गया है कि वे अत्यधिक लाभोपार्जन न करने लगें, जो कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(घ) सरकार मूल्य स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखती है और जब कभी आवश्यक होता है, कीमतों की अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए उचित उपाय करती है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने चीनी, तेलहन, वनस्पति तेलों तथा दालों जैसी संवेदनशील मूल्य वाली वस्तुओं के आधार पर ऋण देने की व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। एक अध्यादेश भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार अनिवार्य निक्षेप योजना की राशि की वापसी अदायगी, जो इस वर्ष 6 जुलाई को की जानी थी, एक वर्ष के लिए रोक दी गई है। यह कदम सकल मांग पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।

गैर-सरकारी व्यक्तियों के विदेश दौरों पर सरकार द्वारा किया गया व्यय

884. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मन्त्री सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों के विदेशी दौरों पर हुए व्यय के बारे में 21 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 868 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1979 तक के बीच गैर-सरकारी व्यक्तियों के विदेशी दौरों पर किये गए व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा इन व्यक्तियों पर व्यय करने का प्रयोजन क्या था ; और

(ग) गत 2 वर्षों में जिन व्यक्तियों पर सरकार द्वारा व्यय किया गया उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का पता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सहायता सार्थ संघ से सहायता

885. श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री धर्मवीर वशिष्ठ :

श्री डी० अमात :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सहायता सार्थ संघ ने इस वर्ष जून के प्रथम में सप्ताह में पेरिस में हुई अपनी बैठक में भारत को 30 अरब अमरीकी डालरों की सहायता देने का वचन दिया है ;

(ख) सार्थ संघ द्वारा इस वर्ष दी गई सहायता पिछले चार वर्षों में दी गई सहायता की तुलना में प्रतिशतता अनुमानतः कितनी अधिक है ; और

(ग) पेरिस में हुई बैठक में कौन-से देशों व संगठनों ने भाग लिया और प्रत्येक ने भारत को इस वर्ष कितनी सहायता का आश्वासन दिया है तथा गत चार वर्षों के दौरान उन्होंने कितनी सहायता दी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) भारत सहायता संघ की जून 1979 को पेरिस में हुई बैठक में 299.2 करोड़ अमरीकी डालर की कुल राशि के वचन दिए गए इसमें ब्रिटेन और कनाडा द्वारा दिये जाने वाले वचनों की राशि शामिल नहीं है ; जिनके प्रतिनिधि बैठक में किसी राशि का संकेत नहीं दे सके थे ; क्योंकि उनके देशों में हाल ही में नई सरकारें बनी हैं ।

(ख) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, वर्ष 1979-80 के लिए सहायता संघ द्वारा सहायता सम्बन्धी दिये गये वचनों की राशि 1975-76 के वचनों से 68.6 प्रतिशत, 1976-77 से 78.4 प्रतिशत, 1977-78 से 42.4 प्रतिशत और 1978-79 से 21.4 प्रतिशत अधिक है ।

(ग) विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में अस्ट्रिया, बैल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, जापान, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास सहायता समिति/आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यूरोपीय समुदाय आयोग तथा स्विट्जरलैंड की सरकार के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए ।

सहायता संघ की बैठक में इन देशों/संस्थाओं द्वारा सहायता के लिए दिये गए वचन प्रारम्भिक और अनन्तिम किस्म के होते हैं क्योंकि सभी देशों को वैद्धानिक अनुमोदनों और बजट विनियोजनों आदि की आवश्यकता है ; और इसलिए वे वैधानिक और सरकारी कर्रवाई पूरी होने से पहले पक्के और सही-सही संकेत देने में असमर्थ होते हैं । अत: जब तक वे देश स्वंय सहायता के वचनों की राशि औपचारिक रूप से न बता दें तब तक सहायता का देशवार ब्यौरा देना उचित नहीं होगा ।

एयर इण्डिया से बड़ी संख्या में कर्मचारियों का निकलना

886. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इण्डिया से बड़ी संख्या में कर्मचारी निकलने लगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां । एयर इन्डिया से कुछ प्रशिक्षित कर्मचारियों ने कारपोरेशन की नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें विदेशी संगठनों द्वारा अधिक आकर्षक शर्तों पर आफर दी गई । 1978 के दौरान कुल 183 कर्मचारियों ने एयर इन्डिया से त्याग-पत्र दिये ।

(ख) कर्मचारियों के निकलने को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) एयर इण्डिया ने सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों से उनकी वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने के लिए सम्पर्क किया है तथा सुझाव दिया है कि वे एयर इण्डिया से कर्मचारियों की अपनी भर्ती कम से कम कर दें तथा इसको अधिक अन्तरालों पर फैला दें ।

(ii) पायलटों तथा अन्य उड़ान कार्मिकों के मामले में जब वे विदेशों की फ्लाइंग ड्यूटी पर होते हैं तो वहां की ऊंची कीमतों को देखते हुए उनके खर्चों की पूर्ति के लिए उनके भत्तों को संशोधित करके बढ़ा दिया गया है।

(iii) एयर इण्डिया के लाइसेंस वाले वर्गों की सेवा निवृत्ति की आयु को बढ़ा कर 60 वर्ष कर देने, अधिवर्षता तथा ग्रुप बीमा स्कीमों आदि जैसे अन्य प्रोत्साहनों पर भी विचार किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों को कम करने के सम्बन्ध में वैद्य समिति का प्रतिवेदन

887. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम की दरें कम करने के विचार से गठित वैद्य समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) प्रीमियम की दरों का पुनरीक्षण पहले कब किया गया था; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (घ) तक : जीवन बीमा कारबार का 1956 में राष्ट्रीयकरण करने पर भावी नए कारबार के लिए दरों के संबंध में यह निर्णय किया गया कि ये दरें ओरियंटल गवर्नमैंट सिक्योरिटी लाइफ ऐश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की प्रीमियम दरों के बीमें की हर एक हजार रुपये की राशि पर एक रुपए अथवा प्रीमियम के 5 प्रतिशत की, इनमें से जो भी कम हो, कमी करके निर्धारित की जाएं। तब से लाभ सहित योजनाओं के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन निगम की कई "लाभ सहित" योजनाओं के अन्तर्गत 1970 से समय-समय पर प्रीमियम दरों में कमी की गई है।

जीवन बीमा निगम ने श्री एस० एन० वैद्य की अध्यक्षता में जीवन बीमा निगम की वर्तमास प्रीमियम दरों की जांच करने और इस बात पर विचार करने के लिए बीमांककों की एक समिति नियुक्त की थी कि क्या इनमें कोई संशोधन किए जाने की जरूरत है, यदि ऐसा संशोधन जरूरी है तो प्रीमियम के आधार क्या होंगे और पालिसीधारियों में समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने होंगे। समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश कर दी है और इस समय जीवन बीमा निगम में उस पर विचार किया जा रहा है।

बिक्री-कर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लगाना

888. श्री एस० आर० दामाणी :

श्री बेदव्रत बरूआ :

श्री दुर्गाचन्द :

श्री भागीरथ भंवर :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिक्री कर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करक कोई फार्मूला तैयार किया गया है जो सब को स्वीकार्य हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति ने बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना को सीमेन्ट, औषधियों, वनस्पति तथा पैट्रोलियम उत्पाद जैसी कुछ अनिवार्य वस्तुओं पर भी लागू करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर सबसे अन्तिम बार विचार 19 और 20 मई 1979 को हुई राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में किया गया था। इस प्रस्ताव का राज्यों ने बड़े बहुमत से विरोध किया। किसी भी राज्य में माल की खरीद या बिक्री पर कर लगाने का मामला, संविधान के अनुसार राज्य सरकारों के कराधान का विषय है, इसके लिए बिक्री कर के स्थान पर, उत्पादन शुल्क, राज्य सरकारों की सहमति के बिना नहीं लाया जा सकता।

जब्त किये गये माल की सामयिक पड़ताल

889. श्री एस० आर० दामाणी :

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब्त किये गये माल के सम्बन्ध में कोई सामयिक पड़ताल की गयी है और कब ;

(ख) उनका कुल मूल्य कितना है और क्या ठीक हिसाब-किताब रखा गया है ;

(ग) क्या गोदामों से चोरी किये जाने के कोई समाचार मिले हैं ; और

(घ) क्या जब्त माल के भंडारण और निपटान के बारे में कोई पुनरीक्षित प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, पकड़े गये और जब्तशुदा माल की, जो सीमा शुल्क गोदामों में रखा गया था, पिछले तीन वर्षों में समय-समय पर जांच की गई है।

(ख) जी, हां। पकड़े गए/जब्तशुदा माल का, जो सीमा शुल्क गोदामों में रखा गया था, कुल मूल्य, 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार, लगभग 59.75 करोड़ रुपये था।

(ग) जी, हां।

(घ) पकड़े गये/जब्तशुदा माल के उपयुक्त भण्डारण के सम्बन्ध में वर्ष 1961 में निर्धारित कार्यविधि को पर्याप्त पाया गया। फिर भी, उक्त माल के निपटान सम्बन्धी कार्यविधि की समीक्षा की गई थी और इस माल की विभिन्न श्रेणियों के निपटान के तरीके के सम्बन्ध में संशोधित अनुदेश मई, 1978 में जारी कर दिये गए थे। निपटान के लिए तैयार पकड़े गए/जब्तशुदा माल का द्रुतगति से निपटान करने के लिए, हाल ही में निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं :—

(i) सहकारी उपभोक्ता समितियों, सुपर बाजारों आदि के जरिए उपभोक्ताओं के हाथों बेचने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ को संश्लिष्ट वस्त्र, इलैक्ट्रानिकी माल और अन्य विविध वस्तुओं जैसी कुछ वस्तुओं की बिक्री ।

(ii) सैनिक और अर्द्ध-सैनिक संगठनों को, उनके कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए उपर्युक्त वस्तुओं की बिक्री ।

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य किया जाना

890. श्री अनन्तराम जायस्वाल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून के महीने के दौरान रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य करने के आन्दोलन के फलस्वरूप बैंक का लगभग सारा काम अस्त-व्यस्त हो गया था जिससे वाणिज्य, व्यापार और उद्योग को भारी घाटा उठाना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें क्या थीं जिसके कारण उन्हें नियमानुसार कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा क्या सरकार ने इस आन्दोलन को समाप्त करने हेतु इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता की है और यदि हां, तो इस वार्ता का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) रिजर्व बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों के मामले को लेकर हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं, इसे देखते हुए क्या सरकार का विचार बैंकिंग सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्मचारियों की मांगें वेतनमानों के संशोधन, मंहगाई भत्ते, अन्य भत्तों और सेवा शर्तों में सुधार से सम्बन्धित हैं । समझौता कार्रवाई मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के तत्वाधान में हुई थी ; कोई समझौता नहीं हो सका । मुख्य श्रम आयुक्त की असफलता की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस विवाद को न्याय-निर्णय के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (सेवायें बनाये रखना) अध्यादेश के अधीन जारी किये गये आदेश के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक में हड़ताल प्रतिषिद्ध कर दी गई है ।

एयर इण्डिया और इंडियन एयरलान्इस में वाणिज्यिक विमानचालकों की कमी

891. श्री अनन्तराम जायस्वाल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इन्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में वाणिज्यिक विमान चालकों की अत्यधिक कमी है जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों एयरलाइन्स की सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1974 से 31 दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान एयर इन्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में पृथक-पृथक कितने वाणिज्यिक विमानचालक कार्य कर रहे थे;

(ग) वाणिज्यिक विमान चालकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है ; और

(घ) वर्ष 1979-80 में एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा पृथक-पृथक कितने अतिरिक्त विमान/एयर बस किराये पर लेने अथवा खरीदने का विचार है और इसके लिए कितने अतिरिक्त विमानचालक चाहियें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। इण्डियन एयरलाइन्स के पास अपने चालू परिचालनों के लिए वाणिज्यिक विमान चालकों की कोई कमी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1980-81 की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, इन्डियन एयरलाइन्स ने प्रशिक्षु विमानचालकों की भर्ती के लिए मार्च, 1979 के दौरान एक विज्ञापन जारी किया है तथा चयन किया जा रहा है।

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स वर्ष 1981 तक इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में वृद्धि करने के लिए विमान प्राप्ति कार्यक्रम के अनुसार, इण्डियन एयरलाइन्स ने सात बोईंग-737 विमानों (जिसमें नष्ट हुए विमान के बदले में लिया जाने वाला एक विमान भी सम्मिलत है) तथा दो एयरबस ए-300 बी2 विमानों की खरीद के लिए आदेश दे दिए हैं। 1981 में परिचालनों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त विमानचालकों की संख्या लगभग 60 है।

एयर इंडिया

एयर इण्डिया ने चार बी-747 विमानों की खरीद के लिए (जिनमें 1-1-78 को दुर्घटना में नष्ट हुए विमान के बदले में लिया जाने वाला एक विमान भी सम्मिलित है)) आदेश दे दिये हैं। इन विमानों की डिलीवरी मार्च 1980 तक होनी है।

जहां तक अतिरिक्त विमानचालकों की आवश्यकताओं का संबंध है, यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जहां तक प्रश्न के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में एयर इंडिया से संबंधित सूचना का संबंध है, सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चावल का निर्यात

892. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चावल का दूसरे देशों को निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) किन राज्यों से ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) 1978-79 के दौरान 67,090 मे० टन बासमती चावल का निर्यात किया गया। अप्रैल-मई 1979 के दौरान बासमती चावल की 3,352 मे० टन मात्रा का निर्यात किया गया। बासमती के अलावा 10,000 मे० टन दूसरे चावल का निर्यात किया गया और 30,000 मे० टन निर्यात करने की संविदा की गई।

(ग) बासमती चावल का निर्यात पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से किया गया। बासमति के अलावा दूसरे चावल का निर्यात केन्द्रीय भंडार, आँध्र प्रदेश तथा तमिलनाडू से किया जाता है।

गुड़ का निर्यात

893. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़ का अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को; और

(ग) इसका इस वर्ष कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल-सितम्बर 1978 के दौरान ईख के गुड़ का निर्यात मुख्य रूप से इथोपिया, हांगकांग, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, ब्रिटेन, यमन, अरब गणराज्य को किया गया।

(ग) अप्रैल-सितम्बर 1978 के दौरान गुड़ की निर्यात की गई मात्रा 1200 मे० टन थी। पूरे वर्ष के निर्यात आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं।

चीनी का निर्यात

894. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष अन्य देशों को चीनी का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) उसने किन दरों पर उन देशों को चीनी बेची है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) 4,58,500 मे० टन (3-7-79 तक)

(ग) लंदन की दैनिक कीमत के औसत के आधार पर दरें तय की गई हैं।

लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने पर रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाना

895. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने पर इस वर्ष प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण नीति के बारे में स्वर्णकार संघ द्वारा दिये गये सुझाव

896. श्री एस० एस० सोमानी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नीलामी नीति की असफलता को देखते हुए स्वर्णकार संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल हाल में स्वर्ण नीति समिति और वित्तीय मामलों के बारे में उनसे मिला था तथा उसने कुछ सुझाव दिये; और

(ख) यदि हां, तो सुझावों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, दिल्ली के प्रतिनिधियों ने हाल ही में उप प्रधान मंत्री (वित्त) से मुलाकात की थी।

(ख) स्वर्णकार संघ ने उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को प्रस्तुत किये अपने ज्ञापन में सरकार की स्वर्ण-नीति के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिये थे :—

(1) आभूषण उद्योग को, कुटीर उद्योग के रूप में मान्यता दी जाए;

(2) स्वर्णाभूषणों का निर्यात, हथकरघा उद्योग के अनुरूप स्थापित किये गये किसी सरकारी अभिकरण के माध्यम से किया जाय;

(3) स्वर्णाभूषणों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का उपयोग सोने के आयात के लिये किया जाए और उस सोने को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से प्रमाणित स्वर्णकारों को उचित मूल्यों पर वितरित किया जाए;

(4) व्यापारियों की संस्था को समाप्त किया जाए;

(5) आभूषण-निर्माण का एकाधिकार प्रमाणित स्वर्णकारों को दिया जाए;

(6) किसी प्रमाणित स्वर्णकार को किसी अन्य प्रमाणित स्वर्णकार को नियुक्त करने की अनुमति दी जाए।

स्वर्ण-नीति की समीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा की जा रही है। समिति ने जब स्वर्णकार संघ के प्रतिनिधियों की सुनवाई की तो उन्होंने वही सुझाव समिति के सामने रखे। समिति द्वारा उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देने की आशा है। आगे की कार्य पद्धति का निर्धारण करने से पहले सरकार समिति की रिपोर्टों की प्रतीक्षा करेगी।

इस्पात उत्पादों का सऊदी अरब को निर्यात के संबंध में करार-वचनों को पूरा न किया जाना

897. श्री एस० एस० सोमानी :

श्री सुधीर घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सऊदी अरब को विभिन्न इस्पात उत्पादों तथा भवन-निर्माण सामग्री के निर्यात के लिए अनेक भारतीय फर्मों द्वारा पहले ही खोले गये साख पत्रों के अनुसार करार-वचनों को पूरा करने से इन्कार करने से भारत और सऊदी अरब के बीच वाणिज्यिक सम्बन्ध बिगड़ने का खतरा है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) इस्पात उत्पादों की सप्लाई के बारे में संविदागत दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में कुछ सऊदी अरेबियाई पार्टियों से कुछ शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों के मिलने पर इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद को सरकार ने सलाह दी है कि वे दोषी भारतीय फर्मों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें। सरकार ने परिषद को यह सलाह भी दी है कि वे अपने सदस्यों पर जोर डालें कि इंजीनियरिंग माल के भारतीय निर्यातकों द्वारा संविदागत दायित्वों को पूरा न किया जाना सरकार को बहुत ही खलता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इस प्रकार के विवाद असाधारण नहीं हैं। अत: ऐसी आशा नहीं है कि इस प्रकार के विशिष्ट विवादों से सऊदी अरब के साथ भारत के समग्र व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभावी नियंत्रण

898. श्री वी० अरूणाचलम :

श्री अरविंद बाला पजनौर :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शेयर पूंजी राशि कम करने के बावजूद वैयक्तिक भारतीय अंशधारियों द्वारा शेयर पूंजी की राशि के प्रसार के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभावी नियंत्रण है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके सरकार से बहुत सी रियायतें ले रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों को पूरी तरह से राष्ट्रीय आवश्यकताओं के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों पर नियन्त्रण प्रमुख रूप से कम्पनी में धारित सामान्य शेयरों की संख्या के आधार पर प्राप्त मताधिकार शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। उन कम्पनियों में जहां विदेशी शेयर घटाकर

74 प्रतिशत अथवा 51 प्रतिशत तक कर दिए गए हैं उन पर विदेशी शेयर धारियों का नियंत्रण रहेगा। ऐसे मामलों में जहां विदेशी शेयर घटा कर 40 प्रतिशत कर दिए जाते हैं वहां नियंत्रण इस बात पर निर्भर करेगा कि शेष-शेयर भारतीयों के हाथों में वास्तव में किस प्रकार वितरित हैं। यदि ये शेयर व्यापक रूप बहुत से शेयर धारियों में बंटे हुए हैं जो आपस में एक नहीं हो सकते हैं तो प्रभावी नियंत्रण विदेशी शेयर धारियों के हाथों में रह सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देश के औद्योगिक विकास में विदेशी पूंजी निवेश तथा विदेशी कम्पनियों की साझेदारी के संबंध में सरकार की नीति, 23 दिसम्बर, 1977 को संसद में पेश किए गए औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण के पैरा 23 से 26 में बताई गई है। जहां तक मौजूदा विदेशी कंपनियों का संबंध है, उन पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्ध कड़ाई के साथ लागू किए जा रहे हैं। जहां तक नए विदेशी निवेश का प्रश्न है, उसकी अनुमति केवल आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अथवा निर्यात प्रधान क्षेत्रों में ही उन शर्तों पर दी जाती है जो सरकार द्वारा राष्ट्र हित में तय की जाती हैं।

शिवकाशी के माचिस निर्माताओं पर आय-कर तथा धन-कर की शेष राशियां

899. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में शिवकाशी के माचिस निर्माताओं के 17 परिवारों ने आयकर और धनकर के रूप में क्रमशः कितनी-कितनी राशियों का भुगतान किया है ;

(ख) क्या इन 17 परिवारों से पिछले 5 वर्षों की अवधि का कोई आय कर और धनकर लिया जाना बाकी है और यदि हां, तो शेष अदायगियों की राशि कितनी है ; और

(ग) इन शेष राशियों को शीघ्रातिशीघ्र वसूल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं नहीं है। उसे एकत्र किया जा रहा है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

आय-कर निर्धारिती

900. **श्री सी० वेणुगोपाल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी लाखों आयकर निर्धारिती ऐसे हैं जिन पर अभी तक आयकर नहीं लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समस्या का स्वरूप क्या है, वह कितनी बड़ी है ; और

(ग) राष्ट्रीय विकास में योगदान करने के लिए इन बचे हुए लोगों को पकड़ने के लिये क्या प्रस्ताव किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) तथा (ग) सम्भव है बहुत से ऐसे व्यक्ति जिन पर आय-कर लग सकता हो, आय-कर निर्धारिती नहीं हों। इस

समस्या के स्वरूप तथा विस्तार को ठीक-ठीक निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। कर-अपवंचकों को कर के दायरे में लाने के लिए उपयुक्त विधायी तथा प्रशासनिक उपायों के जरिये कार्यवाही की जाती है। सरकार ने सर्वेक्षण-कार्य के लिए हाल ही में निरीक्षकों के बहुत से पद मंजूर किये हैं। संदिग्ध कर-अपवंचकों के मामलों को निपटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सब्जी और मांस निर्यात करने के लिये निगम

901. डा० **विजय मंडल :**

श्री जी० एम० बनातवाला :

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री शंकरसिंहजी वाघेला :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यपूर्व और कुछ यूरोपीय देशों को सब्जी, मांस आदि का निर्यात करने के लिये एक निगम स्थापित किये जाने के बारे में सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) निगम की स्थापना कब तक की जाएगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) राज्य सरकार के अभिकरणों की मार्फत सब्जियों के निर्यात की अनुमति है। एकमात्र सब्जियों और मांस के निर्यात के लिये एक निगम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत के ऊपर से सप्ताह में तीन बार कनकर्ड विमान की उड़ान

902. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश एयरवेज के कनकर्ड विमान केरल के तट और बंगाल की खाड़ी में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के निर्धारित भागों से सप्ताह में तीन बार भारत के ऊपर से उड़ान भरते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए ब्रिटिश एयरवेज को अनुमति प्रदान कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे और कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) ब्रिटिश एयरवेज को बहरीन तथा सिंगापुर के बीच एक ऐसे मार्ग पर, जो पश्चिमी तट से लगभग 32 नाविक मील की दूरी पर हो तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह से भी इतनी ही दूरी पर हो, सप्ताह में तीन बार की कन्नकॉर्ड सुपरसॉनिक विमान की उड़ानें परिचालित करने की अनुमति दी गयी है। इस कन्नकॉर्ड उड़ानों के प्रभावों को उक्त मार्ग पर मेनलैंड में त्रिवेन्द्रम् में, लक्षद्वीप में एण्डरॉथ में तथा वृहद् निकोबार द्वीप समूह में उसके सुदूरवर्ती सिरे पर निकटतम स्थानों पर मॉनिटर किया गया है। सॉनिक बूम के प्रभाव नगण्य पाये गये हैं।

होटल उद्योग में विदेशी सहयोग की जांच के लिए समिति

903. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल उद्योग में विदेशी सहयोग के प्रश्न की जांच के लिए किसी समिति का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कब तक इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) होटल उद्योग में विदेशी सहयोग के प्रश्न की जांच के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, पर्यटन विभाग में इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

विमान सम्बन्धी समाचारों पर सेंसरशिप लगाना

904. **श्री पी० के० कोडियन** :

श्री यशवन्त बोरोले :

श्री रूडोल्फ रोड्रिग्स :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन एक्सप्रेस के नई दिल्ली संस्करण के दिनांक 15 जून, 1979 के अंक में "विमानन सम्बन्धी समाचारों पर सेंसरशिप लगाना" विषयक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) प्रेस के साथ पत्र-व्यवहार करने के बारे में इस मंत्रालय के अधीनवर्ती विभागों सरकारी क्षेत्रीय उद्यमों के अधिकारियों को मनाह करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रेस तथा समाचार माध्यमों अर्थात् रेडियो तथा दूर-दर्शन को सरकारी सूचना सामान्यतः प्रेस सूचना कार्यालय के माध्यम से दी जाएगी। इस सम्बन्ध में केवल मंत्री, सचिव तथा विशेष रूप से प्राधिकृत किए गए अन्य अधिकारी ही प्रेस के प्रतिनिधियों को सूचना दे सकते हैं या उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। यदि प्रेस का कोई प्रतिनिधि किसी अन्य अधिकारी के पास पहुंचता है तो वह उसे प्रेस सूचना कार्यालय के पास भेज देगा। इस मंत्रालय में इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है।

'काफेपोसा' के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति

905. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 और 1979 में अब तक विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्ति विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारण अधिनियम (काफेपोसा) के अधीन गिरफ्तार किए गए हैं ; और

(ख) कितने वारण्ट निलम्बित पड़े हैं और कितने सम्बन्धित व्यक्ति फरार हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) वर्ष 1978 के दौरान केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अन्तर्गत जारी किए गए नजरबंदी के आदेशों के अनुसरण में 234 व्यक्तियों को नजरबंद किया गया था। वर्ष 1979 में (अर्थात् 1 जनवरी, 1979 से 1 जुलाई, 1979 तक) नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या 100 है। ब्यौरा, विवरण में दिया है।

(ख) 1 जनवरी 1979 की स्थिति के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या 103 है जिनके विरुद्ध केन्द्रीर सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंदी के आदेश जारी किए गए थे और जिन्हें अभी नजरबंद नहीं किया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	नजरबंदी करने वाला प्राधिकरण	वर्ष 1978 के दौरान नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या	वर्ष 1979 के दौरान अब तक (1-1-79 से 1-7-79 तक) नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या
1.	दिल्ली	12	9
2.	गुजरात	54	23
3.	कर्नाटक	–	3
4.	महाराष्ट्र	92	48
5.	केरल	16	–
6.	पंजाब	20	4
7.	राजस्थान	2	–
8.	तमिलनाडु	16	–
9.	उत्तर प्रदेश	6	4
10.	पश्चिम बंगाल	1	2
11.	केन्द्रीय सरकार	15	7
	कुल योग	234	100

नई वितरण योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों को तैयार करना

906. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य निगम, राष्ट्रीय सरकारी उपभोक्ता संघ तथा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग जैसी सरकारी एजेन्सियों को, नई वितरण योजना के अधीन उन्हें आवंटित सप्लाइयों को पूरा करने के लिये पूरी तरह से तैयार कर दिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र बनाया गया है कि उत्पाद अपेक्षित स्तर तथा किस्म के हों और खुदरा बिक्री करने वाले केन्द्र कार्यकुशल तथा सक्षम हों; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये अनाज की वसूली, उनके सुरक्षित भंडारण तथा ढुलाई की व्यवस्था करता रहा है । यह भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा । राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ पहले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये नियंत्रित कपड़े की वसूली तथा ढुलाई कर रहा है । यह अब चाय तथा कपड़े की सस्ती किस्मों की वसूली तथा वितरण का कार्य भी करेगा । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में दियासलाई विनिर्माण एकक लगाये हैं । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग दियासलाइयों का अपना उत्पादन इस नयी योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचेगा ।

(ग) व (घ) जी, हां । इस योजना में यथा संभव सीमा तक उपभोज्य वस्तुओं की किस्म तथा बिक्री केन्द्रों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गयी है । इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि लाभ की उपयुक्त गुंजायश को रखते हुये अतिरिक्त वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाये, ताकि इन केन्द्रों की उचित आय सुनिश्चित की जा सके । इस बात के लिए भी प्रबंध किये गए हैं कि इन केन्द्रों में डाक टिकटें डाक लेखन सामग्री कमीशन आधार पर बेची जाए । इन बिक्री केन्द्रों के माध्यम से निरोध वितरित करने के भी प्रबंध किये गये हैं । इन प्रबंधों तथा उपायों से खुदरा बिक्री केन्द्रों को आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी ।

सरकारी उपक्रमों में पूंजीनिवेश और लाभ तथा घाटा

907. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों में 12,800 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया जबकि वर्ष 1977-78 में उनकी बचत प्रत्याशित बचत से कम थी;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1979 तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, अलग-अलग कितना पूंजीनिवेश किया गया; और

(ग) प्रत्येक मामले में घाटे को पूरा करने के लिये वर्ष 1978-79 में सरकार से सरकारी उपक्रमों को कितनी वित्तीय सहायता दी ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 31-3-1978 को 153 उद्यमों की सामान्य शेयर पूंजी और ऋण तथा आस्थगित ऋण सहित कुल लगी पूंजी 12851 करोड़ रुपये थी । इनमें से 142 चालू उद्यम थे, जिनके तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे तैयार थे । इन 142 उद्यमों में से 79 उद्यमों ने 378.07 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया, जबकि 63 उद्यमों ने 392.49 करोड़ रुपये का निवल घाटा उठाया । यह बताना भी अप्रासंगिक न होगा कि 96

सरकारी उद्यमों ने कुल 731 करोड़ रुपये के आंतरिक संसाधन पैदा किए जो 1977-78 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पैदा किए जाने वाले आन्तरिक संसाधनों के 688 करोड़ रुपये के संभावित लक्ष्य को पार कर गए।

(ख) 1978-79 वर्ष में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन सम्बन्धी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। यह सूचना उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी। क्योंकि प्रत्येक तिमाही के अन्त में अनेक कम्पनियां अनन्तिम तुलन-पत्र भी तैयार नहीं करती हैं, अतः 30-6-1979 को पूंजी निवेश के अनन्तिम आंकड़े भी बताना संभव नहीं है।

(ग) सरकार सरकारी क्षेत्र के हानि उठाने वाले उद्यमों को सामान्यतः कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। फिर भी केवल नकद धाटा उठाने वाले उद्यमों को ही सरकार ऋण के रूप में कुछ सहायता प्रदान करती है। यह सूचना केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 1978-79 के वार्षिक लेखों के अन्तिम रूप दिए जाने और उनकी लेखा परीक्षा हो जाने के बाद ही उपलब्ध होगी जिसमें संभवतः कुछ और महीने लग जायेंगे।

पाउण्ड के मुकाबले रुपए का मूल्य

908. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौण्ड के मुकाबले रुपए का हाल ही में अवमूल्यन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अवमूल्यन कितने प्रतिशत हुआ है, वर्तमान खरीद और बिक्री मूल्य क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) 25 सितम्बर, 1975 से रुपए की विनिमय दर कुछ चुने हुए देशों की, जो भारत के व्यापार के मुख्य भागीदार हैं, करेंसियों की विनिमय दरों के दैनिक उतार-चढ़ाव के अनुसार निर्धारित की जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 6 जुलाई, 1979 को भारतीय रुपए की विनिमय दर पौंड स्टर्लिंग के मुकाबले 1 पौंड = 17.75 रुपए निर्धारित की गई थी। यह 1 पौंड = 17.55 रुपए की पहले की दर की तुलना में पौंड स्टर्लिंग के मुकाबले रुपए के मूल्य में 1.13 प्रतिशत की कमी की द्योतक है। पौंड स्टर्लिंग की हाजिर खरीद और बिक्री की दरें क्रमशः 1 पौंड = 17.70 रुपए और 1 पौंड = 17.80 रुपए हैं।

बराबर घटती-बढ़ती रहने वाली विनिमय दरों के संदर्भ में पुनर्मूल्यन और अवमूल्यन के पुराने अर्थों का अब कोई मूल्य नहीं रह गया। पौंड स्टर्लिंग के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में किए गए उक्त परिवर्तन में मुख्य करेंसियों की विनिमय दरों में होने वाली घट-बढ़ को हिसाब में ले लिया गया है। अस्थिर विनिमय दरों के संसार में ऐसे परिवर्तनों से बचा नहीं जा सकता। ऐसी घटबढ़ से भारत के भुगतान शेष पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

इण्डियन एयरलाइंस में विमान चालकों के रिक्त पदों को भरना

909. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन कोमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने यह आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से इण्डियन एयरलाइन्स में विमानचालकों की कोई भर्ती नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) देश में कितने बेरोजगार विमानचालक हैं; और

(घ) सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार चालू वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंसधारी 178 पायलट बेरोजगार हैं।

(घ) वर्तमान परिचालनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये विमानचालकों की मोजूदा संख्या पर्याप्त है। तथापि, परिचालनों की भावी आवश्यकताओं (1980-81) की पूर्ति के लिये इण्डियन एयरलाइन्स ने पहले ही भर्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है।

चालू पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान नई विमान सेवा आरम्भ करना और हवाई अड्डों का निर्माण

910. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवषर्यीय योजना की अवधि के दौरान देश के किन-किन नए स्थानों पर विमान सेवा आरम्भ की जाएगी और हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा ;

(ख) इस कार्य पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) किन-किन स्थानों पर कब-कब से ये विमान सेवायें आरम्भ की जाएंगी।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) अनूसूचित विमान सेवाएं आरम्म करने के लिए चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कालीकट में एक नये विमान क्षेत्र का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना पर 1.5 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। योजनाएं तथा प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं।

आयकर प्रशासन में सुधार से अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति

911. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने एक वक्तव्य में यह बात कही है कि आय कर प्रशासन में सुधार से 30 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है;

(ख) उक्त अतिरिक्त लाभ का अनुमान कैसे किया गया है; और

(ग) इस लाभ को सुनिश्चित करने हेतु आय कर प्रशासन में सुधार के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) उप प्रधान मंत्री ने इस तरह का कोई औपचारिक ब्यान नहीं दिया जिसका कि प्रश्न के पैराग्राफ (क) में उल्लेख किया गया है। किन्तु, नई दिल्ली में 17 मई 1979 को हुए आय-कर आयुक्तों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उप प्रधान मंत्री ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह मत व्यक्त किया है :—

"आय-कर, कर लगाने का एक ऐसा तरीका है, जो सम्भवतः सारी दुनियां में कर अपवंचन का मार्ग प्रशस्त करता है। यद्यपि मैंने किसी अन्य देश की कर सम्बन्धी समस्याओं के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है, किन्तु अनुमान से मैं यह कह सकता हूँ कि प्रत्येक देश में कर अपवंचन होता है। मुझे ऐसा याद आता है कि मैंने लगभग 20 वर्ष पूर्व इस आशय की एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि हमारे देश में करों की लगभग 1/3 रकम का अपवंचन होता है अर्थात् हम जितनी रकम की पहले ही वसूली कर रहे हैं उससे 33 प्रतिशत और अधिक रकम की वसूली कर सकते हैं।"

उपर्युक्त टिप्पणी से पता चलता है कि उप प्रधान मंत्री ने लगभग 20 वर्ष पूर्व छपी एक रिपोर्ट के बारे में अपनी याददाश्त के आधार पर अतिरिक्त वसूलियों के सम्बन्ध में मात्र कुछ विचार व्यक्त किये थे।

(ग) आयुक्तों के सम्मेलन में कर-अपवंचन की समस्या पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और इस समस्या से निपटने के लिए उक्त सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण कार्य के लिए आय-कर निरीक्षकों की संख्या में बढ़ौतरी के प्रयोजन से हाल ही में 500 पद मंजूर किये गये हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में, काफी बड़ी संख्या में पूंजी निवेशी कंपनियों तथा न्यासों के निर्माण के माध्यमम से आयकर तथा धन-कर से बच निकलने के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों की विस्तार से जांच करने तथा इस समस्या से निपटने हेतु समूचित प्रशासनिक तथा कानूनी उपाय ढूंढ निकालने की दृष्टि से कुछ उपाय किये हैं।

विवरण

कर-अपवंचन की समस्या से निपटने तथा जांच के तरीकों में सुधार लाने के लिए 17 मई 1979 को नई दिल्ली में हुए आयकर आयुक्तों के सम्मेलन में लिये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय।

1. आन्तरिक तथा बाह्य दोनों तरह का सर्वेक्षण कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। बाहरी सर्वेक्षण के लिए क्षेत्र-वार तथा गली-वार रजिस्टर के रूप में एक स्थायी रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

2. धरा 285 के अन्तर्गत बैंकों से प्राप्त सूचना का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

3. जहां-कहीं आवश्यक हो, धारा 133-क के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य बिना किसी झिझक के शुरू किया जाना चाहिए।

4. समान स्तर की पर्वतन एजेंसियों के साथ समन्वय व्यवस्था का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए और अनुवर्ती कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए।

5. गुप्त सूचना-पक्ष के अधिकारियों को कर-अपवंचन तथा विभिन्न कर निर्धारितियों द्वारा प्रयुक्त तरीकों के बारे में उपयोगी सूचना स्वयं एकत्रित करनी चाहिए; और इस तरह से इकट्ठी की गई सूचना का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

6. गुप्त सूचना-पक्ष को अपेक्षाकृत बड़े-बड़े मामलों के बारे में कार्यवाही करनी चाहिए तथा देश भर में फैले जाल-चक्रों का पता लगाना चाहिए।

7. तलाशी तथा माल पकड़ने के मामलों से सम्बद्ध कर-निर्धारणों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए गुप्त सूचना-पक्ष के अधिकारियों को पकड़ी गई सामग्री को अलग-अलग करने तथा उसकी छानबीन करने में कर-निर्धारण अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।

8. मामलों को सही ढंग से तैयार किया जाना चाहिए और भली-भांति तैयार किये गये कर-निर्धारणों की कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष समुचित पैरवी की जानी चाहिए।

9. कर की धोखाधड़ी के अधिक से अधिक मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही करने के निमित्त हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

10. अधिकारियों को खातों की छानबीन करने और जांच-पड़ताल सम्बन्धी तकनीक के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

कम सप्लाई वाली वस्तुओं का आयात

912. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1 जुलाई, 1979 से लागू की गई उत्पादन-व-वितरण प्रणाली के लिए उन वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा जिनकी देश में कम सप्लाई है ;

(ख) यदि हां, तो देश में कौन-कौन सी वस्तुओं की सप्लाई 1 जुलाई, 1979 से 31 मार्च, 1980 के बीच कम रहेगी और जिनके आयात के बारे में उन्होंने वक्तव्य दिया था ; और

(ग) 1 जुलाई, 1979 से 31 मार्च, 1980 के बीच किन-किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा तथा उनकी मात्रा और उन पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता के बारे में सरकार द्वारा लगातार पुनरीक्षा की जा रही है। ऐसी किसी वस्तु का आयात करने के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब स्थिति के अनुसार ऐसा करना अपेक्षित होगा। इस समय खाद्य तेलों की कमी है और इनकी पर्याप्त मात्रा आयात करने की व्यवस्था की गई है।

गुजरात में आयकर विभाग में कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के बारे में अभ्यावेदन

913. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में आय-कर विभाग के कर्मचारियों ने भारत सरकार को यह अभ्यावेदन पेश किया है कि उनके कार्यालय में कार्यभार को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह बतलाया है कि अन्य राज्य सरकारों की तुलना में उनके यहां स्टाक दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम है, यद्यपि काम का भार अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है और पाया है कि उनकी मांग उचित तथा न्याय संगत है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त राज्य को निकट भविष्य में कितने राजपत्रित तथा कितने अराजपत्रित कर्मचारी दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (घ) ऐसा कोई अभ्यावेदन अभी हाल में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। आयकर विभाग में, जिसमें गुजरात राज्य में स्थित अधिकार क्षेत्र भी शामिल है, कर्मचारियों की आवश्यकता की समय-समय पर अखिल भारतीय आधार पर समीक्षा की जाती है। हाल ही में सरकार ने सर्वेक्षण कार्य के लिए आय-कर निरीक्षकों के 500 पद मंजूर किए हैं और इनमें से 35 पद गुजरात राज्य के आय कर विभाग को आबंटित किये गये हैं।

चुंगी समाप्त करना

914. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने चुंगी समाप्त करने के लिए संघ सरकार से फिर आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निन्दनीय शुल्क की समाप्ति के लिए बहुत लम्बे समय से मांग की जाती रही है क्योंकि इससे व्यापार तथा परिवहन उद्योग को बहुत असुविधा होती है ;

(ग) क्या उन सभी समितियों ने, जिन्होंने इस विषय की जांच की सर्वसम्मति से इसकी समाप्ति का प्रस्ताव किया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि चुंगी समाप्त करने से देश में स्वस्थ परिवहन व्यवस्था का विकास होगा तथा कीमतों में भी कमी हो सकेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इसे समाप्त न करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय, में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) गुजरात सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने सम्पूर्ण राज्य के भीतर चुंगी समाप्त करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय ले लिया है ; उन राज्यों में जिनमें कि चुंगी लगाई जाती है, इसे समाप्त करने का मामला, उनके राजकोषीय अधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ख) चुंगी समाप्त करने के लिए कुछ क्षेत्रों से विशेषकर व्यापार और परिवहन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से, काफी अर्से से मांग रही है। तथापि, महापौरों की अखिल भारतीय परिषद ने चुंगी समाप्त करने के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया है।

(ग) विभिन्न सम्मितियों और अध्ययन दलों ने चुंगी समाप्त करने की सिफारिश की है।

(घ) 1978-79 के बजट भाषण में, संसद में यह कहा गया था कि "कि इस बात पर दो मत नहीं हो सकते कि चुंगी हटा दिए जाने की कार्रवाई का व्यापक रूप से स्वागत होगा, क्योंकि इसको समाप्त कर देने से देश की परिवहन (ट्रांसपोर्ट) व्यवस्था के सुव्यवस्थित ग्रौर स्वस्थ विकास में सहायता मिलेगी ग्रौर माल भाड़े की लागत में भी काफी कमी ग्राएगी"।

(ङ) चुंगी समाप्त करने के लिए सभी संबंधित राज्यों से पूरे सहयोग की ग्रावश्यकता है। जबकि राज्य सरकारों ने सामान्यतः चुंगी समाप्त करने की वांछनीयता को समझा है, परन्तु उन्होंने इस बात का भी संकेत किया है कि चुंगी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है ग्रौर हानि को पूर्णतया पूरा करने के लिए राजस्व के किसी उपयुक्त वैकल्पिक स्रोत का पता लगाना कठिन होगा।

विभिन्न प्रोत्साहन-योजनाग्रों के प्रभाव पर किया गया ग्रध्ययन

915. श्री ग्ररबिन्द बाला पजनौर :

श्री सी० एन० विश्वनाथन :

क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रलग-ग्रलग ब्याज दर, लोक बैंक योजना, ग्रामीण उद्योगों को धन देने की योजनाग्रों जैसी विभिन्न प्रोत्साहन-योजनाग्रों के प्रस्ताव पर कोई ग्रध्ययन किया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो ऐसे ग्रध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; विशेष रूप से यह बताया जाये कि इनसे क्या-क्या सामाजिक उद्देश्य प्राप्त हुए हैं ग्रौर क्या इनसे बैंकों की कार्य-कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) ग्रौर (ख) ग्रलग-ग्रलग बैंकों ने ऋणकर्ताग्रों के विभिन्न वर्गों पर विभेदी ब्याज दर योजना ग्रौर रोजगार प्रोत्साहन योजनाग्रों ग्रादि जैसी विभिन्न योजनाग्रों के ग्रन्तर्गत ऋण प्रदान करने के ग्रपने कार्यचालन के सामाजिक-ग्रार्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये ग्रध्ययन किये हैं। मोटे तौर पर, उनके निष्कर्षों से पता चलता है कि इस प्रकार के ऋणों का ग्रनुकूल प्रभाव उन स्थानों पर ग्रधिक स्पष्ट है जहां ऋण कर्त्ताओं को ऋण स्वीकृत करने में सामूहिक प्रयास किये गये हैं ग्रौर उनके उपस्करों तथा उनके उत्पादों की हाट की व्यवस्था का भली-भांति प्रबंध किया गया है। इस सामान्य ग्रनुभव को ध्यान में रखते हुए, बैंक ग्रब इलाकाई (एरिया) ऋण योजनाग्रों पर ध्यान दे रहे हैं जो लीड बैंक योजना के ग्रन्तर्गत जिला ऋण योजना का एक ग्रत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। ग्राशा है कि इस प्रयास से ऋणकर्त्ताग्रों को दिये जाने वाले ऋणों की गति में बैंकों की ग्रर्थक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, काफी वृद्धि होगी।

कीमतें स्थिर रखने के लिए कार्रवाई

916. डा० बापू कालदाते :

श्रीमती मृणाल गोरे :

क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीमतों में वृद्धि के ग्रध्ययन के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है ;

(ख) क्या इस समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस समिति ने कीमतें स्थिर रखने के लिए किन उपायों का सुझाव दिया है ;

(घ) क्या सरकार ने इन सुझावों को कार्यान्वित किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होते।

भारत से वस्तुओं का निर्यात

917. श्री राम अवधेश सिंह : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता है ;

(ख) किन वस्तुओं के निर्यात के लिये सरकार राज सहायता देती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ निर्यातकर्ता उत्पादक भी हैं यदि हां, तो उत्पादक-निर्यात-कर्ताओं को किस आधार पर राज सहायता दी जाती है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारत से निर्यात की जाने वाली मदों में विभिन्न किस्मों की वस्तुएं आती हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद समूह/वस्तुएं दर्शायी गई हैं।

(ख) नकद मुआवजा सहायता निम्नलिखित उत्पाद समूहों की चुनी हुई मदों पर दी जाती है :—

1. इंजीनियरी माल
2. रसायन तथा सम्बद्ध माल
3. प्लास्टिक का माल
4. साधित खाद्य पदार्थ
5. चमड़ा तथा चमड़े का सामान
6. रेशमी सामान
7. रेयन तथा संश्लिष्ट वस्त्र
8. हस्तशिल्प की वस्तुएं जिसमें ऊनी कालीन शामिल हैं
9. कयर उत्पाद
10. ऊनी मिश्रित मदें
11. कृषि उत्पाद

12. सूती वस्त्र
13. पटसन उत्पाद
14. खेलकूद का सामान

(ग) जी हां। पटसन माल को छोड़कर, जिसके लिए विनिर्माताओं को नकद मुआवजा सहायता सीधी ही दी जाती है, निर्यात किए गए माल पर नकद मुआवजा सहायता इस बात पर विचार किए बिना ही दी जाती है कि निर्यातक व्यापारी-निर्यातक है अथवा विनिर्माता-निर्यातक है। जिन सिद्धांतों के आधार पर नकद मुआवजा सहायता की दरें निर्धारित की जाती है वे निम्नलिखित के रूप में भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने से सम्बन्धित हैं:— (क) वापस न किए गए कर व शुल्क, (ख) पूंजीगत माल की ऊंची लागत, कार्यशील पूंजी पर ब्याज की ऊंची दरें आदि। ये अड़चनें अलग-अलग निर्यातकों के लिए अलग-अलग हैं चाहे वे उत्पादक हों या व्यापारी हों।

विवरण

भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें

क्रमांक	मदें
1.	कृषि तथा सहोत्पाद
2.	खली
3.	अनिर्मित तम्बाकू
4.	मसाले
5.	कपास
6.	कच्ची पटसन
7.	चीनी अशोधित तथा शोधित
8.	फल तथा सब्जियाँ
9.	गोंद तथा सरेस तथा बालसम
10.	लाख
11.	सुगंध तेल, इत्र, तथा सुवास सामग्री
12.	मांस तथा मांस से बनी वस्तुएं
13.	पशु खालें
14.	चावल
15.	मछली तथा उससे बनी वस्तुएं
16.	चाय
17.	काफी
18.	अयस्क खनिज तथा स्क्रैप
19.	लोहा तथा इस्पात स्क्रैप

क्रमांक	मदें
20.	टैक्सटाइल फैब्रिक्स
21.	सूती थान
22.	नकली रेशम के वस्त्र तथा संश्लिष्ट वस्त्र तथा स्पनग्लास
23.	रेशमी वस्त्र (हथकरघा)
24.	ऊनी वस्त्र
25.	मानक वस्त्र विनिर्मित वस्तुएं
26.	विविध वस्त्र विनिर्मित वस्तुएं
27.	कयर तथा पटसन विनिर्मित वस्तुएं कयर यार्न तथा उससे विनिर्मित वस्तुएं (क) कयर यार्न (ख) कयर मैट्स तथा मैटिंग्स (ग) कयर कालीन तथा फर्श के नमदे
28.	पटसन विनिर्मित वस्तुएं जिसमें यार्न भी शामिल हैं
29.	चमड़ा तथा चमड़ा विनिर्मित वस्तुएं
30.	इंजीनियरी माल (क) धातु से बनी वस्तुएं (ख) बिजली के अलावा अन्य मशीनें (ग) बिजली की मशीनें (घ) परिवहन उपस्कर (ङ) अन्य इंजीनियरी माल
31.	हस्तशिल्प की वस्तुएं
32.	लोहा तथा इस्पात (मूल)
33.	फैरो मैंगनीज तथा दूसरी मिश्र धातुएं

बिहार से प्राप्त खानों की रायल्टी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि

918. श्री राम अवधेश सिंह : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और खानों की रायल्टी की कुल राशि का दसवां भाग बिहार से प्राप्त होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में, केन्द्रीय राजस्व में बिहार के अंशदान का 30वां भाग भी बिहार के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने समय में बिहार की पिछली कमी को पूरा किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 1974-75 से 1978-79 के वर्षों की सूचना से यह पता चलता है कि बिहार में खनिजों और उत्पाद राजस्व पर राजशुल्क की वसूली अखिल भारतीय वसूली की लगभग 6% है।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने से, राज्यों को केन्द्रीय सहायता कुछेक उद्देश्यों तथा सम्मत मानदण्डों, जिसे 'गाडगिल फार्मूला' के नाम से जाना जाता है, के आधार पर आबंटित की जाती है और न कि कर और कर भिन्न राजस्व की कुछ मदों से अखिल भारतीय वसूलियों में राज्य के हिस्से के आधार पर। राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में 2,000 करोड़ रुपये की रकम को, जो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के छोड़ देने/अंतरण करने से प्राप्त की जाती थी, आय समायोजित सकल जनसंख्या सूत्र के आधार पर विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर राज्यों में आबंटित किया जाना है। इसलिए केन्द्रीय सहायता का शेष पड़ा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा राज्यों द्वारा खानों पर राज-शुल्क वसूल किया जाता है तथा रख लिया जाता है जबकि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद राजस्व को राज्यों में सांविधिक रूप से बांटा जाता है।

वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फर्म के प्रबन्ध निदेशक के पुत्र द्वारा सम्पदा कर का भुगतान

919. श्री राम अवधेश सिंह : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फर्म के प्रबन्ध निदेशक श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा की चल-अचल सम्पत्ति का कुल मूल्य 120 करोड़ रुपय है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके पुत्र ने अब तक सम्पदा शुल्क का भुगतान नहीं किया है ; और

(ग) यदि, उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो सरकार ने उसे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना मंगायी गयी है। सूचना प्राप्त होते ही सदन-पटल पर दी जायगी।

(स्वर्गीय) श्री शान्ति प्रसाद जैन के उत्तराधिकारियों से सम्पदा शुल्क की वसूली

920. श्री राम अवधेश सिंह : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने श्री शान्ति प्रसाद जैन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों से सम्पदा शुल्क वसूल किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी राशि क्या है ; और

(ग) उसकी मृत्यु के समय उसकी चल और अचल सम्पत्ति का मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना मंगायी गई है। सूचना प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

डलहौजी-खज्जियार-चम्बा पर्यटन कम्पलेक्स

921. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जब वह चम्बा तथा डलहौजी के दौरे पर गये थे तो उस दौरान हिमाचल प्रदेश में चम्बा के लोगों ने उनसे डलहौजी-खज्जियार-चम्बा टूरिस्ट कम्पलेक्स के विकास के लिए आग्रह किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि यह कम्पलेक्स पहले अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का रहा है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इसे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त खण्ड (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) चम्बा की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति इसकी 18वीं/19वीं शताब्दी की उन पहाड़ी पैंटिंगज और कसीदा-कढ़ाई वाले "चम्बा रुमालों" के कारण है जिन्होंने कला के कदरदानों को चम्बा की ओर आकर्षित किया । यद्यपि ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके अनुसार पर्यटक अभिरुचि के स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्रों के रूप में घोषित किया जाता हो तथापि वे इस प्रकार के पर्यटकों में उन आकर्षणों के कारण लोकप्रिय बन जाते हैं जिन्हें कि वे अर्पित करते हैं । डलहौजी-खज्जियार-चम्बा क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य और इसके भौगोलिक परिवेश के कारण हमारे युवाओं और साहसिक पर्यटन में रुचि रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । राज्य पर्यटन विभाग और भारतीय यूथ होस्टल्स ऐसोसियेशन के साथ मिलकर केन्द्रीय पर्यटन विभाग का डलहौजी-खज्जियार-चम्बा क्षेत्र में ट्रैकिंग कार्यक्रमों का आयोजन करने और इस तरह चम्बा को पर्यटक मानचित्र पर लाने का प्रस्ताव है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आय-कर के बदले व्यय-कर लगाना

922. **श्री दुर्गाचन्द :** या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आय-कर अधिकारियों की एक बैठक में उन्होंने आय-कर के स्थान पर व्यय-कर लगाने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) आयकर आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने सुझाव दिया था कि सम्मेलन को आयकर के स्थान पर व्यय कर लगाने की व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए । चर्चा निर्णायक नहीं रही और उक्त सुझाव पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिए विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का एक अध्ययन दल नियुक्त करने का निर्णय किया गया । अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

व्यापार-घाटा

923. **श्री दुर्गाचन्द :**

श्री चित्त बसु :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 5 जून, 1979 के 'टाइम्स ग्राफ इण्डिया' में छपी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित एक ग्रार्थिक समीक्षा की ग्रोर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि व्यापार घाटा एक ही वर्ष में चार गुना हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान व्यापार-घाटे का वर्षवार विवरण क्या है ;

(ग) घाटे के कारण क्या हैं; ग्रौर

(घ) घाटा समाप्त करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिया मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रारिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के विदेश व्यापार के ग्रांकड़े सरकारी तौर पर संकलित किए जाते हैं ग्रौर वित्तीय वर्ष के ग्राधार पर जारी किए जाते हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में व्यापार शेष की प्रवृत्ति निम्नोक्ति प्रकार है :—

(करोड़ रु०)

व्यापार की किस्म	1976–77	1977–78	1978–79
पुर्ननिर्यात सहित निर्यात	5145.78	5404.26	5645.39
ग्रायात	5073.95	6025.29	6762.61
व्यापार शेष	+71.83	–621.03	–1117.22

(ग) हमारे विकास की वर्तमान ग्रवस्था में, कृषि तथा ग्रौद्योगिक उत्पादन, ग्रौर उत्पादन ग्राधार को सुदृढ़ करने के लिए तथा नये विज्ञान ग्रौर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए पूंजीगत माल, ऊर्जा की कई मदों तथा अन्तर्निविष्ट साधनों जैसे उर्वरक, ग्रलौह धातुग्रों, इस्पात ग्रादि के भारी मात्रा में ग्रायात करने की ग्रावश्यकता है। कीमत स्थिर रखने के उद्देश्य के लिए ग्रायात ग्रधिशेष बहुत महत्वपूर्ण है। 1978–83 की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में योजनावधि के संबंध में कुल 8823 करोड़ रु० का प्रतिकूल व्यापार शेष दिखाया गया है। हाल ही में पैट्रोलियम की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि से यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे एक वर्ष में पैट्रोलियम के ग्रायातों की लागत में लगभग 1200 करोड़ रु० की वृद्धि हो जाएगी।

1977–78 से निर्यात में कमी ग्राने के मुख्य कारण ये हैं:–

(1) विकसित देशों में चल रही मंदी की दशाएं, (2) उनके द्वारा ग्रपनाए गए संरक्षणात्मक उपाय (3) 1978–79 के दौरान चाय, काफी, काली मिर्च, चीनी, खली तथा लौह ग्रयस्क जैसी निर्यात मदों की ग्रन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट, (4) डालर के रुपया मूल्य में

गिरावट तथा (5) निर्यात योग्य अधिशेषों में कमी जो, विभिन्न कारणों से आई, यथा बिजली की कमी, श्रमिक अशान्ति, परिवहन सम्बन्धी रुकावटें, पतन पर भीड़भाड़, लोहे तथा इस्पात, सीमेंट, वस्त्र जैसी मदों के सम्बन्ध में घरेलू मांग में वृद्धि, बहुत से राज्यों में अभूतपूर्व बाढ़ों का आना, आयातित कच्चे काजू की उपलब्धता में कमी, घरेलू सप्लाइयाँ प्राप्त करने में कठिनाइयां तथा समुचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कतिपय वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार की सुविचारित नीति और इस प्रकार इससे निर्यातों की सामाजिक लागत में कमी आना।

(घ) नई निर्यात नीति में जिस बात पर मुख्य जोर दिया गया है और कठिनाइयों पर काबू पाने तथा राष्ट्रीय विकास नीति के अनुरूप वैज्ञानिक आधार पर निर्यात व्यापार की पुनः संरचना करने के लिए किए गए उपाय ये हैं :—

(1) सरलीकृत तथा विकेन्द्रीकृत आयात नीति के जरिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की उपलब्धता को सुकर बना कर निर्यात उत्पादन आधार को सुदृढ़ करना, (2) उत्पादन में रुकावट डालने वाली बाधाओं को दूर करके औद्योगिक तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में चुनी हुई मदों के लिए उत्पादन आधार को बढ़ाना तथा वार्षिक/पंचवर्षीय योजना में धन के आबंटन के मामले में उनके लिए प्राथमिकताएं सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न करना, (3) निर्यात प्रयास में राज्य सरकारों को पूरी तरह से लगाना, (4) टास्क फोर्स द्वारा गहराई के साथ किये गये अध्ययनों के आधार पर सक्रिय निर्यात क्षेत्रों का पता लगाना तथा समस्याओं से निपटना (5) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के संगठनों, राज्य व्यापार निगम तथा खनिज व धातु व्यापार निगम जैसे निर्यात संगठनों, विदेश स्थित भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों को शक्ति प्रदान करना ताकि वे निर्यात क्षेत्र में विशेष रूप से लघु क्षेत्र तथा कुटीर उद्योगों/क्षेत्रों में और अधिक सक्रिय तथा संवर्धनात्मक भूमिका अदा कर सकें (6) प्राथमिक स्वरूप की अपेक्षा मूल्य वर्धित स्वरूप में मदों के निर्यात को बढ़ाना और निर्यात उत्पादों तथा साथ ही निर्यात बाजारों में विविधीकरण लाना, (7) सुव्यवस्थित तथा सुस्थिर आधार पर चुनी हुई निर्यात मदों को आवश्यक नकद प्रतिपूर्ति समर्थन देना, तथा (8) अंकडाट तथा गाट जैसे बहुराष्ट्रीय मंचों पर तथा द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए भारत तथा अन्य विकासशील देशों के लिए बेहतर व्यापार वातावरण सुनिश्चित करने के लिये लगातार प्रयास करना।

"आन्तरिक और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में हुई हाल की घटनाओं की वजह से, निर्यातों के सम्बन्ध में कठिनाइयां अभी विद्यमान हैं। निर्यातों को बढ़ाने के लिये अपनाए गए उपायों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में समय लगेगा। तथापि, इस बीच कुछ उत्साहवर्धक संकेत मिले हैं। अप्रैल तथा मई 1979 के दौरान हुए निर्यातों के सम्बन्ध में अनन्तिम आंकड़े 940.70 करोड़ रु० हैं जबकि अप्रैल-मई 1978 की उसी अवधि के अनन्तिम आंकड़े 724.86 करोड़ रु० तथा संशोधित आंकड़े 859.94 करोड़ रुपये थे।"

फिलिपिन्स में अंकटाड सम्मेलन

924. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने फिलिपिन्स में हाल ही में हुए 'अंकटाड' सम्मेलन में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में मुख्य विषयों के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रकट किए विचारों और सरकार की नीति का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक में भाग लेने वाले अन्य भारतीय अधिकारियों आदि के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त सम्मेलन में भारत ने एक अथवा इससे अधिक सुझाव दिए थे और क्या उन सुझावों पर विश्व निकाय द्वारा चर्चा की गई और/या उन्हें स्वीकार किया गया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) वाणिज्य मंत्री ने मनीला में हुई अंकटाड की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

अंकटाड के मंच पर, वार्ताएं मुख्यतः सामुहिक सुझावों अथवा दृष्टिकोणों के आधार पर होती हैं। विकासशील देशों ने, अंकटाड-5 के समक्ष अरूशा में हुई अपनी बैठक में उन विषयों के सम्बन्ध में अपनी स्थिति का सामंजस्य किया था जिसे तदनुसार सामुहिक आत्मनिर्भरता तथा वार्ताओं के ढांचे सम्बन्धी अरूशा कार्यक्रम में अपना लिया गया। भारत ने इस बैठक में सक्रिय-रूप से भाग लिया। अंकटाड-5 में विकासशील देशों के सुझाव/दृष्टिकोणों में प्रमुख विषयों पर भारत का रुख काफी उभर कर सामने आया जो संक्षेप में नीचे दिया गया है।

विश्व अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन तथा प्रबन्ध

विकासशील देशों ने अंकटाड के भीतर उस विश्व-व्यापी परामर्श की क्रियाविधि तैयार करने का सुझाव दिया जिसमें व्यापार विकास, मुद्रा तथा वित्त के अन्तःसम्बद्ध मसलों पर बात-चीत की जा सके ताकि सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को सिफारिशें की जा सकें जिनमें उन बहुत से ठोस उपायों की रूपरेखा की गई हो जिनसे विकासशील देशों की प्रगति तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के कार्य निष्पादन को सुकर बनाया जा सके और जिससे विकासशील देशों को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में और अधिक सहयोग मिल सके। अंकटाड-5 में इस विषय पर कोई सहमति नहीं हो सकी और इसे आगे विचार-विमर्श करने के लिए व्यापार तथा विकास बोर्ड को सौंप दिया गया।

संरक्षणवाद

संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिससे विकासशील देशों के निर्यात प्रभावित होते हैं (विकसशील देशों के) 77 के समूह ने दीर्घावधि नीतियों तथा उपायों को अपनाने की इच्छा व्यक्त की जिसमें, समायोजनां तथा अल्पावधि नीतियों पर बात-चीत करने के लिए संरचना सम्बन्धी सहमति होने की दृष्टि से समायोजन सम्बन्धी क्रियाविधियों को मानीटर करने तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा करने के लिए और संरक्षणवाद की समस्या से निपटने के लिए उपाय करने के लिए अंकटाड के भीतर एक व्यवस्था को स्थापित करना शामिल है। सम्मेलन में इस विषय पर एक समुचित संकल्प पारित किया जा सकता है।

विनिर्मित तथा अर्ध-विनिर्मित वस्तुएं

विनिर्मित तथा अर्ध-विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात व्यापार का विस्तार करने तथा उसका विविधीकरण करने की दृष्टि से विकासशील देशों ने अपने तुलनात्मक लाभ के अनुसार व्यापार

करने और विश्व औद्योगिक उत्पादन की पुनर्संरचना करने के लिए प्रस्ताव किये ताकि वे विनिर्मित तथा अर्ध-विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात की सप्लाई क्षमता में सुधार कर सकें, विपणन तथा वितरण में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें और विकसित देशों में प्रवेश कर सकें। उन्होंने यह प्रस्ताव भी किया कि वस्त्रों के व्यापार को विनियमित करने वाली व्यवस्था को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए और शुल्क मुक्त तथा कोटा मुक्त प्रवेश की मार्फत विकासशील देशों के हथकरघा उत्पादों सहित हस्तशिल्प उत्पादों को विकसित देशों द्वारा विशिष्ट व्यवहार प्रदान किया जाना चाहिए। विकासशील देश यह भी चाहते थे कि अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली को प्रारंभिक 10 वर्षों की अवधि के बाद बढ़ाया जाना चाहिए और उसको कानूनी स्वरूप देते हुए उसके उपयोग की स्थिरता व स्थायीत्व बढ़ाया जाए, वार्ताओं के माध्यम से निर्धारित दरों के प्रति बाध्यता की व्यवस्था की जाए, उत्पाद बढ़ाया जाए तथा अधिमानों की समाप्ति के मामले में पूर्व परामर्श किया जाए। विकसित देशों ने उपर्युक्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया और इस मामले को अंकटाड के व्यापार तथा विकास बोर्ड को सौंप दिया गया है।

मुद्रा तथा वित्तीय मामले

सरकारी विकास सहायता (ओ०डी०ए०) के प्रश्न पर विकासशील देशों ने इच्छा व्यक्त की कि विकसित देशों को अगले तीन वर्षों के लिए ओ०डी०ए० आबंटन की वार्षिक विकास दर पर बंधकारी वचनबद्धताएं करनी चाहिए। विकसित देशों ने यह वचनबद्धता स्वीकार नहीं की और एक संकल्प पारित किया गया जिसमें विकसित देश सिर्फ ओ०डी०ए० बढ़ाने के नए और अतिरिक्त उपाय अपनाने पर विचार करने को राजी हुए।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार के क्षेत्र में, यह प्रस्ताव रखा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नीति के क्षेत्र में आधारभूत विषयों पर विचार करने के लिए अंकटाड में विशेषताओं का एक तदर्थ अन्तः सरकार समूह स्थापित किआ जाए। इस विषय पर विकासशील और विकसित देशों के बीच सहमति न होने के कारण संकल्प को मत द्वारा पारित किया गया।

वस्तुएं

वस्तुओं के क्षेत्र में, विकासशील देशों ने सामान्य निधि की दूसरी विन्डो एवं वस्तुओं के समेकित कार्यक्रम के कार्यान्वियन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं, जिसमें विकासशील देशों के वस्तु व्यापार की प्रोसेसिंग, विपणन और वितरण में उनके लिए अपेक्षतया अधिक हिस्सा तथा निर्यात आयों में वस्तु सम्बन्धी कमियों के लिए पूरक सुविधाओं का प्रश्न शामिल है, के बारे में सहायता मांगी है। सम्मेलन के दौरान, कुछ देशों ने बताया कि वे सामान्य विधि की दूसरी विन्डो को क्या योगदान देंगे। भारत ने अपने इस आशय की घोषणा की कि वह पूर्णतया सामान्य विधि की दूसरी विंडो के लिए 50 लाख डालर का अंशदान देगा।

प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी के अन्तरण के बारे में सम्मेलन प्रौद्योगिकी के अन्तरण सम्बन्धी आचार संहिता के स्वरूप सम्बद्ध होने की वजह से इस विषय को नहीं सुलझा सका। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पुनः अधिवेशन आयोजित करने के लिए एक संकल्प पारित किया गया। तथापि, इस अधिवेशन में विकासशील देशों की प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कदमों पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई।

जहाजरानी

77 के समूह का यह विचार था कि लाइनर सम्मेलनों के सम्बन्ध में आचार संहिता प्रवृत होनी चाहिए। विकासशील देशों ने बल्क नौभार में हिस्सा देने के बारे में भी सुझाव रखे, परन्तु विकासशील देशों ने इसका विरोध किया। इस विषय पर विकासशील देशों द्वारा एक संकल्प प्रस्तावित किया गया जिसमें विश्व नौभार टनेज में विकासशील देशों के समान हिस्सा लेने की बात कही गई थी, उसे मत देने के लिए रखा गया था और सम्मेलन में पारित कर दिया गया।

अल्पतम विकसित और भूवेष्ठित विकासशील देश

अल्पतम विकसित देशों के लिये कार्यवाही का एक नया कार्यक्रम और भूवेष्ठित विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं और समस्याओं से संबंधित कार्यवाही का एक व्यापक कार्यक्रम सम्मेलन में पारित किया गया।

संस्थागत मामले

विकासशील देशों ने इच्छा व्यक्त की कि अंकटाड–5 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास की सम्बद्ध समस्याओं के बारे में बातचीत करने के लिए प्रमुख साधन होना चाहिए। अंकटाड–5 में इस विषय पर जो संकलप पारित किया गया है, वह अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वार्ताओं की श्रेणी में अंकटाड की महत्वपूर्ण भूमिका की पुन: पुष्टि करता है, अंकटाड के कार्यचालन में सुधार करने के लिए नीति सम्बन्धी अनेक सिफारिशें करता है और अंकटाड के ढांचे का सुव्यवस्थीकरण करने के लिए एक तदर्थ अन्त: सरकार समिति का गठन करता है।

विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग (इ सी डी सी)

विकासशील देशों द्वारा प्रस्तावित तथा अंकटाड-5 में पारित किया गया संकल्प, विकासशील देशों के बीच, विश्व-व्यापी विकास की संतुलित तथा समान प्रक्रिया के सम्बन्ध में संरचनात्मक परिवर्तनों को बढ़ाने के लिए आवश्यक साधन के रूप में आर्थिक सहयोग से सम्बन्धित है और उसमें यह बताया गया है कि विकासशील देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इ सी डी सी को समर्थन और सहायता देते हैं। इस संकल्प में कार्य अभिमुख प्रस्तावों को पेश करने की मांग है और अंकटाड द्वारा सहायता पाने वाले विकासशील देशों की बैठकें करने की व्यवस्था है ताकि ई सी डी सी सम्बन्धी अंकटाड समिति के विशेष सत्र के संदर्भ में, जो अगले वर्ष के आरम्भ में बुलाया जाएगा, विकासशील देशों के बीच व्यापार अधिमानों की विश्व व्यापी प्रणाली की स्थापना, राज्य व्यापार संगठनों के बीच सहयोग और विकासशील देशों के बीच बहुराष्ट्रीय विपणन की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्य किया जा सके।

(ग) अन्य भारतीय अधिकारियों जिन्होंने मनीला में हुई बैठक में भाग लिया उनमें वाणिज्य सचिव, मनीला स्थित भारतीय राजदूत, वाणिज्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जनेवा तथा न्यूयार्क में भारत के स्थायी मिशनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

(घ) वाणिज्य मंत्री ने 50 प्रतिशत तक की टैरिफ रियायतों के आधार पर विकासशील देशों के बीच टैरिफ सम्बन्धी वार्ताओं के एक नए दौर का विशिष्ट प्रस्ताव रखा और इससे

विकासशील देशों के बीच और अधिक सहयोग की भावना ने जन्म लिया। विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में निर्णायक कार्यों पर और बल देने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्री ने मेजबान देश फिलिपाइन्स के राष्ट्रपति मार्कोस और अन्य विकासशील और विकसित देशों के नेताओं से मनीला में विस्तृत विचार-विमर्श किया। फिलीपाइन्स, भारत व अन्य देशों द्वारा की गई इस पहल का अच्छा स्वागत किया गया और विशेषतः इन वार्ताओं के अनुसरण में, विकासशील देशों ने मनीला में 18 देशों की एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया ताकि उनके बीच बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग की रीतियों का निश्चय किया जा सके और कार्यक्रम के कार्यान्वियन को मानीटर किया जा सके। भारत को इस समिति के एक सदस्य के रूप में नामजद किया गया है। विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए नई चेतना और आत्मनिर्भरता तथा उनके कार्यान्वियन के लिए समिति का गठन अंकटाड 5 की एक बड़ी उपलब्धि समझी जा सकती है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अंकटाड-5 की कार्यसूची की विभिन्न मदों पर हुई बातचीत में सक्रिय रूप से भाग लिया और इन वार्ताओं में व्यापक योगदान दिया।

इण्डियन एयरलान्इस कारपोरेशन द्वारा एयर बसों की उड़ान बन्द किया जाना

925. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने हाल ही में एक या अधिक एयरबसों की उड़ान बन्द करने का आदेश दिया ताकि उनकी अच्छी तरह तथा ध्यानपूर्वक जांच की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त विमानों में से किसी में कोई बड़ी खराबी या कमी पाई गई और यदि यह सच है, तो वे क्या कमियां थीं और उन्हें किस तरह से दूर किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) यद्यपि निर्माताओं के कथनानुसार एयरबस विमानों के किसी भी प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं थी, तथापि इण्डियन एयरलाइन्स ने अपनी ओर से पूरी एहतियात के तौर पर मैसर्स एयरबस इन्डस्ट्री तथा नागर विमानन विभाग जो भारत में उड़नयोग्यता प्राधिकारी है के परामर्श से अपने विमान बेड़े के एयरबस विमानों की कुछ एक प्रकार की जांच की मांग की। एयरबस विमान विशिष्ट रूप से इस प्रकार के निरीक्षण के लिये भूमिस्थ नहीं किये गये थे, परन्तु बड़े निरीक्षणों के दौरान इस प्रकार की जांचें क्रमिक रूप से की जानी थीं।

विदेश यात्रा कर

926. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश यात्रा टिकट कर संबंधी नये विनियम हाल ही में लागू किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) करों की नई दरों के फलस्वरूप 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुई अवधि में अनुमानतः कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। वित्त अधिनियम 1979 (1979 का 21) के अध्याय V में यथासमाविष्ट विदेश यात्रा कर की नयी योजना 15 जून, 1979 से लागू हुई है।

(ख) नयी योजना के अन्तर्गत, भारत से वायुयान अथवा जलयान द्वारा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ौसी देशों की अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू करने वाले प्रत्येक यात्री को कर के रूप में 50 रु० अदा करने होंगे और यदि यह यात्रा अन्य देशों की करनी हो, तो कर के रूप में 100 रु० अदा करने होंगे। यह कर वाहकों द्वारा इकट्ठा किया जायेगा और सरकार में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन, भारत में रामेश्वरम से श्रीलंका में तलाईमनार तक जलयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को इस कर से छूट दी गयी है। राजनयिक और मार्गस्थ यात्रियों को भी इस कर से छूट प्राप्त है।

(ग) विदेश यात्रा कर की नयी योजना कर की चोरी को रोकने अथवा कर के परिवर्जन के लिये बनायी गयी है और इसका प्रशासन भी बहुत अधिक सरल है।

(घ) यह नयी योजना 15 जून, 1979 से लागू हुई है और 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान यह लागू नहीं थी। फिर भी नई योजना के अन्तर्गत सारे वर्ष की अनुमानित राजस्व वसूली लगभग 10 करोड़ रुपये होगी।

नई वितरण योजना का आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव

927. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई 1979 को शुरू की गई नई उत्पादन-एवं-वितरण योजना का आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न राज्यों में मूल्य भिन्न-भिन्न हैं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) पहली जुलाई, 1979 को शुरू की गई नई उत्पादन-एवं-वितरण योजना का आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करने का अभी समय नहीं आया है।

पूर्वोत्तर भारत के लिये तीसरे स्तर की विमान-सेवा

928. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने पर्वतीय राज्यों को अबाध रूप से संचार सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर भारत के लिये (तीसरे स्तर की) विमान-सेवायें आरम्भ करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। प्रस्ताव की सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

सहकारिता आंदोलन में राज्यों द्वारा किए गए कार्य का तुलनात्मक अध्ययन

929. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारिता आंदोलन में राज्यों द्वारा किए गए कार्य का तुलनात्मक अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में अध्ययन करेगी;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एकाधिकार गृहों द्वारा सहकारिता आंदोलन में बाधा डाली जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सहकारिता संबंधी कार्यकारी दल और पंचवर्षीय योजना (1978-83) के लिए ग्रामीण ऋण तथा सहकारिता संबंधी कार्यकारी दल ने सहकारी आंदोलन (विशेष रूप से सहकारी ऋण) के विकास स्तर को ध्यान में रखते हुये राज्यों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

समूह 'क' : पंजाब, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु

समूह 'ख' : आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश।

समूह 'ग' : असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन के लिये केन्द्र तथा राज्यों के बीच समन्वय

930. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि एक अच्छी तरह तैयार की गई राष्टीय पर्यटन नीति के तथा केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच समन्वय के अभाव में पर्यटन की विशाल सक्षमता व्यर्थ जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्र-राज्य समन्वय के माध्यम से एक राष्ट्रीय नीति बनाने तथा इसे क्रियान्वित करने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) सरकार की यह कोशिश रहती है कि भारत की विशाल पर्यटन-संभावनाओं का पूरा-पूरा इस्तेमाल, एक ऐसी सुचारु रूप से समन्वित और एकीकृत पद्धति द्वारा सुनिश्चित किया जा सके जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारें पर्यटन आयोजना और विकास में घनिष्ठ रूप से अपना-अपना सहयोग प्रदान कर सकें। इसी का अनुसरण करते हुए राज्य पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन अगस्त, 1977 में और दुबारा नवम्बर, 1978 में, प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेशों में पर्यटन विकास के लिए एक प्रतिप्रेक्ष्य योजना को तैयार करने और प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत विकासार्थ दो केन्द्रों का चयन करने हेतु विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त योजना आयोग में वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजना पर विचार-विमर्श के समय भी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच पर्यटन आयोजन के क्षेत्र में समन्वय स्थापित किया जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मेघालय तथा नागालैंड की पर्यटन सक्षमता

931. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मेघालय तथा नागालैंड में पर्यटन की भारी सक्षमता की ओर दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जबकि सरकार को भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में पर्यटन संभाव्यता के बारे में मालूम है परन्तु स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही पर्यटकों द्वारा इनमें से कुछ राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंधों के कारण, इस क्षेत्र में वांछित सीमा तक सक्रिय रूप से पर्यटन का विकास और संवर्धन कर पाना संभव नहीं है। तथापि, नवम्बर, 1978 में हुए राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में, प्रत्येक राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र से केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के दो केन्द्रों के विकास की सिफारिश करने को कहा गया था। मेघालय, मणिपुर और नागालैंड के राज्यों में पंचवर्षीय योजना 1978-83 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत विकास के लिए अनन्तिम रूप से प्रस्तावित पर्यटक केन्द्र इस प्रकार हैं :—

मणिपुर

(1) लोक ताक झील

(2) कैबुल लमजाओ वन्य जीव शरण स्थल।

मेघालय

शिलांग-युवा होस्टल।

नागालैंड

कोहिमा

समूची छठी योजना के आबंटन के अन्तर्गत प्रत्येक स्कीम के सम्बन्ध में तैयार किये जाने वाले ब्यौरे और उपलब्ध किये जाने वाले संसाधनों की प्रमात्रा संबंधी विवरण राज्य सरकार से परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं।

इम्फाल हवाई अड्डे पर ईंधन लेने और रात को विमान उतरने की सुविधाएं

932. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इम्फाल हवाई अड्डे पर ईंधन लेने और रात को विमान उतारने की सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र के यात्रियों और उड़ान संचालकों को अत्याधिक असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का वहां इन सुविधाओं को जुटाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार हवाई अड्डों पर होने वाले व्यापार (बिजनेस परफार्मेन्स) और वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स को इम्फाल हवाई अड्डे पर रिफ्यूलिंग तथा रात्रि अवतरण सुविधाओं के न होने की जानकारी है ; तथापि, गोहाटी तथा सिल्चर विमान क्षेत्रों पर रिफ्यूलिंग सुविधाएं इम्फाल के लिए उड़ानों की सहायता करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं ।

इण्डियन एयरलाइन्स ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अपनी समयावलि में अपने किसी भी स्टेशन के लिए सायंकाल में देर से परिचालन की कोई व्यवस्था नहीं की है, और न ही इसकी उक्त क्षेत्र में रात्रिकालीन सेवाएं परिचालित करने की ही कोई योजनाएं हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पेन्शनरों के पेंशन लाभों में वृद्धि

933. श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के लिये पेन्शन के लाभों में किस प्रकार की वृद्धि की गई है और उक्त वृद्धि कब से उन्हें मिलेगी ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि निर्वाह-लागत में वृद्धि के फलस्वरूप बुरी तरह प्रभावित पहले सेवानिवृत्त पेन्शनरों की दशा बहुत खराब है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान पेन्शनरों को प्रतिपूर्ति स्वरूप पेन्शन-लाभों में वृद्धि करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें स्थिति बताई गई है ।

(ख) और (ग) सरकार पेंशन-भोगियों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों से अवगत है, और वह कुछ सीमा तक जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए, अखिल भारतीय कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के 12 मास के औसत में प्रत्येक 16 अंक

की बढ़ौतरी के लिए, पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से, किन्तु न्यूनतम 5 रुपए और अधिकतम 25 रुपए प्रतिमास, राहत मंजूर करती रही है। इसके अलावा, 1-1-73 से पूर्व के पेंशन-भोगियों को 15 रुपये से लेकर 35 रुपए प्रतिमास तक तदर्थ राहत भी मंजूर की जाती है।

विवरण

सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभों की घोषणा की गयी है। प्रभावी होने की तारीख प्रत्येक मद के सामने दिखायी गई है :—

क्रम संख्या	निर्णय	प्रभावी होने की तारीख
1.	औसत सूचकांक स्तर 272 पर दिए गए महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए वेतन में मिला दिया गया है।	30-9-77
2.	सेवा के प्रत्यक पूर्ण वर्ष की औसत परिलब्धियों के 1/80 की दर पर परन्तु औसत परिलब्धियों के अधिक से अधिक 33/80 की दर पर, पेंशन की संगणना करने की पद्धति के स्थान पर स्लैब प्रणाली को समाविष्ट करते हुए ऐसे उदारीकृत पेंशन फार्मुले को लागु किया गया है जिसके अन्तर्गत सेवा के 33 वर्ष से संबंधित पेंशन निम्न रूप से विनियमित की जाएगी :—	31-3-1979
	(क) पेंशन के लिए गणनायोग्य औसत परिलब्धियों के प्रथम 1000 रुपये तक	औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत
	(ख) उससे अगले 500 रुपये	औसत परिलब्धियों का 45 प्रतिशत
	(ग) शेष रकम	औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत
3.	पेंशन की अधिकतम सीमा 1000/- रुपये से बढ़ाकर 1500/- रुपये कर दी गयी है जिसमें औसत सूचकांक 328 पर दी गयी राहत भी शामिल है।	
4.	पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को औसत सूचकांक स्तर 328 पर ग्रेडिड राहत की एक और किस्त पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से दी गयी है जो कि कम से कम 5 रुपये प्रतिमास तथा अधिक से अधिक 25 रुपये प्रतिमास है।	1-12-1978

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का कार्यालय-खर्च

934. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का गत तीन वित्त वर्षों के दौरान मदवार तथा वर्ष-वार कार्यालय खर्च कुल कितना रहा ;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के अधिकारी "संसाधन-अन्तराल" (रिसोर्स गैप) की अदायगी के समय ब्याज वसूल करते है ;

(ग) क्या उन्हें भारत के रिजर्व बैंक अथवा अन्य किसी संगठन से ब्याज-मुक्त ऋण प्राप्त होता है ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि का ऋण मिलता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क) कार्यालय खर्च का ब्यौरा विवरण में बताया गया है।

(ख) से (घ) इससे पूर्व भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम में यह आम प्रक्रिया रही है कि संसाधन अन्तराल (रिसोर्स गैप) को पूरा करने के लिए, ऋण की अदायगी के समय, ब्याज की बकाया का हिसाब नहीं किया जाता रहा है। अलबत्ता, 1978-79 में निगम ने यह निर्णय किया था कि ऋणों की स्वीकृति तथा वितरण के समय, उचित मामलों में, ब्याज की बकाया को ध्यान में रखा जाये। निगम ने, भारत सरकार से 10 करोड़ रुपये का (1971-72 में 5 करोड़ तथा 1972-73 में 5 करोड़ रुपये) ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त किया है। इसके बाद से निगम, भारत सरकार से ब्याज युक्त ऋण प्राप्त करता रहा है लेकिन निगम द्वारा अदा किये गये ब्याज के एवज में, सरकार, प्रत्येक वर्ष राज सहायता प्रदान करती है। निगम द्वारा भारत सरकार से लिए गये कुल ऋणों की राशि 16.50 करोड़ रुपये बैठती है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

		वर्ष (जुलाई—जून)		
क्रम संख्या	व्यय शीर्ष	1976-77	1977-78	1978-79 (अनन्तिम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वेतन, मजदूरी तथा बोनस	22.71	27.24	31.40
2.	कर्मचारियों तथा कर्मचारी कल्याण व्यय	1.15	1.69	1.50
3.	किराया खाता	4.16	5.84	6.70
4.	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	1.29	1.43	1.47
5.	विज्ञापन	0.70	0.15	0.30
6.	बिजली	0.57	0.48	0.50
7.	बीमा खाता	0.10	0.08	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	यात्रा तथा सवारी भत्ता	2.36	2.00	2.34
9.	निदेशक को मानदेय/पारिश्रमिक	0.33	0.40	0.36
10.	दरें तथा कर	0.02	0.03	0.03
11.	विविध खर्चे	5.02	4.94	6.99
12.	लेखाकार का पारिश्रमिक	0.05	0.11	0.08
13.	आर०एन० सेन समीक्षा समिति पर होने वाला खर्च	1.66	0.49	—
14.	मूल्य ह्रास	0.90	0.84	1.50
	जोड़	41.02	45.72	53.29

निर्यात पर नकद राज सहायता

935. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 से 1978-79 तक वर्षवार कुल कितनी नकद राज सहायता दी गई ;

(ख) 1979-80 के दौरान कुल कितनी राज सहायता देने का विचार है ;

(ग) क्या निर्यात राज सहायता के दुरुपयोग और उसको अन्य कार्यों में लगाये जाने के बारे में बहुत से आरोप लगाये गये हैं ;

(घ) गत पांच वर्ष के बारे में क्या ब्यौरा है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क)

वर्ष	दी गई नकद मुआवजा सहायता की राशि (करोड़ रुपए में)
1970-71	34.92
1971-72	47.93
1972-73	54.56
1973-74	55.18
1974-75	66.82
1975-76	136.09
1976-77	226.62
1977-78	311.34
1978-79	358.92*

*(अनन्तिम)

(ख) 1979-80 के लिए नकद मुआवजा सहायता के लिए 299 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। तथापि, इस निमित्त वास्तविक भुगतान, निर्यातों के एफ०ओ०बी० मूल्य और निर्यातकों द्वारा नकदी संवितरण प्राधिकारियों को पेश किए गए दावों पर निर्भर करेगा।

(ग) से (ङ) चूंकि नकद मुआवजा सहायता नौवहन और भुगतान दस्तावेजों की छानबीन के बाद ऐसे निर्यातों पर दी जाती है, जो पहले ही किए जा चुके होते हैं, इसलिए सहायता के दुरुपयोग करने अथवा उसको किसी अन्य कार्य में लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

सिंघानिया इन्डस्ट्रियल हाऊस के सदस्यों पर करों की चोरी तथा एफ०आई०आर०ए० के उल्लंघन के कथित आरोप

936. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री सिंघानिया इन्डस्ट्रियल हाऊस के सदस्यों पर करों की चोरी तथा एफ०आई०आर०ए० के उल्लंघन के कथित आरोपों के बारे में 27 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8819 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंघानिया परिवार के सदस्यों पर करों की चोरी और एफ०आई०आर०ए० के उल्लंघन के जो कथित आरोप हैं, वे कुल कितनी रकम के हैं;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड ने इस बीच अपीलों का निपटान कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ;

(घ) क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति, छठी लोक सभा, 1977-78 के प्रतिवेदन से यह पता चला था कि सिंघानिया हाऊस का एक और सदस्य एफ०आई०आर०ए० के उल्लंघन के मामले से सम्बद्ध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जिस विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आरोप सिद्ध हुए थे और मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत उद्योग लिमिटेड पर 8.25 लाख रु० का अर्थदण्ड लगाया गया था उसकी कुल राशि 37 822 95 अमरीकी डालर बनती है।

इस समय उपलब्ध सूचनाओं से पता चलता है कि वर्ष 1975-76 से 1978-79 के दौरान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अकेले सिंघानिया ग्रुप के 7 मामलों में लगाये गये अर्थदण्ड की कुल रकम 4,78,530 रु० है। श्री निधिपत सिंघानिया (अवयस्क) के प्रकृत संरक्षक श्री गोपालकृष्ण सिंघानिया ने लाभांश के रूप में उन्हें हुई आय को प्रकट नहीं किया था, अतः उनके विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 277 के अधीन इस्तगासे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 277 के अधीन इस्तगासे की कार्यवाही मेसर्स जे०के० सिन्थेटिक्स के विरुद्ध भी शुरू की गई है क्योंकि उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 206 के अन्तर्गत विहित, वेतन की वार्षिक विवरणियों में गलत सूचनाएं दी थीं। उनके द्वारा आयकर की कथित चोरी की कुल रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) पार्टियों ने प्रवर्त्तन निदेशालय के न्याय-निर्णय के आदेशों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपीलें दायर कर दीं और अपीलों की सुनवाई के लिए अर्थदण्ड को जमा कराने की अनिवार्यता से छूट देने का भी निवेदन किया। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद अपीलीय बोर्ड ने यह आदेश दिया कि मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत उद्योग लिमिटेड को अपीलों के मामलों में मुसर्स खैतान एण्ड कं०, सौलिसीटर्स के पास क्रमश: 50000 रु० तथा 2,00,000 रु० नकद तथा क्रमश: 1,25,000 रु० और 4,50,000 रु० के हिस्से तथा ऋणपत्र जमा करवा देने चाहिए। ऐसा उन्हें अपीलों के निपटान की समाप्ति के तीन महीने तक उन पर बिना किसी प्रकार के ग्रहणाधिकार का दावा किये करना होगा। श्री रामेश्वर अग्रवाल के न्याय-निर्णय के दो मामलों के संबंध में प्रत्येक में 50,000 रु० जमा करवाने के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त यह आदेश भी जारी किया गया कि अपीलों की सुनवाई उपर्युक्त शर्तों के पूरा हो जाने के बाद ही की जाएगी। मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत उद्योग ने 2,50,000 रु० की रकम तथा अपेक्षित हिस्से (शेयर) जमा करवा दिये हैं। इसी प्रकार श्री रामेश्वर अग्रवाल ने 10,000 रु० जमा करवा दिए हैं। अपीलों पर अभी अन्तिम सुनवाई की जानी है।

(घ) तथा (ङ) लोक उपक्रम समिति (छठी लोक सभा, 1978-79) (1977-78 नहीं) ने अपनी सोलहवीं रिपोर्ट में मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत उद्योग लिमिटेड के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक श्री भरत हरि सिंघानिया के विरुद्ध, जिन पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था और बाद में न्याय-निर्णय की कार्यवाही में छोड़ दिया गया था, मामले का उल्लेख किया है और मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत उद्योग के विरुद्ध मामले को पुनः शुरू करने तथा श्री भरत हरि सिंघानिया, श्री रामेश्वर अग्रवाल, श्री एन० पी० पूरिया, श्री आर० एम० रस्तोगी और जे० के० उद्योग तथा गेन्जिज मानुफेक्चरिंग कम्पनी के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ करने की सिफारिश की है। सरकार ने विधि मंत्रालय तथा वर्तमान प्रवर्त्तन निदेशक के साथ परामर्श करके मामले की जांच की और लोक उपक्रम समिति की उपर्युक्त सिफारिशों का उत्तर यह कहकर दिया कि विधि मंत्रालय के परामर्श को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार है कि ऐसी अवस्था में निर्दिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही शुरू करना ठीक नहीं होगा जबकि मामले में सफलता पाने की संभावना न हो।

सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों का अध्ययन करने के बाद समिति ने इस मामले में "अधिकारिक अभिमत" के लिए, मामले को महान्यायवादी को भेजने की सिफारिश की है। मामले को भारत के महान्यायवादी के पास भेजने के सुझाव पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

हिन्दुस्तान समाचार की तिजोरी से लापता डालर

937. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान समाचार, नई दिल्ली की तिजोरी से चोरी किये गये डालरों के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) चोरी हुये डालरों का मूल्य क्या है तथा वे कितने थे और उन्हें वे किस प्रकार प्राप्त हुये; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत की गयी जांच-पड़ताल से पता चलता है कि मेसर्स हिन्दुस्तान समाचार लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबन्धकों में से एक प्रबन्धक ने जून 1978 में दौरे पर विदेश जाने के लिए उपयुक्त अनुमति से 1480 अमरीकी डालर प्राप्त किए और वापस आने पर उन्होंने उपयोग में नहीं लायी गयी 850 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा वापस नहीं की परन्तु उसे हिन्दुस्तान समाचार लिमिटेड की तिजोरी में रख दिया। पुलिस थाने में 1 फरवरी, 1979 को लिखाई गई शिकायत के अनुसार, उक्त 850 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा चोरी चली गयी थी।

भारत में उनके वापस आने पर 30 दिन की अवधि के अन्दर उपयोग में नहीं लाई गई विदेशी मुद्रा को वापस नहीं करने पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 8(3) का उल्लंघन करने के लिए 4 मई, 1979 को एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया है। प्रवर्त्तन निदेशालय ने अब कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त कर लिया है और मामले का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत न्यायनिर्णय किया जा रहा है।

वाशिंगटन में होटल चलाने के लिए बम्बई के ताजमहल होटल के प्रबन्धकों की सेवाएं

938. श्री सरत कार : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 1979 के कलकत्ता से प्रकाशित "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस आशय केसमाचार की ओर दिलाया गया है कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों का एक कंसोर्टियम (संघ) 350 लाख डालर में वाशिंगटन के शोरहम होटल को जो उस राजधानी के अत्यन्त फैशनेबल और गौरवपूर्ण होटलों में से एक है, खरीदने की बातचीत कर रहा है तथा इसे चलाने के लिये बम्बई के ताजमहल होटल के प्रबन्धकों का उपयोग करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशों में होटल परिचालनों में परामर्श संबंधी और तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारतीय होटल कम्पनी (ताज ग्रुप) इस समय वाशिंगटन में एक अमरीकी फर्म से एक होटल के बारे में इस तरह का प्रबन्ध करने के लिए बातचीत कर रही है। मामला फिलहाल वार्ता-स्तर पर है।

सार्वजनिक वितरण योजना का कार्यान्वियन

939. श्री सरत कार : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रस्तावित विस्तृत सार्वजनिक वितरण योजना की उपयोगिता और बढ़ गई है ;

(ख) क्या इस समय विद्‌यमान परिस्थितियों के कारण इस योजना के 1 जुलाई, 1979 से कार्यान्वियन में भी समस्याएं खड़ी हो गई हैं ;

(ग) क्या केन्द्र ने राज्य नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की इन समस्याओं पर विचार करने के लिए और उत्पादन-व-वितरण योजना के कार्यान्वियन की समीक्षा के लिये कोई बैठक बुलाई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) उत्पादन-एवं-वितरण योजना, जो देश भर में पहली जुलाई, 1979 से परिकल्पित किए गये आधार पर शुरू की गइ है, स्थायी आधार पर रहेगी। इस योजना के कार्यान्वियन में आने वाली समस्याओं का पता चलने पर उन्हें हल किया जा रहा है।

(ग) व (घ) जी, हां। राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों का एक सम्मेलन 6 जून, 1979 को बुलाया गया था। इस सम्मेलन में राज्य सरकारों ने 1-7-1979 से इस योजना को शुरू करने के अपने निर्णय की घोषणा करते हुए यह सुनिश्चित करने का भी वायदा किया कि दिसम्बर, 1979 के अन्त तक इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को ला दिया जाएगा और सभी वस्तुओं का वितरण शुरू कर दिया जाएगा।

राज्यों में ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

940. श्री वसन्त साठे : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान, विभिन्न राज्यों में ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की है और मोटे तौर पर तत्संबंधी राज्यवार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समीक्षा से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले और प्रत्येक राज्य में ग्रामीण बैंकों के विकास और कार्यकरण में क्या-क्या बाधाएं आई हैं ;

(ग) देश के विभिन्न भागों में स्थित ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को सुदृढ़ करने तथा उनकी प्रगति बढ़ाने के लिये गत $2\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये गये अथवा निर्णय लिये गये ; और

(घ) उनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (घ) सम्भवतः यह प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक द्‌वारा प्रो० एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी समीक्षा के निष्कर्षों के बारे में है जिसने फरवरी, 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अन्य बातों के साथ-साथ इस समिति ने अपने निष्कर्षों के लिये चुने हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्र-अध्ययनों को आधार बनाया था। इस समिति के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं :—

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण ढांचे को एक अभिन्न अंग बनाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुलभता में सुधार की ओर महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं ;

(ii) इसलिए देश के उपयुक्त क्षेत्रों में और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की कार्रवाही को तेज किया जाना चाहिए ; और

(iii) इन बैंकों के परिचालन का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में होना चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन और उनके विषय में नीति का निर्देशन अब रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है ; इस प्रकार के नये बैंक खोलने सहित, इन बैंकों की प्रगति पर नजर रखने के लिये और इनके बारे में नीति विषयक मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के एक उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक संचालन समिति स्थापित की गयी है।

जून, 1977 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार के 48 बैंक थे जो 16 राज्यों के 87 जिलों को व्याप्त करते थे। उक्त समिति की सिफारिशें मंजूर किए जाने के बाद नये बैंकों की स्थापना के लिए 1978 की आखिरी तिमाही में 12 स्थानों का अनुमोदन किया गया, जिनमें से मार्च 1979 के अंत तक 8 बैंकों की स्थापना की जा चुकी है। इस समय देश में 17 राज्यों में 101 जिलों को व्याप्त होने वाले 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1977-78 और 1978-79 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की विशेष रूप से कोई राज्यवार समीक्षा नहीं की है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क

941. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 19 जून, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' नई दिल्ली में "इण्डिया हैज हाईएस्ट लैवी आन पैट्रोल, कैरोसीन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य ढांचे में उत्पादन शुल्क कम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि सड़क परिवहन पर अधिक लागत आने से समाज की मूल आवश्यकताओं के लागत और मूल्य के ढांचे पर बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) पैट्रोल की खपत में बचत करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) अपरिष्कृत तेल की नाजुक स्थिति को देखते हुए सरकार प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर नियन्त्रण लगाने की आवश्यकता महसूस कर रही है। फिलहाल इन उत्पादों पर उत्पादन शुल्क घटाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मुख्यतः विभिन्न वित्तीय तथा नियन्त्रण संबंधी उपायों के जरिए, पेट्रोल की खपत में कमी किया जना आशयित है।

गत 15 महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

942. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में महत्वपूर्ण नगरों में गत 15 महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य क्या रहे; और

(ख) मूल्यों में हो रही वृद्धि को देखते हुए मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) विभिन्न वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक बहुत से केन्द्रों पर चल रहे मूल्यों पर आधारित होते हैं और इस प्रकार उनसे देश की संपूर्ण मूल्य स्थिति प्रदर्शित होगी। पिछले पंद्रह महीनों के दौरान के चुनी आवश्यक वस्तुओं के मासिक थोक मूल्य सूचकांक दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4617/79]

(ख) सरकार ने मुद्रास्फीति की प्रवृतियों को रोकने के लिये कई एक उपाय किये हैं। जब कभी आवश्यक होगा अतिरिक्त उपाय किये जायेंगे। किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय संक्षेप में नीचे दिये गये है:—

(1) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों को अधिक से अधिक आर्थिक अनुशासन बरतने तथा सरकारी खर्च में कमी करने के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं।

(2) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिकृत ओवरड्राफ्ट की सीमा का अनुपालन करें और गैर-योजना खर्च को सीमित करें।

(3) एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसके द्वारा 6 जुलाई, 1979 को देय अनिवार्य जमा की किस्त के भुगतान को एक साल तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने संवेदनशील (सेंसटिव) वस्तुओं अर्थात चीनी, तिलहनों, खाद्य तेलों तथा दालों के लिये बैंक ऋण को दुर्लभ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे ऐसी वस्तुओं पर ऋण देने पर सख्त निगरानी रखें, ताकि जमाखोरी के लिये बैंक वित्त का उपयोग करने की हर प्रवृत्ति को रोका जा सके।

(5) चीनी के दामों को उचित स्तर पर बनाये रखने की दृष्टि से सरकार द्वारा चीनी की महीनावार छोड़ने की योजना को 5 जून, 1979 से फिर से लागू किया गया है। पहली जुलाई, 1979 से चीनी की साप्ताहिक बिक्री व प्रेषण पर फिर से रोक लगा दी गयी है।

(6) छपाइ कागज तथा क्रीम निहित सरेस (क्रीम लेड) अथवा वोव कागज के कारखाना मूल्य क्रमशः 3,000 और 3,785 रु० प्रति मीटरी टन नियत किये गये हैं। कागज (नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन केन्द्रीय सरकार ने सफेद छपाई कागज तथा क्रीम निहित सरेस (क्रीम लेड) अथवा वोव कागज के स्टाक के निपटान और विक्रय को निर्देशित करने का अधिकार अपने हाथ में लिया है।

(7) यद्यपि चावल तथा गेहूँ के वसूली मूल्य क्रमशः 1978-79 (खरीफ) तथा 1979-80 (रबी) के विपणन मौसमों में बढ़ाये गये हैं। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गत मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई

है, ताकि मूल्य स्तर को बनाए रखा जा सके। राज्य सरकारों की गेहूं तथा चावल के आबंटन की पूरी की पूरी मांग की पूर्ति की जा रही है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करें ताकि समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न उचित मूल्यों पर उपलब्ध किये जा सकें।

(8) राज्य व्यापार निगम ने आयातित तेल बेचकर खाद्य तेलों के बारे में खुले बाजार में दखल देना आरंभ कर दिया है। राज्य व्यापार निगम वनस्पति उद्योग और राज्य सरकारों की आयातित रेपसीड तेल की मांग को पूरा करता आ रहा है।

(9) रेल द्वारा वस्तुओं की ढुलाई में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों की खाद्यान्नों की ढुलाई में काफी सुधार हुआ है। जून, 1979 के पिछले 20 दिनों के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में 51,000 मीटरी टन खाद्यान्न प्राप्त किये गये हैं।

(10) आवश्यक वस्तुओं जैसे सीमेंट, खाद्य तेलों, दालों तथा सोडा राख जिनकी कमी है, के आयात को जारी रखा जा रहा है।

(11) राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुयें) नियम, 1977, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मूल्य प्रदर्शन आदेशों तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबन्धों को सख्ती से लागू करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे मूल्यों के रुख पर कड़ी तथा लगातार निगरानी रखें और विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अनुचित वृद्धि को रोकें।

(12) पहली जुलाई, 1979 से उत्पादन-एवं-वितरण योजना शुरू की गई है, ताकि उसके अन्तर्गत अधिक आबादी और दैनिक आवश्यकता की अधिक वस्तुयें लाई जा सकें। उम्मीद है कि यह योजना इस वर्ष के अंत तक पूरी तरह काम करना शुरू कर देगी।

(13) तिलहनों तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

साहेबगंज नगर में सोने और सोने के जेवरात का जब्त किया जाना

943. श्री के० ए० राजन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों ने अक्तूबर, 1977 में देवरिया जिले में साहेबगंज नगर के एक सोने के व्यापारी की दुकान और मकान से सोना और सोने के जेवरात जब्त किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ये वस्तुएं गोरखपुर में एक सरकारी खजाने में रखी गई थीं;

(घ) यदि हां, तो क्या पैकटों में से वस्तुएं गायब पाई गईं ; और

(ङ) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने, 7-10-1977 को देवरिया जिले के पदरौणा में साहेबगंज नामक मोहल्ले के श्री गोपीकृष्ण सुपुत्र श्री भीमराज के आवासीय तथा व्यापारिक परिसरों से शुद्ध सोने तथा स्वर्णाभूषणों के रूप में लगभग 80,500 रु० मूल्य का 1487 ग्राम सोना, पकड़ा था। इस सोने को दो मुहरबन्द पैकटों में रखकर गोरखपुर के स्थानीय खजाने में जमा करवा दिया था।

इस सम्बन्ध में स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामले में न्याय-निर्णय 21 जुलाई, 1978 को किया गया जिसके परिणामस्वरूप 5000 रु० का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया और सोने को छुड़वाने की एवज में 10,000 रु० का जुर्माना दे देने पर सोना वापस करने के आदेश दिए गए। पार्टी ने जुर्माना तथा माल छुड़वाने की एवज में लगाया गया अर्थदण्ड 4 मई, 1979 को अदा कर दिया और तदनन्तर सोना वापस करते समय जब सम्बन्धित पैकेटों को खोला गया तो उनमें सोने के स्थान पर नट-बोल्ट रखे पाये गये।

(ङ) मामले की जांच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, लखनऊ तथा पुलिस द्वारा की जा रही है। इस मामले से सम्बद्ध दो केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों को मुअत्तिल कर दिया गया है।

उन वस्तुओं के नाम जिनमें आयात व निर्यात पर सरकारी उपक्रमों का एकाधिकार है

944. श्री राम विलास पासवान : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वस्तुओं के नाम क्या क्या हैं जिनके आयात और निर्यात पर, उनके मंत्रालय के अधीन, सार्वजनिक उपक्रमों का एकाधिकार है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवस्तु तथा प्रति उद्यम के हिसाब से उन पर कमीशन किस दर से लगाई गई है और कुल कमीशन कितनी है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन (केनेलाइजड) वस्तुओं के प्रति वस्तु के हिसाब से आयात और निर्यात के आंकड़ें क्या हैं ; और इनमें (प्रति वस्तु) तथा (प्रति उद्यम) के अनुसार आयात और निर्यात में क्या अनुपात रहा है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (उपक्रम वार) अर्जित किये गये कुल लाभ पर लगाये जाने वाली कमीशन की प्रतिशतता क्या थी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखदी जायेगी।

विवरण

(क) उन वस्तुओं की सूची जिनके आयात व निर्यात पर वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का एकाधिकार है :—

(1) **वे मदें जिनका निर्यात मार्गीकृत है** :

1. सुखाई हुई मछली, जिनमें प्रान शार्कफिन फिस माव बीच डि मेरा तथा बाम्बे डक्स तथा अन्य सुखाई हुई शैल मछली शामिल नहीं है।
2. चमड़ा, लाख दाना, बटनलाख, गार्नेटलाख तथा लाख की अन्य किस्में, जिसमें भाग 1 अनुसूची 1 में उल्लिखित किस्में शामिल नहीं हैं।
3. अरंडी का तेल।
4. सीरा।
5. तेल रहित मूंगफली की खली (निस्सारण)।
6. सीमेंट।
7. लौह अयस्क, जिसमें गोआ उद्भव का लौह अयस्क शामिल नहीं है, जो जापान, दक्षिण कोरिया, तैवान, तथा पश्चिम यूरोप को निर्यात किया जाता है।
8. मैंगनीज अयस्क।
9. बेराइटिस (ढेले तथा चूरा)।
10. क्रोम अयस्क तथा सांद्रण भाग (क) में शामिल मदों को छोड़कर।
11. अभ्रक जिसमें अभ्रक की सभी श्रेणियों व किस्मों के अभ्रक के टुकड़े शामिल हैं और जिसमें विनिर्मित तथा साधित अभ्रक शामिल नहीं है (जिसमें डाइकट कंडेन्सर फिल्में कन्वेयर्स ब्रिजिज/वाशर्स आदि शामिल हैं) माइकानाइट पुनर्गठित अभ्रक, अभ्रक का चूरा तथा अभ्रक का कागज।
12. कोयला तथा कोक [जिसमें कार्बोराइज्ड लिगनाइट ब्रिकेटर्स (लोको) शामिल नहीं है]
13. अगियाघास का तेल।
14. सभी वर्गों की अर्ध-साधित खालें तथा चमड़ियां जिसमें ई आई विधि से कमाई हुई तथा वेट बल्यू खालें तथा चमड़ियां व क्रस्ट चमड़ा शामिल है।
15. जूते आदि सघन चमड़े के जूते जो क्रमांक 60 ओ जी एल-3 के अंतर्गत नहीं आते।
16. रेल वैगन।
17. प्याज, इलायची (बड़ी) हाथ से चुनी तथा छटी मूंगफली, तिल तथा तिल्ली बीज।

(2) **वे मदें जिनका आयात मार्गीकृत है** :

1. कच्चा काजू।
2. एल्यूमीनियम।
3. एंटीमनी धातु।
4. एंटीमनी अयस्क।
5. कच्चा एस्बसटास।
6. बिनागढ़ा तांबा।

7. फ्लोर्सपार (एसिड ग्रेड)।
8. सीसा।
9. पारा।
10. निकिल-प्राइमरी/स्क्रैप।
11. प्लेटिनम।
12. पैलाटियम।
13. स्टेनलैस/ताप रोधक इस्पात प्लेटें/शीटें/कायल/स्ट्रिफ-केवल इनको छोड़कर :—

    (क) प्लेटें, किसी भी विशिष्टि की, 12 मिमी से अधिक मोटी या 1,250 मिमी से अधिक चौड़ी या 3 मीटर से अधिक लंबी ; और

    (ख) किसी भी विशिष्टि की शीट/स्ट्रिप्स, 1.5 मिमी या उससे मोटी, जिसमें 302, 304/304 एल शामिल नहीं है (जिसमें आम जाने पहचाने मानक शामिल हैं—18/8), 316/316 एल/316 टी आई 321 तथा 347.
14. सल्फर, गैर-साधित एलीमेंटल/गैर-परिष्कृत रिकवर्ड।
15. टिन।
16. जस्ता (या स्पेल्टर) बिना गढ़ा।
17. एल्काइल बैंजीन/डोडीसील बेंजीन।
18. सभी संशिलष्ट गैर-सेल्यूलोस रेशे, जिसमें पोलिस्टर रेशा/टो, पोलिनोसिक रेशा तथा एग्रीलिक रेशा/टो शामिल नहीं है।
19. कैल्सियम बोरेट।
20. कैप्रोलेक्टम।
21. क्राइयोलाइट।
22. डेपसोने (डाइ-एमीनो-डाइफिनाइल सल्फोन) तथा उसके उत्पाद।
23. डी एम टी।
24. एथोक्सी मिथाइलीन डाइ-मिथाइल मेलोनेट।
25. आयोडीन।
26. मिथाइल मेथाक्रीलेट मोनोमर (वर्जिन)।
27. मेथाइली माइडाजोल।
28. मोनोएक्रीलीन ग्लाइकोल।
29. नोवाल डाइमाइन।
30. लाइलोन यार्न तथा धागा [जिसमें (i) बेस फ्लैट नाइलोन फिलामेंट यार्न (प्रथम क्वालिटी) तथा (ii) 210 डेनियर तथा उससे अधिक का औद्योगिक नाइलोन यार्न शामिल नहीं है]।
31. पोलिस्टर फिलामेंट यार्न जिसमें बेस फ्लैट-प्रथम क्वालिटी शामिल नहीं है।
32. सोडियम साइनाइड।
33. सोडियम बोरेट।

34. टी आई ओ सी।

35. टिटेनियम डाइग्राक्साइड (एबाटेस तथा रूटाइल दोनों ग्रेड)।

36. विनायल एसीटेट मोनोमर।

37. विनायल एसीटेट।

38. हथियार का गोलाबारूद ।

39. पेय, स्प्रिट तथा मदिरा।

40. सीमेन्ट जिसमें क्लिंकर भी शामिल है।

41. सिनेमाटोग्राफ फिल्में, बिना खिंची, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

i) 8 मि मी (रंगीन) तथा

ii) 8 मि मी ब्लेक एण्ड व्हाइट नगेटिव।

42. विस्फोटक पदार्थ।

43. भेड़ बकरी की चर्बी।

44. प्राकृतिक रबड़।

45. अखबारी कागज।

46. तेल तिलहन, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1) नारियल का तेल।

2) खोपरा।

3) मूंगफली का तेल/तिलहन।

4) ताड़ का तेल (पामोलीन सहित सभी प्रकार के)/ताड़ के बीज।

5) जेपसीड तेल/बीज।

6) करदी तेल/करदी बीज।

7) सोयाबीन तेल/बीज तथा

8) सूरजमूखी तेल बीज।

47. फोटोग्राफिक रंगीन कागज।

48. फोटोग्राफिक फिल्में (रंगीन तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट)—जिनमें केवल निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) एमट्युअर रोल फिल्में (तथा उनके लिए कार्टिज),

(ख) कैसेट्स (तथा रिफिल तथा उसके लिए बल्क रोल्स) तथा

(ग) कट/शीट फिल्में।

49. ऊनी चिथड़े/शादी ऊन।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों द्वारा विदेशी दौरों पर किया गया खर्च

945. श्री राम विलास पासवान : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के उध्यक्षों के नाम, उनकी शैक्षिक योग्यताएं, व्यावसायिक योग्यताएं क्या हैं और वे किस-किस राज्य के हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में बाहरी देशों का दौरा करने वाले अध्यक्षों के नाम क्या-क्या हैं और उनकी यात्रा पर कितना खर्च किया गया है ;

(ग) प्रत्येक उपक्रम में अध्यक्षों के वेतन तथा दूसरी सुविधाओं जैसे, दूरभाष, फर्नीचर, बिजली, स्टाफ और क्लबों शुल्क पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(घ) क्या सरकार इस खर्चे में कमी करने का प्रयास कर रही है और यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की शैक्षिक एवं व्यावसाविक अर्हताओं के बारे में उपलब्ध सूचना अनुबन्ध में दी गयी है। जहां तक यह मालूम करना कि है ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस राज्य के रहने वाले हैं, सरकार यह सूचना एकत्न करना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसे आंकड़े एकत्र करना राष्ट्रीय अखण्डता के हित में नहीं है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4618/79]

(ख) से (घ) वांच्छित सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसका विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

एक अन्तर्राष्ट्रीय ऋण आयोग बनाने का प्रस्ताव

946. श्री चित्त बसु : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीला में हुए पांचवें अंकटाड सम्मेलन में "ग्रुप आफ 77" ने "थर्ड वर्ल्ड" की ऋण संबंधी समस्याओं के हल के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय ऋण आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय लिये गए ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय पर विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच भारी मतभेदों के कारण आयोजित बातचीत अनिर्णायक रही। सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि सारा मामला आगे विचार के लिए अंकटाड के व्यापार और विकास बोर्ड को भेज दिया जाए।

एयर बसों की हवाई योग्यता

947. **प्रो० समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर बसों की हवाई योग्यता के विषय में कुछ सन्देह होने के विचार से संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा इस प्रकार के सभी हवाई जहाजों को तकनीकी जांच हेतु भूमि पर रोकने के लिए कहा गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने सभी एयर बसों को अमेरिका से खरीद लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में प्रयोग की गई किसी भी एयर बस की तकनीकी जांच के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुसार ऐतिहासिक उपाय न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ग) यू० एस० ए० में एक डी० सी०–10 विमान की दुर्घटना होने पर, अमरीकी उड़न-योग्यता प्राधिकारियों ने सभी डी० सी०–10 विमानों पर "पंख संलाग के पायलोन" पर एक निर्धारित अवधि के अंदर-अन्दर आवश्यक जांच-पड़ताल करने के आदेश दे दिए हैं। एयरबस विमान के निर्माताओं ने सभी संबंधितों को सूचित किया कि पंख संलाग पर एयरबस पायलोन का डिज़ाइन भिन्न था तथा सभी डिज़ाइन सम्बन्धी आवश्यकयाओं की पूर्ति करता था और इसमें जांच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं थी तथा ईस्टर्न एयरलाइन्स (एयरबस के अमरीकी परिचालक) यह निरीक्षण केवल अमरीकी उड़न-योग्यता प्राधिकारियों के अनुरोध की संतुष्टि के लिए कर रहे थे। निर्माताओं के अनुसार यद्यपि एयरबस (ए300 बी2) विमान पर कोई निरीक्षण, चाहे जैसा भी हो, करने की आवश्यकता नहीं थी, इण्डियन एयरलाइन्स ने स्वयं ही कड़ी एहतियात के तौर पर, एयरबस इंडस्ट्री (एयरबस के निर्माता) तथा नागर विमानन के महानिदेशक के परामर्श से इण्डियन एयरलाइन्स के एयरबस विमानों पर आवश्यक जांच-पड़ताल करने पर बल दिया। इण्डियन एयरलाइन्स के एयर बस विमानों को विशेष रूप से केवल इसी प्रयोजन के लिए भूमिस्थ नहीं किया गया था बल्कि ये जांच-पड़ताल बड़े निरीक्षणों के दौरान चरणों में की जानी थी। यह निरीक्षण दो एयरबस विमानों पर किये गए थे और वे संतोषजनक पाए गए। अन्य विमानों के भी बड़े निरीक्षणों के दौरान निरीत्रण किए जाएंगे। यह केवल कभी कभार किया जाने वाला कार्य होगा।

(ख) जी, नहीं, एयरबस विमान फ्रांस से खरीदे जाते हैं।

कलकत्ता हवाई अड्डे से तथा वहां तक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

948. **प्रो० समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे को भारत में दूसरा सबसे अच्छा हवाई अड्डा घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे पर दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों की तुलना में बहुत कम अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं ;

(घ) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे को मिली अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता के पश्चात् कलकत्ता से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में सुधार किया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) एयरलाइन पायलट्स एसीसिएशन के अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन ने कलकत्ता को "आरेंज स्टार" के रूप में वर्गीकृत किया है । सुरक्षित हवाई अड्डों का दूसरा वर्ग "अत्युत्तम" (Excellent) है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) कलकत्ता एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक सभी सुविधाओं से सज्जित है, तथा सब प्रकार के विमानों को हैंडल करने के लिये उपयुक्त है ।

कलकत्ता एयरपोर्ट पर 22.00 से 06.00 बजे के बीच में उतरने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को अवतरण प्रभारों में छूट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में उचित दर की दुकानें

949. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में प्रत्येक में कितनी उचित दर की दुकानें हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन दोनों जिलों के दुरस्थ क्षेत्रों के लोगों द्वारा आवश्यक वस्तुओं जैसे मोटा अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल और अच्छा कपड़ा आदि की उपलब्धि में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में पता है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन दोनों जिलों में से प्रत्येक के दुरस्थ क्षेत्रों की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क), (ख) व (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यह सभा-पटल पर तुरन्त रख दी जायेगी ।

होटल व्यापार में विदेशी सहयोग

950. **श्री दिलीप चक्रवर्ती :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटल व्यापार में विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति-निर्णय लिया है ;

(ख) क्या निजी क्षेत्र का कोइ प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ग) क्या इन प्रस्तावित होटलों से कम आय वाले वर्गों को कोई मदद प्राप्त होगी ; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इस सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, जो इन मामलों में सरकार की संबंधित एजेन्सी है, के पास मैसर्स दि दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्ज़ कंपनी लिमिटेड, दिल्ली के आवेदन को छोड़कर, विदेशी सहयोग से होटल स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र का कोई अन्य प्रस्ताव विचारार्थ निलंबित नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रस्ताव में लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत पर दिल्ली में एक 5—स्टार सुपेर डिलक्स होटल स्थापित करने के लिए एक भारतीय कंपनी की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

बड़े औद्योगिक घरानों से बकाया आय-कर की वसूली

951. श्री दिलीप चक्रवर्ती : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मई 1979 के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों से उनकी ओर आय-कर तथा अधिभार की बकाया राशि की वसूली में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) फिलहाल, बड़े औद्योगिक गृहों के सभी मामलों के बारे में बकाया आयकर की मांग के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है। 10 लाख रुपये से अधिक की बकाया मांग वाले प्रत्येक मामले के बारे में क्षेत्रीय अधिकारियों से तिमाही रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं। क्योंकि ये रिपोर्टें, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार प्राप्त होती हैं अत: मई 1979 को समाप्त हुई अवधि को विद्यमान के अनुसार उक्त मामलों से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार, बड़े औद्योगिक गृहों [अर्थात एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी कंपनियां जो उक्त अधिनिवम की धारा 20 (क) के अन्तर्गत आती हैं] से सम्बन्धित मामलों में 31 दिसम्बर 1978 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया रकम कुल 11.15 करोड़ रुपये थी और इसके अलावा इन मामलों में 7.38 करोड़ रुपये की मांग देय नहीं बनी थी। उपर्युक्त मांग में से 31 मार्च 1979 तक कुल 7.40 करोड़ रुपये की आयकर की रकम की वसूली/घटौती/समायोजन किया गया।

31 दिसम्बर 1978 की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों में अतिकर की 0.06 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी जिसमें से 31 मार्च 1979 तक 0.04 करोड़ रुपये की वसूली/घटौती/समायोजन कर लिया गया था।

संलग्न विवरण-पत्र में ऐसी कम्पनियों की सूची दी गयी है जिनसे संबंधित बकाया रकमों की मांगें वसूली/घटौती/समायोजन की रकमों के साथ-साथ 31-12-1978 से 31-3-1979 तक की अवधि के दौरान वसूल कर ली गईं/घटा दी गईं/समायोजित कर दी गईं।

विवरण

क्र० सं०	समूह का नाम	कम्पनी का नाम	31-12-1978 से 31-3-1979 तक वसूली/घटौती/समायोजन की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
			(लाख रुपयों में)
		आयकर	
1.	ए०सी०सी०	एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०	11.70
2.	बिड़ला	भारत जनरल एण्ड टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लि०	12.63
3.	"	बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	7.83
4.	"	न्यू स्वदेशी मिल्स आफ अहमदाबाद लि०	23.35
5.	"	नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि०	24.48
6.	"	ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स लि०	7.95
7.	"	जियाजी राव काटन मिल्स लि०	64.21
8.	"	जनरल मार्किटिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	28.31
9.	"	टेक्समेको लि०	11.52
10.	जे० के० सिंघानिया	जे० के० उद्योग लि०	17.87
11.	कमानी	कमानी ब्रदर्स (प्रा०) लि०	164.52
12.	"	कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	226.88
13.	कापड़िया क्लिक	मगनलाल छगन लाल (प्रा०) लि०	6.11
14.	खटाऊ	सीमेंस इण्डिया लि०	29.76
15.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०	21.93
16.	मोदी	मोदीपोन लि०	15.00
17.	"	मोदी इण्डस्ट्रीज लि०	18.40
18.	आर० एन० गोयन्का	ट्रेडर्स एण्ड ट्रेडर्स	9.69
19.	साराभाई	सुहृद गेजी कं० लि०	8.71

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	सूरजमल नागरमल	एशियाटिक आक्सीजन लि०	6.74
21.	टाटा	टाटा सन्स लि०	9.95
22.	त्यागराज	सरोजा मिल्स लि०	2.28
23.	यूनाइटेड ब्रीवरीज़	होक्स्ट फारमेस्युटिकल्स लि०	10.49
			740.31
		अति कर	
1.	बिड़ला	मेसर्स टेलर इंस्ट्रूमेंट कं लि०	3.97

नोट :— उपर्युक्त सूची पूर्ण नहीं है और इसमें केवल वही मामले सम्मिलित हैं जिनके बारे में, उत्तर में उल्लिखित तिमाही विवरण-पत्रों के रूप में सूचना प्राप्त हुई है ।

देश भर में विमान-यात्रा के लिए छात्रों को रियायत

952. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में छात्रों को देश भर में विमान-यात्रा के लिए रियायत देने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) इण्डियन एयरलाइन्स पहले ही 12 से 26 वर्ष की आयु वाले वास्तविक छात्रों को अपने अध्ययन के स्थान तथा पैत्रिक नगर के बीच यात्रा के लिये विमान किरायों में 50% की छूट दे रही है। इण्डियन एयरलाइन्स विद्यार्थियों को जब वे अपनी शिक्षा संस्थाओं की ओर से अध्ययन यात्राओं अथवा भ्रमण यात्राओं पर 10 या अधिक छात्रों के दलों में इण्डियन एयरलाइन्स के मार्गजाल पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो उन्हें किराये में 50% की छूट देती है ।

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत गतावधिक मामलों में छूट

953. **श्री दौलत राम सारन** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से मामले हैं जिनमें सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27(क) के उपबन्धों की अवहेलना करके पिछले पांच वर्ष में राशि वापिस करने के आदेश दिए गए हैं ;

(ख) ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं जबकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27(1) के अधीन गतावधिक मामलों में समय में छूट का कोई प्रावधान नहीं है ;

(ग) क्या सीमा शुल्क अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अधीन संयुक्त सचिवों तथा सदस्य बोर्ड के संदायों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 131 या 128 के अन्तर्गत सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27(1) के प्रावधानों में छूट देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ; और

(घ) यदि नहीं, तो किस प्राधिकार के अन्तर्गत उन्हें समय-सीमा में छूट देने की शक्ति प्रदान की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख), (ग) और (घ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत, धारा 27(1) के अन्तर्गत निर्धारित मियाद बाहर में ढील देकर वापसी मंजूर करने का कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है । लेकिन, उच्चत्तम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में बताया था कि प्राधिकारी को प्राविधिकताओं को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए बल्कि न्याय के व्यापक पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए । विधि मंत्रालय ने भी यह सलाह दी कि यह ठहराना असंगत होगा कि सरकार को उस कर की वापसी मंजूर करने की कोई शक्ति नहीं है जो गैर-कानूनन वसूल कर लिय गया है और यह कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27 निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले उपाय के लिए केवल रुकावट होगी और निर्धारिती के अधिकार को पूर्णरूप से समाप्त नहीं कर देगी, और यह कि उपयुक्त मामलों में सरकार को उन करों की वापसी मंजूर करने की छूट होगी जो गलत ढंग से अथवा गैर कानूनन वसूल किये गये थे । तद्नुसार, सरकार ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके कुछे श्रेणियों के मामले तैयार किये थे जिनमें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत मियाद बाहर में ढील देकर वापसियों पर विचार किया जा सकता है । लेकिन, स्वविवेक का इस्तेमाल बहुत कम और केवल उन मामलों में किया जाता है जिनमें पार्टी का दावा, मियाद बाहर को छोड़कर एकदम औचित्यपूर्ण है ।

बोर्ड के सदस्यों को धारा 27(1) के उपबंधों में ढील देने के अधिकार नहीं दिये गये हैं । लेकिन, उपर्युक्त मामलों की सीमित श्रेणियों में सरकार के संयुक्त सचिवों को यह अधिकार दिया गया है । यह मानते हुए कि सरकार को ढील देने का अधिकार है, तो संयुक्त सचिव को ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन सही है ।

गुजरात में राजकोट नगर का दर्जा बढ़ाना

954. श्री वी० जी० हांडे : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त परामर्श तंत्र (केन्द्रीय) ने 26 नगरों का दर्जा बढ़ाने के बारे में 13 अप्रैल, 1977 को विचार-विमर्श किया था ;

(ख) क्या गुजरात राज्य में राजकोट नगर को बी-2 श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के बारे में विचार किया गया था ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किये जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सचिव के साथ असाधारण रूप से मंहगे स्थानों पर जन संख्या के मानकों में छूट देकर प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता की अदायगी करने के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के खण्ड 4, अध्याय 56 के पैरा 14 में, निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की कार्यविधि पर चर्चा करने के लिए, और न कि उनके वर्गीकरण का दर्जा बढ़ाने के लिए, 15 अप्रैल, 1977 को एक बैठक हुई थी। राजकोट को उन 26 नगरों की सूची में शामिल किया गया है जिन पर इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(ग) नगरों की तुलनात्मक मंहगाई का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। इस मामले की राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) द्वारा गठित एक समिति द्वारा और आगे जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र में कपास वसूली योजना के संचालन के लिए ऋण सीमा की मंजूरी

955. श्री वी० जी० हांड : क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने महाराष्ट्र में कपास वसूली योजना के संचालन के लिए आवश्यक ऋण राशि मंजूर करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को अनुदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को यह प्राधिकार दिया था कि वह इस योजना की वित्तीय आवश्यकता पूरी करने के लिये 1978-79 में महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ (महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव मार्कीटिंग फेडरेशन) को कुल 95 करोड़ की नकद वृद्धि बन्धक ऋण सीमा मंजूर करे। यह सीमा 30-6-79 तक लागू थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार की गारंटी पर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को इस प्रयोजन के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर 45 करोड़ रुपये की ऋण सीमा भी मंजूर की थी जो 31-5-79 तक लागू थी तथा उसका लाभ केवल 10 लाख रुपये तक उठाया गया था।

जेवरों का निर्यात

956. श्री वी० जी० हांडे : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ देशों को 10 करोड़ रुपये मुल्य के जेवर निर्यात करने का प्रस्ताव है ;

(ख) उस अभिकरण का नाम क्या है जिसके द्वारा निर्यात किये जाने का विचार है और उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें ये जेवरात निर्यात किये जाएंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में विदेशी सरकारों द्वारा क्या सहायता दी जाएगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) वर्ष 1979–80 के लिए स्वर्ण आभूषणों (सादे आभूषण, जड़ाऊ आभूषण तथा मिनाकारी आभूषण) का निर्यात लक्ष्य 30 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है।

(ख) निर्यात किसी भी निर्यातक/संस्था आदि द्वारा समय-समय पर संशोधित सरकारी नीति के अन्तर्गत किसी भी देश को किया जा सकता है जिसके साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध हैं।

(ग) किसी भी बाहरी देश के द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती।

मध्याह्न पश्चात 12.06 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 16 जुलाई, 1979/25 आषाढ़, 1901 (शक) के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सबिना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद